अष्टम माला, खंड 38, अंक 36

बुधवार, 20 अप्रैल, 1988
31 चैत्र, 1910 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No B 59
Date 10/11/88

(खण्ड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[ अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा। ]

# विषय-सूची

**अष्टम माला, खण्ड 38, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)**

**अंक 36, बुधवार, 20 अप्रैल, 1988/31 चैत्र, 1909 (शक)**


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 735 से 738, 740 और 744 | 1-18 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 734, 739, 741 से 743 और 745 से 753 | 18-32 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 7535 से 7716 | 32-196 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 204-206 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** | 206 |
| 51वां प्रतिवेदन | |
| **प्राक्कलन समिति** | 206 |
| 60वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश | |
| **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति** | 207 |
| 40वां प्रतिवेदन | |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 211-215 |
| (एक) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाना | 211 |
| प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत | |
| (दो) निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए समय-समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना | 212 |
| श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही | |
| (तीन) दिल्ली के किसानों को नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति करना | 212 |
| श्री भरत सिंह | |


किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| (चार) | मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना-अगासौद क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना . . . . . . . . | 212-213 |
| | श्री नन्दलाल चौधरी | |
| (पांच) | गोपालगंज में बूढ़ी गंडक पर रेल पुल का निर्माण करना . . | 213 |
| | श्री काली प्रसाद पांडेय | |
| (छः) | बिहार में रसियारी गांव के समीप कमला-बालन नदी पर सड़क पुल का निर्माण करना . . . . . . . | 213-214 |
| | श्री राम भगत पासवान | |
| (सात) | उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना . . . . . . . . | 214 |
| | श्री जगदीश अवस्थी | |
| (आठ) | सिक्किम में रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने की योजना के अन्तर्गत गैर-आदिवासियों सहित सभी व्यक्तियों को लाना . . | 214-215 |
| | श्रीमती डी०के० भंडारी | |
| अनुदानों की मांगें, 1988-89 | . . . . . . | 215-296 |
| (एक) | विदेश मंत्रालय . . . . . . | 215-287 |
| | श्री सैफुद्दीन अहमद . . . . . . | 215-216 |
| | श्री बृजमोहन महन्ती . . . . . . | 216-220 |
| | श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . . . . . | 220-230 |
| | श्री दिग्विजय सिंह . . . . . . . | 230-233 |
| | प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत . . . . . | 233-237 |
| | श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया . . . . . | 237-238 |
| | प्रो० नारायण चन्द पराशर . . . . . | 238-243 |
| | श्री रघुनन्दन लाल भाटिया . . . . . | 243-245 |
| | श्री अब्दुल रशीद काबुली . . . . | 245-256 |
| | श्री राम प्यारे पनिका . . . . | 257-259 |
| | श्री तरुण कान्ति घोष . . . . . | 259-261 |
| | श्री पी०के० थुंगन . . . . . . | 261-265 |

| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | श्री ई० अय्यपू रेड्डी | 265-268 |
| | श्री जैनुल बशर | 268-271 |
| | श्री महावीर प्रसाद यादव | 271-273 |
| | श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह | 273-274 |
| | श्री वीर सेन | 274-278 |
| | श्री हरुभाई मेहता | 278-280 |
| | श्री राजीव गांधी | 280-287 |
| (दो) | **इस्पात और खान मंत्रालय** | 288-296 |
| | श्री बी०बी० रमैया | 288-292 |
| | श्री बी०आर० भगत | 295-296 |

# लोक सभा

बुधवार, 20 अप्रैल, 1988/31 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### कांटेदार तार लगाने और सीमा सड़क बनाने के कारण प्रभावित लोग

[अनुवाद]

*735. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-बंगलादेश सीमा के समीप, विशेषकर असम के धुबरी जिले में, प्रस्तावित कांटेदार तार लगाने और सीमा सड़क बनाने से कितने व्यक्ति प्रभावित होंगे;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन्हें मुआवजा देने के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार असम के धुबरी जिले में अब तक 1279 परिवार प्रभावित हुए हैं।

(ख) और (ग). प्रभावित लोगों को वैकल्पिक स्थलों पर पुन: बसाने का कार्य राज्य सरकार का है। फिर भी, सीमा सड़क और बाड़ के निर्माण की योजना में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की व्यवस्था है। इस उद्देश्य के लिए अब तक 56,811,330.55 रुपये प्रदान किए गए हैं।

**श्री अब्दुल हमीद** : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत-बंगलादेश सीमा के साथ प्रस्तावित सीमा सड़कों के निर्माण से 1279 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने कहा है कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। जहां तक मैं जानता हूं राज्य सरकार ने पुनर्वास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। मुआवजे के सम्बन्ध में, मंत्री महोदय ने कहा है कि एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है परन्तु जो न्यूनतम मुआवजा दिया गया है वह बाजार भाव से कम है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कठोर कार्यवाहीं करेगी और राज्य सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा बाजार भाव से पर्याप्त मुआवजा देने के लिए कहेगी। भारत-बंगलादेश सीमा, विशेषकर असम के धुबरी जिले के साथ-साथ सड़क तथा कांटेदार तारों की रेखा में परिवर्तन करके प्रभावित लोगों की संख्या में कमी लाई जानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप क्या चाहते हैं ?

**श्री अब्दुल हमीद** : कम से कम लोग प्रभावित हों और इस के लिए वर्तमान रेखा में परिवर्तन किया जाना चाहिए—क्योंकि प्रभावित लोगों की संख्या कम करने की पर्याप्त गुंजाइश है ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : माननीय सदस्य ने एक बहुत उचित समस्या उठाई है जिसका सामना विस्थापित लोग कर रहे हैं । सभा तथा माननीय सदस्य के सूचनार्थ, हमने राज्य सरकार को निर्देश दिया है; सड़क निर्माण के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अवांछित कठिनाई से बचाने के लिए, असम सरकार से निवेदन किया गया है कि वह सजग प्रयास करके लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिए एक उचित प्रक्रिया तैयार करे और सड़क को घुमा कर ले जाए या सीमा पर वर्तमान सड़कों/तटबन्धों का अधिकाधिक प्रयोग करे, चाहे वे सीमा से कुछ दूरी पर हों ताकि विस्थापित लोगों को कम से कम कठिनाई हो । हमने राज्य सरकार को ये निर्देश दिये हैं ।

**श्री अब्दुल हमीद** : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से लोग सीमा पार रहेंगे । उनके रहने का भविष्य क्या होगा ? **(व्यवधान)** सीमा सड़कें भारत-बंगलादेश सीमा के साथ सीमा से 150 मीटर की दूरी पर बनाये जाने का प्रस्ताव है । इस 150 मीटर की सीमा के अन्दर बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं । वे भविष्य में कैसे रहेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको वह स्थान खाली करना होगा अथवा वे वहीं रहेंगे ?

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मेरे विचार में, मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । यदि हम कठिनाईयों को कम करना चाहते हैं, यदि इसकी आवश्यकता हुई तो वे उस रेखा को थोड़ा बदल सकते हैं चाहे यह सीमा से 150 मीटर से अधिक दूरी पर हो ताकि विस्थापित लोगों की कठिनाईयों को कम किया जा सके । हमने उनको यह हिदायत दी है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि लोग किसी भी तरह परेशान न हों ।

**श्री अब्दुल हमीद** : ये सड़कें सीमा से 150 से 200 मीटर की दूरी पर बनाई जानी हैं । अत: सीमा पार रहने वाले लोगों का क्या भविष्य होगा ?

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : हमने सीमा पर बाड़ लगाने का निर्धारण किया है । यदि प्रभावित होने वाले लोगों को कोई कठिनाई हुई, जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, राज्य सरकार को कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि रेखा को थोड़ा बदल दें ताकि लोग कम प्रभावित हों, जो लोग इस विस्थापन से प्रभावित हुये हैं उन्हें कम से कम कठिनाई हो । हमने यह निर्देश जारी किया है और बाड़ से बाहर रहने वाले लोगों की सहायता के लिए दरवाजे भी छोड़े गये हैं ।

**श्री हरेन भूमिज** : मन्त्री जी ने परसों सभा को यह जानकारी दी थी कि वर्तमान 1560 किलोमीटर लम्बी सीमा सड़कों के साथ 2010 किलोमीटर और सीमा सड़कें तथा तार लगाने का कार्य तीन संस्थाओं को सौंपा गया है । असम क्षेत्र में यह कार्य राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है । असम में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) सार्वजनिक बदतरीन विभाग (पब्लिक वर्स्ट डिपार्टमेंट) का नाम अर्जित किया है । हर बार राज्य सरकार केन्द्र सरकार को यह दोष देती है कि केन्द्र सरकार असम समझौता लागू करने में दायित्व से हट रही है । क्या केन्द्र सरकार यह देखने का प्रयास करेगी कि असम के लोग तथा राज्य सरकार केन्द्र

सरकार को दोष न दें ? क्या केन्द्र सरकार यह कोशिश करेगी कि यह कार्य ऐसी संस्थाओं को दिया जाये ताकि कार्य से लोग संतुष्ट हों, राज्य सरकार संतुष्ट हो तथा केन्द्र सरकार संतुष्ट हो ?

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, तीन कार्य निष्पादन एजेंसियां हैं । असम में परियोजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, सीमा सड़क संगठन द्वारा मेघालय और त्रिपुरा में तथा केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है । इन तीन एजेंसियों को काम सौंपा गया है ।

जहां तक असम का सम्बन्ध है, हम उन्हें भूमि अधिग्रहण, बाड़ लगाने तथा सड़क बनाने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार पैसा दे रहे हैं । मैंने अभी उत्तर दिया है कि हम इस उद्देश्य के लिए पहले ही 56,811,330.55 रुपये आवंटित कर चुके हैं । यह कार्य पांच वर्ष प्रति चरण के हिसाब से दो चरणों में पूरा किया जाना है । इस प्रकार हमें 10 वर्ष में पूरा करना है । इस वर्ष हम इस राशि को बढ़ाकर 26 करोड़ रुपये कर रहे हैं जिसमें मुआवजा भी शामिल है । हम इस मुआवजे के भुगतान को निपटाने के लिए बार-बार लिख रहे हैं । अब असम को 1987-88 के लिए 3.84 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से भूमि अधिग्रहण के लिए राशि 1.43 करोड़ रुपये थी । 3.84 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाना था परन्तु वास्तव में 1987-88 में केवल 2.62 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था । 1988-89 में पूरी सीमा के लिए आवंटन बढ़ाकर 26 करोड़ रुपये करने जा रहे हैं ।

यदि श्री हमीद धुबरी के बारे में जानने के इच्छुक हैं क्योंकि वह इस क्षेत्र से आये हैं, तो मैं आंकड़े दे सकता हूं । धुबरी के लिए हमने भू-अधिग्रहण के लिए 1.10 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं परन्तु वास्तविक उपयोग 56.8 लाख रुपये हैं ।

**श्री भद्रेश्वर तांती** : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रभावित लोगों को जो सीमा सड़क निर्माण से प्रभावित हुये हैं, सीमा पर बसाना चाहते हैं । अब मंत्री जी ने जबाब दिया है कि यह देखना राज्य सरकार का काम है कि लोगों का पुनर्वास किया जाये और मुआवजा दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि केन्द्र सरकार अपना भार राज्य सरकार पर डाल रही है । क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास का दायित्व आपके ऊपर भी है ? मैं इसका स्पष्ट जबाब चाहता हूं ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : यदि राज्य सरकार उन लोगों के पुनर्वास के बारे में, जिन्हें यह हटा रही है, असमर्थता जाहिर करती है तो उसे केन्द्र सरकार को लिखना चाहिए कि वह इस दायित्व को नहीं उठा सकती फिर हम इसे करेंगे । आमतौर पर उनकी देखभाल करना राज्य सरकार का दायित्व है ।

**आठवीं योजना में जिला स्तर पर योजना बनाना**

**[हिन्दी]**

+

*736. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

**श्री राम धन** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय जिला स्तर पर योजनायें बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जिला स्तर पर योजनायें बनाने के लिये सरकार द्वारा अब तक तैयार किये गये कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय बुद्धिजीवियों से सुझाव मांगे जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) और (ख). योजना आयोग की यह मंशा रही है कि आठवीं योजना की तैयारी में जिला आयोजन को उच्च प्राथमिकता दी जाए। राज्यों से पहले ही यह अनुरोध किया जा चुका है कि वे जिला योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दें ताकि जिला योजनाओं को राज्य योजनाओं के साथ बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए।

(ग) और (घ). यह माना जाता है कि जिला योजनाओं के निर्माण से स्थानीय बुद्धिजीवियों को अपनी निविष्टियां देने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : विकेन्द्रीकृत आयोजन का विचार एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि सबसे निचले स्तर पर एक परिणामोन्मुख योजना बनाई जाये। इसलिए जिलों का एक चयनात्मक रवैया रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री 30 अप्रैल को जयपुर में जिलाधीशों की एक सभा में शामिल होंगे। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार चार जिले—गुड़गांव, अल्मोड़ा, सवाई-माधोपुर और खेड़ा को योजना आयोग द्वारा चार आदर्श जिलों के रूप में तैयार किया जा रहा है।

मैं आपके जरिये मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने एक सामान्य आशंका की तरफ ध्यान दिया है कि कुछ जिलों को आदर्श जिलों के रूप में चुनने और अन्य जिलों को छोड़ देने से असंतुलन पैदा हो सकता है, क्योंकि पहले ही कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से असंतुलन है। उदाहरण के लिए एक तरफ तो ऐसे स्कूल हैं जिनमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेवायें उपलब्ध हैं और दूसरी ओर सरकार आपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना चला रही है। ऐसा क्यों है ? सरकार आदर्श जिलों को चुनते समय और जिला योजना बनाते समय विकास में असंतुलन की आशंका को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : माननीय सदस्य की यह धारणा, कि जिले चयनात्मक आधार पर अपनी आवश्यकताओं का पता लगाने के सम्बन्ध में प्रगति करेंगे सही है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इन चार जिलों का सम्बन्ध है जो यहां चुने गए हैं और जिनकी मार्गदर्शी (पाइलट) योजनाएं 30 अप्रैल तक पूरी हो जानी हैं, ये चार जिले भिन्न स्थानों में स्थित हैं—एक रेगिस्तानी क्षेत्र में है, एक पहाड़ी क्षेत्र में है, एक ऐसे क्षेत्र में है जो कि बहुत ही सूखा प्रवण है और एक ऐसे क्षेत्र में है जो थोड़ा विकसित है। ये केवल मार्गदर्शी (पाइलट) योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही सब कुछ हैं। प्रधान मंत्री ने, राष्ट्रीय विकास परिषद में और उससे पहले राज्य सभा में, जब वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने जिला आयोजन के सन्दर्भ में जोर दिया था। इसी आधार पर

मैंने पहले ही सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे अपनी योजनाओं का जिला योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करें। हम उन्हें पहले ही लिख चुके हैं कि वे हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की सेवायें ले सकते हैं। हम उन्हें पहले ही इन योजनाओं को तैयार करने के प्रयोजन से 50 अनुपात 50 के आधार पर धन भी दे रहे हैं बशर्ते कि इसकी उच्चतम सीमा 1 लाख रुपये हो। यहां संयुक्त निधियां भी हैं। पहले ही ये राज्यों को पेश की जा चुकी हैं। केन्द्र की यह मंशा नहीं है कि असंतुलित विकास हो जिसके परिणामस्वरूप अन्तत: स्वयं योजनाएं ही निष्फल हो जाएं। हम चाहेंगे कि जिला योजनाओं का, राज्य योजनाओं के साथ समन्वय हो ताकि समस्त क्षेत्र का एक समान विकास हो।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : ऐसे सात प्राथमिक क्षेत्र हैं जो प्रधान मंत्री और योजना आयोग के ध्यान में हैं। उनमें से एक बेरोजगारी है। जैसे कि मैंने पहले कहा है यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन देश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां कई वर्षों से जिला निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं। जिला स्तर पर चुने हुए लोगों की अनुपस्थिति से जिला स्तर पर प्रशासन और निर्वाचित लोगों के मध्य असहयोग पैदा हो सकता है। इस अड़चन को देखते हुए सरकार के मन में क्या है, एक सर्वसम्मतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाना या इसी को बरकरार रखना।

**श्री पी० शिव शंकर** : प्रधान मंत्री ने पहले यह बात राज्य सभा और बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद में कही। इसी आधार पर राज्यों से पंचायत राज चुनाव कराने का अनुरोध किया गया। जहां तक स्थानीय स्तर पर चुनावों का सम्बन्ध है वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसे किस तरह से संविधानिक या वैधानिक बना दिया जाये इसमें से किसी पर भी हम अभी तक स्पष्ट नहीं हैं ताकि चुनाव न कराने और उनमें देरी कराने का प्रश्न ही पैदा न हो।

**[हिन्दी]**

**श्री रामधन** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी योजना जन-सहयोग के बिना अच्छी तरह से सफल नहीं हो सकती, अब तक जो जो प्रणाली रही है, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, ऐसा देखा जा रहा है कि नई प्रणाली अपनाएं जाने की मन्शा है, लेकिन जैसा कि कहा गया है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में 10, 15 साल से स्थानीय निकायों और स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का चुनाए नहीं हुआ और वर्तमान स्थिति में जन-प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। जब से पी०एम० और डी०एम० कांफ्रेंस होने लगी हैं, तब से डी०एम० इतनी मनमानी करने लग गए हैं कि किसी भी स्थिति में जन-प्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन नहीं चाहते। हमारे जिले में डी०आर०डी०ए० की कोई मिटिंग नहीं हुई और जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किये जाते हैं वे वहां 2, 2 और 3, 3 साल तक नहीं जाते। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : श्री रामधन को देखकर आप भड़क क्यों जाते हैं ?

**[हिन्दी]**

**श्री राम धन** : मैं अपने यहां की स्थिति बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में जो जिला आयोजना को प्रारूप देने की बात की जाती है, इसमें बुद्धिजीवियों का भी सहयोग लिया जाये, लेकिन ऐसी कल्पना आप कर रहे हैं। क्या आप सीधा डायरेक्टिव नहीं दे रहे हैं ? वैसे तो जन-प्रतिनिधियों की

उपेक्षा पहले से ही हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन सा ठोस कदम आप उठाना चाहते हैं जिससे कि विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों और अन्य सभी का पार्टिसिपेशन योजना तैयार करने में हो सके।

**श्री पी० शिव शंकर :** मेरा निवेदन यह है कि इसका उत्तर तो पहले ही दे दिया गया है। यह नई प्रणाली का प्रश्न नहीं है और न ही नई प्रणाली की मन्शा है। यह इस कारण से कि डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था पहले प्वाइंट से ही आरम्भ हो चुकी है और इसका प्रारूप जिले के स्तर पर हम देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें जन-प्रतिनिधियों को भी इनवाल्व किया जायेगा और लोकल टैयलन्ट को भी इनवाल्व किया जायेगा और हमें पूरी आशा है कि स्टेट्स जो वहां की योजना जिला स्तर पर बनायेंगी, इन सब के सहयोग से ही बनायेंगी।

**[अनुवाद]**

**श्री डी०पी० यादव :** मैं माननीय मंत्री से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वे उन जिलों की कुल संख्या पर विचार करें जो उस प्रयोजन के लिए जिला योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाएंगे।

सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने जिला आयोजन से संबद्ध संस्थाओं को निर्देश दिये हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान संख्या का, उनके कर्तव्यों का, आयोजन प्रक्रिया के साथ मेल बैठ सके और उनके कार्यों का भी उसके साथ सामंजस्य स्थापित हो सके।

दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्राकृतिक संसाधन आंकड़े प्रबन्धन प्रणाली जो कि विज्ञान और प्रोद्योगिकी द्वारा पहले ही आरम्भ की जा चुकी है का भी इस प्रणाली से समन्वय बिठाया गया है जैसे कि अन्य संस्थानों जैसे भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कुछ प्रयोगशालाओं में किया गया है जो कि आधुनिक उपकरणों जैसे कम्प्यूटरों और अन्य प्रोद्योगिकियों से भली प्रकार सुसज्जित हैं; क्या उन्हें भी जिला आयोजन में शामिल किया जाएगा ?

उस आयोजना का क्षेत्र की जरूरतों से सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। इसलिए इन सभी तथ्यों को एक साथ देखना चाहिए। यह एक बहुत कठिन प्रक्रिया होगी। एक संस्थान को केवल 2 लाख रुपये उपलब्ध कराने की ही बात नहीं है।

यदि आप सोचते हैं कि जिला आयोजन सम्भव होगा तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ और अधिक देना पड़ेगा। यह समन्वय का कार्य बहुत कठिन कार्य है। एक पूरी प्रक्रिया के लिए एक प्रणाली लानी पड़ेगी ताकि आठवीं योजना के लिए पूरी तरह सक्षम प्रणाली विकसित की जा सके।

**श्री पी० शिव शंकर :** मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य की ये टिप्पणियां कि योजना के लिए पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए और समन्वित की जानी चाहिए सही हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपनी तरफ से योजना आयोग में एक विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य-बल भी बनाया है जो कि इस बात पर गौर कर रहा है कि जिला स्तर की आयोजना को कैसे संचालित किया जाये।

हम राज्यों को मार्ग निर्देश दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यों को इन जिलों को अपने प्रभाव में रखना पड़ेगा। अतः उन्हें समय-समय पर मार्ग निर्देश दिये जा रहे हैं। मुझे पूरा

विश्वास है कि वे विभिन्न सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिये हैं—कि इसके अधिकारियों के कार्यों में और विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के कार्यों में जो कि जल प्रबन्धन आदि को देख रहा है समन्वय लाया जाना चाहिए ताकि जिला योजना का राज्य योजना के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके, बिल्कुल सही हैं ।

**श्री ई० अय्यपू रेड्डी :** उपाध्यक्ष महोदय, एक धारणा बनती जा रही है कि प्रधान मंत्री द्वारा आयोजना के क्षेत्र में एक नई संकल्पना की शुरूआत की जा रही है और वह जिला स्तर की आयोजना है । मैं नहीं जानता कि क्या यह नई धारणा है या यह धारणा पिछली सात योजनाओं में भी रही है । फिर भी, अधिकांश मामलों में पिछले 20 या 25 वर्षों से जिला आयोजना समितियां कार्यरत हैं, परन्तु मुख्य अड़चन और मुख्य कठिनाई यह रही है कि इन जिला योजनाओं को पैसा कौन देगा । अब क्या आप जिला आयोजन के कार्य करने के लिए कोई नई विधि बता रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया इसकी विशेषतायें बताएं जिससे लोगों को यह समझ में आ पाये और उन्हें परिणामों का पता चले । अन्यथा ये जिला योजनाएं कागज पर स्वप्न बनकर रह जाएंगी । मैंने स्वयं जिला आयोजना समितियों में कई मर्तबा काम किया है । जिले लम्बी योजनाएं बनाते हैं और उन्हें नीचे से ऊपर तक भेजते हैं लेकिन वे केवल कागज पर रह जाती हैं । अत: जब तक आप जिला योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने की नई विधि नहीं बताएंगे तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा । क्या आप जिला योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था करने की कोई नई विधि बता रहे हैं ?

**श्री पी० शिव शंकर :** महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कई मामलों में जिला आयोजना समितियां कार्यरत हैं लेकिन वे पर्याप्त धन के अभाव में उपयुक्त आयोजना नहीं कर पाये हैं । इस प्रक्रिया के पीछे जो कि अब आरम्भ की गई है यह विचार है कि स्थानीय स्तर पर, जनता के प्रतिनिधि और प्रशासन यह बात निश्चित कर सकें कि कौन से मामले अविलम्बनीय महत्व के है ताकि उन पर तत्काल कार्यवाही की जा सके । जहां यह बात निश्चित की जा रही है वहीं केन्द्र सरकार ने पहले ही विभिन्न राज्यों के साथ इसके तरीके के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ कर दी हैं । ऐसे कुछ राज्य हैं जो जिलेवार उनके विकास के लिए पहले ही धन आबंटित कर चुके हैं परन्तु ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है । अब इन आवश्यकताओं का पता लगाया जाना चाहिए और राज्यों को धन आबंटित करने के लिए राजी किया जाना चाहिए । केन्द्र को भी उन्हें सहायता देनी चाहिए । इन सभी बातों को विभिन्न स्तरों पर भिन्न चर्चाओं द्वारा सुलझाया जा रहा है और अधिकारी स्तर पर चर्चाएं पहले ही आरम्भ हो चुकी हैं ।

## चुनींदा उद्यमों में सुनियोजित योगदान

***737. श्री एच०ए० डोरा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान उद्योगों की उत्पादन-क्षमता को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए चुनींदा औद्योगिक उद्यमों के संबंध में सुनियोजित योगदान करने के प्रस्ताव के बारे में आवश्यक विवरण तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह विवरण कब तक तैयार कर लिया जाएगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) से (ग). यह बताना संभव नहीं है कि ब्यौरों को किस तारीख तक अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि संबंधित मंत्रालयों तथा उद्योग के साथ इस संबंध में परामर्श करना जरूरी होगा। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

**श्री एच०ए० डोरा** : मैंने इस देश में चुनींदा औद्योगिक उद्यमों के उत्पादन को अधिकतम स्तर पर लाने के लिए सुनियोजित योगदान के बारे में एक प्रश्न पूछा है और एक सुनियोजित ढंग से उसका उत्तर दिया गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या यह सुनियोजित उत्तर तथ्यों को छिपाने के लिए दिया गया है। मैं माननीय मंत्री श्री शिव शंकर से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन-कौन से औद्योगिक उद्यम हैं जिनकी पहचान कर ली गई है। यदि हां, तो उनके उत्पादन को अधिकतम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : वास्तव में मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के अध्याय 5, पैरा 5.75 में इस मुद्दे को उठाया गया है, जिसके आधार पर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। परन्तु, जैसा कि हमने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उद्योगों और मंत्रालयों के सन्दर्भ में परामर्श की प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। अब माननीय सदस्य ने हमसे यह प्रश्न पूछा है कि उसके बाद क्या किया गया है, क्या मंत्रणा की गई है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमने अभी तक योजना आयोग में वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, सीमेन्ट उद्योग और उर्वरक उद्योग के साथ बातचीत की है। अन्य उद्योगों के साथ बैठकें निश्चित की गई हैं। इन मामलों के बारे में सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ बातचीत की जानी है। केवल उसके बाद ही सुनियोजित योगदान के बारे में सोचा जा सकता है, जिसका उल्लेख योजना दस्तावेज में किया गया है।

**श्री एच०ए० डोरा** : यह बताया गया है कि प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। मैंने पूछा था कि कौन से औद्योगिक उद्यमों को योजना आयोग के सुनियोजित योगदान की आवश्यकता है। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

**श्री पी० शिव शंकर** : महोदय माननीय सदस्य किसी विशेष उद्योग का उल्लेख कर रहे हैं। यहां तक कि वस्त्र क्षेत्र अथवा ऊन क्षेत्र में भी हमने ऐसा नहीं किया है। वास्तव में हमारा पहला प्रयास यह है कि उन उद्योगों का पता लगाया जाए जो सुनियोजित योगदान के पात्र हैं और फिर अलग-अलग रूप से योजनाओं की जांच की जाए क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगता है। माननीय सदस्य को यह याद होगा कि हमने सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के कार्य को मार्च के अन्तिम भाग में पूरा किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दस्तावेज को अनुमति दिये जाने के बाद उसे सदन में प्रस्तुत कर दिया गया और कार्य आरम्भ हो चुका है। अत: अभी तक केवल 4 सामान्य क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। हम अभी तक किन्हीं विशिष्ट उद्योगों की बात पर नहीं पहुंचे हैं। इसमें थोड़ा समय लगेगा।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नगीना मिश्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में चीनी उद्योग एक बहुत ऊंचा स्थान रखता है और उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन अधिक हो रहा है, कुल 104 चीनी मिलें हैं जिनमें 24 मिलें सन् 55 की बनी हुई हैं और

जो साढ़े 12 सौ टन से कम कैपेसिटी की हैं, अत: मौजूदा गन्ना उन मिलों के द्वारा क्रश नहीं हो पा रहा है, तो क्या चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश में जो ऐसी चीनी मिलें हैं जिनकी साढ़े 12 सौ टन से कम की कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे ?

**श्री पी० शिव शंकर** : जो ग्रुप इस मामले में काम कर रहा है, मैं आपका सुझाव उनके पास भेज दूंगा।

**पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग**

**[अनुवाद]**

*738. **श्री कमल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं और इन उद्योगों में किन-किन मदों का उत्पादन किया गया है अथवा किया जाएगा; और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) पंजाब में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों की स्थापना मुख्यत: होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला तथा रोपड़ जिलों में की जा रही है। इन उद्योगों के स्थापनास्थल तथा उनमें विनिर्मित/विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार जो एक मात्र वित्तीय सहायता देती है, वह पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में है। किन्तु, केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने की एकीकृत परिपथ युक्तियों के विनिर्माण के लिए 160 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश से मोहाली में सेमीकंडक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड की स्थापना की है।

**विवरण**

| क्र० सं० | जिले का नाम | वस्तु का विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | होशियारपुर | श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर तथा चुम्बकीय टेप |
| 2. | खरर | इलेक्ट्रॉनिक निजीस्वचालित शाखा एक्सचेंज |
| 3. | लुधियाना | श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर, वीडियो कैसेट रिकार्डर, टेलीफोन उत्तर मशीन, |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | टेलीफोन, श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब और वीडियो कैसेट |
| 4. | पटियाला | दूरदर्शन के लिए उच्च तनाव ट्रांसफार्मर तथा रंगीन दूरदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर |
| 5. | रोपड़ | श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, विभिन्न किस्म के वैद्युत-चिकित्सकीय उपस्कर तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मिनी कम्प्यूटर, सुपर माइक्रो कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रिन्टर, मोनोक्रोम/रंगीन सी आर टी/ग्राफिक्स प्रदर्श मानीटर, डिस्क प्रणोद तथा उप संयोजन, ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज, पार्ट इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज, टेलीफोन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स मशीनें, मोडेम, द्विध्रुवीय (बाइपोलर)/मास, बड़े पैमाने के एकीकृत बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, विभिन्न किस्म के विभवमापी, स्विच, कनेक्टर, श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन ट्यूनर के लिए दूरदर्शन कंट्रोल यूनिट, चुम्बकीय शीर्ष, लिथीयम बैटरी, मल्टीचैनल रेडियो रिले प्रणालियां तथा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर । |
| 6. | साहिबजादा अजीत सिंह नगर | आंकड़ा अभिग्रहण प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज, डायरेक्ट-टू-लाइन मल्टीप्लेक्स प्रणालियां, वी सी एम मल्टीप्लेक्स प्रणालियां, वी एच एफ/एच एफ ट्रांसरिसीवर, वी एच एफ ट्रांसमीटर, श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन ट्यूब, सी आर ट्यूब, प्रतिबिम्ब विस्तारक ट्यूब, गैस भरी हुई ट्यूब, डायोड/ट्रांजिस्टर, एल ई डी एस, एल सी डी एस, विद्युत ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय/मास/बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, सिरेमिक संधारित्र (कैपेसिटर), निकिल-केडमियम शैल/बैटरी, कम्प्यूटरों के लिए चुम्बकीय शीर्ष, श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वीडियो प्रदर्शन यूनिट, टेलीफोन उपकरण, एस सी आर तथा रिकार्ड और प्रति श्रवण (प्ले बैक) शीर्ष । |

**श्री कमल चौधरी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि पंजाब में अधिकतर इलेक्ट्रानिक उद्योग रोपड और मोहाली में स्थित हैं जोकि चण्डीगढ के उपनगर हैं । और जैसा कि दर्शाया गया है कुछ सीमा तक होशियारपुर जिले की आंशिक रूप से उपेक्षा की गई है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या होशियारपुर जिले में और अधिक इलेक्ट्रानिक उद्योग लगाने के लिए योजना में कोई प्रावधान है और उसकी स्थापना में कितना समय लगेगा ?

**श्री के० आर० नारायणन** : महोदय, जैसा कि वक्तव्य में दिया गया है, होशियारपुर जिले में भी कुछ उद्योग हैं जैसे श्याम और श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर तथा चुम्बकीय टेप निर्माण उद्योग । जहां तक होशियारपुर का सम्बन्ध है हमें इस बारे में अभी तक राज्य सरकार से अथवा किसी निजी उद्योग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । और हमारे पास इस बारे में कोई कार्य लम्बित नहीं पड़ा है । यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हमें उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि चण्डीगढ के इर्द-गिर्द क्षेत्र के अलावा पंजाब में खरर, लुधियाना, पटियाला, रोपड आदि क्षेत्रों में भी हमारे उद्योग स्थापित हैं ।

**श्री कमल चौधरी** : जैसा कि उत्तर में दिया गया है केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने की एकीकृत परिपथ युक्तियों के विनिर्माण के लिए केवल 60 करोड़ रुपये का निवेश किया है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा दिये गये इस अनुदान को पर्याप्त समझा है । दूसरे क्या माननीय मंत्री ऊंचे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस अनुदान की राशि को बढाना चाहेंगे ?

**श्री के० आर० नारायणन** : सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स एक केन्द्रीय उद्यम है । यह उद्योग तेजी से विकास कर रहा है । वास्तव में इसने इतनी अधिक प्रगति की है कि 5 माइक्रोन प्रौद्योगिकी से कार्य आरम्भ करके यह आजकल 2.5 माइक्रोन तक पहुंच गया है और हम यह योजना बना रहे हैं कि वर्ष 1990 तक इसकी सक्षमता बढकर 1.25 माइक्रोन हो जाए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केवल पंजाब के इलेक्ट्रानिक उद्योगों से सम्बन्धित होने चाहिए, किसी अन्य विषय से नहीं ।

**कुमारी ममता बनर्जी** : प्रश्न एक तरह से पंजाब से सम्बन्धित है । आपकी अनुमति से मैं यह जानना चाहूंगी···(**व्यवधान**) महोदय जब हमारे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा तो उन्होंने उल्लेख किया 'पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड, उत्कल, बंग···' इसका अभिप्राय यह है कि पंजाब से आरम्भ होकर यह बंगाल तक जारी रहता है । (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कैसे अनुमति दे सकता हूं ?

**कुमारी ममता बनर्जी** : मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या बंगाल में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार करेंगे ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पंजाब इलेक्ट्रानिक उद्योग से सम्बन्धित नहीं है ।

**कुमारी ममता बनर्जी** : परन्तु मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहते हैं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि मैं आपको अनुमति देता हूं तो मुझे अन्य व्यक्तियों को भी अनुमति देनी पड़ेगी। कृपया नहीं। मैं इस बात को पुन: कहता हूं कि प्रश्न पंजाब में इलेक्ट्रानिक उद्योग से सम्बन्धित होना चाहिए।

**श्री डी० एन० रेड्डी** : मेरा प्रश्न किसी विशेष राज्य के बारे में नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई साफ्टवेयर वायरस टाइप कम्प्यूटर कार्यक्रम है जो गुप्त रूप से एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर तक जाकर संचित आंकड़ों को नष्ट कर सकता है और गलत सूचना देता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं। यह बात मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**पाकिस्तान की वायुसेना के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से सहायता**

***740. श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

**श्री सीताराम जे० गावली :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1988 के नेशनल हेराल्ड में "यू० एस० टू बॅाफ अप पाक एअर पावर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उस समाचार में यह भी कहा गया है कि वर्तमान सहायता प्रस्ताव के अंतर्गत मुख्यत: जेट विमान और नौसेना निगरानी विमान सप्लाई किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि यह संभावना है कि पाकिस्तान 1988 में काफी मात्रा में ए आई एम 9 एल या 9 एम साइडविंडर प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करेगा। उस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तानी नौसेना द्वारा तीन पी-3-सी ओरियन समुद्री निरीक्षण विमान प्राप्त किए जाने की संभावना है। प्रथम विमान 1989 के शुरू में प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ कई पोत-रोधी और पनडुब्बी-रोधी प्रक्षेपास्त्र भी प्राप्त हो सकते हैं। उक्त पैकेज में पनडुब्बी-प्रहार हारपून प्रक्षेपास्त्र भी शामिल हो सकता है।

(घ) सरकार पड़ोसी देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उन सैन्य उपस्करों पर सतत निगरानी रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** : वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ आधुनिकतम हथियारों का व्यापार कर रहा है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच समझौते के बाद अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियार भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में अमरीकी सरकार को राजी करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के मूल भाग से सहमत हूं। हाल ही में अमरीका के रक्षा मंत्री ने अपने पाकिस्तान के दौरे के समय यह कहा कि अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद भी अमरीका पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। ये बिलकुल वही शब्द तो नहीं हैं परन्तु उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। मैं बिलकुल सही शब्दों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** : प्रधानमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है कि उनके और श्री रेगन के बीच एक समझौता हुआ था कि यदि अफगानिस्तान समस्या का समाधान हो जाता है तो पाकिस्तान को हथियार देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर क्या कार्यवाही करेगी।

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ गलतफहमी है। यह बिलकुल वैसा ही नहीं है जैसा कि मैंने कहा था। मैंने यह कहा था कि हमें यह विश्वास दिलाया गया था कि मुख्यतः अफगानिस्तान में तनाव और पाकिस्तान को खतरे के कारण पाकिस्तान को हथियार भेजे जा रहे थे।

**श्री बी० बी० स्वैन** : अमरीकी रक्षा मंत्री श्री कारलुसी ने हमारे देश के दौरे के बाद पाकिस्तान के पिछले दौरे के समय पाकिस्तान वालों को आवाक्स वायुयानों की सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। क्या यह बात पी०ई० 3 ऐ अथवा ई०सी० हावकिज पर भी लागू होगी ? मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इनके अन्तर को जानते हैं। यदि श्री कारलुसी ने ऐसा कहा है तो यदि वे हमें बता सके तो हम इसके कारणों को जानना चाहेंगे ? यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हम अमरीका द्वारा इस क्षेत्र में पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की सप्लाई करने से रोकने में असफल रहे हैं। एक समय इसका कारण अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति थी। अब इस समझौते के कारण अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की सम्भावित वापसी के बाद सकारात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से खतरा कम हुआ है। अमरीका के ऐसा करने के कुछ अन्य कारण होंगे। क्या आपने इन कारणों का मूल्यांकन किया है ? क्या आप इस सदन में यह बता सकते हैं कि सैनिक, राजनयिक और राजनैतिक तौर पर इन कारणों का सामना करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका का विश्व के बारे में कुछ विचार है। उनमें से कुछ विचारों से हम सहमत नहीं हैं। अन्य क्षेत्रों में सहमति है। किन्तु अपने विश्व परि-प्रेक्ष्य में वह पाकिस्तान को एक प्रमुख देश समझते हैं। वह वही देखते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। हम उस विचार से सहमत नहीं हैं। किन्तु जहां तक इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध है कि अफगान समझौते के पश्चात् क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा था, और जैसा कि समाचार मिला है

कि अमरीका के रक्षा सचिव ने पाकिस्तान में कहा है कि समझौता हो जाने के बाद भी संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को आधुनिकतम अस्त्र सप्लाई करता रहेगा।

जहां तक हमें पता है, 'अवाक्स' के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। किन्तु इससे पहले यह खबर मिली थी कि वे 'अवाक्स' सप्लाई करने को वचनबद्ध हैं। अत: इस के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है कि वे सप्लाई नहीं करेंगे। **(व्यवधान)**

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रोफेसर उनके द्वारा बतायी गयी दो किस्मों का उल्लेख कर रहे हैं। किन्तु जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो उसमें 'अवाक्स' की दोनों किस्में भी शामिल हैं।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो अमरीका के रक्षा सचिव ने न केवल पाकिस्तान में अपितु भारत में भी यह वक्तव्य दिया था कि अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देता रहेगा और उनका विश्व परिप्रेक्ष्य ऐसा ही है—चाहे इसका संबंध अफगानिस्तान से है अथवा नहीं। क्या उनके भारत आगमन पर रक्षा मंत्री ने अपने स्तर पर यह मामला उनके साथ उठाया था और यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था ? दूसरी बात यह है कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका का पाकिस्तान के मामले में यही व्यापक विचार है तो क्या रक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की सप्लाई के मामलों में हम अमरीका के पक्ष में अपना गठजोड़ करते रहेंगे अथवा हमारी नीतियों में कुछ परिवर्तन होगा ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, उप-महाद्वीप में और इसके चारों ओर जो स्थिति विकसित हो रही है, उसके संदर्भ में इस मामले पर निश्चित ही चर्चा हुई थी। और हमने अपने निश्चित विचार अमरीका को बता दिये थे। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह उनका विचार है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, **(व्यवधान)** उनके साथ कोई गठजोड़ नहीं है।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : गठजोड़ इस अर्थ में कि आधुनिकतम उपस्करों के मामले में हम उनकी प्रौद्योगिकी लेने जा रहे हैं······

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : अमरीका के साथ कोई समझौता नहीं है किन्तु यदि कोई वस्तु हमारे अनुरूप है और अपनी आवश्यकता के अनुरूप कोई प्रौद्योगिकी हमें प्राप्त हो सकती है तो हम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** : पाकिस्तान तथा उसके समर्थक यह दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान को जो सहायता मिल रही है वह मुख्य रूप से भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए नहीं है अपितु अफगान समस्या के कारण ही दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि यदि आप जेनेवा समझौते के विभिन्न दस्तावेजों और विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् 15 मई के बाद सोवियत रूस द्वारा अपनी सेना हटाये जाने और अपनी सैनिक कार्यवाही पूरी करने के बाद भी आपने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया कि कुछ अस्त्र-शस्त्र और कुछ आधुनिक अस्त्र वहां रह ही जायेंगे—क्योंकि प्राय: ऐसा होता है कि सैनिकों के हटाने के बाद भी उस स्थान पर बहुत सारी वस्तुयें वहां पड़ी रह जाती हैं। इस बात की आशंका है कि वे वस्तुयें पाकिस्तान तथा संभवत: अन्य देशों के हाथ भी पड़ सकती हैं।

यदि ऐसा होता है तथा इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोवियत रूस की सेना की वापसी के बाद भी, क्या आप इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, विशेष सावधानी नहीं बरतेंगे और क्या इस मामले में पाकिस्तान के साथ विचार-विमर्श नहीं करेंगे तथा इस मामले की जानकारी संयुक्त राज्य अमरीका को नहीं देंगे और क्या इस बात को जोर देकर नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान को अधिकाधिक सहायता भारत के हितों के प्रतिकूल होगी ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : माननीय सदस्य ने जो मूल बात उठाई है, वह चिंता का विषय है जिसके दो कारण हैं। एक तो यह कि गत समय में पाकिस्तान को अस्त्र सप्लाई करने वालों यथा अमरीका द्वारा इस बात का आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध किया गया है और उन अस्त्रों का प्रयोग एक ही दिशा में नहीं किया गया। ऐसी बात नहीं है कि यदि लक्ष्य अफगानिस्तान की ओर हो तो लक्ष्य भारत की ओर नहीं किया जा सकता है। इसलिये, हमें पिछले समय का अनुभव है और इसके बारे में हमें कोई संदेह भी नहीं है तथा हमने संयुक्त राज्य अमरीका को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि यदि पाकिस्तान का इरादा बदल जाता है तो इन आश्वासनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी नियन्त्रण शक्ति अतीत में सीमित रही है। इसलिये हम इस बात को कदापि नहीं सोच सकते कि भविष्य में अमरीका पाकिस्तान पर नियन्त्रण रख सकेगा।

दूसरा पहलू यह है कि जो अस्त्र-शस्त्र पीछे रह जायेंगे उनका क्या होगा। यह बड़ा ही उचित मुद्दा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। यह आसानी से सुलझ जाने वाला मुद्दा नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मुद्दे के औचित्य को मैं स्वीकार करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब अगला प्रश्न। श्री अरविन्द नेताम यहां नहीं हैं। प्रश्न संख्या 742; श्री भूरिया नहीं हैं, प्रश्न 743; श्री सोमनाथ रथ भी यहां नहीं हैं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम रक्षा मंत्रालय की मांग पर चर्चा करेंगे। उस समय हम पिछले प्रश्न से संबंधित मामले पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी इतने सारे प्रश्न हैं और अनेक सदस्य प्रतीक्षा सूची में हैं।

अब प्रश्न संख्या 744—श्री हन्नान मोल्लाह।

**राजस्थान सीमा के साथ सीमा चौकियों को सशक्त बनाना**

+
***744. श्री हन्नान मोल्लाह :**

**श्री रेणुपद दास :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीली औषधों की तस्करी करने वाले और रेगिस्तान के दुर्लभ पक्षियों को मारने वाले घुसपैठियों को रोकने के लिए राजस्थान में भारत-पाक सीमा के साथ सीमा चौकियों को सशक्त बनाने के लिए कोई आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)** : (क) शस्त्रों, गोलाबारूद इत्यादि की तस्करी में अन्तर्ग्रस्त घुसपैठियों को रोकने के लिए राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सीमा चौकियों को सशक्त बनाया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से यह वन्य जीवन के बेहतर संरक्षण में भी मदद करता है।

(ख) सुरक्षा की दृष्टि से बल की संख्या और बढ़ायी गयी। अन्य संरचना के बारे में सूचना प्रस्तुत करना जनहित में नहीं होगा।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि शस्त्रों, गोलाबारूद और नशीली औषधियों की तस्करी के लिए घुसपैठिये आ रहे हैं। विभिन्न सीमा क्षेत्रों में यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। किन्तु सरकार द्वारा बार-बार यह कहे जाने के बावजूद कि कारगर कदम उठाये जा रहे हैं, सीमा सुरक्षा बलों को लगाया जा रहा है, इस प्रकार की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में कुछ लोग आबू धाबी से आये थे और वे वहां लगभग 20 दिन ठहरे। 1987 में घुसपैठ की कितनी घटनायें घटीं ? क्या घुसपैठ की घटनायें बढ़ रही हैं ? इस घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : माननीय सदस्य की चिंता से हम भी चिंतित है। जहां तक नशीली औषधियों की तस्करी का सम्बन्ध है, इसकी तस्करी को रोकने के लिए हमारे बल बहुत ही सक्रिय हैं। 1986 में 367.235 कि०ग्रा० हेरोइन पकड़ी गई थी जिसका मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक था। 61,41,490 रुपये के मूल्य का 407.419 कि०ग्रा० चरस जबत किया गया था। 8.563 कि० ग्रा० अफीम पकड़ी गई थी। 19,24,977 रुपये के विविध मादक औषध पकड़े गए थे। कुल मिलाकर उनका मूल्य 20,87,83467 रुपये था। हमने ये सब नशीले औषध 1986 में पकड़े थे। 1987 में 323.720 कि०ग्रा० हेरोइन, 4092.941 कि०ग्रा० चरस और 6056.06 कि०ग्रा० अफीम पकड़ी गई थी जिसका मूल्य 33,61,97829 रुपये था। अत: बल बहुत ही सतर्क हैं।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : कितने लोग हैं ?

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : उसके बारे में मैं आपको पृथक रूप से लिखूंगा।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : ये घुसपैठिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए हैं। हमें उन ताकतों के बारे में अत्यधिक चिंता है जो हमारे देश के अन्दर उग्रवादी ताकतों की सहायता कर रही है। वे आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी कर रहे हैं और वे हमारे देश के एक भाग में अस्थिरता की स्थिति लाने में सक्रिय हैं। उन उग्रवादी और आतंकवादी ताकतों को हमारे देश के भीतर ही भड़काने और सहायता करने वाली इन विदेशी शक्तियों से अपने देश की रक्षा करने तथा इन घुसपैठियों को रोकने के बारे में सरकार बार-बार यही कहती रही है कि वह सीमा को सील करने वाली है। सीमा को सील करने के लिए सरकार ने वास्तव में क्या कदम उठाए हैं ? इसकी क्या प्रगति है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ताकि हमें बार-बार यह न कहना पड़े कि हम चेष्टा कर रहे हैं किन्तु उनकी घुसपैठ अभी भी जारी है। सील करने की प्रक्रिया किस स्थिति में

है और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा तथा हम इसका मुकाबला कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकेंगे ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) :** मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहूंगा कि हम सीमा की बहुत ही कारगार ढंग से रक्षा करने की चेष्टा कर रहे हैं और इसमें माननीय सदस्य द्वारा बताए गए ये सभी क्षेत्र, उग्रवादियो की तस्करों के साथ साठ-गाठ और कड़ी निगरानी घुसपैठियों तथा उग्रवादियों को रोकने के लिए ही नहीं है, अपितु स्वापक और मादक दोनों प्रकार के द्रव्यों की तस्करी को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए है। स्वापक और नशीली दोनों प्रकार की औषधों की तस्करी ये सभी पहलू इसके अंतर्गत आते हैं। देश में किस प्रकार नशीली औषधों की तस्करी हो रही है, किस तरह नशीली औषधों का दुरुपयोग हो रहा है और हम कितने प्रभावशाली ढंग से किस तरीके से इस पर काबू पा सकते हैं जिससे कि ये नशीले औषध हमारे देश के युवकों के जीवन से खिलबाड़ न कर सकें। इन सब बातों के बारे में सरकार गम्भीरता पूर्वक एक कार्यवाही योजना पर विचार कर रही है। एक व्यापक कार्यवाही योजना तैयार की जा रही है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

**श्री हन्नान मोल्लाह :** सीमा को सील करने के बारे में क्या विचार है।

**सरदार बूटा सिंह :** वह किया जा रहा है।

**श्री रेणु पद दास :** हाल ही में आबू धाबी के राज घराने के दो सदस्य सीमा पार से जैसलमेर जिले के कृष नगर आये थे। संभवतः वे जंगली जानवरों का शिकार करने आये थे। वास्तव में उन्होंने दो 'टेलर' पक्षियों का शिकार किया था जो राजस्थान में बहुत ही दुर्लभ पक्षी हैं। उसी राजघराने के सदस्य जैसलमेर जिले के उसी स्थान, कृष नगर में 1974 में आये थे और उस समय भी उन्होंने 500 रेगिस्तानी तीतरों जो राजस्थान के दुर्लभ पक्षी भी हैं, को मारा था। इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह इस विचार से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत-पाकिस्तान सीमा की बाहरी चौकियों को सशक्त बनाने का कार्य अव्यवस्थित स्थिति में है। किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इससे जंगली जानवरों की बेहतर सुरक्षा होती है। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बलों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** जहां तक वन्य पशुओं की सुरक्षा का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पुलिस अधीक्षक को घुस पैठियों, अस्त्र और शस्त्रों तथा नशीली औषधों की तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं, ताकि कोई भी दुर्लभ पक्षी न मारा जा सके। वन्य जीवों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार की यह योजना है।

सीमा क्षेत्र विकास और इन सीमा क्षेत्र विकास अधिकारियों को बहुत ही उन्नत किस्म की परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए हमने एक योजना आरम्भ की है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए सीमा आसूचना चौकियां भी स्थापित की हैं कि वन्य जीवों को कोई क्षति न हो। वन्य जीवों को पूरा संरक्षण दिये जाने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सीमा पुलिस आसूचना बढ़ाने के बारे में कार्यवाही कर रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू भी

लगाया गया है। जहां तक घुस पैठियों का सम्बन्ध है, श्री हन्नान मोल्लाह यह जानना चाहते थे कि उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है। 1986 में सीमा सुरक्षा बल ने 1899 घुसपैठिये पकड़े थे। उनमें से उन्होंने 390 को राज्य पुलिस के सुपुर्द कर दिया था 1509 वापस लौटा दिये गए। 1987 में उन्होंने 1434 व्यक्ति पकड़े और 336 राज्य पुलिस को सुपुर्द किये तथा 1098 वापस भेज दिए। अतः वह घुसपैठियों को रोकने के लिए वे कड़ी कार्यवाही कर रहा है।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिकी उद्योग

[अनुवाद]

***734. श्री कृष्ण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं और इनमें कौन-कौन सी मदें निर्मित की जायेंगी; और

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश के किसी पिछड़े और उद्योगहीन जिले में सरकारी क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) :** (क) मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग मुख्यत: इन जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं—भोपाल, भिण्ड, देवास, धार, इन्दौर, राजगढ़, रायपुर, रायसेन तथा रीवा। इनके स्थापना-स्थल तथा विनिर्माण की जाने वाली वस्तुओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा उद्योग विहीन जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

| क्र० सं० | स्थापना-स्थल | वस्तु के विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | *भिण्ड | श्रव्य चुम्बकीय टेप, मुद्रित परिपथ बोर्ड (व्यावसायिक ग्रेड), श्रव्य कैसेट। |
| 2. | भोपाल | श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन रिसीवर, कंट्रोल पैनल, परिशोधक, वर्ड प्रोसेसर, प्रचार माध्यम के लिए अधिक काम करने वाला आंकड़ा मुद्रक, तथा प्लास्टिक मोल्डेड दूरदर्शन कैबिनेट। |
| 3. | *छतरपुर | श्रव्य चुम्बकीय टेप। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | **देवास | स्वचालित प्लेन पेपर कापीयर। |
| 5. | *धार | कार्डियाक पेस मेकर, विद्युत माड्युल उप-संयोजन प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक कापी बोर्ड, कम्प्यूटर मुद्रिक, डायोड, एकीकृत परिपथ, फेराइट, रिले, वीडियो तथा कम्प्यूटर टेप, फ्लॉपी डिस्क, रंगीन दूरदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक समस्वरित्र (ट्यूनर), विक्षेपण संघटक-पुर्जे, तथा वीडियो कैसेट। |
| 6. | गोहरगंज | वीडियो टेप तथा वीडियो कैसेट . |
| 7. | इन्दौर | इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक प्लेन पेपर कापीयर तथा मिनी कम्प्यूटर/माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां। |
| 8. | पीतमपुर | प्रकाश वोल्टीय माड्युल, कम्प्यूटर/माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरण, डायोड, एकीकृत परिपथ, श्रव्य, दृश्य तथा कम्प्यूटर टेप, फ्लॉपी डिस्क तथा विक्षेपण संघटक-पुर्जे। |
| 9. | **रायपुर | मुद्रित परिपथ बोर्ड (व्यावसायिक ग्रेड) तथा कनेक्टर पिन। |
| 10. | **रायसेन | श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन रिसीवर, प्लेन पेपर कापीयर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियां, प्रत्यक्ष अभिग्रहण प्रणाली उपग्रह संचार, मोडेम, श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन ट्यूब, मोटी फिल्म एकीकृत परिपथ, धात्विक फिल्म कैपेसिटर श्रव्य, दृश्य तथा कम्प्यूटर टेप, फ्लॉपी डिस्क समस्वरित्र (ट्यूनर), मुद्रित परिपथ बोर्ड, श्रव्य चुम्बकीय कैसेट तथा वीडियो कैसेट। |
| 11. | **राजगढ़ | श्रव्य, दृश्य तथा कम्प्यूटर टेप, फ्लॉपी डिस्केट तथा माइक्रो मोटर। |
| 12. | **रीवा | रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब, दूरदर्शन ट्यूबों के लिए ग्लास शेल तथा जेली भरे हुए टेलीफोन केबल। |
| 13. | मंडी दीप | प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियां |
| 14. | पीलूखेड़ी | मुद्रित परिपथ बोर्ड |

* उद्योग विहीन जिले

** पिछड़े जिले

### कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सशक्त बनाना

***739. श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का पुनर्गठन करने और इसे सशक्त बनाने के संबंध में दुभाषी समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार का उपर्युक्त सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) से (ग). दुभाषी समिति ने 78 सिफारिशें की है जिनमें से 17 राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं। कुछ संसोधन के साथ 37 सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में अन्तिम कार्रवाई का अनुमोदन किया गया और जितना व्यवहार्य हो सकता था उतना अनुपालन हुआ। तीन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। शेष सिफारिशों का सम्बन्ध कर्मचारियों को रखने और संगठनात्मक विषयों से हैं ये स्टाफ निरीक्षण एकक के अध्ययन तक लम्बित है।

**भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व**

***741. श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1988 को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड एक, दो और तीन में स्थायी पदों की संख्या क्या थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या और प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इन ग्रेडों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड—1, 2 और 3 में स्थायी पदों की संख्या क्रमश: 21, 28 और 112 थी।

(ख) भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 3 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 10 और 8 हैं। भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 3 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रतिशतता 8.93% और 7.14% है। 31 मार्च, 1988 को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 और 2 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं था।

(ग) जहां तक भर्ती के समय 22½% तक के आरक्षण का प्रश्न है इस बात का पहले ही सुनिश्चय कर लिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या भारतीय विदेश सेवा की कुल संख्या का पांचवा हिस्सा अवश्य हो। इस बात की आशा की जाती है कि प्रमोशन विनियमों के अनुसार उच्चतर वर्गों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी।

**जेलों में विचाराधीन कैदियों के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन**

**[हिन्दी]**

***742. श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विचाराधीन कैदियों को उन पर मुकदमा चलाये बिना लम्बे समय तक जेलों में रखने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता में इस व्यवस्था का उपबंध करने का

विचार है कि यदि उचित अवधि में मुकदमा न चलाया जाये तो इन विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख). दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57, 116(6) और 167 में हिरासत में किसी अभियुक्त व्यक्ति की नजरबंदी के संबंध में कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यदि इन धाराओं का सख्ती से पालन किया जाता है तो मुकदमा चलाए बिना विचाराधीन व्यक्तियों को लम्बे समय तक जेलों में नजरबंद नहीं रखा जा सकता। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन 90/60 दिन समाप्त होने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, नजरबंद व्यक्ति हालांकि जमानत पर रिहा किया जाने का हकदार है, फिर भी यदि वह जमानत देने में असफल रहता है तो जब तक वह जमानत की व्यवस्था न कर सके उसे जेल में नजरबंद रहना होगा।

सरकार निम्न प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने पर भी विचार कर रही है :

(1) यह व्यवस्था करने के लिए एक अनिवार्य उपबंध जोड़ना कि यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के लायक अपराध का अभियुक्त है और निर्धन है तथा जामिन की व्यवस्था नहीं कर सकता तो न्यायालय को उसे जामिनों के बगैर एक बंध-पत्र भरवा-कर रिहा कर देना चाहिए।

(2) यह व्यवस्था करने के लिए एक उपबंध जोड़ना कि :

(एक) जहां कोई विचारणाधीन कैदी अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिक-तम अवधि के 50 प्रतिशत से अधिक अवधि तक नजरबंद रहा है तो उसको जामिनों सहित अथवा बगैर जामिनों के उसके व्यक्तिगत बंध-पत्र पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।

(दो) किसी भी अवस्था में विचारणाधीन कैदी को अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक नजरबंद नहीं रखा जाना चाहिए।

## रोजगार गारंटी योजना

[अनुवाद]

***743. श्री सोमनाथ रथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की योजना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार गारण्टी योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**मध्य प्रदेश में खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं**

**[हिन्दी]**

***745. श्री कम्मोदी लाल जाटव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में ऐसे खेतिहर मजदूरों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है, जिनके पास इस समय जीविकोपार्जन का कोई साधन नही है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिये बनाई जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :** (क) और (ख). हालांकि संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने वाली अनेक योजनाएं पूरे देश में क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 15 अगस्त, 1987 से देश भर में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए एक समूह बीमा स्कीम भी शुरू की गई है ।

**भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संसदीय संसमिति**

**[अनुवाद]**

***746. प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री के०पी० सिंह देव की अध्यक्षता में गठित भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में, जो अभी कार्यान्वित की जानी है तथा जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न कल्याण कार्यों की निगरानी के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की सिफारिश भी शामिल है, कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई 68 सिफरिशों में से 49 को स्वीकार कर लिया गया है, 6 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा 1 और सिफारिश को स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है। दस सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और 2 पर विचार किया जा रहा है ।

विभिन्न सिफारिशों को लागू करने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और कई सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा लागू की जानी हैं । स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत 55 सिफारिशों में से 12 पूर्णरूप से कार्यान्वित की जा चुकी हैं और 39 सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है जो प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

स्वीकार की गई 4 सिफारिशों, जिन्हे अभी कार्यान्वित किया जाना हैं, में से एक सैन्य अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने के बारे में है। इसके लिए विभिन्न सैन्य अस्पतालों में 1155 बिस्तरों की और व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तीन अन्य सिफारिशें पुनर्वास महानिदेशालय को पुनर्गठित करने और उसे सशक्त बनाने तथा क्षेत्रीय पुनर्वास निदेशालयों को सशक्त बनाने के संबंध में हैं। इनसे संबंधित प्रस्तावों पर कारंवाई की जा रही है।

जिस सिफारिश के स्वीकार किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है वह 1991 की जनगणना में भूतपूर्व सैनिकों की गणना एक अलग श्रेणी के अन्तर्गत किए जाने के संबंध में है। यह मामला जनगणना महापंजीयक के विचाराधीन है।

केवल दो सिफारिशों के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है। इनमें से एक सिफारिश रैंक के लिए रैंक पेंशन के संबंध में है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है। दूसरी सिफारिश भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक संसदीय समिति गठित किए जाने के संबंध में है जिसमें संसद के दोनों सदनों का एक-एक सदस्य होगा इस प्रकार की समिति के गठित किए जाने की आवश्यकता के संबंध में अभी विचार किया जा रहा है।

यह बताना अभी संभव नही है कि जिन सिफारिशों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है उन पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा।

### दार्जिलिंग से सिक्किम में आप्रवास

***747. श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 में कितने लोग दार्जिलिंग से सिक्किम में प्रवास हेतु आए;

(ख) क्या सरकार को सिक्किम सरकार से उन आप्रवासियों को उनके मूल स्थान को वापस भेजे जाने का निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) से (ग). सिक्किम की राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1987 की समाप्ति तक गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के आन्दोलन के कारण लगभग 10,000 लोग सिक्किम में जा चुके थे। 40 दिन का बंद जिसका आह्वान दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा 10 फरवरी, 1988 से किया गया था, के दौरान और अधिक व्यक्ति दार्जिलिंग से सिक्किम में आये जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 25,000 तक पहुंच गई। बंद की समाप्ति के बाद, सीमा-पार कर आये व्यक्तियों में से लगभग 50% व्यक्ति अपने घरों को वापस चले गए हैं। राज्य सरकार का विचार है कि जैसे ही दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा, शेष व्यक्ति भी वापस चले जायेंगे। राज्य सरकार ने इन व्यक्तियों को वापस भेजने के लिए अभी तक कोई अनुरोध नहीं किया है।

**न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची**

*748. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपतियों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए न्यायाधीशों की एक वरिष्ठता सूची तैयार की गई है;

(ख) क्या उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपतियों की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे)** : (क) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर के राज्यों से रखे जाने की नीति कतिपय मोटे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में क्रियान्वित की जा रही है, जिन्हें तारीख 28.1.1983 की प्रेस-विज्ञप्ति में घोषित किया गया था। मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अवर न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर तभी विचार किया जाएगा जब कि उनके अपने उच्च न्यायालयों में नियुक्ति पर विचार करने के लिए सामान्यतया उनकी बारी आ गई हो।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बिहार के विकास से संबंधित मामलों के लिए कार्यकारी दल**

*749. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के विकास से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह दल किन-किन मामलों पर ध्यान दे रहा है; और

(ग) यह दल कब तक अपनी सिफारिशों और कार्यकारी योजना को अन्तिम रूप दे देगा ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

*750. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे)** : (क) और (ख). पूर्वोत्तर न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक प्रशासन अकादमी, सिकंदराबाद, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल और न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश के शेष भागों में न्यायिक सेवा में नवनियुक्त अधिकारियों को औसतन तीन से छह मास के दौरान ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीशों और/या जिला या सेशन न्यायाधीशों के साथ कार्य करने का निदेश देकर, प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

सेवारत अधिकारियों के प्रशिक्षण या पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था अपराध विज्ञान और न्याय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पाकिस्तान का अनाक्रमण संधि का प्रस्ताव**

***751. श्री सुभाष यादव :**

**श्री एस०बी० सिदनाल :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के साथ अनाक्रमण संधि करने का अपना प्रस्ताव हाल ही में पुन: दोहराया है जैसा कि 16 मार्च, 1988 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) और (ख). भारत के साथ युद्ध न करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के प्रस्ताव के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबरें सरकार ने देखी हैं।

(ग) भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की है। दोनों देशों के बीच व्यापक संधि के बारे में बातचीत चल रही है। प्रस्तावित संधि के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

**स्वापक पदार्थ विभागाध्यक्षों की इन्टरपोल द्वारा आयोजित अन्तर-क्षेत्रीय बैठक**

***752. श्री प्रकाश चन्द्र :**

**श्री एच०बी० पाटिल :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1988 के द्वितीय सप्ताह के दौरान दिल्ली में यूरोप और भारतीय उप-महाद्वीप के स्वापक पदार्थ विभागाध्यक्षों की इन्टरपोल द्वारा आयोजित एक तीन दिवसीय अन्तर-क्षेत्रीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन और कितने देशों ने भाग लिया था; और

(ग) बैठक में किस प्रकार का विचार-विमर्श हुआ तथा क्या कोई सिफारिश की गई है ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) जी हां, श्रीमान। बैठक 15 मार्च से 17 मार्च, 1988 तक हुई।

(ख) सूचना का एक **विवरण** सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) मादक औषधों की अवैध बिक्री के बारे में बैठक में भाग लेने वाले देशों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर विचार विमर्श किया गया। अफीम की अवैध पैदावार तथा नियंत्रण करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। औषधों की अवैध बिक्री की समस्या से निपटने के लिए भाग लेने वाले देश पारस्परिक सहायता और सहयोग पर सहमत थे। इन्टरपोल में भाग लेने वाले सदस्य देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान और व्यवस्थित प्रवाह तथा अन्तरसंचार नेटवर्क में सुधार लाने के लिए सिफारिशें की गईं।

**विवरण**

**15 से 17 मार्च, 1988 तक दिल्ली में हुई इन्टरपोल इन्टर रिजनल बैठक में भाग लेने वाले यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप के मादक औषध सेवाओं के अध्यक्षों के नाम और संख्या**

1. मि० हरबर्ट फ्यूच
अस्ट्रियन सेन्ट्रल नारकोटिक डिपार्टमैंट,
वियना (अस्ट्रिया) के अध्यक्ष

2. मि० ए०एच०एम०बी० जामन,
पुलिस उप-महानिदेशक, अपराधी जांच विभाग, ढाका,
(बंगलादेश)

3. मि० जूयूअर गन जसचेक, अबिटीलंग्स प्रेजिडेंट,
ड्रग डिवीजन, बुन्देस्क्रिमिनलेम्ट,
वाईसबडन, (फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी)

4. मि० मथियास हटफल्यस,
क्रिमिनालहोपटकोमिस्सर,
ड्रग डिवीजन, बुन्देसक्रीमिनालमट,
वियासबदन,
(फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी)

5. मि० बनार्ड ग्रेवयट, चीफ आफ ड्रग बिग्रेड,
सैन्ट्रल डारेक्टिव आफ ज्यूडिशली पुलिस,
पैरिस (फ्रांस)

6. मि० एम०जी० कात्रे,
निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और एन सी बी—भारत के अध्यक्ष
(भारत)

7. मि० एच०पी० भटनागर,
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
(भारत)

8. मि० ए०पी० मुखर्जी, अपर निदेशक,
केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली (भारत)

9. मि० बी०वी० कुमार, महानिदेशक,
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
नई दिल्ली (भारत)

10. मि० वी०पी० मारवाह, पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
नई दिल्ली (भारत)

11. मि० एस० सी० मेहता, अपर निदेशक,
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत)

12. मि० पी० के० कपूर, निदेशक,
राजस्व आसूचना,
नई दिल्ली (भारत)

13. मि० ए०के० बसाक,
संयुक्त सचिव,
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली (भारत)

14. मि० एस०के० अयंगर,
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,
(ई सी) बम्बई (भारत)

15. श्रीमती एल०के० पोनाप्पा,
निदेशक, विदेश मंत्रालय,
नई दिल्ली (भारत)

16. मि० आर० शेखर,
संयुक्त निदेशक (विशेष)
केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली (भारत)

17. मि० ज्योति त्रिहन, सहायक निदेशक (इन्टरपोल),
केन्द्रीय जांच ब्यूरो,
नई दिल्ली (भारत)

18. श्री बलबीर सिंह, उप महानिदेशक,
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
नई दिल्ली (भारत)

19. डा० इमान्यूऐले मरोटा,
निदेशक, अनुसंधान अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्य अनुभाग,
मादक औषध निरोधी केन्द्रीय सेवा,
रोम (इटली)

20. श्री धनबीर रा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
नेपाल।

21. श्री तीर्थ कुमार प्रधान,
पुलिस अधीक्षक,
नेपाल।

22. श्री ए०जे० वान दूरन, विभागाध्यक्ष,
राष्ट्रीय मादक औषध आसूचना एकक,
नीदरलैंड्स।

23. श्री आई०ए० बैंकस,
स्वापक सम्पर्क अधिकारी,
नीदरलैंडस।

24. श्री ह्यूगो फील्ड, नोरडिक मादक औषध अधिकारी,
रायल नार्वे एम्बैसी,
इस्लामाबाद, पाकिस्तान (नार्वे)
(उन्होंने डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन का भी प्रतिनिधित्व किया)

25. श्री सज्जाद जाहिद, निदेशक,
पाकिस्तान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो,
(पाकिस्तान)

26. श्री मारकेस वाइडल जोसे एलबेरटो,
अपराध पुलिस महानिदेशक,
लिस्बन, (पुर्तगाल)

27. श्री एस्टेवस बेरनारडीनो पोलो,
एन०सी०बी० अध्यक्ष—लिस्बन,
(पुर्तगाल)

28. श्री जोस पारडोस कानाबाटे, मुख्य निरीक्षक,
ब्रिगेडा सैंन्ट्रल डी एस्ट्यूपेफासिएंटेस,
(स्पेन)

29. श्री डोनाल्ड मेडिस, निदेशक,
स्वापक ब्यूरो,
कोलम्बो (श्रीलंका)

30. श्री अर्नेस्ट मेजगेर, डिप्टी चीफ,
स्विस सैण्ट्रल ड्रग सैक्शन,
बेरने (स्विटजरलैंड)

31. श्री बी०डी०के० प्राईस,
नेशनल ड्रग्स इण्टीलीजैंस कोआर्डिनेटर,
न्यू स्काटलैण्ड यार्ड, लन्दन (यूनाईटेड किंगडम)

32. श्री साहिबजादा राऊफ अली खान, अध्यक्ष,
अन्तर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड,
(यूनाईटेड नेशंस)

33. श्री पिओआ अबारो,
मादक औषध सलाहकार,
कोलम्बो योजना ब्यूरो ।

34. श्री ब्रूस अपचर्च, कंट्री अटैची,
ड्रग इन्फोर्समैंट एडमिनिस्ट्रेशन,
अमेरिकन एम्बैसी, नई दिल्ली ।

35. श्री डोनाल्ड बी० किलपैट्रिक,
अटैची, आर०सी०एम०पी० सम्पर्क अधिकारी,
कनाडा उच्चायोग, नई दिल्ली ।

36. श्री हस्को हैबरियाह,
क्रिमिनल होप्टोकोमिशर,
सम्पर्क अधिकारी, स्वापक शाखा,
संघीय गणतंत्र जर्मनी दूतावास, नई दिल्ली ।

37. श्री ए०जी०पी० लोबेल,
मादक औषध सम्पर्क अधिकारी,
ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली ।

38. श्री आर०ई० कैन्डल, महासचिव,
इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन—इन्टरपोल,
जनरल सेक्रेटेरियेट ।

39. श्री पाल हिग्टन,
हैड आफ ड्रग्स सब-डिवीजन,
इन्टरपोल, जनरल सेक्रेटरियेट ।

40. श्री इकबाल हुसैन रिजवी, ड्रग्स लाइजन आफिसर,
इन्टरनेशनल क्रिमिनल पुलिस आर्गेनाइजेशन—
इन्टरपोल-जनरल सेक्रेटरियेट ।

## राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

***753. श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**

**श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक मार्च, 1988 में हुई थी;

(ख) बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) बैठक में जिन मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया उनके नाम क्या हैं;

(घ) क्या कोई निर्णय लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) परिषद ने बैठक की कार्यसूची अर्थात "सातवीं योजना 1985-90 का मध्यावधि मूल्यांकन" पर विचार किया जोकि योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था ।

(ग) संलग्न **विवरण** में दी गई सूची के अनुसार ।

(घ) और (ङ). सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्रगति से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद ने मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज का सामान्यत: समर्थन किया ।

## विवरण

**19.3.88 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों की सूची**

1. श्री एन० टी० रामा राव,
मुख्य मंत्री
आंध्र प्रदेश
हैदराबाद

2. श्री गेगांग अपांग,
मुख्य मंत्री
अरुणाचल प्रदेश
ईटानगर

3. श्री प्रफुल कुमार महंत,
मुख्य मंत्री
असम
दिसपुर

4. श्री भगवत झा आजाद,
मुख्य मंत्री
बिहार
पटना

5. श्री प्रताप सिंह रावजी राणे,
मुख्य मंत्री
गोवा
पंजी

6. श्री अमर सिंह चौधरी,
मुख्य मंत्री
गुजरात
गांधी नगर

7. श्री देवी लाल,
मुख्य मंत्री
हरियाणा
चंडीगढ़

8. श्री वीर भद्र सिंह,
मुख्य मंत्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला

9. श्री फारुख अब्दुल्लाह,
मुख्य मंत्री
जम्मू और काश्मीर
श्रीनगर/जम्मू

10. श्री राम कृष्ण हेगड़े,
मुख्य मंत्री
कर्नाटक
बंगलौर

11. श्री ई० के० नयनार,
मुख्य मंत्री
केरल
त्रिवेन्द्रम

12. श्री अर्जुन सिंह,
मुख्य मंत्री
मध्य प्रदेश
भोपाल

13. श्री एस० बी० चव्हाण,
मुख्य मंत्री
महाराष्ट्र
बंबई

14. श्री आर० के० जयचन्द्रसिंह,
मुख्य मंत्री
मणिपुर
इम्फाल

15. श्री पी० ए० संगमा,
मुख्य मंत्री
मेघालय
शिलांग

16. श्री लाल डेंगा,
मुख्य मंत्री
मिजोरम
ऐजल

17. श्री जे० बी० पटनायक,
मुख्य मंत्री
उड़ीसा
भुवनेश्वर

18. श्री शिवचरण माथुर,
मुख्य मंत्री
राजस्थान
जयपुर

19. श्री नर बहादुर भंडारी,
मुख्य मंत्री
सिक्किम
गंगटोक

20. श्री एस० आर० मजूमदार,
मुख्य मंत्री
त्रिपुरा
अगरतल्ला

21. श्री वीर बहादुर सिंह,
मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

22. श्री ज्योति बसु,
मुख्य मंत्री
पश्चिम बंगाल
कलकत्ता

23. श्री एम० ओ० एच० फारूक,
मुख्य मंत्री
पांडिचेरी
पांडिचेरी

### विश्वभारती विश्वविद्यालय में चाइना भवन का नवीकरण

[अनुवाद]

**7535. चौधरी राम प्रकाश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने विश्वभारती विश्वविद्यालय में चाइना भवन के नवीकरण के लिए अपनी रुचि दिखाई है ;

(ख) क्या चीन भारत के साथ राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध सुधारने के लिए भी उत्सुक है और इस प्रयोजन के लिए वह चाइना भवन का दोनों पक्षों की ओर से मुलाकात स्थान के रूप में नवीकरण करना चाहता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) से (ग). यद्यपि चीन सरकार ने कहा है कि वह भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की संभावनाओं के प्रति पूरी तरह आशावान है लेकिन सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चीन ने चीन भवन का नवीकरण करने के बारे में अथवा इसे दोनों पक्षों की बैठक का स्थल बनाने में कोई दिलचस्पी दिखाई है।

### रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेवमेंट व्यवस्था में पूर्वनिर्मित कंकरीट ब्लाकों का प्रयोग

**7536. श्री के० एस० राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने सामान्य सड़क निर्माण कार्यक्रम में रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए पूर्वनिर्मित कंकरीट ब्लॉकों की स्पेशल पेवमेंट व्यवस्था को अपनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके से कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने अपने अनुभव और इस कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि के आधार पर इस तकनीक को कम लागत वाली तकनीक पाया है; और

(घ) यदि यह तकनीक कम लागत वाली नहीं है तो क्या सरकार का इस परियोजना को समाप्त करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं। लेकिन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए पूर्वनिर्मित कंकरीट ब्लॉकों की नई पेवमेंट का सीमा सड़क संगठन द्वारा फील्ड परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). पेवमेंट पद्धति अभी फील्ड परीक्षणों में है और इसलिए यह बताना अभी असामयिक होगा कि यह पद्धति कम लागत की है या अधिक लागत की।

सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए फील्ड परीक्षणों की अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान ने लगभग 27,000 रुपये व्यय किया और सीमा सड़क संगठन ने 62,000/- रुपये व्यय किया।

**अफगानिस्तान के भूतपूर्व शाह के साथ अफगान के बारे में वार्ता**

7537. **श्री प्रतीश चन्द्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रोम में अफगानिस्तान के भूतपूर्व शाह से हाल ही में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) ये परामर्श उपयोगी सिद्ध हुए।

**विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रौद्योगिकी विकास परियोजना**

7538. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विकलांग व्यक्तियों को दिये जाने वाले प्रमुख प्रोत्साहनों संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या इस संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भी कोई विशेष प्राथमिकता देने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). विकलांगों के कल्याण के लिए तकनीकी विकास परियोजना प्रारम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है। फिर भी इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**वर्ष 1988-89 के लिये केरल, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के लिए क्षेत्रवार परिव्यय**

7539. **श्री सुरेश कुरुप** :

**श्री वी० एन० रेड्डी** :

**श्री मसुदल हुसैन** :

**श्री अजय विश्वास** :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए केरल, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा अन्य राज्यों के लिए क्षेत्रवार कितना परिव्यय मंजूर किया गया; और

(ख) योजना में कृषि और औद्योगिक उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया, और कितनी विकास दर प्राप्त होने की संभावना है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) विवरण 1** संलग्न है ।

**(ख) विवरण 2** संलग्न है ।

**विवरण—1**

**वार्षिक योजना 1988-89—अन्तिम सहमत परिव्यय—राज्य**

(लाख रु०)

| मुख्य शीर्ष | आन्ध्र प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश | असम | बिहार | गोवा | गुजरात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. कृषि तथा संबद्ध कार्य | 6406 | 1819 | 9572 | 8946 | 700 | 8032 |
| 2. ग्रामीण विकास | 8999 | 392 | 2366 | 11627 | 152 | 3285 |
| 3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 14 | 23 | 233 | 1210 | — | — |
| 4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 30000 | 522 | 7402 | 43750 | 1938 | 34730 |
| 5. ऊर्जा | 21500 | 1247 | 14247 | 44104 | 790 | 33868 |
| 6. उद्योग तथा खनिज | 6200 | 387 | 4437 | 7650 | 585 | 6535 |
| 7. परिवहन | 10345 | 4331 | 4677 | 11140 | 1392 | 8180 |
| 8. संचार | — | — | — | — | — | 150 |
| 9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 201 | 13 | 130 | 28 | 33 | 86 |
| 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं | 300 | 96 | 1369 | 7425 | 189 | 4006 |
| 11. सामाजिक सेवाएं | 39505 | 3431 | 15252 | 21485 | 3271 | 28590 |
| 12. सामान्य सेवाएं | 1530 | 339 | 1315 | 2335 | 150 | 38 |
| कुल जोड़ : | 125000 | 12600 | 61000 | 160000 | 9200 | 127500 |

वार्षिक योजना 1988-89—अन्तिम सहमत परिव्यय—राज्य

(लाख रु०)

| मुख्य शीर्ष | हरियाणा | हिमाचल प्रदेश | जम्मू और काश्मीर | कर्नाटक | केरल | मध्य प्रदेश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. कृषि तथा संबद्ध कार्य | 5346 | 5038 | 5169 | 6532 | 6750 | 12769 |
| 2. ग्रामीण विकास | 1123 | 994 | 1150 | 6722 | 2186 | 7371 |
| 3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 275 | — | 2490 | — | 109 | — |
| 4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 10226 | 1761 | 3527 | 19718 | 7950 | 39652 |
| 5. ऊर्जा | 18323 | 5815 | 12130 | 20790 | 10277 | 55545 |
| 6. उद्योग तथा खनिज | 1050 | 715 | 1713 | 5833 | 5300 | 6538 |
| 7. परिवहन | 3221 | 3965 | 4020 | 5242 | 4701 | 6757 |
| 8. संचार | — | — | — | — | — | — |
| 9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 168 | 34 | 59 | 125 | 450 | 1130 |
| 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं | 808 | 659 | 2126 | 456 | 429 | 513 |
| 11. सामाजिक सेवाएं | 19010 | 6463 | 12086 | 22947 | 11307 | 34341 |
| 12. सामान्य सेवाएं | 450 | 556 | 530 | 1635 | 550 | 5584 |
| कुल जोड़ : | 60000 | 26000 | 45000 | 90000 | 50000 | 170200 |

वार्षिक योजना 1988-89 —अन्तिम सहमत परिव्यय— राज्य

(लाख रु०)

| मुख्य शीर्ष | महाराष्ट्र | मणिपुर | मेघालय | मिजोरम | नागालैंड | उड़ीसा | पंजाब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र | 14474 | 1640 | 2115 | 1439 | 1750 | 7991 | 6351 |
| 2. ग्रामीण विकास | 22364 | 362 | 286 | 245 | 760 | 5059 | 1280 |

| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 224 | — | 210 | — | 205 | — | — |
| 4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 52845 | 2022 | 310 | 186 | 274 | 19313 | 8132 |
| 5. ऊर्जा | 54536 | 1045 | 3120 | 1520 | 890 | 22483 | 38407 |
| 6. उद्योग तथा खनिज | 9305 | 668 | 680 | 449 | 705 | 5253 | 1905 |
| 7. परिवहन | 15945 | 1606 | 2085 | 1474 | 1841 | 5255 | 2470 |
| 8. संचार | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 188 | 78 | 20 | 18 | 24 | 123 | 120 |
| 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं | 6632 | 188 | 180 | 589 | 259 | 1051 | 607 |
| 11. सामाजिक सेवाएं | 64060 | 3426 | 3429 | 2376 | 3846 | 14170 | 10118 |
| 12. सामान्य सेवाएं | 2427 | 1215 | 565 | 154 | 446 | 2802 | 610 |
| कुल जोड़ : | 243000 | 12250 | 13000 | 8500 | 11000 | 83500 | 70000 |

**वार्षिक योजना 1988-89—अन्तिम सहमत परिव्यय—राज्य**

(लाख रु०)

| मुख्य शीर्ष | राजस्थान | सिक्किम | तमिलनाडु | त्रिपुरा | उत्तर प्रदेश | पश्चिम बंगाल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1. कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र | 4944 | 1070 | 11920 | 2588 | 20932 | |
| 2. ग्रामीण विकास | 3475 | 94 | 5215 | 850 | 19482 | |
| 3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 95 | — | — | 1300 | 1306 | |
| 4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 15240 | 210 | 7918 | 1116 | 43912 | |

| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. ऊर्जा | 20846 | 1185 | 50024 | 1680 | 79057 | |
| 6. उद्योग तथा खनिज | 3522 | 254 | 6516 | 839 | 11295 | |
| 7. परिवहन | 3075 | 1310 | 9056 | 1298 | 20338 | |
| 8. संचार | — | — | — | 1 | — | |
| 9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 76 | 19 | 340 | 82 | 517 | |
| 10. सामान्य आर्थिक सेवाएं | 420 | 101 | 745 | 73 | 2046 | |
| 11. सामाजिक सेवाएं | 13138 | 1899 | 52553 | 4454 | 51881 | |
| 12. सामान्य सेवाएं | 1169 | 158 | 1413 | 119 | 3234 | |
| कुल जोड़ : | 71000 | 6300 | 145700 | 14400 | 254000 | 95100* |

*क्षेत्रवार ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

## विवरण 2

### राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्रारूप योजना दस्तावेज में कृषि तथा उद्योग क्षेत्रकों के लिए वर्ष 1988-89 के लिए लक्ष्य

| मद | इकाई | आन्ध्र प्रदेश 1987-88 प्रत्या० उपलब्धि | आन्ध्र प्रदेश 1988-89 प्रस्ता० लक्ष्य | केरल 1987-88 प्रत्या० उपलब्धि | केरल 1988-89 प्रस्ता० लक्ष्य | त्रिपुरा 1987-88 प्रत्या० उपलब्धि | त्रिपुरा 1988-89 प्रस्ता० लक्ष्य | प० बंगाल 1987-88 प्रत्या० उपलब्धि | प० बंगाल 1988-89 प्रस्तावित लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. कृषि | | | | | | | | | |
| (1) खाद्यान्न | हजार टन | 7305 | 12360 | 933 | 1430 | 447.50 | 465.00 | 9500 | 9900 |
| (2) तिलहन् | हजार टन | 1099 | 1900 | 8.50 | 17.50 | 6.25 | 7.05 | 305 | 310 |
| (3) कपास | हजार गाठें | 456 | 1060 | 11.20 | 11.50 | 1.60 | 2.30 | निर्दिष्ट नहीं | |
| (4) पटसन तथा मेस्ता | हजार गाठें | 259 | 600 | — | — | 87.50 | 110.00 | 37.00 | 5000 |
| (5) गन्ना | हजार टन | 9240 | 10130 | 364 | 490 | 100.00 | 110.00 | 1100 | 1200 |
| (6) नारियल | मिलियन नट्स | निर्दिष्ट नहीं | | 2000 | 3300 | 3.34 | 4.06 | निर्दिष्ट नहीं | |

2. उद्योग

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) ग्राम व लघु उद्योग उत्पादन | लाख रु० | 24,386 | 25,775 | 144809 | 187416 | 950 | 1200 | 216000 | 266000 |
| (2) रेशा उद्योग-यार्न तथा अन्य मदों का उत्पादन | हजार टन | 0.57 | 0.69 | 12.00 | 12.00 | — | | 4.24 | 4.30 |
| (3) हथकरघा उद्योग उत्पादन | मिलियन नट्स | 220 | 220 | 70* | 70* | 2.47 | 2.54 | 396 | 402 |
| (4) कच्चे रेशम का उत्पादन | हजार कि० ग्रा० | 1400 | 2083 | — | — | 0.015 | 0.035 | 896 | 1045 |
| (5) हस्तशिल्प उत्पादन | लाख रु० | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 355 | 375 | 4700 | 4800 |
| (6) खादी व ग्राम उद्योग खादी व ग्राम उद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पादन | लाख रु० | 9554 | 19700 | 6012 | 6847 | 5650 | 6300 | 3763** | अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। |

टिप्पणी : *केवल सहकारिता क्षेत्रक

**खादी ग्राम उद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर।

## विकलांगों की संख्या

**7540. श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल कितने विकलांग व्यक्ति हैं;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है;

(ग) विकलांग व्यक्तियों के उपचार के लिए देश में कितने संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या ये संस्थान केवल बड़े शहरों में ही स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकलांग व्यक्तियों के उपचार हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) 1981 में शुरू किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश में 120 लाख विकलांग व्यक्ति हैं जो दृष्टि, वाणी तथा श्रवण और चलन विकलांगताओं से पीड़ित हैं। मन्द बुद्धि व्यक्तियों के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विकलांगों के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न संस्थानों/स्कूलों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने दृष्टिबाधितार्थ, अस्थिविकलांग, श्रवण विकलांग तथा मानसिक रूप से विकलांगों के प्रत्येक के लिए एक-एक चार राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं जो शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसन्धान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने, कम लागत के सहायक यन्त्रों आदि के उत्पादन के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, नई दिल्ली में है तथा राष्ट्रीय पुर्नवास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान पी० ओ० बोईरोई (जिला कटक) व्यवसायिक पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण तथा अस्थि विकलांगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए है। केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूलों/संस्थानों को स्थापित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान 175 संस्थाओं को सहायता देना है। दूसरी योजना के अन्तर्गत विकलांगों को या तो निशुल्क या 50% जो कि उनकी आय सीमा पर निर्भर करता है, सहायक यन्त्र/उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 30,000 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को सहायता दी गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान बोई-रोई (जिला कटक) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 जिला पुनर्वास केन्द्र, 10 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे शारीरिक रूप से विकलांगों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रायोगिक आधार पर स्थापित किए गए हैं।

1987-88 के दौरान सहायता किए गए 175 स्वयंसेवी संगठनों में से 39 ग्रामीण विकलांगों के लिए कार्य कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय द्वारा 11 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कि व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों से सम्बद्ध हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन सेवा प्रदान कर रहे हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को वरीयता देने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं।

**समाचार पत्रों द्वारा मानहानि से सम्बन्धित मुकदमों के लिये एक अलग कानून बनाने का प्रस्ताव**

**7541. प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दण्ड संहिता में मानहानि से सम्बन्धित उपबन्धों का दूरस्थ स्थानों पर मुकदमे दायर करके छोटे समाचार पत्रों को परेशान करने के लिये दुरुपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का समाचार-पत्रों द्वारा मानहानि से सम्बन्धित मुकदमों के लिये एक अलग कानून बनाने का विचार है ताकि मुकदमे उन्हीं स्थानों पर दायर किये जा सकें जहां समाचार-पत्र पंजीकृत हो ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समाचार पत्र संगठनों ने यह दलील दी थी कि दूरस्थ स्थानों पर समाचार पत्रों के विरुद्ध मानहानि की शिकायतें दायर करने से समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को परेशानी हुई थी। फिर भी, द्वितीय प्रेस आयोग इस विचार से सहमत नहीं था कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाहियां प्रारम्भ में उसी राज्य के किसी दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय में शुरू की जानी चाहिए जहां से समाचार-पत्र प्रकाशित होता है क्योंकि यह भेदभाव पूर्ण होगा।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्रीलंका के शरणार्थियों को स्वदेश वापस भेजना**

**7542 श्री चिन्तामणि जेना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के प्रधान मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव आवास सम्बन्धी आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए अप्रैल, 1988 के प्रथम सप्ताह में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके साथ श्रीलंका के शरणार्थियों को स्वदेश वापस भेजने पर भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं, द्विपक्षीय मामलों पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। वे यहां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सातवीं योजना में रोजगार के अवसर पैदा करना**

7543. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के अवसरों में भारी कमी होने की आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो मानक व्यक्ति वर्ष के सम्बन्ध में निष्कर्ष क्या है तथा योजना के विभिन्न वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर कितनी थी तथा शेष वर्षों का अनुमान क्या है; और

(ग) लक्ष्य और उपलब्धि के बीच अन्तर कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) से (ग). सातवीं योजना में सकल देशीय उत्पाद में 5 प्रतिशत की संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है और यह उम्मीद की गई है कि योजना अवधि में 40.36 मिलियन मानक व्यक्ति वर्षों का अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा। रोजगार सृजन के वर्ष-वार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार-बेरोजगारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अंतिम पंचवर्षीय सर्वेक्षण 1983 में किया गया था।

सातवीं योजना की विकास कार्यनीति का मुख्य तत्व उत्पादक रोजगार सृजित करना है। क्षेत्रीय निवेशों के अलावा, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तीन बड़े गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या को दूर करना है और जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम नामक दो और स्कीमें चल रही हैं।

**स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उन्नयन**

7544. **डॉ० सुधीर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान और जिप्सम बोर्ड का "लो टेम्परेचर कार्बोनाजेशन", फोर्म्ड कोक और सी जी सी आर आइ, कलकत्ता की आप्टिकल फाइबर और आप्टिकल ग्लास जैसी स्वदेशी तकनीकी के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के साथ-साथ इन क्षेत्रों में उठाये गये विभिन्न कदमों में पदार्थ अनुसंधान अधिक ऊर्जा की खपत करने वाले पदार्थ घटकों का प्रतिस्थापन दक्षता में सुधार, लागत में कमी, पैरामीटरों के अनुकूलन हेतु संयंत्र/वाणिज्यिक स्तर पर परीक्षण करना, डिजाइन में सुधार, बेहतर उत्पादन तकनीक आदि सम्मिलित हैं। वाणिज्यीकरण के लिये उत्पाद/प्रक्रम की आवश्यकतानुसार उपयोग-कर्ता उद्योगों के सहयोग से ये उपाय किये गये हैं।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं को अनुदान**

7545. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को वर्ष 1988-89 के दौरान प्राथमिक अनुसंधान कार्य के लिए (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया;

(ख) इस अनुदान में कोयला और सम्बद्ध उत्पादों के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए (प्राथमिक अनुसंधान के लिए कुल अनुदान के रूप में) कितने प्रतिशत धनराशि दी गई; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1987-88 के दौरान वेतन और भत्तों के भुगतान के लिये (कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में) कितनी धनराशि खर्च की ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) मौलिक अनुसंधान करने के लिये कुल व्यय का 22 प्रतिशत खर्च किये जाने की आशा है।

(ख) कोयला और सम्बद्ध उत्पादों में अनुसंधान करने के लिये कोयला अनुसंधान के कुल अनुदान का 10 प्रतिशत आवंटित किए जाने की आशा है।

(ग) वर्ष 1987-88 में कुल व्यय का 51 प्रतिशत वेतन, भत्तों पर व्यय किया गया है।

**समुद्र में तेल फैलने और प्रदूषण को रोकने के लिए तटरक्षक दल योजना**

7546. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र में प्रदूषण की निगरानी और उसे रोकने के कार्य पर तटरक्षक दल को नियुक्त किया है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का उपर्युक्त कार्य के लिए विशेष रूप से समुद्र में तेल फैलने से रोकने का कार्य तटरक्षक दल को सौंपने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त दिशा में यदि कोई योजना बनाई गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) समुद्री वातावरण के संरक्षण और बचाव के लिये एवं समुद्री प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपाय तटरक्षक संगठन के सांविधिक कार्यों में से एक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के लिये आनुषंगिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं जबकि अन्दमान एवं निकोबार क्षेत्र तथा नेशनल आयल डिसास्टर कन्टीजेंसी योजना के लिये इन आनुषंगिक योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

**कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिकी एकक**

7547. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉनिकी एकक स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में इलेक्ट्रॉनिकी एककों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिकी एककों के विकास के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) :** (क) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य में 4 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, 2 राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां तथा लगभग 200 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां स्थापित करने तथा सुविधाएं जुटाने के मामले में सरकार की नीति सभी राज्यों के लिये समान है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। एक सामान्य नीति के रूप में, राज्य सरकारें उद्योग स्थापित करने के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करने का प्रयास करती हैं और इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करता है।

**दिल्ली और नई दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने पर रोक**

7548. **श्री गदाधर साहा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नई दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह निर्णय कब लिया गया था ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) :** (क) से (ग). भिन्न-भिन्न वाहनों की अधिकता से घना यातायात हो जाने के कारण दिल्ली और नई दिल्ली के कुछ भागों में साइकिल रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये अलग-अलग अवसरों पर आदेश जारी किये गये हैं।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाएं**

7549. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरी विज्ञान ग्रुप से सम्बद्ध कुछ प्रयोगशालाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान परियोजनाएं प्रारम्भ की थीं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितनी पूरी हो गईं, कितनी पूरी होने वाली हैं और कितनी छोड़ी जा रही हैं;

(घ) पूरी हुई कितनी अनुसंधान परियोजनायें राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को भेजी गई थीं;

(ङ) शेष को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को न भेजने के क्या कारण हैं; और

(च) इस असफलता का देश के लिये आवश्यक प्रक्रियाओं के आयात और उस पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सी०एस०आई०आर० की इंजीनियरी विज्ञान की प्रयोगशालाओं ने वर्ष 1985-87 में वैमानिकी, गृह निर्माण (आवास), परिवहन, खनन, धातुकर्म मशीनरी, संघट्ट पदार्थ, कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकास आदि के क्षेत्रों में परियोजनाएं हाथ में ली हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये परियोजनाएं खण्डों में पूरी की जाने की आशा है। इनमें से कोई भी परियोजना बन्द नहीं की गई है।

(घ) इस अवधि में, 37 प्रक्रम विकसित किये गये। इनमें से 27 प्रक्रम नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन०आर०डा०सी०) को वाणिज्यीकरण के लिये निर्दिष्ट की गईं। अन्य 10 प्रक्रम वाणिज्यीकरण के लिये स्वयं प्रयोगशालाओं द्वारा विमोचित करने हेतु अनुमोदित किये गये।

(ङ) प्रयोगशालाओं द्वारा सीधे ही लाइसेंस देने की व्यवस्था वर्तमान मार्ग निदेशनों में दी गई है जहां प्रक्रम भारग्रस्त हो गये हैं अथवा उनका सीमित उपयोग है अथवा जिनमें साधारण तकनीकी सहायता शामिल हैं अथवा जिनकी प्रौद्योगिकी सिद्ध करनी है।

(च) सी०एस०आई०आर० प्रयोगशालाओं द्वारा सीधे लाइसेंस प्रदान करने का देश के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी पर कोई बुरा असर नहीं हुआ क्योंकि ये प्रक्रम भी भारतीय उद्योग में वाणिज्यीकरण के लिए उपलब्ध थे।

**श्रीलंका में सड़कों और मकानों का पुनर्निर्माण**

7550. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने श्रीलंका में पुनर्निर्माण के लिए दो सड़क परियोजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने वर्ष 1984 और 1987 के बीच श्रीलंका के सुरक्षा आपरेशनों के दौरान क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुए कुछ मकानों का पुनर्निर्माण करने में सहायता देने के लिए भी सहमति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इन मकानों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं में कितनी पूंजी व्यय होने का अनुमान है तथा क्या ये परियोजनाएं भारतीय सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) से (ग). जातीय संघर्ष के कारण श्रीलंका को जो नुकसान हुआ है, उसके पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए भारत ने श्रीलंका को 25 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय विशेषज्ञों का एक दल श्रीलंका की यात्रा पर गया था और उसने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं कि इस अनुदान का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हो सकते हैं। इस समय यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। इसे श्रीलंका की सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(घ) विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, इस जातीय संघर्ष की चार वर्षों की अवधि में लगभग 1,00,000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं जिनमें से लगभग 70,000 मकान पूरी तरह नष्ट हो गये हैं।

(ङ) विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार इन क्षेत्रों के जिन्हें जातीय संघर्ष से नुकसान पहुंचा है, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए तीन वर्ष की अवधि में और कम से कम लगभग 38.84 करोड़ डालर खर्च होंगे। इस कार्यक्रम पर अमल श्रीलंका की सरकार द्वारा किया जाएगा।

**संयुक्त सलाहकार तंत्र का गठन**

7551. **श्री सैफुद्दीन अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सलाहकार तंत्र में कितने अधिकारी और कर्मचारी सदस्य हैं;

(ख) दोनों ओर के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ग) कर्मचारियों की ओर से सदस्यों के संयुक्त सलाहकार तंत्र में नामांकन का तरीका क्या है;

(घ) क्या प्रतिनिधित्व की वर्तमान प्रणाली और नामांकन की प्रक्रिया में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) संयुक्त परामर्श तंत्र योजना में यह व्यवस्था है कि सरकारी पक्ष के 25 सदस्य और कर्मचारी पक्ष के 60 सदस्य तक हो सकते हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई हैं।

(ग) कर्मचारी पक्ष के सदस्य राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों/संघों, फेडरेशनों|कन्फेडरेशनों द्वारा नामित किए जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण 1

### राष्ट्रीय परिषद (जे०सी०एम०)

### (सरकारी पक्ष के सदस्यों की सूची)

### अध्यक्ष—मन्त्रिमण्डल सचिव

1. श्री के०वी० कृष्णामूर्ति,
सदस्य—स्टाफ
रेल विभाग
(टेलीफोन नं० 382762)

2. श्री सरोज कुमार मित्रा,
वित्तीय आयुक्त,
रेल विभाग,
(टेलीफोन नं० 382754)

3. श्री एस० के० भटनागर,
सचिव,
रक्षा मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 3012380)

4. श्री पी०सी० जैन,
सचिव,
रक्षा उत्पादन विभाग,
(टेलीफोन नं० 3012527)

5. श्री देवेन्द्र के० संगल,
सचिव,
दूर संचार विभाग,
(टेलीफोन नं० 381209)

6. श्री पी०एस० राघवाचारी,
सचिव,
डाक विभाग,
(टेलीफोन नं० 383600 और 380684)

7. श्री एस० वेंकटरामन,
वित्त सचिव,
वित्त मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 3012611)

8. श्री सी०एस० शास्त्री,
सचिव,
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 382651)

9. श्री एस० एस० धनोवा,
सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
(टेलीफोन नं० 385763)

10. श्री एन० के मिश्र,
सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 351700)

11. श्री सी०जी० सोमय्या,
सचिव,
गृह मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 3011989)

12. श्री डी०एम० सुकथांकर,
सचिव,
शहरी विकास मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 3019377)

13. श्री अनिल बोर्डिया,
सचिव,
शिक्षा मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 386451)

14. श्री मनीष बहल,
सचिव,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
(टेलीफोन नं० 3014848)

14क. श्री आई०के० रसगोत्रा,
अपर सचिव (पेंशन),
पेंशन विभाग, नई दिल्ली ।
(टेलीफोन नं० 383677)

15. श्री बादल राय,
सचिव,
श्रम मंत्रालय,
(टेलीफोन नं० 382945)

16. श्री कैलाश प्रकाश,
सदस्य (पर्स),
डाक बोर्ड,
(टेलीफोन नं० 380612 और 383492)

17. श्री पी०एस० जाफा,
वित्तीय सलाहकार,
रक्षा मंत्रालय (वित्त),
(टेलीफोन नं० 3012886)

18. श्री सी०पी० मित्तल,
अपर उप नियंत्रक तथा
महालेखा परीक्षक,
10, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली ।
(टेलीफोन नं० 3316684)

19. श्री सी०के० रेड्डी,
सदस्य (कार्मिक),
दूर संचार बोर्ड,
(टेलीफोन नं० 388460 और 380317)

20. श्री सतीश बहल,
सलाहकार (आई०आर०)'
रेल विभाग,
(टेलीफोन नं० 382674)

21. श्री बी०पी० वर्मा,
संयुक्त सचिव (कार्मिक),
वित्त मंत्रालय (व्यय),
(टेलीफोन नं० 3012744)

22. श्री एस०के० पार्थसारथि,
संयुक्त सचिव (स्था०),
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
(टेलीफोन नं० 3011276)

23. श्रीमती कृष्णा सिंह,
संयुक्त सचिव (एस०टी० एण्ड
एस०डब्ल्यू),
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
(टेलीफोन नं० 3015010)

24. श्रीमती के०एन०के० कार्स्तियायनी,
निदेशक (जे०सी०ए०),
सदस्य सचिव,
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,
(टेलीफोन नं० 3011906)

## विवरण 2

### राष्ट्रीय परिषद् (जे०सी०एम०)

### (कर्मचारी पक्ष के सदस्यों की सूची)

1. चौ० हरि राम सिंह, सहायक महा सचिव,
उत्तरी रेलवे मजदूर संघ,
166/1, पंचकुइंया रोड, नई दिल्ली ।

2. श्री शशि भूषण राव, एन०एफ०आई०आर०
एम०एल०सी०, 112/6, यूनिट-2,
दक्षिणी-पूर्वी रेलवे कालोनी, गार्डन रीच, कलकत्ता-43

3. श्री जे०एन० चकी, खजांची-एन०एफ०आई०आर०
3, चैम्सफोर्ड रोड,
नई दिल्ली-110055.

4. श्री पी०एन० शर्मा, एन०एफ०आई०आर०
उत्तरी रेलवे मजदूर संघ,
166/1, पंचकुईंया रोड, नई दिल्ली।

5. श्री एच०एन० शर्मा, एन०एफ०आई०आर०, अध्यक्ष,
पूर्वी रेलवे कर्मचारी कांग्रेस,
6, चर्च रोड, हावड़ा।

6. श्री डी०यू० त्रिवेदी, एन०एफ०आई०आर०,
पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ,
बम्बई सैन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बम्बई।

7. श्री राघवैया, एन०एफ०आई०आर०, महा सचिव,
एस०सी० रेलवे कर्मचारी संघ,
311, रेलवे बैरेक्स चिल्कालगुडा, सिकन्दराबाद।

8. श्री एन० सेतुरामन, एन०एफ०आई०आर०,
नं० 14/ए, रेलवे कालोनी,
वाशरमापेट, मद्रास-21

9. श्री एम० प्रताप, एन०एफ०आई०आर०,
18, हाइट मेंशन,
रेलवे क्वार्टरर्स, हावड़ा।

10. श्री आर०एस० अवस्थी, एन०एफ०आई०आर०,
रेलवे कालोनी, लखनऊ (उ०प्र०)।

11. श्री एस०डी० शर्मा,
33/एल, आई०ओ०डब्ल्यू० आफिस के नजदीक,
रेलवे वर्कशाप के सामने, डब्ल्यू०आर०एम०एस० आफिस,
भावनगर, गुजरात।

12. श्री आर०पी० भटनागर, एन०एफ०आई०आर०पी०डब्ल्यू०आई०
सैंट्रल रेलवे,
मथुरा जंक्शन।

13. श्री यू०एम० पुरोहित, ए०आई०आर०एफ०,
फर्स्ट पोटडार एस्टेट,
मलाद ईस्ट, बम्बई-400064

14. श्री जे०पी०चौबे, ए०आई०आर०एफ०
4-स्टेट ऐनट्री रोड,
नई दिल्ली।

15. श्री टी०एन० बाजपेयी, ए०आई०आर०एफ०,
"शिव गंगा सदन" 17, पान दरीबा,
चार बाग, लखनऊ (उ०प्र०)।

16. श्री जे०एम० बिस्वास, एन०आई०आर०एफ०
बंगला नं० 114/8-4 एस०ई० रेलवे कालोनी,
गार्डन रीच, कलकत्ता-700043

17. श्री एम० नमासिवम, ए०आई०आर०एफ०
48-ए, रेलवे क्वाटर्स, मद्रास एग्मोर,
मद्रास-600008

18. श्री बिमल डे, ए०आई०आर०एफ०,
नम्बर 77-ए/3, राजा एस०सी० मलिक रोड,
कलकत्ता-700092

19. श्री के०एस०एन० मूर्ति (ए०आई०आर०एफ०)
अध्यक्ष, साउथ सैन्ट्रल रेलवे मजदूर यूनियन
मार्फत डिवीजनल कार्यालय,
483, रेलवे बिल्डिंग, विजयवाड़ा।

20. श्री बी०एस० सेन, ए०आई०आर०एफ०
27-बी, रेस्ट कैम्प,पांडु,
पो०आ० गुवाहाटी-12 (असम)

21. श्री के०आर० चटर्जी, ए०आई०आर०एफ०
क्वार्टर नं० 59, हुमांयुपुर (नार्थ),
गोरखपुर-273001 (उ०प्र०)

22. श्री पी०आर० मेनन, ए०आई०आर०एफ०,
183, आराम नगर, 11 बम्बई-400061

23. श्री सुजीत राय, ए०आई०आर०एफ०
14/1, अनन्त देब मुखर्जी लेन,
पोस्ट सिबपुर, जिला हावड़ा, (पश्चिम बंगाल)।

24. श्री० आर०के० कुरुप, ए०आई०आर०एफ०,
हैड ट्रेन एग्जामिनर,
न्यू कटनी जंक्शन (सी०आर०)

25. श्री सी०एस० मेनन, ए०आई०आर०एफ०
टी-42/ए० 2, रेलवे क्वार्टरर्स
डी०आर०एम०ओ० आफिस के पीछे,
बम्बई सैन्ट्रल, बम्बई।

26. श्री ओ०पी० गुप्ता (एन०एफ०टी०ई०),
सी-1/2, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली।

27. श्री चन्द्रशेखर, (एन०एफ०टी०ई०)
दादा घोष भवन,
1, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008

28. श्री के०एल० मोजा (ए०एफ०पी०ई०)
89, जवाहर नगर, श्रीनगर (कश्मीर)।

29. श्री के० आदिनारायण, (एन०एफ०पी०ई०)
डी-2, टेलीग्राफ प्लेस, नई दिल्ली।

30. श्री नितई घोष (शिक्षा)
14, न्यू कैन्ट रोड, देहरादून (उ०प्र०) 248001

31. श्री के० राममूर्ति, एफ०एन०पी०ओ०,
टी-24, अतुल ग्रोव, नई दिल्ली।

32. श्री मदन सेन गुप्ता, आई०एन०डी०डब्ल्यू०एफ०
206/आई०ई०, विधान सारनी,
कलकत्ता-6

33. श्री बी०आर० दास, आई०एन०डी०डब्ल्यू०एफ०,
यू०डी०सी० राइफल फैक्ट्री इन्चापोर,
जिला नवाबगंज, 24, परगना (पश्चिम बंगाल)।

34. श्री के०के० एन० कुट्टी (वित्त), महासचिव,
ए-2/95, राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली-110027

35. श्री सी०एस०वी० वारियर (लेखा परीक्षा)
ऑल इंडिया एन०जी० आडिट एण्ड एकांउटस् एसोसिएशन,
4बी/6, गंगाराम अस्पताल मार्ग,
नई दिल्ली-110060

36. श्री जी०एल० धर (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग),
टी-16, आई०एन०ए० कालोनी,
नई दिल्ली।

37. श्री इकबाल खान,
टी-16, आई०एन०ए० कालोनी,
नई दिल्ली।

38. श्री एस० मधुसुदन,
टी-16, आई०एन०ए०कालोनी,
नई दिल्ली।

39. श्री आर०पी० भट्टाचार्य (पूर्ति और पुनर्वास)
20, सरत चटर्जी रोड, कलकत्ता-700089

40. श्री एस०के० व्यास, अनुभाग अधिकारी,
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) जयपुर (राजस्थान)।

42. श्री रघुबीर सिंह (एफ०एन०टी०ओ०)
अध्यक्ष, एफ०एन०पी०, गांव हड़की (रोहतक)।

42. श्री अजीत चौधरी (शहरी विकास)
रीडर, भारत सरकार मुद्रणालय,
संतरागंची, हावड़ा।

43. श्री आर०के० कोहली, एन०एफ०टी०ई०
49, पी० एण्ड टी० कालोनी, पितमपुरा,
नई दिल्ली-110034

44. श्री आर०आर० पांडे (कृषि एवं सहकारिता)
जी-14, कृषि भवन हटमेंटस्,
नई दिल्ली-110001

**विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष 1987-88 का परिव्यय**

7552. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय और चालू योजना के पिछले तीन वर्षों के लिये प्रत्येक वर्ष, राज्य वार कितना परिव्यय किया गया था;

(ख) केन्द्रीय आवंटन और राज्य के संसाधनों के बीच प्रत्येक मामले में वार्षिक परिव्यय संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक परिव्यय और चालू वर्ष के दौरान अनुमानित परिव्यय कितना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 1988 तक राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) और (ग). विवरण 1 संलग्न है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है।

(घ) विवरण 3 संलग्न है।

विवरण 1

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1985-86 से 1988-89 तक के वार्षिक योजना के अन्तर्गत परिव्यय/व्यय दर्शाने वाला विवरण 1

चालू योजना अवधि 1985-90

(करोड़ रु०)

| राज्य | 1985-86 | | 1986-87 | | 1987-88 | | 1988-89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिव्यय | प्रत्याशित व्यय | परिव्यय | प्रत्याशित व्यय | परिव्यय | प्रत्याशित व्यय | परिव्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| आन्ध्र प्रदेश | 810.00 | 942.92 | 1000.00 | 1204.70 | 1200.00 | 1112.43 | 1250.00 |
| अरुणाचल प्रदेश | 73.00 | 72.43 | 90.00 | 87.64 | 110.00 | 110.00 | 126.00 |
| असम | 410.00 | 400.92 | 500.00 | 499.02 | 575.00 | 575.00 | 610.00 |
| बिहार | 851.00 | 932.21 | 1150.00 | 1281.21 | 1500.00 | 1400.00 | 1600.00 |
| गोवा | 64.00 | 64.73 | 73.00 | 73.62 | 79.75 | 79.75 | 92.00 |
| गुजरात | 804.00 | 825.02 | 950.00 | 965.61 | 1160.00 | 890.51 | 1275.00 |
| हरियाणा | 480.00 | 422.81 | 525.00 | 480.92 | 585.00 | 430.28 | 600.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 177.00 | 192.32 | 205.00 | 238.80 | 235.00 | 235.00 | 260.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू व कश्मीर | 260.00 | 274.42 | 315.00 | 337.66 | 375.00 | 387.50 | 450.00 |
| कर्नाटक | 651.00 | 637.67 | 765.00 | 696.17 | 870.00 | 769.45 | 900.00 |
| केरल | 355.00 | 366.38 | 390.00 | 427.55 | 440.00 | 380.60 | 500.00 |
| मध्य प्रदेश | 1170.00 | 1009.76 | 1381.00 | 1169.00 | 1570.00 | 1516.11 | 1702.00 |
| महाराष्ट्र | 1700 00 | 1747.20 | 2100.00 | 1963.77 | 2320.00 | 2100.00 | 2430.00 |
| मणिपुर | 70.00 | 69.68 | 87.00 | 84.13 | 105.00 | 105.00 | 122.50 |
| मेघालय | 75.00 | 73.07 | 91.00 | 89.04 | 110.00 | 110.00 | 130.00 |
| मिजोरम | 48.00 | 47.73 | 58.00 | 61.63 | 70.00 | 70.00 | 85.00 |
| नागालैंड | 65.00 | 63.45 | 78.00 | 73.86 | 94.75 | 94.75 | 110.00 |
| उड़ीसा | 450.00 | 445.64 | 600.00 | 574.26 | 750.00 | 742.02 | 835.00 |
| पंजाब | 500.00 | 467.83 | 575.00 | 678.93 | 750.00** | 650.00 | 700.00** |
| राजस्थान | 430.00 | 427.64 | 525.00 | 527.84 | 645.00 | 606.00 | 710.00 |
| सिक्किम | 41.00 | 42.13 | 50.00 | 52.71 | 57.00 | 54.10 | 63.00 |
| तमिलनाडु | 960.00 | 999.29 | 1153.00 | 1150.68 | 1250.00 | 1250.00 | 1457 00 |
| त्रिपुरा | 86.00 | 93.76 | 105.00 | 115.06 | 125.00 | 125.00 | 144.00 |
| उत्तर प्रदेश | 1642.00 | 1710.45 | 2030.00 | 2005.42 | 2500.00 | 2009.78 | 2540.00 |
| प० बंगाल | 675.00 | 700.34 | 776.00 | 714.95 | 862.00 | 871.25 | 951.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | | | |
| अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 33.50 | 22.78 | 69.00 | 37.62 | 48.00 | 48.00 | 71.00 |
| चण्डीगढ़ | 38.76 | 36.95 | 42.48 | 41.50 | 44.00 | 44.00 | 46.60 |
| दादरा व नगर हवेली | 8.65 | 8.52 | 8.65 | 7.79 | 9.00 | 9.00 | 9.90 |
| दिल्ली | 335.00 | 400.92 | 483.00 | 497.32 | 541.34 | 541.34 | 558.00 |
| दमन व दीव | | | | | 6.25 | 6.25 | 12.00 |
| लक्षद्वीप | 7.65 | 6.96 | 8.40 | 7.56 | 9.50 | 16.40 | 17.50 |
| पांडिचेरी | 33.00 | 32.94 | 39.00 | 38.89 | 47.00 | 47.00 | 55.00 |

संशोधित अनुमानित परिव्यय पर आधारित

**अनंतिम

विवरण 2

वार्षिक योजना 1985-86 के लिए वित्त पोषण—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

करोड़ रु०

| राज्य | कुल योजना परिव्यय | संसाधन | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य के अपने संसाधन | केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 810.00 | 461.57 | 348.43 |
| असम | 410.00 | 7.38 | 402.62 |
| बिहार | 851.00 | 301.15 | 549.85 |
| गुजरात | 804.00 | 599.46 | 204.54 |
| हरियाणा | 480.00 | 347.70 | 132.30 |
| हिमाचल प्रदेश | 177.00 | 5.79 | 171.21 |
| जम्मू और कश्मीर | 260.00 | (—) 66.72 | 326.72 |
| कर्नाटक | 651.00 | 460.35 | 190.65 |
| केरल | 355.00 | 70.68 | 284.32 |
| मध्य प्रदेश | 1170.00 | 830.06 | 339.94 |
| महाराष्ट्र | 1700.00 | 1380.37 | 319.68 |
| मणिपुर | 70.00 | (—) 28.92 | 98.92 |
| मेघालय | 75.00 | 10.63 | 64.37 |
| नागालैंड | 65.00 | (—) 58.31 | 123.31 |
| उड़ीसा | 450.00 | 229.37 | 220.63 |
| पंजाब | 500.00 | 302.86 | 197.14 |
| राजस्थान | 430.00 | 214.35 | 215.65 |
| सिक्किम | 41.00 | (—) 3.88 | 44.88 |
| तमिलनाडु | 960.00 | 649.26 | 310.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | 86.00 | (—) 1.19 | 87.19 |
| उत्तर प्रदेश | 1642.00 | 987.62 | 654.38 |
| पश्चिम बंगाल | 675.00 | 468.89 | 206.11 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | |
| अंडमान निकोबार द्वीप समूह | 33.50 | — | 33.50 |
| अरुणाचल प्रदेश | 73.00 | 2.02 | 70.98 |
| चण्डीगढ़ | 38.76 | 35.54 | 3.22 |
| दादर और नगर हवेली | 8.65 | — | 8.65 |
| दिल्ली | 335.00 | 132.47 | 202.53 |
| गोआ, दमन और दीव | 64.00 | 14.39 | 49.61 |
| लक्षद्वीप | 7.65 | — | 7.65 |
| मिजोरम | 48.00 | 1.36 | 46.64 |
| पांडिचेरी | 33.00 | 3.67 | 29.33 |

**वार्षिक योजना 1986-87 के लिए वित्त पोषण—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

(करोड़ रु०)

| राज्य | कुल योजना परिव्यय | संसाधन | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य के अपने संसाधन | केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1000.00 | 701.99 | 298.01 |
| असम | 500.00 | 31.00 | 469.00 |
| बिहार | 1150.00 | 709.76 | 440.24 |
| गुजरात | 950.00 | 662.26 | 287.74 |
| हरियाणा | 525.00 | 444.72 | 80.28 |
| हिमाचल प्रदेश | 205.00 | 46.05 | 158.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर | 315.00 | (—) 33.36 | 348.36 |
| कर्नाटक | 765.00 | 571.83 | 193.12 |
| केरल | 390.00 | 109.92 | 280.08 |
| मध्य प्रदेश | 1381.00 | 989.77 | 391.23 |
| महाराष्ट्र | 2100.00 | 1758.04 | 341.96 |
| मणिपुर | 87.00 | (—) 19.46 | 106.46 |
| मेघालय | 91.00 | (—) 0.62 | 91.62 |
| नागालैंड | 78.00 | (—) 57.57 | 135.57 |
| उड़ीसा | 600.00 | 360.36 | 239.64 |
| पंजाब | 575.00 | 249.74 | 325.26* |
| राजस्थान | 525.00 | 298.92 | 226.08 |
| सिक्किम | 50.00 | (—) 2.47 | 52.47 |
| तमिलनाडु | 1153.00 | 887.65 | 265.35 |
| त्रिपुरा | 105.00 | (—) 3.44 | 108.44 |
| उत्तर प्रदेश | 2030.00 | 1335.24 | 694.76 |
| पश्चिम बंगाल | 776.00 | 547.99 | 228.01 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 69.00 | — | 69.00 |
| चण्डीगढ़ | 42.48 | 20.66 | 21.82 |
| दादर और नगर हवेली | 8.65 | — | 8.65 |
| अरुणाचल प्रदेश | 90.00 | 2.69 | 87.31 |
| दिल्ली | 483.00 | 317.34 | 165.66 |
| गोआ, दमन और दीव | 73.00 | 17.16 | 55.84 |
| लक्षद्वीप | 8.40 | — | 8.40 |
| मिजोरम | 58.00 | 1.42 | 56.58 |
| पांडिचेरी | 39.00 | 6.00 | 33.00 |

*इसमें 273.68 करोड़ रु० का सावधिक ऋण शामिल है।

वार्षिक योजना 1987-88 के लिए वित्त योजना—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु०)

| राज्य | कुल योजना परिव्यय | संसाधन | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य के अपने संसाधन | केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1200.00 | 859.23 | 340.45 |
| अरुणाचल प्रदेश | 110.00 | 3.08 | 106.92 |
| असम | 575.00 | 45.00 | 530.00 |
| बिहार | 1500.00 | 789.79 | 513.00 |
| गुजरात | 1160.00 | 919.67 | 240.33 |
| हरियाणा | 585.00 | 427.28 | 157.72* |
| हिमाचल प्रदेश | 235.00 | 44.46 | 190.54 |
| जम्मू और कश्मीर | 375.00 | (—) 21.36 | 392.59 |
| कर्नाटक | 870.00 | 663.81 | 206.19 |
| केरल | 440.00 | 208.70 | 219.64 |
| मध्य प्रदेश | 1570.00 | 1155.74 | 414.26 |
| महाराष्ट्र | 2320.00 | 1973.63 | 346.37 |
| मणिपुर | 105.00 | (—) 20.90 | 120.15 |
| मेघालय | 110.00 | (—) 5.75 | 109.53 |
| नागालैंड | 94.00 | (—) 62.81 | 152.81 |
| उड़ीसा | 750.00** | 456.69 | 293.31 |
| पंजाब | 750.00 | 255.86 | 494.14*** |
| राजस्थान | 645.00 | 350.19 | 261.93 |
| सिक्किम | 57.00 | (—) 0.81 | 55.87 |
| तमिलनाडु | 1250.00 | 925.13 | 324.87 |
| त्रिपुरा | 122.00 | (—) 19.75 | 123.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 2500.00 | 1609.96 | 890.04 |
| पश्चिम बंगाल | 862.00 | 586.35 | 261.30 |
| मिजोरम | 70.00 | 4.76 | 65.24 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | |
| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 48.00 | — | 48.00 |
| चण्डीगढ़ | 44.00 | 24.10 | 19.90 |
| दादरा और नगर हवेली | 9.00 | — | 9.00 |
| दिल्ली | 541.34 | 187.20 | 354.14 |
| गोआ, दमन और दीव | 86.00 | 17.82 | 68.18 |
| लक्षद्वीप | 9.50 | — | 9.50 |
| पांडिचेरी | 47.00 | 9.03 | 37.97 |

*70.00 करोड़ रु० का अवधि ऋण भी शामिल है।

**योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

***संसाधनों में अन्तर शामिल है।

**वार्षिक योजना 1988-89 के लिए वित्त पोषण—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**

(करोड़ रु०)

| राज्य | कुल योजना परिव्यय | संसाधन | |
|---|---|---|---|
| | | राज्य के अपने संसाधन | केन्द्रीय सहायता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1250.00 | 884.11 | 365.89 |
| अरुणाचल प्रदेश | 126.00 | (—) 25.78 | 151.78 |
| असम | 610.00 | 74.19 | 535.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बिहार | 1600.00 | 916.16 | 683.84* |
| गोआ | 92.00 | (—) 24.59 | 116.59** |
| गुजरात | 1275.00 | 1021.59 | 253.05 |
| हरियाणा | 600.00 | 455.65 | 144.35*** |
| हिमाचल प्रदेश | 260.00 | 26.15 | 233.85 |
| जम्मू और कश्मीर | 450.00 | (—) 66.52 | 516.52 |
| कर्नाटक | 900.00 | 703.94 | 196.06 |
| केरल | 500.00 | 247.05 | 252.95 |
| मध्य प्रदेश | 1702.00 | 1270.41 | 431.59 |
| महाराष्ट्र | 2430.00 | 2043.18 | 386.82 |
| मणिपुर | 122.50 | (—) 30.84 | 153.34 |
| मेघालय | 130.00 | (—) 5.79 | 135.79 |
| मिजोरम | 85.00 | (—) 25.62 | 110.62 |
| नागालैंड | 110.00 | (—) 73.57 | 183.57 |
| उड़ीसा | 835.00 | 515.87 | 319.13 |
| पंजाब | 700.00 | (—) 181.26 | 881.26£ |
| राजस्थान | 710.00 | 401.60 | 308.32 |
| सिक्किम | 63.00 | (—) 4.59 | 67.59 |
| तमिलनाडु | 1457.00 | 1070.57 | 386.43 |
| त्रिपुरा | 144.00 | (—) 4.72 | 148.72 |
| उत्तर प्रदेश | 2540.00 | 1339.70 | 1200.30$ |
| पश्चिम बंगाल | 951.00 | 640.25 | 310.75 |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 71.00 | — | 71.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| चण्डीगढ़ | 46.60 | 43.80 | 2.80 |
| दादरा और नगर हवेली | 9.90 | — | 9.90 |
| दिल्ली | 558.00 | 214.32 | 343.68‡ |
| दमन और दीव | 12.00 | — | 12.00 |
| लक्षद्वीप | 17.50 | — | 17.50 |
| पांडिचेरी | 55.00 | 21.26 | 33.74 |

* तेनु घाट फेज-2 के लिए 100 करोड़ रु० की सहायता, विदेशी सहायता परियोजना अनापत्ति प्राप्त होना है।

** वित्त मंत्रालय से 30.59 करोड़ रु० का गैर योजना ऋण।

*** एस०वाई०एल० परियोजना के लिए 70.83 करोड़ रु० केन्द्र की सहभागिता।

£ अनन्तिम।

$ अयदि क्लीयर हो जाए तो अनपारा बी० के लिए 220 करोड़ रु० की सहायता भी शामिल है।

‡ विद्युत क्षेत्र में राजघाट पावर हाउस स्थानापन और गैस टरबाइन के लिए 40 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

## विवरण 3

### राज्य वार्षिक योजना 1987-88 के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

| | | (करोड़ रु०) |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 319.12 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 133.27 |
| 3. | असम | 528.52 |
| 4. | बिहार | 500.84 |
| 5. | गुजरात | 254.34* |
| 6. | हरियाणा | 59.33 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 234.81 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 418.84 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | कर्नाटक | 185.78 |
| 10. | केरल | 203.69 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 379.22 |
| 12. | महाराष्ट्र | 323.95 |
| 13. | मणिपुर | 120.03 |
| 14. | मेघालय | 108.20 |
| 15. | मिजोरम | 63.67 |
| 16. | नागालैण्ड | 159.56 |
| 17. | उड़ीसा | 261.61 |
| 18. | पंजाब | 698.56** |
| 19. | राजस्थान | 266.65 |
| 20. | सिक्किम | 60.36 |
| 21. | तमिलनाडु | 333.77 |
| 22. | त्रिपुरा | 125.62 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 784.84 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 253.40 |
| 25. | गोआ | 129.75** |

* इसमें तिलहन के लिए 40 करोड़ रु० का सावधिक ऋण शामिल है।

** इसमें योजना के वित्त पोषण के लिए पंजाब तथा गोवा के लिए क्रमश: 650 करोड़ रु० तथा 50 करोड़ रु० का योजना ऋण शामिल है।

### तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विस्तार

7553. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट तारापुर परमाणु संयंत्र के विस्तार का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके विस्तार में कितना समय लगने की संभावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) से (ग). परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त स्थल चयन समिति ने देश के विभिन्न विद्युत क्षेत्रों में स्थित विभिन्न स्थलों पर इस प्रयोजन से विचार किया है कि भावी परमाणु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का अध्ययन किया जाए। जिन स्थलों का अध्ययन किया गया है उनमें तारापुर जैसे वे स्थल भी शामिल हैं जहां परमाणु बिजलीघर पहले ही काम कर रहे हैं। उस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

### नौसेना हथियार सप्लाई संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

**7554. श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना हथियार सप्लाई संगठन में कार्यालय अधीक्षकों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्यालय अधीक्षकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उपर्युक्त संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सरकार की निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके लिए आरक्षित पदों पर उनकी नियुक्ति और सामान्य श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) 19।

(ख) अनुसूचित जाति—7

अनुसूचित जनजाति—1

(ग) जी, हां।

(घ) आरक्षण की निर्धारित नीति के अनुसार, कार्यालय अधीक्षक संवर्ग में अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% पद आरक्षित किए गए हैं और वे भरे जा चुके हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### सशस्त्र सेना मुख्यालय में अधिकारियों को आशुलिपिकीय सहायता

**7555. श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में आशुलिपिकों के पदों के बारे में 30 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को दिए गए आशुलिपिकों के वेतनमानों का ब्यौरा क्या है और क्या आशुलिपिकीय सुविधा के पात्र सभी अधिकारियों को आवश्यक आशुलिपिकीय सहायता दी गई है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ख) आशुलिपिकीय सुविधा के लिए पात्र अधिकारियों के कौन-कौन से पद गत तीन वर्षों के दौरान बनाए गए थे जिनका दर्जा बढ़ाया गया था तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इन सभी अधिकारियों को अपेक्षित आशुलिपिकीय सुविधा दे दी गई है और यदि नहीं तो, तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) अधिकारी को अपेक्षित आशुलिपिकीय सुविधा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) 1988 से पूर्व, रक्षा मुख्यालयों एवं अंतर सेवा संगठनों में विभिन्न ग्रेडों के अफसरों को आशुलिपिक की सुविधा प्रदान करने का कोई सुस्पष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं था। इस प्रकार अफसरों को एक विशेष स्तर पर आशुलिपिक की सुविधा प्रदान करने के लिए पात्रता विद्यमान नहीं थी।

(ख) आशुलिपिक की सुविधा का कोई सुस्पष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए पिछले तीन वर्ष के दौरान सृजित/उन्नयित पदों पर काम करने वाले अफसरों को एक विशेष स्तर पर आशुलिपिक की सुविधा की हकदारी देने का प्रश्न नहीं उठा।

(ग) रक्षा मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी, 1988 के पत्र संख्या ए०/245777/मु०प्र०अ०/ सी पी के द्वारा विभिन्न रैंकों/ग्रेडों के अफसरों को आशुलिपिक की सुविधा प्राधिकृत करने का अब एक सुस्पष्ट मापदण्ड निर्धारित कर लिया गया है। उन संबंधित स्थायी स्थापना समितियों द्वारा जरूरी समझे जाने पर यह मापदण्ड लागू होता है जो रक्षा मुख्यालयों में संगठनों की शांति स्थापनाओं के संबंध में विचार करती है। शांति स्थापनाओं के विस्तार/पुनरीक्षण संबंधी मामलों को प्रायोजित (स्पोन्सर) और उन पर विचार करते समय इस पत्र के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। आशुलिपिकों के पदों का सृजन/उन्नयन, इस समय लागू रोक आदेशों में छूट दिए जाने पर ही किया जाएगा।

**रजनीश धाम में विदेशी शिष्यों पर प्रतिबंध**

7556. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे में रजनीश धाम में विदेशी शिष्यों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या जनवरी, 1986 में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें एक सूची के अन्तर्गत 179 सन्यासियों के देश में प्रवेश पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) क्या विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या हाल ही में भारत आने वाले ऐसे कुछ विदेशी शिष्यों को बम्बई हवाई अड्डे पर 'ट्रांजिट लांज' में रोक कर रखा गया था और उन्हें देश से वापस भेज दिया गया था ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) से (घ). पुणे में रजनीश धाम में विदेशी शिष्यों के प्रवेश पर कोई

रोक नहीं है। वीसा देने के मामलों जिन्हें भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए, के बारे में विदेश स्थित मिशनों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं। सरकार के ध्यान में आया है कि रजनीश के दो विदेशी शिष्यों को 1987 में और एक शिष्य को जनवरी, 1988 में भारत में प्रवेश करने से मना किया गया।

**केन्द्रीय मंत्रियों के दौरों पर व्यय**

**7557. श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1988 को समाप्त गत दो वर्षों में केन्द्रीय मंत्रियों के देश में आन्तरिक दौरों पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ख) इस व्यय में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान इस प्रयोजन पर किया गया कुल व्यय, जैसा कि वेतन और लेखा कार्यालय, मंत्रिमण्डल कार्य विभाग के खातों में लिखा गया है, लगभग 1,82,76,000-00 रु० हैं।

(ख) मंत्रियों द्वारा दौरे केवल तभी किये जाते हैं जब वे उनके कर्तव्य निर्वहन के सम्बन्ध में और जनहित में आवश्यक समझे जाते हैं।

**दिल्ली राज्य भूतपूर्व सैनिक संघ की मांगें**

**7558. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली राज्य भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा हाल ही में आयोजित रैली में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई मांगो की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). एक **विवरण** संलग्न है।

**विवरण**

मांग संख्या 1—**विभिन्न तिथियों को सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों की पेंशन में असमानता।**

अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों के लिए पेंशन में असमानता का निवारण नहीं किया जा सकता क्योंकि पेंशन की संगणना के लिए संगणनीय परिलब्धियां समय-समय पर बदलती रही हैं। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदेश जारी किए गए हैं कि 31.3.1985 से पूर्व-सेवानिवृत्त सभी भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों को अतिरिक्त राहत दी जाए।

चतुर्थ वेतन आयोग ने "एक रैंक-एक पेंशन" की मांग पर विचार किया था लेकिन इससे सहमत नहीं हुआ। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

मांग संख्या 2—**58 वर्ष तक रोजगार सुनिश्चित करना।**

सशस्त्र सेनाओं की नौजवानी की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिए, रक्षा कार्मिक तुलनात्मक छोटी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। केन्द्रीय सरकार के विभागों में सेवारत रक्षा कार्मिकों को नियुक्त करके 58 वर्ष की आयु तक रोजगार सुनिश्चित करने की उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार किया गया था लेकिन इसे स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। इसके बदले में यह निर्णय किया गया कि आरक्षित पदों का पूर्ण उपयोग करने, बाद में रोजगार देने के लिए उचित कार्यों का पता लगाने एवं उचित निरीक्षण (मानीटरिंग) तथा सूचना प्रणाली के द्वारा रोजगार देने में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि स्व:रोजगार की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।

मांग संख्या 3—**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में पुन: रोजगार एवं रोस्टर प्रणाली के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाना।**

इस समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों में समूह "ग" और "घ" में 10% और 20% सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में इन्हीं श्रेणियों के लिए 14½% और 24½% तक पद आरक्षित हैं। आरक्षण के वर्तमान कोटे का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षित पदों को एक वर्ष की अवधि के लिए अग्रेनीत करने का भी प्रावधान है। आरक्षित कोटे में वृद्धि होने से यह बताया जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांगों सहित सभी श्रेणियों के लिए 50% से अधिक पदों को आरक्षित नहीं किया जा सकता। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लिए कोटा बढ़ाना व्यवहार्य नहीं है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग रोस्टर प्रणाली को आरम्भ करने पर विचार कर रहा है।

मांग संख्या 4—**भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए उनके आवास के नजदीक चिकित्सा सुविधाएं।**

भूतपूर्व सैनिक पेंशनर और उनके आश्रित सभी सैनिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवा और अन्तरंग रोगी के रूप में चिकित्सा पाने के भी पात्र हैं बशर्ते सेवारत कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् बिस्तर उपलब्ध हों। जहां तक सिविल अस्पतालों का सम्बन्ध है उनमें भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को आम जनता के समान चिकित्सा सेवा मिलती है।

मांग संख्या 5—**सरकार और पब्लिक ऐजेन्सियों द्वारा चलाई जाने वाली गृह योजनाओं में प्लाटों का आरक्षण।**

उच्चस्तरीय समिति ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% गृह-स्थलों एवं मकानों के आरक्षण की सिफारिश की है। यह राज्यों का विषय है और अधिकतर राज्यों ने आरक्षण किया है, हालांकि यह प्रतिशत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है।

**मांग संख्या 6—भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग (आई० ई० एस० एल०) एवं इसकी संलग्न यूनिटों के साथ विचार-विमर्श करके जिला सैनिक बोर्डों आदि में सचिव के रूप में नियुक्ति और राज्य की लीग के अध्यक्ष की राज्य सैनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति ।**

राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड राज्य सरकारों के संगठन हैं। जिला सैनिक बोर्डों के सचिव राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इनका चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। पुनर्वास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि चयन के साथ सहयोजित होता है। सम्बन्धित राज्य सरकार राज्य सैनिक बोर्ड का गठन करती है।

**मांग संख्या 7—सशस्त्र सेनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों की भर्ती के लिए हाईस्कूल की प्रवेश-अर्हता को हटाना ।**

सामान्य भर्ती दर की श्रेणियों (नाई, सफाईवाला जैसी अन्य अयोधी (नामांकित) श्रेणियों से सम्बन्धित कुछ ट्रेडों के अलावा) के लिए शैक्षणिक अर्हता को हाईस्कूल पास/10वीं कक्षा पास तक बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श एवं चर्चा के पश्चात ही निर्णय किया गया। यह निर्णय इन कारणों से किया गया—उन्नत हथियार प्रणाली, थल सेना का आधुनिकीकरण एवं परा-सैन्य बलों के समान भर्ती अर्हता लाना देश में शैक्षणिक मानदण्डों में सामान्य बढ़ोतरी। चूंकि 1 अप्रैल, 86 से शैक्षणिक अर्हता को बढ़ाकर हाईस्कूल कर दिया है फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती के लक्ष्यों में कोई कमी नहीं आयी है।

फिर भी उन कुछ वर्गों/क्षेत्रों को 31 मार्च, 1989 तक छूट दी गई है जहां पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

केवल भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए मांगी गई छूट देना सम्भव नहीं है।

**मांग संख्या 8—"भूतपूर्व सैनिक" की पहली परिभाषा को जारी रखना ।**

उच्चस्तरीय समिति ने "भूतपूर्व सैनिक" की परिभाषा को संशोधित किया, जिसमें उनको शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने पांच वर्ष पूरा करने के पश्चात व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के अनुरोध से सेवा छोड़ दी है लेकिन पेंशन पाने के लिए अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि को पूरा नहीं किया है। यह सिफारिश उपयुक्त पायी गई और तदनुसार सरकार ने निर्णय लिया। पुरानी परिभाषा को फिर से चलन में लाना आवश्यक नहीं समझा गया। फिर भी, नई परिभाषा केवल 1.7.1987 को या उसके पश्चात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवा मुक्त होने वालों पर ही लागू होती है।

**मांग संख्या 9—भूतपूर्व सैनिकों को दैनिक मजदूरी के स्थान पर नियमित आधार पर पुनः रोजगार पर लगाना और सैनिक सेवा को पदोन्नति एवं पेंशन के लिए गिना जाना ।**

पदों के सृजन पर लगी रोक के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार के कई विभाग और कई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भूतपूर्व सैनिकों को दैनिक मजूरी पर नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास यह देखना है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नियमित भर्ती में पदों का पूर्णतः उपयोग हो रहा है। जहां तक पदोन्नति के लिए सैनिक सेवा को गिने जाने का सम्बन्ध हैं, इसे स्वीकार

करना सम्भव नहीं पाया गया क्योंकि इससे सिविलियन संवर्गों (काडरों) में पदोन्नतियां रुक जाएंगी जिससे सिविलियनों की तरफ से समस्याएं खड़ी होंगी। पेंशन के लिए सैनिक सेवा को गिने जाने के सम्बन्ध में भूतपूर्व रक्षा कार्मिक अपने पुन: रोजगार की अवधि के दौरान पेंशन पाते हैं और पुन: नियोजित होने पर उनका वेतन निर्धारित करते समय जूनियर कमीशन अफसर/अन्य रैंक एवं समकक्ष को कुल पेंशन तथा कमीशन अफसरों की पेंशन का प्रथम 500/- रु० को नहीं गिना जाता। उच्चस्तरीय समिति ने इस पर भी विचार किया लेकिन इससे सहमत नहीं हुई।

**कर्नाटक के विधायकों को सेना जीपों का आबंटन**

**7559. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान सेना के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त कुल कितनी जीपें और मोटर साइकिलें कर्नाटक के विधायकों को आबंटित की गईं ;

(ख) इन जीपों और मोटर साइकिलों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त की गई ;

(ग) सेना के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त इन जीपों और मोटर साइकिलों को केवल विधायकों को ही आबंटित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सेना के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त इन जीपों/मोटर साइकिलों को आम जनता को आबंटित करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) और (ख). 1987 के दौरान कर्नाटक के विधायकों को कुल 71 वाहन आबंटित किए गए जिनमें 53 जीपें, 16 मोटर साइकिलें और 2 जोंगा थे। लेकिन वास्तव में 9073.00 रुपये अदा करके केवल एक जोंगा लिया गया। कोई भी जीप या मोटरसाइकिल नहीं खरीदी गई।

(ग) विधायकों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा करने के लिए और अपने मतदाताओं की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए उन्हें ये वाहन आबंटित किए जाते हैं।

(घ) विधायकों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों और शैक्षिणिक/कल्याण/परोपकारी संगठनों को भी रक्षा सेनाओं के अतिरिक्त भंडार से वाहन आबंटित किए जाते हैं।

**संयुक्त राष्ट्र कार्य-दल द्वारा गायब होने के मामलों की जानकारी भेजना**

**7560. श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवश होकर अथवा अनैच्छिक रूप से गायब होने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्य दल ने गायब होने के किन्हीं मामलों की भारत सरकार को जानकारी भेजी है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों की संख्या कितनी है और किन-किन स्थानों से गायब होने के मामलों के बारे में बताया गया है, गायब होने की तारीख और परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य-दल ने गायब होने के इन मामलों का संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की प्रस्तुत अपनी आठवीं रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कार्य-दल अथवा मानव अधिकार आयोग को कोई उत्तर भेजा है और यदि हां, तो उत्तर का ब्यौरा क्या है; और

(च) "गायब होने के मामलों" की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा गायब होने के इन मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) इस कार्यदल ने 25 नवंबर 1987, को संयुक्त राष्ट्र, जेनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि को एक पत्र भेजा जिसमें कथित रूप से विवश होकर या अनैच्छिक रूप से गायब होने के 30 मामलों से संबंधित सूचना दी गई थी। बताया जाता है कि गायब होने की कथित घटनाएं 22 मई 1987 को मेरठ में तथा इसके आसपास हुई थीं।

(ग) और (घ). जी हां। कार्यदल की आठवीं रिपोर्ट में, जिसे 31 दिसम्बर, 1987 को अन्तिम रूप दिया गया था, इस बात का उल्लेख है कि गायब होने के 30 मामले, जो बताया जाता है कि मई, 1987 में हुए थे, भारत सरकार को भेजे गए हैं।

इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि चूंकि ये मामले इतनी देर से यानी 25 नवम्बर 1987 को भेजे गए थे इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि सरकार वर्तमान रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले उत्तर न दे सकी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में समुचित जांच-पड़ताल शुरू की है।

### खाड़ी के देशों की जेलों में यातना भोग रहे भारतीय

**7561. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों की जेलों में देशवार कितने भारतीय राष्ट्रिक यातना भोग रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1987 के दौरान सरकार द्वारा केरल सरकार से ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) 31 दिसम्बर, 1987 को खाड़ी के देशों में 1198 भारतीय राष्ट्रिक जेलों में थे। उन्हें आप्रवासन कानूनों, परिवहन नियमों, रोजगार संविदाओं का उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए विभिन्न प्रकार की सजा दी गई थी जिनमें हत्या, बलात्कार और नशीले पदार्थों के गैर-कानूनी व्यापार जैसे दण्डनीय अपराध भी शामिल हैं। इन कैदियों के देशवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1987 के दौरान इन कैदियों के नजदीकी रिश्तेदारों से उन्हें छुड़ाए जाने के संबंध में 44 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जो उन्होंने या तो सीधे अथवा केरल की राज्य सरकार अथवा संसद सदस्यों के माध्यम से दिए थे।

(ग) स्थानीय कानूनों की परिधि में उन्हें मुक्त कराया जाना और जेलों में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार का प्रश्न स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। छोटे-मोटे अपराधों के मामलों में प्राधिकारियों ने सामान्यत: नर्मी दिखाई थी। दण्डनीय मामलों में उनका रुख कठोर था और स्थानीय कानूनों के अनुसार सजा सुनाई गई थी।

**विवरण**

**खाड़ी के देशों की जेलों में भारतीय राष्ट्रिक**

| क्र०सं० | देश | जेलों में बन्द लोगों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बहरीन | 136 |
| 2. | ईरान | 170 |
| 3. | इराक | 12 |
| 4. | कुवैत | 113 |
| 5. | यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य | शून्य |
| 6. | कतार | 32 |
| 7. | सऊदी अरब | 335 |
| 8. | ओमान | 10 |
| 9. | संयुक्त अरब अमीरात | 390 |
| 10. | यमन अरब गणराज्य | शून्य |
| | कुल : | 1198 |

**विदेशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध**

7562. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से राष्ट्र हैं जहाँ भारतीय राजदूतों को केवल प्रत्यापित किया जाता है ;

(ख) क्या इन देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) वे देश नीचे लिखे अनुसार हैं जहां भारतीय राजदूत मात्र प्रत्यापित हैं :— पेराग्वे, उरुग्वे, लक्समबर्ग, अल-इक्वाडोर, टोंगा, नौरू, पपुआ न्यू गिनी, वानुआतु, किरीबाती, तुवालू, सोलोमन द्वीप समूह, न्यू कैलेडोनिया, सोसायटी द्वीप समूह, कारोलिन एवं मार्शल द्वीपसमूह, टोगो, लाइबेरिया, बुर्किनो फासो, सियरा लिओन, नाइजर, बेलिज, केमैन द्वीपसमूह, माल्टा, कोमोरेस, ब्रूनी, ग्वातेमाला, अल-साल्वादोर, स्वाजीलैंड, लेसोथो, पश्चिम समोआ, बेनिन, कैमरून, छाड, आइसलैण्ड, कोस्टारिका, निकारागुआ, माली, गिनी बिसाऊ, केपवर्डी द्वीपसमूह, मारीतानिया, गैम्बिया, होली सी (द वातिकन), ग्रेनाडा (सेंट जार्ज), बारबाडोस (ब्रिजटाउन), डोमिनिका, सेंट विन्सेंट एवं द ग्रेनेडाइन्स (किंग्स्टाउन), सेंट लूसिया (कास्ट्रिज), एन्टिगुआ एवं बारबुडा (सेंट जोन), सेंट क्रिस्टोफर एवं नेविस (बास्सत्तेर), मोन्तसेरात (प्लाइमाउथ), तुर्क्स एवं कैकोस द्वीपसमूह, एंगुइला, रुआंडा, बुरूंडी, बहामास, जिबूती, कोंगो, गैबोन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, प्रिंसीप एवं साओतोम और बोलिविया ।

(ख) और (ग). ऐसे देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्धों का स्तर ऊंचा करने के मामले पर निरन्तर विचार किया जा रहा है जहां भारतीय राजदूत/हाई कमिश्नर सह-प्रत्यापित हैं । इस सम्बन्ध में भारत ने हाल ही में बोत्स्वाना, अंगोला और सेशेल्स में पूर्ण मिशन खोले हैं ।

### उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति

**7563. श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

### अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टल सुविधाएं

[हिन्दी]

**7564. श्री राम भगत पासवान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने विद्यार्थी हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में होस्टलों में उनके लिए कितने स्थान आरक्षित हैं/उन्हें कितने स्थान उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी विद्यार्थियों को होस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी राष्ट्रीय मंच**

**[अनुवाद]**

7565. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के दत्तक-ग्रहण के लिए दत्तक-ग्रहण सम्बन्धी राष्ट्रीय मंच की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का बाल दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु उपाय करने का विचार है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । फिर भी, बच्चों के दत्तक-ग्रहण के विनियमन और प्रबोधन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है और न्यायालयों में अन्तर-देशीय बाल दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 91 स्वयंसेवी एजेंसियों को मान्यता प्रदान की है ।

**घाघरा नदी का नाम बदल कर सरयू नदी करने का अनुरोध**

**[हिन्दी]**

7566. **श्री निर्मल खत्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों के नामों के महत्व को देखते हुए, चूंकि नदियां राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं, घाघरा नदी का नाम बदल कर सरयू नदी करने का कोई अनुरोध उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) इस मंत्रालय को राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**गगनचुम्बी भवनों में आग बुझाने के उपकरण**

**[अनुवाद]**

7567. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

**श्री आर०एम० भोये** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के स्वामित्वाधीन गगनचुम्बी भवनों में जहां आग बुझाने के उपकरण नहीं लगाये गये हैं, ऐसे उपकरण लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भवन उप नियम (जून, 1983) अधिसूचित होने से पूर्व निर्मित सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाले भवनों सहित और जिनमें अभी तक पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं हैं, की संख्या 179 है । दिल्ली अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के पारित होने के बाद और उसके अन्तर्गत नियमों के अधिसूचित होने के बाद इस प्रकार की गगनचुम्बी इमारतों के चूककर्ता भवन निर्माताओं/स्वामियों/दखलकारों के विरुद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर सुरक्षा उपाय करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं । अग्नि सुरक्षा उपायों को स्थापित करने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आगे कार्रवाई की जा सकती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण**

**7568. श्री डालचन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से वर्ष 1979-80 के बाद उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित सूचनाओं का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है :

(i) केन्द्रीय सरकार और गैर-सरकारी उद्यमों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से काम करने वाली फैक्टरियां;

(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार/स्थानीय शासन और गैर सरकारी उद्यमों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से काम करने वाली फैक्टरियां ;

(iii) राज्य/स्थानीय शासन और गैर सरकारी उद्यमों के अन्तर्गत संयुक्त रूप से काम करने वाली फैक्टरियां;

(ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में किए गए प्रयोग के अनुसार संयुक्त क्षेत्र (गैर सरकारी) शब्दों का स्पष्ट अर्थ क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और राज्य स्तर के वित्तीय संस्थानों की इक्विटी पूंजी को सरकारी शेयर के रूप में या गैर सरकारी शेयर के रूप में सम्मिलित किया जाता है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र (सरकारी) के बीच किन बातों का अन्तर है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ।

(ख) यदि गैर-सरकारी उद्यम का अंश 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम हो तो इसे "संयुक्त क्षेत्र (गैर-सरकारी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की इक्विटी पूंजी के अंश को, चाहे समस्त भारत स्तर पर हो अथवा राज्य पर, सरकार का अंश समझा जाता है ।

(घ) यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के स्वामित्व में अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से इक्विटी अंश 100 प्रतिशत हो तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है और इक्विटी अंश 50 प्रतिशत से अधिक परन्तु 100 प्रतिशत से कम होने के मामले में इसे "संयुक्त क्षेत्र (सरकारी)" कहा जाता है ।

**नशीले औषधों के अवैध व्यापार और आतंकवाद रोकने के लिए यूरोपीय देशों का सहयोग**

**7569. श्रीमती ऊषा चौधरी :**

**श्री चिन्तामणि जेना :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने न केवल नशीले औषधों के अवैध व्यापार का पता लगाने और उसे रोकने के लिए बल्कि इससे सम्बन्धित अपराधों, विशेषकर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यूरोपीय देशों से सहायता मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन-इन्टरपोल का स्थायी सदस्य है । परस्पर आदान प्रदान के आधार पर, यूरोपियन देशों सहित सदस्य देशों से सहयोग मांगा जाता है ।

(ख) वर्ष 1987 के दौरान, आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों सहित अपराध के 39 मामलों में यूरोपियन देशों से सहयोग मांगा गया था ।

(ग) यूरोपियन देशों की प्रतिक्रिया सामान्यत: सन्तोषजनक रही है ।

**वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा**

**7570. श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों के समान आधार पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं का पुनर्गठन**

**7571. श्री हुसैन दलवाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के पुनर्गठन करने अथवा इसके मूल स्वरूप/गठन को बदलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय सम्बन्धित सेवा संघों के परामर्श से किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) सरकार, केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं की पुनर्संरचना पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ग) और (घ). यह प्रश्न नहीं उठते ।

**सुपर कम्प्यूटर के एक्स० एम०पी०-14 का आयात**

**7572. डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से सुपर कम्प्यूटर क्रे. एक्स. एम. पी.-14 की खरीद का पुनः निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा यह सुपर कम्प्यूटर कब सप्लाई किये जाने की आशा है;

(ग) यह कम्प्यूटर किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उक्त सुपर कम्प्यूटर से कौन-कौन से मुख्य कार्य लिए जाने की आशा है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर नारायणन)** : (क) जी, हां ।

(ख) आपूर्तिकर्ता के साथ वाणिज्यिक ठेके के लिए बातचीत चल रही है ।

(ग) आरंभ में सुपर कम्प्यूटर को भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली के अहाते में लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) सुपर कम्प्यूटर से लिये जाने वाले प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

(1) मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के लिए न्यूमेरीकल मॉडलों का विकास,

(2) मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान तैयार करना (3 से 10 दिन तक अग्रिम), और

(3) स्वास्थ्य, कृषि, ठोस-अवस्था भौतिकी इत्यादि के क्षेत्रों में अनुप्रयोग ।

**विदेशी पत्रकारों के समक्ष भारत के विकास की छवि का प्रदर्शन**

**[हिन्दी]**

**7573. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पत्रकारों के समक्ष भारत के विकास की वास्तविक छवि प्रदर्शित करने की कोई योजना है ताकि वे देश की प्रगति की विदेशों में सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें ;

(ख) भारत का प्रतिवर्ष दौरा करने वाले विदेशी पत्रकारों की संख्या कितनी है; और

(ग) भारत का वर्ष 1987-88 के दौरान कितने विदेशी पत्रकारों ने दौरा किया और वे किन-किन देशों के थे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) विदेशी प्रचार-माध्यम के संगठनों और प्रतिनिधियों को भारत की घटनाओं के बारे में पक्षसार देने के नियमित प्रबन्ध हैं ताकि इस बात का सुनिश्चय हो जाए कि भारत की घटनाओं के सम्बन्ध में और भारत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के सम्बन्ध में विदेशी प्रचार माध्यम एक संतुलित चित्र प्रस्तुत कर सके ।

(ख) किसी विशिष्ट वर्ष में भारत आने वाले विदेशी पत्रकारों की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उस वर्ष विशेष में कितने अति विशिष्ट व्यक्ति भारत की यात्रा पर आए, कितने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए और कितनी विशेष घटनाओं या अवसरों की रिपोर्ट देने के लिए कितने लोग आए ।

(ग) 307 विदेशी पत्रकारों और प्रचार-माध्यम के प्रतिनिधियों की देशवार सूची संलग्न **विवरण** में दी गई है जिनमें भारत निवासी विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं जिन्होंने 1987-88 के दौरान प्रत्यायन तथा अन्य सुविधाओं के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया ।

**विवरण**

**प्रचार-माध्यम के कार्मिकों की भारत यात्रा (1987-88)**

| क्र० सं० | देश/क्षेत्र का नाम | प्रचार माध्यम के कार्मिकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अफगानिस्तान | 1 |
| 2. | अल्जीरिया | 1 |
| 3. | अर्जन्तीना | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | आस्ट्रेलिया | 6 |
| 5. | आस्ट्रिया | 1 |
| 6. | बहरीन | 1 |
| 7. | बंगला देश | 3 |
| 8. | भूटान | 2 |
| 9. | बल्गारिया | 3 |
| 10. | कनाडा | 18 |
| 11. | चीन | 1 |
| 12. | क्यूबा | 1 |
| 13. | चेकोस्लोवाकिया | 4 |
| 14. | डेन्मार्क | 6 |
| 15. | मिश्र (अरब गणराज्य) | 4 |
| 16. | फिजी द्वीप समूह | 1 |
| 17. | फिनलैण्ड | 4 |
| 18. | फ्रांस | 11 |
| 19. | जर्मनी (ज०ज०ग०) | 1 |
| 20. | जर्मनी (ज०सं०ग०) | 27 |
| 21. | घाना | 1 |
| 22. | हंगरी | 1 |
| 23. | हांगकांग | 2 |
| 24. | इंडोनेशिया | 1 |
| 25. | आयरलैण्ड | 1 |
| 26. | इटली | 7 |
| 27. | जापान | 14 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28. | कीनिया | 1 |
| 29. | कुवैत | 2 |
| 30. | मडागास्कर (मालागासी गणराज्य) | 1 |
| 31. | मारीशस | 1 |
| 32. | नेपाल | 6 |
| 33. | नीदरलैण्ड | 6 |
| 34. | नाइजीरिया | 2 |
| 35. | नार्वे | 16 |
| 36. | पाकिस्तान | 4 |
| 37. | फिलीपीन्स | 1 |
| 38. | पोलैण्ड | 1 |
| 39. | कातार | 1 |
| 40. | सऊदी अरब | 1 |
| 41. | सेनेगल | 1 |
| 42. | सिंगापुर | 1 |
| 43. | स्पेन | 1 |
| 44. | श्रीलंका | 4 |
| 45. | स्वीडन | 21 |
| 46. | स्विटजरलैण्ड | 4 |
| 47. | तंजानिया | 1 |
| 48. | संयुक्त अरब अमीरात | 1 |
| 49. | यूनाइटेड किंगडम | 59 |
| 50. | संयुक्त राज्य अमरीका | 25 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 51. | सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ | 15 |
| 52. | यूगोस्लाविया | 3 |
| 53. | जाम्बिया | 2 |
| 54. | जिम्बाब्वे | 1 |
| | जोड़ : | 307 |

**केरल स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का विस्तार**

**[अनुवाद]**

**7574. प्रो० के०वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एलूर स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के विस्तार और आधुनिकीकरण की कोई योजनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को कब तक लागू किया जायेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) एलूर में उद्योगमंडल स्थित रेअर अर्थ्स संयंत्र को आधुनिक बनाने और यूरेनियम और हीलियम निकालने की एक परियोजना पूरी हो चुकी है। रेअर अर्थ्स क्लोराइड से भारी रेअर अर्थ्स निकालने की एक परियोजना की स्थापना मूल्यवान उत्पाद तैयार करने और निर्यात करने से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस परियोजना की संस्वीकृति लागत 196 लाख रुपये है। आशा है कि यह परियोजना 1988-89 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

**अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावासों के लिए धनराशि देने सम्बन्धी मानदंड**

**7575. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों की स्थापना हेतु अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा यह व्यय किस आधार पर किया गया है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां ।

(ख) लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ रही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण हेतु राज्य सरकारों को 50:50 आधार पर अनुदान दे रही है । होस्टल में संवासियों की संख्या 100 तक होती है, जिनमें से 10 प्रतिशत स्थान, गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं । इन होस्टलों को चलाने और रख-रखाव का व्यय राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी धनराशि से पूरा किया जाता है । केन्द्रीय सहायता प्रति संवासी निर्माण की लागत सीमा दर के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :—

| आवास का प्रकार | प्रति संवासी निर्माण लागत सीमा की दर | |
|---|---|---|
| | मैदानी क्षेत्र | पहाड़ी क्षेत्र |
| केवल आवास के लिए | 9,235/- रु० | 12,380/- रु० |
| आवास और भोजन कक्ष, रसोई स्वच्छ ब्लाक, कामन रूम आदि जैसी सहायक सुविधाएं | 12,775/- रु० | 17,125/- रु० |

## विकलांगों के लिए पुनर्वास परिषद्

[हिन्दी]

7576. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के लिए पुनर्वास परिषद् की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्वास परिषद् के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) पुनर्वास परिषद् द्वारा वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या-क्या कार्य आरंभ किये गये ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) पुनर्वास परिषद् किसी भी राज्य में पुनर्वास कार्य नहीं करती क्योंकि इसका सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायियों के लिए पाठ्यक्रमों के नियमन तथा मानकीकरण से है ।

**विवरण**

पुनर्वास परिषद् पुनर्वास व्यावसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण नीतियों तथा मानकीकरण से सम्बन्धित है ।

इसके कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(1) व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना ।

(2) इन मानकों को सरकारी संस्थाओं में समानरूप से पूरे देश में नियमन करना ।

(3) योग्यता को मान्यता देना ।

(4) भारतीय योग्यताओं को विदेशों में मान्यता दिलाने के लिए पारस्परिक आधार पर विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करना ।

(5) योग्यताओं की मान्यता को वापिस लेना ।

(6) भारत और विदेश में संस्थाओं से शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित सूचना एकत्र करना ।

(7) प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं का निरीक्षण करना ।

(8) दोषी संस्थाओं से मान्यता वापिस लेना ।

(9) भारतीय पुनर्वास रजिस्टर बनाना ।

**पेंशन का भुगतान**

[अनुवाद]

7577. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष बाद भी पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) सरकार ऐसे मामले शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) और (ख). पेंशन की मंजूरी तथा भुगतान की प्रणाली विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्य करती है । पेंशन के आगे के भुगतान की व्यवस्था, पेंशनभोगी/सेवानिवृत्त कर्मचारी के विकल्प के अनुसार वेतन एवं लेखा कार्यालय, खजानों, डाकखानों अथवा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के माध्यम से की जाती है । अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, इस आशय के निदेश जनवरी, 1987 को जारी कर दिए गए थे, जिनमें अंनतिम अथवा अंतिम पेंशन तथा उपदान के भुगतान की मंजूरी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख तक सुनिश्चित करने से सम्बन्धित सरकारी आदेशों का कड़ाई से पालन किए जाने के लिए विभाग/कार्यालय अध्यक्षों को जवाबदेह बनाया गया था । सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें सेवानिवृत्ति की

तारीख को पेंशन भुगतान आदेश/उपदान भुगतान आदेश प्राप्त नहीं हुए, उन्हें ऐसे मामलों को मंत्रालय की जानकारी में लाने के लिए कहा गया था। अप्रैल, 1987 से लेकर अब तक हमारी जानकारी में ऐसे 25 मामले लाए गए हैं जिनमें से 19 मामले निपटा दिए गए हैं।

**अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति**

7578. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया और नियम में परिवर्तन करने के लिये कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण**

7579. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तीन वर्षों में स्वदेशी डिजाइन के आधार पर सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्टॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) सरकार समानान्तर संसाधन की वास्तुकला पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए स्वदेशी तकनीकी जानकारी विकसित करना चाहती है।

(ख) समानान्तर संसाधन की वास्तुकला पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों का विकास तीन वर्षों के अन्दर करने के उद्देश्य से एक उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने मध्यम रेंज में मौसम के पूर्वानुमान के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए 18 महीने के अन्दर समानान्तर संसाधन सुपर कम्प्यूटर विकसित करने की एक परियोजना शुरू की है।

**अफ्रीकी कोष**

7580. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी कोष में अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) अब तक "अफ्रीका कोष" को नकद माल के रूप में और परियोजना सहायता के रूप में 25 करोड़ 20 लाख अमरीकी डालर के

मूल्य के सहायता के वचन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 10 लाख अमरीकी डालर के बराबर राशि नकद के रूप में है। अंशदाताओं की सूची **सलग्न विवरण 1** में देखी जा सकती है।

भारत की जनता ने नकद और माल के रूप में लगभग 36 लाख रुपये का अलग से अंशदान किया है।

(ख) भारत ने तीन वर्ष की अवधि में "अफ्रीका कोष" में 50 करोड़ रुपये का अंशदान देने का वचन दिया है। **सलग्न विवरण 2** में ऐसी विचाराधीन परियोजनाओं की सूची दी गई है, जो "अफ्रीका कोष" भारत अंशदान से कार्यान्वित करेगा। इन परियोजनाओं पर अनुमानत: लगभग 36 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। "अफ्रीका कोष" के अन्य दाता इसी प्रकार प्राप्तकर्ता देश और दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन के साथ द्विपक्षीय रूप से परियोजनाओं, सप्लाई और तकनीकी सहायता में शामिल हैं।

**विवरण 1**

**अफ्रीका कोष को अंशदान के वचन**

(21 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भारत | 500 मिलियन रु० | (माल के रूप में) |
| 2. | नाइजीरिया | 15 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 3. | पेरू | 10 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 4. | अल्जीरिया | 10 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 5. | यूगोस्लाविया | 12 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 6. | अर्जेन्तीना | 3 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 7. | कांगो | 100 मिलियन सी०एफ०ए० | (माल के रूप में) |
| 8. | फ्रांस | 20 मिलियन एफ०एफ० | (माल के रूप में) |
| 9. | बारबडोस | 1 लाख बारबडोस डालर | (नकद) |
| 10. | जिबूती | 10,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 11. | इटली | 4 बिलियन लीरा | (नकद) |
| 12. | लीबिया | 10 मिलियन अमरीकी डालर | (50% नकद)<br>(50% माल के रूप में) |
| 13. | गयाना | 5000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 14. | सो०स०ग०सं० | 65 मिलियन रूबल | (माल के रूप में) |
| 15. | अफगानिस्तान | 5000 अमरीकी डालर | (नकद) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | निकारागुआ | 50,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 17. | नौरू | 10,000 आस्ट्रेलिय डालर | (नकद) |
| 18. | बंगलादेश | 10,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 19. | मारीशस | 500,000 (एम) रुपये | (नकद) |
| 20. | माल्दीव | 1,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 21. | नार्वे | 10 मिलियन एनके | (माल के रूप में) |
| 22. | उगांडा | 100,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 23. | फिलीपीन्स | 500 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 24. | पाकिस्तान | 50 मिलियन पाकिस्तानी रुपये | (माल के रूप में) |
| 25. | स्वीडन | 140 मिलियन एस०के० | (माल के रूप में) |
| 26. | साइप्रस | 100,000 अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 27. | गूनी | 100,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 28. | मिस्र | 2 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 29. | नेपाल | 25,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 30. | मलेशिया | 2 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 31. | यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य | 150,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 32. | लाओस | 7000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 33. | वियतनाम | 10,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 34. | जोर्डन | 5,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 35. | चेकोस्लोवाकिया | 5 मिलियन के०एस०सी० | (माल के रूप में) |
| 36. | रुआंडा | 5,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 37. | कैमरून | 15 मिलियन सी०एफ०ए० | (माल के रूप में) |
| 38. | बलगारिया | 1·1 मिलियन एलइवोइ | (माल के रूप में) |
| 39. | कोरिया गणराज्य | 1 मिलियन अमरीकी डालर | (माल के रूप में) |
| 40. | गिनी बिसाऊ | 5000 अमरीकी डालर | (नकद) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41. | पोलैंड | 700 मिलियन लोटिस | (माल के रूप में) |
| 42. | थाईलैंड | 20,000 अमरीकी डालर | (नकद और माल के रूप में) |
| 43. | हंगरी | 61 मिलियन फोरिन्टस | (माल के रूप में) |
| 44. | घाना | 500,000 अमरीकी डालर | (नकद) |
| 45. | कीनिया | 150,000 अमरीकी डालर | (नकद) |

## विवरण 2

## परियोजनाओं की सूची

(अफीका कोष के अन्तर्गत भारत द्वारा कार्यान्वित)

**अंगोला**

1. दवाइयों की सप्लाई
2. अंगोला की रेलवे को तकनीकी सहायता
3. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायता
4. बाइसाइकिल संयंत्र की पुनंस्थापना
5. अंगोला के छात्रों को 38 छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

**बोत्स्वाना**

1. तत्काल अपेक्षित चिकित्सा सम्बन्धी कुछ उपकरणों की सप्लाई
2. कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए संयंत्र
3. डीजल पम्प सैटों की सप्लाई और अनुरक्षण
4. इलैक्ट्रिक मोटरों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत उन्हें फिर से बांधने के लिए संयंत्र और एल०टी० डिस्ट्रिब्यूशन बोर्डों और मीटर बक्सों का निर्माण।

**मोजाम्बिक**

1. भारत से सप्लाई की गई लांचों के लिए फालतू पुर्जों की सप्लाई
2. टिकाऊ किस्म की उपभोक्ता सामग्री की सप्लाई
3. लिम्पोपो लाइन पर रेलवे संरक्षण बल के सोफ्टवेयर की सप्लाई
4. लघु कृषि उपकरण संयंत्र

*5. औषधि/मेंजज आदि की सप्लाई।

**तंजानिया**

1. 300 हल्के, मध्यम और मध्यम भारी परिवहन गाड़ियों आदि की सप्लाई।

2. बाइसाइकिल संयंत्र की पुन: स्थापना।

3. दवाइयों की सप्लाई।

**जाम्बिया**

1. जाम्बिया में जोड़ने के लिए एस० के० डी० कंडीशन में 100 रेल के डिब्बों की सप्लाई।

**जिम्बाब्वे**

1. जिम्बाब्वे की रेलों के लिए 1400 तिरपालों की सप्लाई

2. प्रक्षिप्त ऊष्मसह ईंट संयंत्र के लिए सहायता

3. मध्यम/भारी परिवहन गाड़ियों की सप्लाई।

**अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस**

1. दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की सप्लाई

*2. कपड़ों और दवाइयों की सप्लाई।

**"स्वापो"**

1. ट्रकों, रोगी-वाहनों आदि की सप्लाई।

*अफ्रीका कोष से सप्लाई की गई (भारत की जनता से अंशदान)

**नागपुर में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान**

7581. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सरकार ने देश के चार क्षेत्रों अर्थात् भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद तथा पुणे में भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इन संस्थानों

से सम्बद्ध संस्थान होंगे जो अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य की राजधानियों में स्थापित किये जाएंगे।

**नये पासपोर्ट कार्यालय**

**[हिन्दी]**

**7582. श्री हरीश रावत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औसतन कितनी जनसंख्या पर एक पासपोर्ट कार्यालय है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान कुछ राज्यों में कुछ और पासपोर्ट कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो नये पासपोर्ट कार्यालय किन-किन स्थानों पर खोले जाने की सम्भावना है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए मानदंड आबादी पर आधारित नहीं है। सरकार इस सिद्धान्त का अनुसरण करती रही है कि प्रत्येक राज्य में एक पासपोर्ट कार्यालय हो जब तक कि उस राज्य के पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की संख्या इतनी कम न हो जो उस राज्य में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का खर्च उचित न ठहरता हो।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विधि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व**

**[अनुवाद]**

**7583. श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सेन्ट्रल एजेन्सी सेक्शन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी "क" "ख" "ग" "घ" के पदों पर विशेषकर सीनियर गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट तथा एसिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट के पदों की संवर्ग-वार कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज)** : (क) केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग, विधि कार्य विभाग का एक खण्ड है। विभिन्न समूहों के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, पूरे विभाग के लिए समग्र रूप से किया जाता है न कि खण्डों और अनुभागों के लिए अलग-अलग।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

### सरकारी अस्पतालों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

7584. श्री अजय मुशरान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को केवल सैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें ऐसे कुछ क्षेत्रों में, जहां भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं, ये अस्पताल अत्यधिक दूर स्थित होने की वजह से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों को अपने अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख). भूतपूर्व सैनिक सभी सैनिक अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवा पाने के अधिकारी हैं जो सामान्यत: छावनियों में स्थित हैं। भूतपूर्व सैनिक अन्य सिविलियनों की तरह राज्य सरकारों द्वारा शासित सामान्य अस्पतालों में चिकित्सा सेवा पाने के भी हकदार हैं। राज्य सैनिक बोर्डों से प्राप्त सूचना के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को, एक निर्धारित वार्षिक आय तक, राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

### मुरादनगर आयुध फैक्टरी के कर्मचारियों से छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावों की राशि वसूल करना

[हिन्दी]

7585. श्री राम पाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुरादनगर आयुध फैक्टरी के कितने कर्मचारियों ने वर्ष 1985 से 1987 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष छुट्टी यात्रा रियायत ली;

(ख) क्या प्रशासन ने कुछ कर्मचारियों द्वारा छुट्टी रियायत के झूठे दावे करने पर उनके मासिक वेतन में से कटौती की है; और

(ग) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जांच की गई थी और कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) आयुध फैक्टरी, मुरादनगर के जिन कर्मचारियों ने वर्ष 1985 से 1987 के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया था उनकी संख्या इस प्रकार है :—

| 1985 | 1986 | 1987 |
|---|---|---|
| 473 | 348 | 251 |

(ख). नौ कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत के झूठे दावे किये थे और उनमें से सात कर्मचारियों के वेतन में से उसकी वसूली की गई।

(ग) सात कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी कर ली गई है और उन्हें दण्डित किया जा चुका है। एक कर्मचारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और एक अन्य कर्मचारी के मामले में विभागीय जांच अभी पूरी की जानी है।

**दिल्ली में गुमशुदा बच्चे**

**[अनुवाद]**

**7586. श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1987 के दौरान गुमशुदा बालकों और बालिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) पुलिस ने इनमें से कितने बच्चे ढूंढ़ निकाले हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान पुलिस ने बच्चे उठाने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं और उन पर मुकदमें चलाये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख). अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

| | वर्ष 1987 के दौरान गुमशुदा सूचित किए गए बच्चों की संख्या | ढूंढ निकाले गए बच्चों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. बालक | 2770 | 1874 |
| 2. बालिकाएं | 1099 | 774 |

(ग) बच्चे उठाने वाले सात व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। छह: पर मुकदमा चलाया गया है और एक को न्यायालय द्वारा दोष-मुक्त कर दिया गया है।

**मतदान के लिए आयु में कमी**

**7587. श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले राज्य विधान सभाओं और लोक सभा चुनावों में मतदान के लिये निर्धारित 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने के सम्बन्ध में सरकार को विभिन्न राजनैतिक दलों और मंचों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट**

**7588. श्री सी० माधव रेड्डी :**

**श्री एच०एन० नन्जे गोडा :**

**डा० गौरी शंकर राजहंस :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 22 फरवरी, 1988 को हुए बम विस्फोट की जांच पड़ताल पूर्ण कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपाय सुदृढ़ कर दिये गये हैं ।

**जन परिवहन प्रणाली के लिए उद्योग-समूह बनाना**

**7589. डा० वी० वेंकटेश** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों में जन परिवहन प्रणाली परियोजना के वित्त पोषण के लिए योजना आयोग उद्योग-समूह प्रणाली तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) और (ख). महानगरों में परिवहन सेवाएं मुहैया करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्यों/स्थानीय नगर प्रशासनों का है । तथापि, योजना आयोग परिवहन के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अपेक्षित विशाल धनराशि को ध्यान में रखकर समतुल्य (मैचिंग) आधार पर राज्यों/स्थानीय प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता देने की एक स्कीम तैयार कर रहा है । इस उद्देश्य के लिए वर्ष 1988-89 में स्थानीय नगर प्रशासनों/राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के हिस्सों और संस्थात्मक प्रबन्धों के ब्यौरे के अन्तिम रूप से तय हो जाने तक, वर्ष 1988-89 में इस प्रयोजन के लिए कुछ सांकेतिक राशि की व्यवस्था की गई है ।

**आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ में नियुक्तियां**

**7590. श्री सोमजी भाई डामर** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किये बिना और चयन समिति में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिए बिना तथा निदेशक मण्डल से पूर्व स्वीकृति लिए बिना अनेक पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक कुल कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और उनमें से अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या कितनी है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नियुक्ति**

**7591. श्री मंगलाल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 31 अक्तूबर, 1987 को अपने विज्ञापन संख्या एफ 1/468(98)87-आर III द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के लिए एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद के लिए विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिए उम्मीदवार का चयन करते हेतु 3 मार्च, 1988 को साक्षात्कार आयोजित किया था;

(घ) क्या इंटरव्यू बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित था;

(ङ) क्या सामान्य उम्मीदवार की तुलना में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के चयन के लिए मानदंडों में कोई ढील दी गई थी;

(च) क्या साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार का इस पद के लिए चयन किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी हां।

(ख) यह पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था जिसके न मिलने पर इसे अनारक्षित समझा जाना था;

(ग) चूंकि यह पद प्रारम्भिक रूप में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था, अतः संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के केवल 3 उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ). अनुसूचित जाति के जिन तीन उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था उनके कार्य निष्पादन के आधार पर उनमें से किसी को भी उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

## बिहार में प्रति व्यक्ति आय के बारे में सर्वेक्षण

**7592. डा० गौरीशंकर राजहंस :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में वर्ष 1987-88 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के बारे में सर्वेक्षण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों की तुलना में उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) :** (क) बिहार में 1987-88 के दौरान प्रति व्यक्ति आय के संबंध में सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) बिहार में 1983-84 से 1986-87 की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में कोई गिरावट नहीं आई है, जैसा कि चालू तथा स्थिर (1970-71) कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों से, जो नीचे दिए गए हैं, पता चलता है :

(रु०)

| वर्ष | 1983-84 (पी) | 1984-85 (पी) | 1985-86 (क्यू) | 1986-87 (क्यू) |
|---|---|---|---|---|
| चालू कीमतों पर | 1284 | 1418 | 1643 | 1802 |
| स्थिर (1970-71) कीमतों पर | 458 | 476 | 477 | 482 |

पी : अनंतिम क्यू : त्वरित अनुमान

निवल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में 1987 के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) त्वरित कृषि विकास पर बल, छोटे तथा सीमान्तिक किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए विशेष उपायों को अपनाने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वियन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने में काफी योगदान

मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना में कई गरीबी-उन्मूलन तथा रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय तथा उत्पादकता में वृद्धि करने वाले कार्यक्रम, भी शामिल हैं।

1988-89 के लिए बिहार का वार्षिक योजना परिव्यय 1600 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है। यह वार्षिक योजना, 1987-88 के लिये निर्धारित 1400 करोड़ रु० के संशोधित परिव्यय की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक है। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा के लिये निर्धारित परिव्यय, 1988-89 के लिए निर्धारित कुल परिव्यय के 68 प्रतिशत के बराबर है। इन क्षेत्रकों के अन्तर्गत उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनसे रोजगार तथा आय के सृजन की संभावना होती है।

**अधिक न्यूक्लीयर पावर रिएक्टर स्थापित करना**

**7593. श्री बी० तुलसीराम :**

**श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :**

**श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में और अधिक न्यूक्लीयर रिएक्टर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो रिएक्टरों को स्थापित करने के स्थानों सहित तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले रिएक्टर का ब्यौरा क्या है और इसकी क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इन रिएक्टरों को कब तक स्थापित किया जाएगा और इनमें से प्रत्येक के निर्माण पर कितना व्यय होगा और चेर्नोबिल में रिसाव की हुई घटना जैसी घटना को रोकने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर०नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). परमाणु ऊर्जा विभाग ने सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता वाले बिजलीघर लगा देने के उद्देश्य से परमाणु संबंधी कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की है।

राजस्थान में मौजूदा परमाणु बिजलीघर के विस्तार के रूप में दो अतिरिक्त यूनिट, जिनमें से प्रत्येक 235 मेगावट क्षमता का होगा, और कर्नाटक में कैगा में दो यूनिट, जिनमें से प्रत्येक 235 मेगावाट क्षमता का होगा, लगाने के लिये मंजूरी दी जा चुकी है तथा उन्हें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।

स्थल चयन समिति ने चारों विद्युत क्षेत्रों में जिनमें दक्षिणी विद्युत क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत आंध्र प्रदेश भी आता है, भी शामिल है का अध्ययन भावी परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से किया है। उस समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

भारत के दाबित भारी पानी रिएक्टरों के डिजायन चेरनोबिल संयंत्र के डिजायन से भिन्न हैं। दाबित भारी पानी रिएक्टरों के डिजायन में पर्याप्त स्वचालित संरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था है।

तथापि, चेरनोबिल में हुई दुर्घटना के बारे में उपलब्ध सभी सूचनाओं का विश्लेषण किया जा चुका है ताकि उससे समुचित सबक लिए जाएं तथा यह सुनिश्चित रखा जाए कि हमारे परमाणु बिजलीघरों का प्रचालन संरक्षित तरीके से हो।

**उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वकीलों की नियुक्ति**

**7594. श्री आर० पी० सुमन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में भारत संघ के कितने स्थायी वकील नियुक्ति किए गए हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वकीलों से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के लिए केन्द्रीय विधि अभिकरण के पेनल में उनके नाम सम्मिलित कराने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)** : (क) से (ग). उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, विधि मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में और कलकत्ता और मुम्बई उच्च न्यायालयों को छोड़कर विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत संघ के लिए नियुक्त स्थायी काउंसेलों की कुल संख्या 31 है। कलकत्ता और मुम्बई उच्च न्यायालयों में स्थायी काउंसेलों की नियुक्ति की कोई प्रणाली नहीं है।

ऐसे काउंसेलों की नियुक्ति, सम्बन्धित न्यायालय के लिए केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। चूंकि काउंसेलों का चयन, अर्हता, अनुभव, सक्षमता, कार्य, ईमानदारी और वकील के रूप में प्रतिष्ठा के आधार पर किया जाता है, न कि जाति के आधार पर इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के काउंसेलों की संख्या और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

**दिल्ली में नशीले औषधों का व्यापार**

**[हिन्दी]**

**7595. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने नशीले औषधों के व्यापार में लगे सभी गिरोहों को समाप्त करने का दावा किया है;

(ख) क्या इसके बावजूद देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली में इन नशीले औषधों का व्यापार पूरे जोर-शोर से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस ने इस व्यापार को रोकने के लिए विशेष कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान ऐसे कितने गिरोहों का सफाया किया गया और इस धन्धे में लगे कितने लोग पकड़े गये और उनसे कितनी मात्रा में नशीली औषध पकड़ी गई ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा नशीली औषधों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सभी संभव कारंवाई की जा रही है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) संदिग्धों पर निरन्तर नजर रखी जाती है और अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(घ) पिछले 3 महीनों अर्थात् जनवरी से मार्च, 1988 तक के दौरान इस सम्बन्ध में 374 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 716 किलोग्राम चरस, 29 कि०ग्रा० अफीम, 71 कि०ग्रा० गांजा, 48 कि०ग्रा० स्मैक/ हेरोईन, 19 कि०ग्रा० पोस्त के डोडे और 300 8मैंडक्स की गोलियां बरामद की गईं।

## आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के लिये योजनायें

[अनुवाद]

**7596. श्री ए० जे० वी० महेश्वर राव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई योजनायें बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी राशि दी गई ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) और (ख). जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2.75 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा अनेक योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य साक्षरता में वृद्धि, सामान्य स्वास्थ्य में सुधार, शिफ्टिग कृषकों का पुनर्वास, न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था, रियायती दर पर खाद्यान की आपूर्ति करना है। आदिवासियों का पिछड़ापन दूर करने के लिए तथा क्षेत्र विकास के अन्य कार्यक्रम हैं जो आन्ध्र प्रदेश में चालू हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश को आदिवासी विकास हेतु 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता क्रमशः 850.38 लाख रु० तथा 1063.23 लाख रु० है। 1988-89 के आबंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

### फ्रांस द्वारा पाकिस्तान को आणविक रिएक्टर की सप्लाई

**7597. श्री पी०एम० सईद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस ने पाकिस्तान को आणविक रिएक्टर सप्लाई करने के प्रस्ताव की पुनः पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान को एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र की सप्लाई करने में फ्रांस दिलचस्पी ले रहा है।

(ख) पाकिस्तान को उसके गुप्त शस्त्रोन्मुखी नाभिकीय कार्यक्रम को देखते हुए नाभिकीय प्रौद्योगिकी, सामग्री और अवयवों के हस्तान्तरण पर सरकार का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। इस बारे में अपनी आशंकाओं से सरकार ने फ्रांस की सरकार को अवगत करा दिया है।

### तृतीय विमानवाही जलपोत प्राप्त करना

**7598. श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय नौसेना के लिये तृतीय विमानवाही जलपोत प्राप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस देश से खरीदा जाएगा, इस पर कुल कितनी लागत आएगी और इस विमानवाही जलपोत को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख). 1995-2000 की योजना अवधि के दौरान समुद्र नियंत्रण पोत का देश में निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है। इस कार्य के लिए विदेशी सहयोग से जल्दी ही परिकल्पित डिजाइन अध्ययन करने का प्रस्ताव है। परिकल्पित डिजाइन अध्ययनों के पूरा होने के पश्चात् ही विमानवाही जलपोत की कुल लागत और समय-सीमा जैसे ब्यौरों का पता चलेगा।

### रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स

[हिन्दी]

**7599. श्री राम सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर जिले में रुड़की में एक इलेक्ट्रॉनिक कम्प्लेक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा इसके लिए भूमि खरीदने की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**मेडक जिले में ईड्डु मलारम में आयुध कारखाने का योगदान**

**[अनुवाद]**

**7600. श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में ईड्डु मलारम में आयुध कारखाने का आरम्भ से क्या योगदान रहा है;

(ख) इस कारखाने में भविष्य में और कौन-सी नई सम्बद्ध परियोजनाएं शुरू की जानी हैं;

(ग) क्या इस कारखाने ने अन्य देशों से सहयोग प्राप्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) आयुध फैक्टरी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के पर्याप्त अवसर देते हुए और अनुषंगी विकास को प्रोत्साहन देकर पिछड़े क्षेत्र के विकास में योगदान करेगी।

(ख) इस फैक्टरी में इन्फैन्ट्री वाहक "सारथ" के विभिन्न रूप तैयार किए जाने की योजना है।

(ग) और (घ). जी, हां। इस फैक्टरी में उत्पादन सोवियत रूस सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके किया जा रहा है। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ब्यौरे प्रकट नही किए जा सकते हैं।

**उच्च श्रेणी लिपिकों की सहायकों के रूप में पदोन्नति**

**7601. श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग की वर्ष 1981 की चयन सूची के उच्च श्रेणी लिपिकों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 2 दिसम्बर, 1987 के आदेशों के अनुसार दीर्घकालीन आधार पर सहायक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)** : (क) और (ख). कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, गृह मंत्रालय के के०स०लि० सेवा संवर्ग के 61 उच्च श्रेणी लिपिक दीर्घावधि आधार पर सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं। नियमों के

अनुसार ऐसी पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाना आवश्यक है जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्तियों की गोपनीय मिसलें मंत्रालय के संबंधित संवर्ग यूनिटों से जहां वे कार्य कर रहे हैं, एकत्र करनी होंगी। ये विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखने के लिए मांगी गई हैं। अब तक 41 उच्च श्रेणी लिपिकों की गोपनीय मिसलें उपलब्ध हो चुकी हैं और उनके मामले विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत कर दिये गए हैं।

**सिविल सेवा परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का चयन**

**7602. श्री राज कुमार राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 की सिविल सेवा की परीक्षाओं में 26 से 28 वर्ष तक की आयु वर्ग के अंतर्गत चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या तथा प्रतिशत क्या है;

(ख) वर्ष 1985 और 1986 में "प्रथम दस" स्थान प्राप्त करने वालों में 26 से 28 वर्ष तक आयु वर्ग के कितने अभ्यर्थी आये; और

(ग) वर्ष 1985 और 1986 की सिविल सेवा की परीक्षाओं में 26 से 28 वर्ष तक आयु वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शैक्षिक और सामाजिक (ग्रामीण अथवा शहरी) पृष्ठभूमिका क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) सिविल सेवाओं में वर्ष 1984, 1985 और 1986 में 26 से 28 वर्ष के आयु समूह के चुने गए उम्मीदवारों की संख्या और प्रतिशतता क्रमश: 194 (23.8 प्रतिशत) 176 (22.3 प्रतिशत) और 166 (19.4 प्रतिशत) है।

(ख) "प्रथम दस स्थानों" में स्थान पाने वाले 26 से 28 वर्ष की आयु समूह वाले उम्मीदवारों की संख्या 1985 में 2 और 1986 में शून्य है।

(ग) आयु समूह वार उम्मीदवारों की शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना, संघ लोक सेवा आयोग में नहीं रखी जाती है।

**"रैप विक्टिम बीइंग हैरेस्ड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार**

**6603. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1988 के "द सन्डे आब्जर्वर" में "रैप विक्टिम बीइंग हैरेस्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस घटना में बताया गया था कि लड़की के साथ चार व्यक्तियों ने बलात्कार किया था ।

(ग) और (घ). भारतीय दंड संहिता की धारा 376/34 के अंतर्गत 26.2.88 को पुलिस स्टेशन, कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया था । बाद में, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 को भी जोड़ा गया । सभी अभियुक्त व्यक्तियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और पीड़ित लड़की की डाक्टरी जांच कराई गई । पीड़ित लड़की तथा उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में एक कांस्टेबल को तैनात किया गया है ।

**अम्बाझरी आयुध कारखाने में छीजन की बिक्री**

**7604. श्री नारायण चौबे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन एककों और विशेषकर अम्बाझरी आयुध कारखाने में छीजन की बिक्री करने के संबंध में सरकारी नीति और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या अम्बाझरी आयुध कारखाने में एल्यूमिनियम की छीजन में लघु उद्योगों को इस आधार पर कोटा नहीं दिया है कि एल्यूमिनियम अलौह धातु है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह किसी एक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ख) और (ग). अलौह धातु के छीजन के निपटान में लघु उद्योगों के लिए आरक्षण केवल तांबा या तांबे पर आधारित धातुओं पर लागू होता है । एल्यूमिनियम छीजन पर लागू नहीं होता ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

**विवरण**

रक्षा उत्पादन एककों में छीजन सामग्रियों की बिक्री के बारे में सरकारी अनुदेश, जो कि औरों के साथ-साथ आयुध निर्माणी, अम्बाझरी पर भी लागू होते हैं, निम्नलिखित हैं :—

(क) **लौह धातु के छीजन**

लौह धातु के छीजन को इस बात के लिए सभी अन्य आयुध निर्माणियों और अन्य रक्षा एककों को भेजा जाता है कि क्या वे इसे गलाकर पुनः उपयोग करना चाहते हैं ।

आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् शेष मात्रा को संविदा या नीलामी संबंधी विज्ञापन देने के जरिए बेच दिया जाता है।

(ख) **तांबा या तांबे पर आधारित धातुओं के अलावा अलौह धातु की छीजन**

इस छीजन पर भी वही प्रणाली लागू होती है जो ऊपर लौह धातुओं के लिए बताई गई है।

(ग) **तांबे या तांबे पर आधारित धातु की छीजन**

निपटाए जाने वाली छीजन को गलाकर पुन: उपयोग करने के लिए सभी अन्य आयुध निर्माणियों और अन्य रक्षा एककों को भेजा जाता है। जिस छीजन को पुन: उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती उसकी शेष मात्रा को संविदाओं के जरिए खुले प्रकार से निपटाया जाता है। संविदाओं के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध मात्रा में से 40% सभी संविदाओं के लिए, 30% लघु उद्योगों के लिए और 30% हितकारी निर्यात एककों के लिए होती है। पंजीकृत लघु उद्योगों के लिए अधिकतम संविदा दर पर 10% की मूल्य-अधिमान्यता होती है।

2. एल्यूमीनियम छीजन उपर्युक्त श्रेणी (ख) में आती है।

**"आर्डनेंस फैक्टरी करेंसी पैकेट एपिसोड स्मैक्स आफ करप्शन" शीर्षक से समाचार**

**7605. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1988 के "नागपुर टाइम्स" में "आर्डनेंस फैक्टरी करेंसी पैकेट एपिसोड स्मैक्स आफ करप्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो एक अधिकारी की पत्नी के पास करेंसी नोट छोड़ गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (घ). एक **विवरण** संलग्न है।

**विवरण**

31 जनवरी को लगभग रात को 09.00 बजे एक व्यक्ति आयुध निर्माणी प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाझरी के फोरमैन श्री आर०एल० चक्रवर्ती के घर गया और उनसे बात की। चूंकि श्री चक्रवर्ती घर पर नहीं थे अत: वह व्यक्ति लगभग रात 10.30 बजे उनसे मिलने फिर गया। श्री चक्रवर्ती तब भी घर पर नहीं लौटे थे इसलिए वह व्यक्ति क्वार्टर में उनकी प्रतीक्षा करने के लिए रुकना चाहता था। लेकिन श्री चक्रवर्ती की पत्नी ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। तब उस व्यक्ति ने श्रीमती

चक्रवर्ती को कागज का एक पैकेट दिया और यह अनुरोध किया कि वह उसे श्री चक्रवर्ती को ही दें तथा वह व्यक्ति चला गया। जब श्री चक्रवर्ती घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें सारी बात बता दी और टेलीविजन पर रखा हुआ पैकेट दिखाया। जब श्री चक्रवर्ती ने पैकेट खोला तो देखा कि उसमें सौ-सौ रुपए के सौ नोट, अर्थात् 10,000 रुपये थे। श्री चक्रवर्ती कुछ नहीं समझ सके और उन्होंने अपनी पत्नी से उस व्यक्ति से बारे में पूछताछ की जिसने पैकेट दिया। उन्हें उस व्यक्ति की पहचान नहीं थी लेकिन उन्होंने महसूस किया कि यदि वह उस व्यक्ति को पुनः देखेंगी तो पहचान लेंगी। श्री चक्रवर्ती ने तत्काल निर्माणी के अर्दली अफसर और प्रशासनिक अफसर को टेलीफोन किया। दूसरे दिन सुबह प्रशासनिक अधिकारी ने महाप्रबंधक को इस मामले की सूचना दी।

2. 31 जनवरी, 1988 को आयुध निर्माणी प्रशिक्षण संस्थान पर ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा हुई। इस बात की संभावना को देखते हुए कि उक्त घटना का प्रवेश परीक्षा के साथ संबंध हो सकता है, महाप्रबंधक ने प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि वे आगे की तत्काल कार्रवाई के लिए "भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो" को इस मामले को सौंप दें।

3. इसी समय श्री चक्रवर्ती को उनकी पत्नी से फोन आया कि वह व्यक्ति फिर आया है और रुपयों के बारे में पूछ रहा है। वह व्यक्ति एन०आई०डी०एस०, नागपुर की आरासना मेटल कम्पनी में सुपरवाइजर श्री हीरा लाल पुरोहित थे। श्री हीरा लाल ने श्री चक्रवर्ती को बताया कि उन्होंने उनके घर में दस हजार रुपये उस सोसायटी से आवासीय प्लाट की खरीददारी के लिए छोड़े थे जिसके श्री चक्रवर्ती भी एक सदस्य थे।

4. आयुध निर्माणी अम्बाझरी में 1.2.1988 को एक गोपनीय पत्र में इस मामले को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को भेजा।

5. मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने विचार-विमर्श किया। उन्होंने आरासना मेटल कम्पनी, नागपुर के सुपरवाइजर श्री हीरा लाल और फोरमैन श्री चक्रवर्ती—दोनों से पूछताछ की। दिए गए प्रमाणों और इस बात से संतुष्ट होने पर कि श्री हीरा लाल ने श्री चक्रवर्ती के घर पर 10,000 रुपये उस आवास सोसाइटी से प्लाट खरीदने के लिए रखे थे जिसके श्री चक्रवर्ती एक सदस्य थे। 1.2.1988 को भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के सहायक पुलिस आयुक्त ने श्री हीरा लाल को स्वयं 10,000 रुपये लौटा दिये। 3.2.1988 को सहायक पुलिस आयुक्त ने तदनुसार एक पत्र द्वारा महाप्रबंधक को इससे अवगत करा दिया।

**असैनिक स्विच बोर्ड आपरेटरों को लाभ**

**7606. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय में असैनिक स्विच बोर्ड आपरेटरों के बारे में 4 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4384 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के असैनिक स्विच बोर्ड आपरेटरों को संचार मंत्रालय में टेलीफोन आपरेटरों को इस समय प्राप्त वेतन, बोनस, समयोपरि भत्ता, रात्रि भत्ता आदि जैसे लाभों के न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सशस्त्र सेनाओं में असैनिक स्विच बोर्ड आपरेटरों को उच्च वेतनमान मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि वे प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करते हैं और अवकाश के हकदार नहीं हैं तथा रात्रि में भी कार्य करते हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख). तीसरे वेतन आयोग ने संचार मंत्रालय में टेलीफोन आपरेटरों और अन्य मंत्रालयों और विभागों के अन्तर्गत कार्यरत टेलीफोन आपरेटरों के बीच समता को स्वीकार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप तीसरे वेतन आयोग ने सशस्त्र सेनाओं में असैनिक स्विच बोर्ड आपरेटरों के लिए 260-400 रुपये (चतुर्थ वेतन आयोग ने इसे बदल कर 950-1500 रु० कर दिया) के केवल एक संशोधित वेतनमान की सिफारिश की थी।

**परियोजनाओं की लागत में वृद्धि की प्रतिशतता**

**7607. श्री के० मोहनदास** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लागत में औसतन कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि लागत वृद्धि को रोक लिया गया होता तो कुल कितनी धनराशि की बचत हो सकती थी;

(ग) क्या लागत वृद्धि के प्रमुख कारणों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागत वृद्धि को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) से (घ). परियोजनाओं की लागत वृद्धि विभिन्न कारणों से होती है जैसे :— परियोजना की जेस्टेशन अवधि के दौरान निदेश लागत में वृद्धि, सरकार द्वारा लगाये गये अतिरिक्त प्रभार, विदेशी मुद्रा की समान दरों में उतार-चढ़ाव आदि। परियोजना लागत इन पहलुओं के प्रभाव के कारण एक अवधि से दूसरी अवधि में भिन्न होती है। इसलिए, विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लागत वृद्धि की औसत प्रतिशत मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है। इस मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में दिसम्बर, 1987 को समाप्त तिमाही के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 316 में से 169 परियोजनाएं शुरू होने की मूल तारीख के संदर्भ में पीछे चल रही थी, जिसमें मूल स्वीकृत लागत के संदर्भ में 21,300 करोड़ रुपये 71%) की लागत वृद्धि हुई।

(ङ) किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :—

—कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक/त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के माध्यम से परियोजनाओं का गहन प्रबोधन।

—जल्दी पूरा करने के लिये प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजना की प्रगति की सघन आवधिक समीक्षा और परियोजना प्राधिकारियों पर सतत् दबाव।

—परियोजनाओं की समस्या के समाधान और जल्दी कार्यान्वियन के लिये कृत्तिक दल/शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन ।

—विलंब को कम करने के लिये संबंधित मंत्रालयों और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर सप्लायरों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सन्निकट अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

—अन्त: मंत्रालयी समन्वय और पारस्परिक कार्रवाई ।

—वास्तविक परियोजना कार्यान्वियन योजना को तैयार करने पर बल ।

—औद्योगिक आधारी संरचना मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा परियोजना कार्यान्वियन की समीक्षा, और

—कार्यान्वियन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिये, परियोजना के पूरा होने तक और उसके बाद 2-3 वर्ष तक परियोजना अध्यक्ष की अवधि को जारी रखने के लिये निदेश जारी करना ।

## मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी केरल की परियोजनाएं

**7608. श्री वी०एस० विजयराघवन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कौन-सी प्रमुख परियोजनायें योजना आयोग के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) से (ग). केरल की कायमकुलम ताप-विद्युत परियोजना (2×210 मे० वा०) 24.3.1988 से योजना आयोग में निवेश के अनुमोदनार्थ लम्बित पड़ी हुई है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण विभाग, केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति के अभाव में तथा रेलवे और पत्तन प्राधिकरणों के साथ कोयला ढुलाई की व्यवस्था के बारे में अन्तिम निर्णय न होने के कारण लम्बित है ।

## केरल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता

**7609. श्री के० कुन्जुम्बु** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ;

(ख) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम का उनके शैक्षिक तथा सामाजिक जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार केरल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमश: 55.96 और 31.79 है।

(ख) और (ग). केरल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**प्रतिभा पलायन**

**7610. डा० ए० के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी अध्ययन से यह पता चला है कि भारत के उच्च योग्यता प्राप्त तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों में से 30 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति अमरीका, कनाडा तथा अन्य देशों को चले जाते हैं जहां वे प्राय: अध्यापन, अनुसंधान और विकास, डिजाइन और प्रबंध के कार्य में लग जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको रोकने के लिये कोई उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) 1973 से 1977 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान उत्तीर्ण हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, बंबई के बी. टेक. स्नातकों के सम्बन्ध में दिये गये एक प्रायोगिक अध्ययन से पता चला है कि जिन स्नातकों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 30 प्रतिशत अन्य देशों में जाकर बस गए हैं। विदेशों में गये अधिकांश स्नातक शिक्षण, अनुसंधान, डिजाइन और प्रबंध कार्य में लगे हुए हैं।

(ख) और (ग). अंतिम-पूर्व वर्ष के दौरान छात्रों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रबंध करने के अलावा प्रत्येक आई. आई. टी. का प्रशिक्षण और नियोजन अनुभाग उन भारतीय उद्योगों/संगठनों से निकट और निरन्तर संपर्क रखता है जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन छात्रों को न केवल रोजगार मिले बल्कि ऐसा स्थान भी मिले जहां उनकी प्रतिभा का लाभ उठाया जा सके। इन्हीं प्रयासों के तहत परिसर साक्षात्कारों के जरिये भारतीय उद्योगों/संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में छात्र चुने जाते हैं।

**सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण**

**7611. श्री अनादि चरण दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय संचालित सैनिक स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ख) चालू शैक्षिक सत्र के आरंभ में इन समस्त स्कूलों में कुल कितने छात्रों के नाम दर्ज थे;

(ग) इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या इन स्कूलों में प्रवेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) देश में 18 सैनिक स्कूल हैं ।

(ख) 30.9.1987 तक इन स्कूलों में कुल 10,312 छात्र अध्ययन कर रहे थे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों में प्रवेश को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) 10,312 छात्रों में से 1,048 अनुसूचित जातियों के हैं और 567 अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

(घ) सैनिक स्कूलों में, कुल सीटों का 15% अनुसूचित जातियों के बच्चों और 7½% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं ।

## लापता रक्षा कर्मचारी

**7612. प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय शांति सेना आप्रेशन में शामिल कोई रक्षा कर्मचारी लापता बताया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पड़ोसी देशों के साथ लापता रक्षा कर्मचारियों के फोटोग्राफों के आदान-प्रदान सहित उन्हें ढूंढने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप उनमें से किसी रक्षा कर्मचारी का पता लगाया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख). 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय शांति सेना के 13 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली है जिनमें से 9 व्यक्तियों के मारे जाने का अनुमान है। पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण तीन व्यक्तियों को लापता हुआ घोषित किया गया है और शेष एक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जांच चल रही है।

## राष्ट्रीय उपलब्धियों का विदेशी भाषाओं में प्रकाशन

**7613. प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाने तथा उनका प्रचार करने के लिये कोई विशेष प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो एशियाई यूरोपीय तथा अन्य विदेशी भाषाओं में पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं सहित विशेष प्रकाशनों के रूप में तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा अभियान चलाया जायेगा ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) से (ग). एक आधुनिक और गतिवान देश के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करने के लिए तथा भारत के राजनैतिक लचीलेपन तथा स्थायित्व के प्रति, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी राष्ट्रीय उपलब्धियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्न करती रहती है और यह प्रयत्न विदेश स्थित भारतीय मिशन भी करते हैं। इस प्रयोजन के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों द्वारा व्यापक वितरण करने के लिए अंग्रेजी, फ्रांसिस, स्पेनी, अरबी तथा जर्मन भाषाओं सहित विभिन्न विदेशी भाषाओं में उच्च स्तरीय प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। इसके अलावा

विशेष रूप से तैयार की गई वीडियो फिल्मों को भी विदेश स्थित भारतीय मिशनों के जरिए प्रचालित किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को दिखाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए श्रुव्य कैसटों, फोटोग्राफों तथा रूपक चित्रों और वृत्तचित्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है।

**ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर में निदेशक के पद पर नियुक्ति**

**7614. श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :**

**श्री एच० जी० रामुलु :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम चयन बोर्ड ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर में एक निदेशक के पद के लिए हाल ही में साक्षात्कार आयोजित किया था ;

(ख) क्या इस रिक्ति का इस आशय से व्यापक प्रचार किया गया था कि इस पद के लिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया जा सके ;

(ग) क्या बोर्ड ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को बुलाया था जिनके आवेदन सिफारिश आदि के गंभीर अरोप में मन्त्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा एकाधिक बार नामंजूर कर दिये गये थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों को नामन्जूर करने का विचार है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). जी, हां। ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी अभ्यर्थिता किसी पहले अवसर पर कतिपय कारणों से अस्वीकृत कर दी गई हो, उस पर निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार, नए सिरे से विचार किया जा सकता है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से अर्जित राशि**

**7615. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से अपने व्यय का 40 प्रतिशत प्रायोजित परियोजनाओं द्वारा अर्जित करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को धीरे-धीरे औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशालाओं में बदला जायेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) सी. एस. आई.

आर. सोसाइटी ने निर्णय किया है कि सी. एस. आइ. आर. 1992-93 तक अनुसंधान व विकास व्यय का 33.3 प्रतिशत और 1999-2000 तक 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार के कोर अनुदान के अतिरिक्त अन्य संसाधनों से अर्जित करें। प्रायोजित परियोजनाएं बाह्य उपार्जनों के साधनों में से मात्र एक साधन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**योजना सहायता का प्रति व्यक्ति आबंटन**

**7616. प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली योजना सहायता का प्रति व्यक्ति आबंटन कितना है और पांचवीं तथा छठी योजना में दी गई सहायताओं की तुलना में यह कितनी है ; और

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति योजना सहायताओं में वृद्धि करने के कोई प्रयास किए जाएंगे ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) पांचवीं योजना, छठी योजना और सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटन प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता की जानकारी देने वाला एक **विवरण** संलग्न है।

(ख) राज्यों को सातवीं योजना की पांच वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय सहायता संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर आबंटित की गई है। सातवीं योजना के शेष वर्ष के लिए आवश्यक प्रावधान, वार्षिक योजना, 1989-90 के तैयार किए जाने के समय ही विनिश्चत किया जाएगा।

**विवरण**

**पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79), छठी योजना (1980-85) के लिये राज्यों को दी गई प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता तथा सातवीं योजना (1985-90) के लिए आबंटन**

प्रति व्यक्ति (रु०)

| राज्य | पांचवी योजना (1974-79)अ | छठी योजना (1980-85)अ | सातवीं योजना (1985-90)ब |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(क) विशेष श्रेणी :** | | | |
| 1. असम | 226 | 933 | 1515 |
| 2. हिमाचल प्रदेश | 506 | 1353 | 2524 |
| 3. जम्मू तथा कश्मीर | 1092 | 2291 | 3982 |
| 4. मणिपुर | 709 | 2754 | 5196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. मेघालय | 749 | 2459 | 4360 |
| 6. नागालैंड | 1696 | 5646 | 12924 |
| 7. सिक्किम | 2200 | 6574 | 11876 |
| 8. त्रिपुरा | 422 | 1769 | 3548 |
| (ब) गैर-विशेष श्रेणी : | | | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 116 | 237 | 381 |
| 2. बिहार | 106 | 267 | 423 |
| 3. गुजरात | 101 | 257 | 415 |
| 4. हरियाणा | 149 | 290 | 388 |
| 5. कर्नाटक | 108 | 199 | 308 |
| 6. केरल | 137 | 236 | 547 |
| 7. मध्य प्रदेश | 114 | 293 | 499 |
| 8. महाराष्ट्र | 92 | 223 | 369 |
| 9. उड़ीसा | 153 | 376 | 564 |
| 10. पंजाब | 142 | 249 | 345 |
| 11. राजस्थान | 138 | 294 | 461 |
| 12. तमिलनाडू | 102 | 194 | 364 |
| 13. उत्तर प्रदेश | 133 | 290 | 471 |
| 14. पश्चिम बंगाल | 87 | 184 | 290 |

अ(1) पूर्वोत्तर परिषद् तथा (2) प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में हाथ में लिए गए राहत कार्यों के लिए दी गई सहायता शामिल नहीं है।

ब(1) सीमा क्षेत्र कार्यक्रम तथा अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (2) पूर्वोत्तर परिषद तथा (3) मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोआ, जो कि 1987-88 से पूर्व पूर्ण राज्य नहीं थे, के लिए आबंटित सहायता शामिल नहीं है।

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति आंकड़े 1971 की जनगणना के आधार पर निकाले गए हैं।

**जम्मू और काश्मीर में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी करना**

**7617. प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1987-88 सहित गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपर्युक्त क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार के पास ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए राज्यवार कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) :** (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| | औद्योगिक लाइसेंस | आशय-पत्र | पंजीकरण |
|---|---|---|---|
| जम्मू तथा कश्मीर | 4 | 10 | 30 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 22 | 57 |
| उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र | 10 | 14 | 63 |
| **असम, मेघालय तथा सिक्किम के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| असम | 2 | 3 | — |
| मेघालय | 1 | — | — |
| सिक्किम | — | — | 2 |

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**पेंशनभोगियों को यात्रा सुविधायें**

**7618. श्री आर० एम० भोये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है जैसाकि रेलवे में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## तटरक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

**7619. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के तटरक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्ष 1987-88 में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 में तटरक्षक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी सेवाओं में विस्तार करने का प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) से (ग). तटरक्षक संगठन का विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1987-88 के दौरान तटरक्षक संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के पोत/जलयान और समुद्र तटीय चौकसी के लिए विमान प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त 2 जिला मुख्यालयों को संक्रियित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तटरक्षक संगठन के लिए विभिन्न प्रकार के और पोत/जलयान तथा समुद्र तटीय चौकसी वाले विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव है। 1 जिला मुख्यालय और 2 तटरक्षक स्टेशनों को संक्रियित करने तथा कार्मिकों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है।

## कैगा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

**7620. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के कैगा नामक स्थान पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कारण कुल कितने गांव और जनसंख्या प्रभावित होगी;

(ग) इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) इस संयंत्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना से चार गांव प्रभावित होंगे जिनमें लगभग 150 परिवार बसे हुए हैं।

(ग) प्रभावित परिवारों को भूमि के अधिग्रहण तथा पुनर्वास के संबंध में दिए जाने वाले मुआवजे की राशि कर्नाटक राज्य सरकार के पास जमा करा दी गई है ताकि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को फिर से बसा सके।

(घ) आशा है कि कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिट सन् 1995 में चालू हो जाएंगे।

**इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र को क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करना**

**7621. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र को एक क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र से संबंधित नियमों में संशोधन करने के लिए, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया को शीघ्र निपटाया जा सके, क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) और (ख). इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के प्रशासनिक नियंत्रण का हस्तान्तरण इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को करने के सम्बन्ध में केरल सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग परस्पर सहमत हो गए हैं।

(ग) और (घ). इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से केरल सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग परस्पर सम्पर्क बनाये हुये हैं।

**चकमा शरणार्थी**

**7622. डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने चकमा आदिवासी भारत में शरण लिये हुए हैं;

(ख) क्या इन चकमा शरणार्थियों की वापसी के लिये बंगलादेश सरकार ने भारत के साथ बातचीत करने की कोई पहल की है;

(ग) क्या इन शरणार्थियों को बंगलादेश वापस भेजने में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) 9 फरवरी, 1988 को त्रिपुरा स्थित शिविरों में बंगलादेश के 45,782 चकमा शरणार्थी थे।

(ख) से (घ). जी नहीं। तथापि, सरकार ने अनेक अवसरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ इस आशय के साथ इस मुद्दे को उठाया है कि सरकार ऐसे आवश्यक कदम उठाए जिससे शरणार्थियों में स्वेच्छा से अपने घरों को लौटने का विश्वास आए।

**कम्पूचिया के प्रधान मंत्री और प्रिंस सिहानोक के बीच दिल्ली में वार्ता आयोजित करना**

7623. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पूचिया के प्रधानमंत्री और प्रिंस सिंहानोक के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए दिल्ली के नाम पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता कब आयोजित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) कम्पूचिया की स्थिति को हल करने के लिये वार्ता के दौरान भारत द्वारा मध्यस्थ के रूप में क्या भूमिका अदा किए जाने की सम्भावना है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) और (ख). कम्पूचिया के प्रधान मंत्री और राजकुमार सिहानुक के बीच बातचीत के दौरान इस बात का भी उल्लेख हुआ था कि भावी बातचीत दिल्ली में भी हो सकती है।

(ग) बातचीत को आगे बढ़ाने के लिये भारत सम्बन्धित पक्षों के साथ सम्पर्क बनाए हुये है ताकि कम्पूचिया के मसले का शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सके।

**प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र**

7624. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी निर्यात नीति सम्बन्धी कार्यशाला द्वारा भारत में इण्डिया इन्वेस्टमैंट सेन्टर की तरह प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर हाल ही में बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस तकनीकी जानकारी अन्तरण केन्द्र की स्थापमा के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 10 मार्च, 1988 को प्रौद्योगिकी निर्यात नीति पर एक कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला में भाग लेने वाले एक सदस्य का यह सुझाव था कि भारत पूंजीनिवेश केन्द्र जैसा एक प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र भारत में बनाया जाए।

(ख) इस समय देश में प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र के कार्य अनेक स्थापित संगठनों और अभिकरणों द्वारा किये जा रहे हैं तथा एक नया प्रौद्योगिकी अन्तरण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य (1983) में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये किये जाने वाले नये उपायों को सरकार का प्रोत्साहन और समर्थन मिलेगा।

**सिलिगुड़ी और रंगपो के बीच वाहनों को सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करना**

7625. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने सिलिगुड़ी और रंगपो के बीच आवश्यक खाद्य वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने ले जाने वाले सिक्किम राष्ट्रीयकृत यातायात के वाहनों के आवागमन के लिए सैन्य सुरक्षा और सैन्य संरक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)** : (क) से (ग). गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के आन्दोलन के बारे में सिक्किम के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क के संवेदनशील स्थानों पर सैनिक कर्मचारियों द्वारा गश्त की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सिलिगुड़ी से गैंगतोक तक व्यक्तियों तथा सामान के संचरण के लिए सैनिक संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए रक्षा मंत्री को लिखा था। 14 मार्च, 1988 को रक्षा मंत्री ने सिक्किम के मुख्य मंत्री को सूचित किया कि नागरिकों का संचरण सैनिक कान्वाइयों के संचरण के साथ किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31-क पर सैनिक कान्वाई के साथ-साथ नागरिक परिवहन की व्यवस्था करने के लिये सेना को आवश्यक अनुदेश भी दिये गये थे।

**भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा उपग्रह भू-केन्द्रों का निर्माण**

7626. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड उप भू-केन्द्रों और रक्षा तथा नागरिक उपयोगों के लिए एडवांस एप्लीकेशन और स्विचिंग सिस्टम हेतु आप्टिकल फाइबर संचार सिस्टम का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में उनका निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण एककों की स्थापना कब और कहां की जाएगी ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख). भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को रक्षा के लिये उपग्रह संचार तन्त्र की स्थापना करने के लिए मुख्य एजेन्सी के रूप में अभिकल्पित किया गया है जिसमें परिवहनीय भू-केन्द्रों की आपूर्ति शामिल है। रक्षा के लिये आप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली के निर्माण का भी एक प्रस्ताव है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड इस समय केवल रक्षा के लिये स्विचिंग प्रणाली का विनिर्माण कर रहा है। जहां तक सिविलियन स्विचिंग प्रणाली के निर्माण का सम्बन्ध है, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की मौजूदा यूनिटों में परिवहन योग्य भू-केन्द्र, आप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली और सिविलियन स्विचिंग प्रणाली का निर्माण-कार्य भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

**आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति**

7627. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति में वरीयता के नियम का पालन न किए जाने, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के वरीयता के दावे की उपेक्षा किये जाने के प्रति विरोध के रूप में आंध्र प्रदेश के वकील 14 मार्च, 1988 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भारत में किसी उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने में उनकी वरीयता की उपेक्षा नजर अंदाज किये जाने के क्या कारण हैं ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज)** : (क) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तारीख 14 से 27 मार्च, 1988 तक, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति ए० रघुवीर को मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त न किये जाने के विरोध में, हड़ताल पर थे।

(ख) तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति ए० रघुबीर को राज्य से बाहर के किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किये जाने की बारी की अनदेखी नहीं की गई है। इस बाबत विनिश्चय की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

**दिल्ली में भिखारियों की संख्या**

**[हिन्दी]**

7628. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुरुष, महिला और बच्चे भिखारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) क्या ये लोग भीख मांगने के अलावा और कोई अन्य कार्य भी करते हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) दिल्ली में भिखारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी, बम्बई भिक्षावृत्ति निवारक अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत जिसका विस्तार केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी किया गया है, 1.3.88 की स्थितिनुसार पकड़े गए भिखारियों और उन पर चलाये गये मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| पुरुष | 1161 |
| महिला | 74 |
| बच्चे | 88 |
| | 1323 |

(ख) इन भिखारियों को विभिन्न भिक्षा गृहों में, जूते बनाने, मोमबत्ती बनाने, माचिस बनाने, सिलाई, बुनाई, मुद्रण जैसे विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

**पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता**

**7629. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पड़ोसी देशों को वित्तीय सहायता, ऋण, अनुदान आदि के रूप में धन देती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इन देशों को दी गई धनराशि का देशवार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले दिये गए ऋण का इस वर्ष भुगतान कर दिया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश ने ऋण की कितनी धनराशि का भुगतान कर दिया है ; और

(ङ) कौन-कौन से देश समझौते के अनुसार भुगतान नहीं कर पाये हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी हां। वर्ष 1987-88 के दौरान अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को ऋण/अनुदान दिया था।

(ख) ब्योरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है ।

(ग) से (ङ). चालू वित्त वर्ष इस माह की पहली तारीख से ही आरम्भ हुआ है। सम्बन्धित देशों द्वारा अभी इतनी जल्दी ऋणों का भुगतान नहीं किया जा सकता था और न ही इस कारण से उन्हें अभी इसका दोषी कहा जा सकता है। फिर भी, श्रीलंका से उसे 1978 और 1987 में दिए ऋणों के पुर्नभुगतान के अंश के रूप में इस वर्ष 80 लाख रुपए की वसूली हुई है ।

**विवरण**

वर्ष 1987-88 के दौरान पड़ोसी देशों को दिए गए ऋण और सहायता दर्शाने वाला विवरण।
(संशोधित प्राक्कलन)

| क्र०सं० | देश का नाम | राशि (करोड़ रुपए में) | |
|---|---|---|---|
| | | ऋण | सहायता |
| 1. | अफगानिस्तान | — | 0.80 |
| 2. | बंगलादेश | 5.18 | 2.66 |
| 3. | भूटान | 12.27 | 63.00 |
| 4. | मालदीव | — | 3.70 |
| 5. | नेपाल | — | 13.16 |
| 6. | श्रीलंका | 3.00 | 12.00 |

## टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों से सहयोग

[अनुवाद]

**7630. श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पुशबटन टेलीफोन के निर्माण के लिए कितने उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान जिन उद्योगों ने टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस मांगे हैं उनके क्या नाम हैं ; और

(ग) टेलीफोन उपकरणों के निर्माण के लिए देश के उद्योगों के साथ किन-किन विदेशी कम्पनियों ने सहयोग करने की पेशकश की है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) वर्ष 1988 के दौरान पुशबटन टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के क्षेत्र में एक इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया है ! किन्तु वर्ष 1987 में सात इकाइयों ने पहले ही उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(ख) टेलीफोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए वर्ष 1988 में किसी भी उद्योग ने लाइसेंस की मांग नहीं की है।

(ग) टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण करने के लिये स्वदेशी उद्योगों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विदेशी पार्टियों को चुना गया है :—

1. मेसर्स सीमेन्स ए०जी०
2. मेसर्स एरिक्सन इन्फार्मेशन सिस्टम
3. मेसर्स "फेस" स्टैण्डर्ड

## मुनाबाव-खोकरापार रेल लाइन को पुन: चालू करना

**7631. श्रीमती ऊषा चौधरी** :

**श्री टी० बशीर** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दोनों देशों के बीच मुनाबाव-खोकरापार रेल लाइन को पुन: चालू करने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### नई दिल्ली में हेरोइन का पकड़ा जाना

7632. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

**श्री सुभाष यादव** :

**श्री श्रीहरि राव** :

**श्री माणिकराव होडल्य गावित** :

**श्री मानिक रेड्डी** :

**श्री सीताराम जे० गावली** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मार्च, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें नई दिल्ली में 12 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन का पकड़ा जाना बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). 15 मार्च, 1988 को पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके सूटकेस से सफेद हीरोइन के एक-एक किलोग्राम वजन के 10 पैकेट बरामद किए । उसके बताने पर उसके घर से दो कि० ग्राम और सफेद हीरोइन बरामद की गई । इस सम्बन्ध में दो मामले दर्ज किए गए हैं तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

### पाकिस्तान और चीन के बीच कथित समझौता

7633. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काराकोरम-8 नाम से जाना जाने वाला एअर ट्रेनर बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच हुए कथित समझौते की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, हां ।

(ख) ये विमान मुख्यत: प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए हैं । फिर भी, हमारे देश की रक्षा तैयारियों के लिए योजना बनाते समय पड़ोसी देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली सभी रक्षा मदों को ध्यान में रखा जाता है ।

**कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निर्णय**

7634. **श्री कमला प्रसाद सिंह** :

**श्री राम समुझावन** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चरनजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ द्वारा 21 नवम्बर, 1986 को किए गए इस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण के बारे में मार्गनिर्देश निर्धारित करने वाली एक नीति होनी चाहिए और स्थानान्तरण आदेश नियमों से अनुसार होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) और (ख). सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले में उठाए गए सभी मुद्दों की, इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जांच की है तथा वह इस निर्णय पर पहुंची है कि केन्द्रीय स्थानान्तरण नीति के निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी संवर्ग से सम्बन्धित अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों से परिचित कराने तथा विभिन्न स्थानों पर तैनाती का समान अवसर प्रदान करने, बारी-बारी से आवधिक तबादलों की आवश्यकता जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही प्रशासनिक दबावों, सुविधा, औचित्य तथा लोक हित पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर उसकी जांच करते हैं।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद में अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों के लिये परीक्षायें**

7635. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने अनुभाग अधिकारी और सहायक के पदों के लिए हाल ही में परीक्षा ली थी;

(ख) यदि हां, तो ये परीक्षायें कब और कहां आयोजित की गई थीं और कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं और ये पद भर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का परिणामों को प्रकाशित करने और पदों को शीघ्र भरने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) और (ख). जी, हां। दिनांक 22 से 24 अगस्त, 1987 तक अनुभाग अधिकारियों और सहायकों (सामान्य संवर्ग)

हेतु विभागीय और बाह्य दोनों ही तरह के प्रत्याशियों के लिए एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संलग्न विवरण के अनुसार 18 केन्द्रों पर हुई थी। इस परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली अनुभाग अधिकारियों और सहायकों की रिक्तियों की संख्या क्रमश: 40 और 104 थीं।

(ग) और (घ). उपरोक्त में से सहायकों की परीक्षा (विभागीय) का परिणाम घोषित कर दिया गया है और रिक्तियों को भरा जा रहा है। शेष परिणामों को भी शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**विवरण**

अनुभाग अधिकारियों|सहायकों (सामान्य संवर्ग) की संयुक्त परीक्षा—1987 में जहां हुई थी, उन केन्द्रों के नाम

| क्रम संख्या | केन्द्र का नाम |
|---|---|
| 1. | अहमदाबाद |
| 2. | बंगलूर |
| 3. | भोपाल |
| 4. | भुवनेश्वर |
| 5. | कलकत्ता |
| 6. | चंडीगढ़ |
| 7. | देहरादून |
| 8. | दिल्ली |
| 9. | धनबाद |
| 10. | हैदराबाद |
| 11. | जम्मू |
| 12. | जोरहाट |
| 13. | लखनऊ |
| 14. | मद्रास |
| 15. | नागपुर |
| 16. | पिलानी |
| 17. | पुणे |
| 18. | त्रिवेन्द्रम |

**मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट**

**[हिन्दी]**

**7636. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

**श्री राम धन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक ने वर्ष 1985-86 में मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना के कार्यकरण के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट में इस परियोजना के बारे में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं बताई गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये और उनका क्या परिणाम निकला ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां। भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक ने मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के बारे में वर्ष 1985-86 की एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ख) से (घ). इस रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना की समीक्षा तथा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई टिप्पणियां शामिल हैं। यह रिपोर्ट संसद को 11.12.87 को प्रस्तुत की गई थी।

**कलपक्कम में 30 किलोवाट क्षमता के परमाणु रिऐक्टर को चालू करना**

**[अनुवाद]**

**7637. श्री एच०ए० डोरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के समीप कलपक्कम में 30 किलोवाट क्षमता का एक परमाणु रिऐक्टर शीघ्र ही चालू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) और (ख). जी, हां। 30 किलोवाट क्षमता का छोटा सा अनुसंधान रिएक्टर 'कामिनी' कलपक्कम स्थित इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में बनाया जा रहा है। आशा है कि यह रिएक्टर इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाएगा। इस रिएक्टर को, जिसमें यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में काम में लाया जाएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए आवश्यक किरणित ईंधन तत्वों से संबंधित अन्वेषण करने के लिए न्यूट्रान स्रोत के रूप में काम में लाया जाएगा। चालू होने पर यह रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का एकमात्र रिएक्टर होगा।

**विशाल अंतरिक्ष "सिम्यूलेशन चैम्बर" की स्थापना**

**7638. श्री एच०ए० डोरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) उपग्रह केन्द्र द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका की कुछ फर्मों की सहायता से एक विशाल अन्तरिक्ष "सिम्यूलेशन चैम्बर" स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) और (ख). इसरो उपग्रह केन्द्र, बंगलौर में बृहत् अन्तरिक्ष अनुकार चैम्बर (एल०एस०एस०सी०) के डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, सप्लाई और उद्धर्षण और संचालन के लिए अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र (आइजेक) ने केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मैसर्स भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड (बी०एच०पी०वी०) को एक ठेका प्रदान किया है। ठेके के क्रियान्वयन के लिए बी०एच०पी०वी० द्वारा कार्य का काफी भाग स्वयं किया जाना है, तथा बी०एच०पी०वी० ने सम्पूर्ण ठेके की व्यवस्था की है। सूर्य अनुकारित्र और गति अनुकारित्र जैसी कुछ मदों के लिए बी०एच० पी०वी० ने अमरीकी फर्मों सहित कुछ विदेशी फर्मों को उप-ठेके प्रदान किए हैं।

**पेंशन के शीघ्र भुगतान हेतु कम्प्यूटरों का प्रयोग**

**7639. श्री एच०ए० डोरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशनभोगियों को पेंशन का शीघ्र भुगतान करने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) जी, हां।

(ख) कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को पेंशन की अदायगी के लिए रक्षा लेखा विभाग में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है :—

(i) थलसेना, वायुसेना और नौसेना के अफसर रैंक से नीचे के सशस्त्र सेना कार्मिकों को सैन्य पेंशन की मंजूरी।

(ii) चुनी हुई यूनिटों में रक्षा सिविलियनों को पेंशन की मंजूरी के लिए कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया गया है और अन्य यूनिटों/संघटनों में इसे क्रमिक रूप में आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(iii) थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अफसर रैंक से नीचे के सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए सैन्य पेंशन एवं निशक्तता पेंशन की मंजूरी का संशोधन एवं रक्षा सिविलियनों के लिए चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों से होने वाले पेंशन का संशोधन भी कम्प्यूटर पर ही किया गया है।

अदायगी शीघ्र करने और पेंशन भुगतान को सुचारु बनाने के लिए दो रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों में चयन के आधार पर कम्प्यूटरीकरण आरम्भ किया गया है। सभी रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों में क्रमिक रूप से इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

**भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा "आप्टो इलेक्ट्रानिक" सुविधा की स्थापना**

**7640. श्री एच०ए० डोरा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड आन्ध्र प्रदेश में मछलीपत्तनम में अत्याधुनिक "आप्टो इलेक्ट्रानिक" सुविधा स्थापित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मछलीपट्टणम स्थित अपनी मौजूदा यूनिट में आप्टो-इलेक्ट्रानिक उपस्करों के उत्पादन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा स्थापित की है।

(ख) अत्याधुनिक आप्टो-इलेक्ट्रानिक उपस्करों के निर्माण के लिए उत्पादन सुविधा में वृद्धि करने के अलावा, मछलीपट्टणम में आधुनिकीकृत सुविधा में डायमण्ड लैपिंग, पोलीयूरेथेन पोलिशिंग, एन्टी-रेफ्लेक्शन मल्टीलेयर कोटिंग और गुणता आश्वासन जैसे क्षेत्रों में कला प्रवर्धक क्षमता की सुविधा है।

**आदिवासियों को न्यायालय शुल्क देने से छूट**

[हिन्दी]

**7641. श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

**श्री आर०एम० भोये :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां पर आदिवासियों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सिविल न्यायालयों में मुकदमें दायर करने के लिए न्यायालय शुल्क देने से छूट दी गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का सभी राज्यों को आदिवासियों और निम्न आय वर्ग के लोगों के न्यायालय शुल्क से पूर्ण छूट देने की सलाह देने का विचार है ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज)** : (क) इस सम्बन्ध में पांच राज्यों और छह संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी **संलग्न विवरण** में दी गई है। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के अधीन प्रविष्टि 3, के अनुसार न्यायालय फीस (उच्चतम न्यायालय फीस को छोड़कर) राज्य का विषय है अतः आदिवासियों और

निम्न आय समूह के लोगों को न्यायालय फीस से छूट देने के सम्बन्ध में कार्रवाई करना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | स्थिति (क्या आदिवासियों और निम्न आय समूह के लोगों को सिविल न्यायालयों में वाद फाइल करने के लिए न्यायालय फीस से छूट दी गई है।) |
|---|---|---|
| 1. | सिक्किम | ऐसे निम्न आय समूह के लोगों को न्यायालय फीस से छूट दी गई है जिनकी वार्षिक आय 10,000/- रुपये तक है। |
| 2. | केरल | नहीं |
| 3. | मेघालय | नहीं |
| 4. | दिल्ली | नहीं |
| 5. | लक्षद्वीप | नहीं |
| 6. | अंदमान और निकोबार द्वीप | नहीं |
| 7. | दादरा और नागर हवेली | आदिवासियों को न्यायालय फीस से छूट दी गई है। |
| 8. | अरुणाचल प्रदेश | न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 अरुणाचल प्रदेश को लागू नहीं होता है। |
| 9. | त्रिपुरा | नहीं |
| 10. | मणिपुर | नहीं |
| 11. | चण्डीगढ़ | नहीं |

**गवाहों को दैनिक भत्ता**

**7642. श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालयों में गवाही देने के लिए पेश होने वाले व्यक्तियों को दैनिक भत्ता किन दरों पर दिया जाता है;

(ख) क्या ये दरें मध्य प्रदेश में सबसे कम हैं; और

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों से दैनिक भत्ते की दरें कम से कम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक दिन की न्यूनतम मजदूरी के बराबर निर्धारित करने का आग्रह करेगी?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज)** : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों में हाजिर होने वाले साक्षियों के लिए दैनिक भत्ते की दरें केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार साक्षियों के दैनिक भत्ते की दरें नियत करने के लिए सक्षम है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के समक्ष सभी राज्यों से यह अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है कि दैनिक भत्ते की दरें कम से कम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन कर्मकारों के लिए नियत की गई एक दिन की मजदूरी के बराबर होनी चाहिए।

## सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण

**[अनुवाद]**

**7643. श्री सोमनाथ रथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से एकक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के निर्माण की तुलना में इन एककों में कितने प्रतिशत निर्माण होता है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, उनके नाम **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1987 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 28 प्रतिशत था। शेष 72 प्रतिशत का योगदान निजी क्षेत्र की इकाइयों का था।

### विवरण

### इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां

| क्र० सं० | कम्पनी का नाम | स्थापना-स्थल |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र** | |
| 1. | सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लि० | चण्डीगढ़ |
| 2. | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० | बंगलौर तथा भोपाल |
| 3. | एच०एम०टी० लिमिटेड | बंगलौर |
| 4. | इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पो० ऑफ इण्डिया लि० | हैदराबाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० | हैदराबाद, लखनऊ |
| 6. | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० | बंगलौर, गाजियाबाद, पुणे, कोटद्वार, मछलीपटनम, टालोजा, पंचकुला, मद्रास तथा हैदराबाद |
| 7. | भारतीय टेलीफोन उद्योग | बंगलौर, राय बरेली, नैनी, मनकापुर, पालघाट, तथा श्रीनगर |
| 8. | हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० | मद्रास |
| 9. | सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि० | साहिबाबाद |
| 10. | भारत डायनामिक्स लि० | हैदराबाद |
| 11. | इन्सट्रूमेंटेशन लि० | कोटा |
| | **राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र** | |
| | **उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि०** | |
| 1. | अपट्रॉन केपेसिटर्स लि० | लखनऊ |
| 2. | अपट्रॉन कम्यूनिकेशन्स एण्ड इन्सट्रूमेंट लि० | लखनऊ |
| 3. | अपट्रॉन इण्डिया लि० | लखनऊ, इलाहाबाद, तथा जौनपुर |
| 4. | अपट्रॉन इण्डिया लि० (डिजिटल सिस्टम यूनिट) | लखनऊ |
| | **पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०** | |
| 1. | वेबेल बिजिनेस मशीन लि० | कलकत्ता |
| 2. | वेबेल कार्बन एण्ड मेटल फिल्म रेजिस्टर्स लि० | कलकत्ता |
| 3. | वेबेल क्रिस्टल्स लि० | कलकत्ता |
| 4. | वेबेल इलेक्ट्रोसेरामिक्स लि० | कलकत्ता |
| 5. | वेबेल टेलीकम्युनिकेशन्स इन्डस्ट्रीस लि० | कलकत्ता |
| 6. | वेबेल वीडियो डिवाइसेस | कलकत्ता |
| 7. | वेबेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनि० सिस्टम लि० | कलकत्ता |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास निगम लि० | कलकत्ता |
| 9. | केस्टिग हाऊस सेक्सबाई पलमैर लि० | कलकत्ता |
| 10. | इलेक्ट्रोमैडिकल एण्ड एलाईड इंडस्ट्रीस लि० | कलकत्ता |
| | **पंजाब राज्य इलेक्ट्रॉनिक तथा उत्पादन निगम लि०** | |
| 1. | पंजाब बायोमेडिकल इक्विपमेंट लि० | मोहाली |
| 2. | पंजाब कम्युनिकेशन लि० | मोहाली |
| 3. | पंजाब इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स लि० | चण्डीगढ़ |
| 4. | पंजाब पावर पैक लि० | मोहाली |
| 5. | पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लि० | मोहाली |
| 6. | इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स पंजाब लि० | चंडीगढ़ |

**राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र**

**राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा पूंजीनिवेश निगम तथा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक तथा यंत्रीकरण**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान कम्युनिकेशन्स लि० | जयपुर |
| 2. | राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्सट्रुमेंट्स लि० | जयपुर |
| 3. | राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि० | जयपुर |
| | **मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम** | |
| 1. | मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० | भोपाल |
| | **केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० | त्रिवेंद्रम |
| 2. | केल्ट्रॉन कॉम्पोनेंट कॉम्प्लेक्स लि० | केन्नानौर |
| 3. | केल्ट्रॉन कन्ट्रोल्स | त्रिवेंद्रम |
| 4. | केल्ट्रॉन काउन्टर लि० | त्रिवेंद्रम |
| 5. | केल्ट्रॉन क्रिस्टल्स लि० | केन्नानौर |
| 6. | केल्ट्रॉन इलेक्ट्रोसेरामिक्स लि० | कुट्टीपुरम |
| 7. | केल्ट्रॉन मेगनेटिक्स लि० | केन्नानौर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | केल्ट्रॉन पावर डिवाइसेस लि० | त्रिचुर |
| 9. | केल्ट्रॉन रेक्टिफायर्स लि० | त्रिचुर |
| 10. | केल्ट्रॉन रेजिस्टर्स लि० | केन्नानौर |
| 11. | केल्ट्रॉन इन्टरटेइनसेंट सिस्टम लि० | त्रिवेंद्रम |
| 12. | केल्ट्रॉन फेराइट्स प्रा० लि० | क्विलोन |
| 13. | केल्ट्रॉन प्रोजेक्टर्स लि० | त्रिवेंद्रम |
| | **कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | केयोनिक्स वीडियो लि० | बंगलौर |
| 2. | एन०जी०ई०एफ० लि० | बंगलौर |
| | **महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लि०** | |
| 1. | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लि० (रेडियो संचार प्रभाग) | नागपुर |
| 2. | मेल्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स लि० | नासिक |
| | **गोवा इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि०** | |
| 1. | गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि० | मापूसा |
| 2. | गोवा टेलीकम्युनिकेशन एण्ड सिस्टम लि० | गोवा |
| | **गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक लि०** | |
| 1. | गुजरात कम्युनिकेशन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक लि० | बड़ौदा |
| 2. | गुजरात ट्रॉंसरेसीवर्स लि० | हलोल |
| | **उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | इपीट्रोन टाइम्स लि० | भुवनेश्वर |
| 2. | कोणार्क टेलीविजन लि० | भुवनेश्वर |
| | **राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र** | |
| | **बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि० | पटना |
| | **आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० | हैदराबाद |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | हैदराबाद अल्विन लि० | हैदराबाद |
| 3. | मरीन एण्ड कम्युनिकेशन इले० (इंडिया) लि० | विशाखापटनम |
| | **हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०** | |
| 1. | हरियाणा टेलीविजन लि० | फरीदाबाद |
| | **तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि०** | |
| 1. | तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिकी निगम लि० | मद्रास |

**आई०आर०एस० 1 ए० (सुदूर संवेदन उपग्रह 1-ए०)**

7644. **श्री सोमनाथ रथ :**

**श्री विजय एन० पाटिल :**

**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :**

**श्री राधाकांत डिगाल :**

**श्री अमर सिंह राठवा :**

**श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस० 1 ए०) सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है;

(ख) यह राष्ट्रीय विकास के किन-किन क्षेत्रों में स्त्रोत सृजन सम्बन्धी सूचनायें देने में सहायक होगा;

(ग) सुदूर संवेदन उपग्रह-1 ए० का संभावित जीवन-काल कितना है;

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आई है और इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए सोवियत संघ को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने इसके उपयोग के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कृषि, भूविज्ञान, जलविज्ञान, तटीय क्षेत्रों, वानिकी, शहरी आयोजना, भूमि उपयोग आयोजना इत्यादि जैसे राष्ट्रीय विकास के क्षेत्रों में स्त्रोत सृजन सम्बन्धी सूचनाएं देने में सहायक होगा।

(ग) आई०आर०एस० 1 ए० की संभावित कालावधि लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्ष है।

(घ) दो उड़ान मॉडल उपग्रहों तथा सहायक सुविधाओं/अवसंरचना सहित आई०आर०एस० परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 62.30 करोड़ रुपए है। प्रमोचन तथा सहायक सेवाओं की लागत 7.50 करोड़ रुपये है।

(ङ) जी, हां। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन०एन०आर०एम०एस०) के अन्तर्गत परिकल्पित समेकित उपागम के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए संसाधन प्रबन्ध के चुने हुए मुख्य उपयोग क्षेत्रों में आई०आर०एस०1०ए० के आंकड़ा उत्पादों के प्रभावी प्रयोग के लिए एक व्यापक उपयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। एन०एन०आर०एम०एस० के लिए एक व्यापक आंकड़ा आधार प्रदान करने के लिए और कृषि, जलविज्ञान तथा भूविज्ञान के उपयोग क्षेत्रों में आई०आर०एस० आंकड़ों के प्रभावी उपयोग के लिए एक आई०आर०एस० उपयोग परियोजना (आई०आई०एस०—उ०प०) की स्थापना की गई है। इनके अलावा, भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, भारत सरकार के विविध विभागों और अन्य संस्थानों द्वारा प्रदत्त निधि से, प्रादेशिक सुदूर संवेदन सेवा केन्द्रों (आर०आर०एस०एस०सी०) की स्थापना की जा रही है। विविध राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के विभागों ने भी सुदूर संवेदन केन्द्रों/यूनिटों/सैलों की स्थापना की है, जिनमें से अधिकांश पूर्णतया प्रचालनात्मक हैं और सुदूर संवेदन आंकड़ों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं।

## जानवरों की खाल का निर्यात करने वाला गिरोह

7645. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जानवरों की खाल का निर्यात करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस गिरोह की कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) जानवरों की खाल के निर्यात का अवैध व्यापार रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) थाना सीलमपुर के क्षेत्राधिकार में जाफराबाद में एक मकान पर छापा मारने पर जंगली जानवरों जैसे सियारों, जंगली बिल्लियों, बाघों, चीतों, भेड़ियों और सांपों आदि की हजारों खालें बरामद की गई हैं।

(ग) परिसरों में खालों का शोधन करने और उनको तैयार करने में लगे तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। चौथा अभियुक्त फरार है। उनके विरुद्ध वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 49 तथा 498 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) पुलिस सतर्क रहती है। जब कभी इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

### "इजरायल सौट इंडियाज हैल्प टू बाम्ब काहूटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

**7646. श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1988 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "इजरायल सौट इंडियाज हैल्प टू बाम्ब काहूटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या इजरायल ने पाकिस्तान के विरुद्ध सहयोग करने का कोई प्रस्ताव रखा था;

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया/निर्णय सहित उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इजरायल को एकत्रित गुप्त जानकारी के आदान-प्रदान का कोई प्रस्ताव किया था ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). समाचार पत्रों की यह खबर पूरी तरह से झूठी और शरारतपूर्ण है और इस मंत्रालय का अधिकारिक प्रवक्ता इसका औपचारिक रूप से खण्डन कर चुका है। इजरायल के साथ भारत के कोई राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं और वहां की सरकार के साथ किसी भी विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है।

### केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की संख्या में वृद्धि

**7647. श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल की बटालियनों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : वर्ष 1985 में, सरकार द्वारा 12 अतिरिक्त बटालियनें (एक महिला बटालियन सहित) स्वीकृत की गयी थीं और ये बटालियनें 1986 में संचालन में आयीं। जनवरी 1988 में सरकार द्वारा 10 अन्य बटालियनें स्वीकृत की गयी थी जिनमें से तीन बटालियनें 1987-88 में गठित की जा रही हैं और शेष सात बटालियनें 1988-89 में गठित की जाएगीं।

**सीमा सुरक्षा बलों का सेना में विलय करना**

**7648. श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान सीमा सुरक्षा बलों पर कितना व्यय किया गया था ; और

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बलों का सेना में विलय करने का कोई प्रस्ताव है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम**, : (क) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

**विवरण**

**सीमा सुरक्षा बलों पर किया गया व्यय**

| वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) | सीमा सुरक्षा बल | भा० तिब्बत सीमा पुलिस |
|---|---|---|
| 1985 | 193,18,25,330 रु० | 32,36,92,000 रुपए |
| 1986 | 248,10,34,005 रु० | 38,49,45,000 रुपए |
| 1987 | 356,20,77,000 रु० | 53,00,16,000 रुपए |

**उत्तर बिहार के लिये समेकित जल निकासी योजना की स्वीकृति**

**7649. श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनुरोध पर उत्तर बिहार के लिये एक समेकित जल निकासी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की क्रियान्विति के लिए धनराशि की व्यवस्था किस प्रकार करने का विचार है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों के वित्तीय भार में कमी करने के लिये विदेशी सहायता हेतु योजना प्रस्तुत की जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) योजना आयोग के कहने पर, उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी परियोजनाओं के सिंचाई कमान क्षेत्रों से जल-निकास की स्कीमों से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित स्कीम राज्य की योजना के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही परियोजनाओं का भाग है । तदनुसार, इसका वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है । इस स्कीम को विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत करने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है ।

**उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपति/उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किये गये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश**

**7650. डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को पदोन्नत करके उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया गया है ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)** : जनवरी, 1983 से आज तक, कलकत्ता उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के 3 अन्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में नियुक्त/स्थानान्तरित किया गया है।

**आतंकवादियों को धन जुटाने हेतु नशीली औषधों का अवैध व्यापार**

**7651. श्री सुभाष यादव** :

**श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

**श्री प्रकाश चंद्र** :

**श्री श्रीहरि राव** :

**श्री टी० बशीर** :

**श्री मानिक राव होडल्य गावित** :

**श्री मानिक रेड्डी** :

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1988 के "न्यू वेव" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक विद्रोही ग्रुपों ने आतंकवादी गतिविधियों हेतु धन जुटाने के लिए नशीली औषधों के अवैध व्यापार को साधन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ऐसी कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं जिनसे यह स्पष्ट होता हो कि उत्तर-पूर्व में विद्रोही ग्रुप अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन-व्यवस्था करने हेतु देश में स्वापक औषधों की सुसंगठित तस्करी में अन्तर्ग्रस्त हैं ।

(ग) औषधों की अवैध बिक्री-विरोधी तंत्र संवेदनशील क्षेत्रों में औषधों की अवैध बिक्री को रोकने और इसका पता लगाने के लिए सतर्क रहता है । औषधों की अवैध बिक्री को रोकने के उपायों को और सुदृढ़ करते हेतु गृह सचिव द्वारा हाल में बैठक की गई थी । सरकार ने एसीटिक एन-हाइड्राइड को केन्द्रीय अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया है । सीमावर्ती क्षेत्रों

में असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को प्रभावी ढंग से पुन: तैनात करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेष दल गठित किया गया है। देश में औषधों की अवैध बिक्री को रोकने और पता लगाने में सभी सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा निकट का समन्वय रखा जाता है।

**सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की सेवा का अधिवर्षिता के बाद बढ़ाया जाना**

**7652. श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

**श्री प्रकाश चन्द्र :**

**श्री नारायण चौबे :**

**श्री श्रीहरि राव :**

**श्री माणिक राव होडल्य गावित :**

**श्री मानिक रेड्डी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की सेवा अधिवर्षिता के बाद भी बढ़ाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 और 1988 में किन-किन सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की सेवा अधिवर्षिता के बाद बढ़ाई गई और उसके क्या कारण हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के केवल छह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अधिवर्षिता के बाद सेवाकाल में वृद्धि की गई है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम निम्नानुसार हैं :—

**1987**

(1) भारतीय इस्पात प्राधिकरण

(2) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ।

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ।

(4) भारतीय पटसन निगम ।

**1988**

(1) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ।

(2) भारतीय रेल निर्माण कम्पनी लिमिटेड ।

सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अधिवर्षिता के बाद सेवाकाल में वृद्धि बहुत ही आपवादिक मामलों और लोक हित में दी जाती है।

## उत्तर प्रदेश में मथुरा में लोक अदालतें लगाना

[हिन्दी]

**7653. श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 के दौरान कितनी लोक अदालतें लगाई गई हैं और उनमें कितने मामले निपटाये गए हैं ;

(ख) मथुरा जिले में कितनी लोक अदालतें लगाई गई हैं और उनमें कितने मामले निपटाये गए हैं ; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी लोक अदालतें लगायें जाने की संभावना है ?

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज)** : (क) विधि सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश में विधिक सहायता शिविरों सहित कुल मिलाकर 131 लोक अदालतें आयोजित की गयी थीं जिनमें 1,48,378 मामले निपटाए गए।

(ख) मथुरा जिले में तीन लोक अदालतों और पांच विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया गया और 4180 मामले निपटाए गए।

(ग) लोक अदालतों का आयोजन क्योंकि, उत्तर प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा नहीं बल्कि जिला विधिक सहायता समितियों द्वारा किया जाता है, इसलिये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों के सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

## इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन

[अनुवाद]

**7654. प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितना इलैक्ट्रॉनिकी उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ग) वर्ष 1988-89 में उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महा सागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में कुल 5285 करोड़ रु० मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की विभिन्न योजनागत परियोजनाओं के लिए वर्ष 1988-89 में 120 करोड़ रु० की राशि आबंटित की गई है।

(ग) 1988-89 के दौरान विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य 7085 करोड़ रु० रखा गया है। वस्तुवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**वर्ष 1988-89 में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य**

(करोड़ रु० में)

| क्रम सं० | | वस्तु | 1988-89 के लिए लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. | | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी | 2445 |
| 2. | | नियंत्रण, यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी | 1000 |
| 3. | | व्यावसायिक उपस्कर | 1600 |
| | (i) | संचार तथा प्रसारण | 1200 |
| | (ii) | वायु-आकाश तथा प्रतिरक्षा | 400 |
| 4. | | कम्प्यूटर प्रणालियां | 720 |
| | — | कम्प्यूटर प्रणालियां (माइक्रो प्रोसेसर प्रणालियां सहित) | 600 |
| | — | सॉफ्टवेयर (निर्यात के लिए) | 120 |
| 5. | | संघटक-पुर्जे | 1100 |
| 6. | | मुक्त व्यापार क्षेत्र | 220 |
| | | योग | 7085 |

**उड़ीसा में आदिवासी विकास योजना**

7655. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न आदिवासी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ नीतियों का सुझाव दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कितने लोग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उड़ीसा के अनुसूचित जनजाति के परिवारों को दी जा रही आर्थिक सहायता का लक्ष्य तथा निष्पादन नीचे दिया गया है :—

| वर्ष/अवधि | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 7वीं योजना | 5,15,000 | —— |
| 1985-86 | 1,00,000 | 1,13,299 |
| 1986-87 | 1,00,000 | 1,43,000 |
| 1987-88 | 1,00,000 | 1,27,816<br>(फरवरी, 1988 तक) |

**मुख्य सतर्कता अधिकारियों का सम्मेलन**

7656. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1988 को मद्रास में दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य सतर्कता अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों, विशेषरूप से जनता से सम्पर्क में आने वाले पदों पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, हां।

(ख) भ्रष्ट, बेईमान तथा ऐसे अधिकारी जिनका आचरण निष्कपट नहीं था, उनसे कड़ाई से निपटने के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का प्रभावशाली ढंग से अनुसरण किए जाने की आवश्यकता पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर बल दिया गया था।

(ग) और (घ). सरकारी कर्मचारियों विशेष रूप से जिनका जनता से वास्ता पड़ता है, द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने को रोकने के लिए वर्ष 1988-89 के लिए एक त्रिसूत्री कार्य योजना अर्थात् (i) निवारक (ii) निगरानी और सुरागरसानी तथा (iii) निवारक दण्डात्मक कार्रवाई पर आधारित एक योजना बनाई गई है।

**1987-88 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

7657. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कितने कार्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, इन पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में कितने

अधिकारियों को नामनिर्देशित किया गया था तथा उनमें से कितने अधिकारियों ने इनमें वास्तव में भाग लिया;

(ख) क्या इन पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को बीच में छोड़कर चले जाने वालों का अनुपात 1/3 दर्ज किया गया था;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए विदेशी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलाये जाने का विचार है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) 1987-88 के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए चार सप्ताह की अवधि के 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक सप्ताह की अवधि के 91 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल पात्र अधिकारियों की संख्या 3321 थी जिनमें से 3138 (94.5 प्रतिशत) ने भाग लिया।

(ख) इन पाठ्यक्रमों को बीच में ही छोड़ने वालों का अनुपात विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग-अलग था। 1987-88 में प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों का कुल प्रतिशत 94.5 था जैसा कि ऊपर (क) में दर्शाया गया है।

(ग) पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ कर जाने वाले अधिकारियों को समायोजित करने के उद्देश्य से 1987-88 में एक सप्ताह की अवधि के 8 अतिरिक्त पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे। 17-20 वर्षों की सेवा वाले जो अधिकारी वरिष्ठता के इस प्रवर्ग से बाहर जाने से पूर्व 4 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं उनके मामले में यह निर्धारित कर दिया गया है कि उनके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग न लेने से अपर सचिव के पैनल में उनका नाम शामिल करने पर विचार करते समय प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) जी, नहीं।

**उत्तर प्रदेश में आदिवासी कल्याण योजनाओं की पुनरीक्षा**

**[हिन्दी]**

7658. **श्री हरीश रावत** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन आदिवासी कल्याण योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और पुनरीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) और (ख). जी, हां। कल्याण मंत्रालय तथा योजना आयोग ने, वर्ष 1988-89 की वार्षिक आदिवासी उपयोजना की परिचर्चाओं के समय इन योजनाओं की समीक्षा की थी। परिणामत:, राज्य सरकार को, आदिवासी क्षेत्रों में कृषि, मात्स्यिकी, पशुपालन तथा शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। राज्य में आदिवासियों की संख्या तथा क्षेत्र की लघुता के कारण, राज्य सरकार को उनके विकास के लिए होलिस्टिक ऍप्रोच अपनाने के लिए भी कहा गया है।

(ग) राज्य की आदिवासी उप योजना, 1988-89 में मुख्यत: जो 6 कार्यक्रम हैं वे परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र विकास, शिक्षा, न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी अवसंरचनात्मक विकास, ऋण व विपणन और मानव संसाधनों का विकास है। आदिवासी उपयोजना की समीक्षा के बाद, राज्य सरकार ने, आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित अवसंरचनाओं के उपयोग को उनके शैक्षिक विकास के लिए विशेष बल देना मान लिया है। राज्य सरकार ने उन 37 गांवों में पट्टा देना भी मान लिया है, जहां मात्स्यिकी क्षेत्र की योजनाएं लागू करने के लिए, अभी तक पट्टे नहीं दिए गए थे। राज्य सरकार ने गोंड क्षेत्र में कृषि विकास की वैकल्पिक नीति तैयार करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने होलिस्टिक ऍप्रोच का विचार अपनाने का अनुमोदन करके आगामी वर्षों में आदिवासी उपयोजना के लिए अधिक राशि देने का आश्वासन भी दिया है।

**उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग**

**7659. श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं और इनमें से प्रत्येक स्थान पर किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें प्रतिवर्ष कुल कितने मूल्य के सामान का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को लाइसेंस प्रदान किया गया है, उनके नाम **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं। इस सूची में इन स्थानों पर विनिर्माण की जाने वाली वस्तुओं के विवरण भी दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1987 के दौरान उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिकी का उत्पादन लगभग 675 करोड़ रु० का हुआ।

(ग) औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार जो एक मात्र वित्तीय सहायता देती है, वह पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार/वित्तीय संस्थाओं के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के रूप में है।

विवरण

| क्रम सं० | जिले का नाम | वस्तु का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आगरा | इलेक्ट्रॉनिक तोल पैमाना, कैश रजिस्टर तथा मुद्रित परिपथ बोर्ड |
| 2. | इलाहाबाद | सार्वजनिक टेलीफोन |
| 3. | अल्मोड़ा | इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ट्यूनर |
| 4. | नैनीताल | टेलीविजन रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, श्रव्य टेप, वीडियो टेप, कम्प्यूटर टेप, फलापी डिस्क, मुद्रित परिपथ बोर्ड, सिलिकन वेफर, सिलिकन सिल्ली, श्रव्य केसेट (रिक्त) तथा वीडियो केसेट (रिक्त) |
| 5. | बुलन्दशहर | कम्प्यूटर चुम्बकीय टेप, वीडियो कैसेट (रिक्त), श्रव्य चुम्बकीय टेप, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, तथा रंगीन दूरदर्शन विक्षेपण काम्पोनेंट |
| 6. | दादरी | श्याम तथा श्वेत और रंगीन टेलीविजन रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक गन, प्लेन पेपर कापीयर, मिनी कम्प्यूटर/माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित प्रणालियां, वर्ड प्रोसेसर, डॉट मेट्रिक्स मुद्रक, डेटा डिस्प्ले मानीटर, इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज, टेलीफोन, मोडेर, श्याम तथा श्वेत और रंगीन पिक्चर ट्यूब (12 इंची आकार की), सेमीकंडक्टर युक्तियां चुम्बकीय टेप, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, रंगीन दूरदर्शन के लिए विक्षेपण काम्पोनेंट, माइक्रो मोटर, हलोजन लैम्प, रंगीन दूरदर्शन के लिए ग्लास, शैल, तथा श्रव्य तथा वीडियो कैसेट |
| 7. | देहरादून | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लेन पेपर कापियर, मिनी कंप्यूटर डॉट मेट्रिक्स मुद्रक, टर्मिनल, फलापी डिस्क प्रणोद (ड्राइव), त्रुटि संशोधक, मल्टीप्लेक्सर, टेलीफोन, श्याम तथा श्वेत और रंगीन पिक्चर ट्यूब, सिलिकन डायोड, विभवमापी, केपेसिटर (संधारित्र), इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर, चुम्बकीय टेप, फलापी डिस्क, रंगीन दूरदर्शन के लिए ट्यूनर, विक्षेपण काम्पोनेंट, चुम्बकीय शीर्ष, माइक्रो (सूक्ष्म) मोटर, मुद्रित परिपथ बोर्ड, टेलीफोन काम्पोनेंट, तथा श्रव्य तथा वीडियो कैसेट। |
| 8. | फतेहपुर | कार्बन लीक विभवमापी तथा प्रिसेट। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | गढ़वाल | श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूब, अंकीय/पी सी एम मल्टीप्लेक्स उपस्कर, प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, मुद्रित परिपथ बोर्ड तथा बहिर्वेधित और आबन्ध रिबन केबल । |
| 10. | गाजियाबाद | श्याम तथा श्वेत और रंगीन दूरदर्शन रिसीवर, अलार्म टाइम पीसेज, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण, लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां, शब्द संसाधक, कम्प्यूटर मुद्रक, सी आर टी आंकड़ा प्रदर्श मॉनिटर, विनचेस्टर डिस्क ड्राइव्स, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर तथा अन्य संचार उपस्कर सूक्ष्म तरंग एल ओ एस ऐंटीना रेडार तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार उपस्कर, चक्रवात चेतावनी/हवाई अड्डा चौकसी, श्याम-श्वेत तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबें, सी आर टी, विभवमापी, कैपेसिटर (संधारित्र), चुम्बकीय टेप, फलॉपी डिस्क यांत्रिक समस्वरित्र (ट्यूनर), दूरदर्शन विक्षेपण संघटक-पुर्जे, चुम्बकीय शीर्ष, सूक्ष्म मोहरें, मुद्रित परिपथ बोर्ड तथा श्रव्य एवं दृश्य कैसेट |
| 11. | गोंडा | इलेक्ट्रॉनिक अंकीय स्विचन उपस्कर, संकर, क्वायल (कुंडली)/ट्रांसफार्मर, अनुयोजक, रिले तथा मुद्रित परिपथ बोर्ड |
| 12. | गोरखपुर | रेडियो (ए एम/एफ एम), टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड प्लेयर, प्रवर्धन (ऐम्प्लीफायर), श्याम-श्वेत तथा रंगीन दूरदर्शन रिसीवर, सी सी टी वी |
| 13. | जौनपुर | डी सी (प्रत्यक्ष धारा) सूक्ष्म मोहर |
| 14. | कानपुर | शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण, अधस्त्वक (हाइपोडर्मिक) परित्यजनीय सुइयां, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर तथा मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूबें |
| 15. | काशीपुर | वीडियो चुम्बकीय टेप, फलॉपी डिस्केट्स तथा वीडियो कैसेटें |
| 16. | कोशी कलॉ | श्याम-श्वेत तथा रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें तथा दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों में प्रयोग की जाने वाली ग्लास शेलें |
| 17. | लखनऊ | श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लघु कम्प्यूटर, कम्प्यूटर मुद्रक, फलॉपी डिस्क ड्राइव, आंकड़ा लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज, दुतरफा रेडियो संचार प्रणालियां, पेजिंग प्रणालियां, मोडेम, मुद्रक परिपथ बोर्ड, एकल तथा बहु अभिगामी संचार प्रणालियां और टर्नकी उपस्कर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 18. | मथुरा | प्रकाश-वोल्टीय माड्यूल, कम्प्यूटर चुम्बकीय टेप, फलॉपी डिकेट तथा सी आर टी के लिए ग्लास बल्ब |
| 19. | मेरठ | प्रतिदर्श उपस्कर तथा सिरेमिक चिप कैपेसिटर |
| 20. | मोहन लाल गंज | रंगीन दूरदर्शन रिसीवर तथा रंगीन दूरदर्शन में प्रयोग किए जाने वाले लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर |
| 21. | नैनीताल | रंगीन दूरदर्शन रिसीवर, इलेक्ट्रॉन गन, तार रहित टेलीफोन, प्रतिदर्श उपस्कर, श्याम-श्वेत तथा रंगीन पिक्चर ट्यूबें, संकर एकीकृत परिपथ, विभवमापी, सिरेमिक कैपेसिटर, रजत-लेपित माइक्रो कैपेसिटर, रिले, स्विचें, वीडियो/कम्प्यूटर टेप, श्रव्य/दृश्य/कम्प्यूटर टेप, ज्योतिर्मयता डिले लाइन, रंगीन दूरदर्शन समस्वरित्र, विक्षेपण संघटक-पुर्जे, टेप डेक तंत्र, मुद्रित परिपथ बोर्डे, दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों में प्रयोग की जाने वाली ग्लास शेल, स्पीकर के पेपर कोन, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड लेमिनेट तथा श्रव्य एवं दृश्य-कैसेट्स |
| 22. | राय बरेली | जेली भरे हुए दूरसंचार केबल |
| 23. | रामपुर | लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (एम पी) पर आधारित प्रणालियां |
| 24. | सहारनपुर | सौर प्रणालियां तथा रेग्युलेटर/कंवर्टर/इंवर्टर/चार्जर |
| 25. | सूरजपुर | मुद्रित परिपथ बोर्ड |

## दूसरा भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह

**[अनुवाद]**

**7660. श्रीमती ऊषा चौधरी :**

**श्री टी० बशीर :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ने की श्रृंखला में भारत एक और सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस वर्ष और कहां से छोड़ा जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) और (ख). आई०आर०एस० 1 ए० की अनुमानित कालावधि $2\frac{1}{2}$ वर्ष के लगभग है। आई०आर०एस० 1 बी०

को लगभग 1990 के समय-ढांचें में प्राप्त प्रमोचक द्वारा छोड़ने के लिए अध्ययन और विचार-विमर्श किया जा रहा है। आई०आर०एस० 1 बी० में निरन्तरता प्रदान करने के लिए, आई०आर०एस० 1 ए० के अधिकांश जरूरी लक्षण मौजूद होंगे।

**डोर्नियर विमान का निर्माण**

**7661. श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डोर्नियर 228 की लागत बढ़ने और मांग घटने को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण के सम्बन्ध में पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय में बिलों/दावों पर मंजूरी**

**7662. श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालयों में अगस्त, 1987 के पश्चात् प्राप्त कितने बिल/दावें अभी तक लम्बित पड़े हैं; और

(ख) रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय की नई दिल्ली में स्थापना करके बिलों/दावों के निपटान में विलम्ब को किस सीमा तक समाप्त किया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय में 1.8.1987 से 29.2.1988 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए बिलों/दावों का निपटान कर लिया गया है।

(ख) रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय की स्थापना से, सप्लाई होने वाले स्टोर (सामान) के एक सप्ताह के भीतर 95% अग्रिम अदायगी के लिए, बिलों को मंजूरी देने में सहायता मिली है। व्यक्तिगत दावों सहित अन्य बिलों को भी एक महीने के भीतर मंजूर कर लिया जाता है। सेना मुख्यालयों और रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए विदेशी करारों के मामले में रक्षा लेखा नियंत्रक मुख्यालय में इस कार्य के केन्द्रीयकरण होने से व्यय का शीघ्र प्राधिकरण एवं समायोजन होता है।

**रक्षा मुख्यालय में कम्प्यूटर से वेतन के बिल बनाना**

**7663. श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर से वेतन बिल तैयार करने का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) सेना और वायुसेना मुख्यालयों में कम्प्यूटर से वेतन बिल न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग). रक्षा मंत्रालय के वित्त प्रभाग में कार्यरत कार्मिकों के वेतन बिलों का कम्प्यूटरीकरण प्रथम चरण में विकसित किया गया है और अक्तूबर, 1987 से इसका व्यापक रूप से परीक्षण किया जा रहा है। मंत्रालय के अन्य कार्मिकों के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्य द्वितीय चरण में किया जा रहा है। वायुसेना मुख्यालयों के सिविलियनों के वेतन बिलों का कम्प्यूटरीकरण तभी किया जाएगा जब परीक्षणाधीन कम्प्यूटर प्रणाली स्थिर हो जाएगी।

थलसेना मुख्यालयों के सिविलियनों के वेतन बिलों का कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा देखा जाता है। 1988-89 के दौरान इस श्रेणी के वेतन बिलों का कम्प्यूटरीकरण करने की भी योजना है।

नौसेना मुख्यालय के सिविलियन कार्मिकों के वेतन बिलों को पहले ही कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

### रक्षा उद्योग का गैर-सरकारीकरण

**7664. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा उत्पादन में किन क्षेत्रों में गैर-सरकारी उद्यमों के प्रवेश की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार को रक्षा उद्योग के गैर-सरकारीकरण को रोकने की मांग की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (ग). एक **विवरण** संलग्न है।

### विवरण

सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) शस्त्र एवं गोलाबारूद एवं संबंधित मदों, (2) विमान (5700 कि०ग्राम० से अधिक वजन के) और (3) पोत निर्माण (टग्स, बारगेज जैसी छोटी नावों को छोड़कर) सभी रक्षा उपस्कर/भण्डार गैर-सरकारी उद्यमियों के लिए खुले हैं। ऊपर के 3 समूहों के बारे में भी अघातक संघटकों एवं पूरे उपस्करों के निर्माण में आवश्यक हिस्से-पुर्जों के उत्पादन के लिए, गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग भी किया जा सकता है।

2. "रक्षा उत्पादन के गैर-सरकारीकरण" के बारे में सरकार की नीति जानने के लिए पहले भी संसद में प्रश्न पूछे गए हैं। सरकार को इस बात की भी जानकारी मिली है कि 27.3.88 को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने "रक्षा उत्पादन के गैर-सरकारीकरण" पर एक सेमानार आयोजित किया था, जिसमें रक्षा उत्पादन में गैर-सरकारीकरण की आलोचन की गई है।

3. गैर-सरकारीकरण का वास्तविक अर्थ सरकारी उपक्रमों के मालिकाना अधिकार को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना है। गैर-सरकारी क्षेत्र को किसी रक्षा उपक्रम को सौंपने का कोई प्रस्ताव नही है। ऐसा लगता है कि प्रत्यावेदन आयुध निर्माणियों की कुछ मदों और कुछ नए मदों

को सिविल क्षेत्र में बनाने के लिए देने के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि गैर-सरकारी एवं सरकारी दोनों सिविल क्षेत्र के उद्योगों में उपलब्ध स्रोतों का यथासम्भव उपयोग किया जाए और घातक एवं उन्नत उपस्करों को छोड़कर, सिविल क्षेत्र में अनुपलब्ध क्षमताओं को ही रक्षा क्षेत्र में स्थापित किया जाए। यह इस नीति के अनुरूप ही है कि छोटी प्रौद्योगिकी एवं कम मूल्य की मदों को आयुध निर्माणियों से सिविल क्षेत्र को चरणबद्ध रूप में देने के लिए पता लगा लिया है ताकि उन्नत मदों के उत्पादन के लिए आयुध निर्माणियों में विद्यमान क्षमताओं और कुशलता का पूर्ण उपयोग किया जा सके। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में आयुध निर्माणियों में कोई छंटनी नहीं होगी।

**आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ में भरे गए पद**

**7665. श्री सोमजीभाई डामर** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ में अनेक बार विज्ञापन किए गये पदों की तुलना में संवैधानिक आरक्षण के बिना भरे गए पदों की संख्या अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भरे गये पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है। जैसे ही प्राप्त हो जाएगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के लिए आन्ध्र प्रदेश को सहायता**

**7666. श्री बी० तुलसीराम** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में आदिवासियों के लिए कल्याण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध किस हद तक स्वीकार किया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक आर्थिक एवं अन्य सहायता राज्य को कब तक दी जाएगी ?

**कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) से (ग). 1986-87 में 850.38 लाख रुपये की तुलना में 1987-88 में आन्ध्र प्रदेश को आदिवासी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 1063.23 लाख रु० की धनराशि दी गई गई हैं। 1987-88 में दी गई धनराशि में शिफ्टिंग खेतिहरों के पुनर्वास हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण मंत्रालय से मांगी गई 100.00 लाख रु० की धनराशि शामिल है।

**सुपर कम्प्यूटर के लिए तकनीकी मिशन**

**7667. श्री बी० तुलसीराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सुपर कम्प्यूटरों के लिए एक समयबद्ध तकनीकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित की जाएगी;

(ग) क्या इस परियोजना को आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी, इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की जाएगी और यह देश में कम्प्यूटरों की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा करेगी ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां। समानान्तर संसाधन की वास्तुकला पर आधारित सुपर कम्प्यूटरों का विकास करने के उद्देश्य से एक उन्नत अभिकलन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (सी-डैक्ट) की स्थापना की गई है। टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) ने मध्यम रेंज में मौसम के पूर्वानुमान के विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए 18 महीने के अन्दर समानान्तर संसाधन सुपर कम्प्यूटर विकसित करने की एक परियोजना शुरू की है।

(ख) सी-डैक्ट का स्थापना-स्थल पुणे में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सी-डैक्ट की समय-सीमा 3 वर्ष है। अनुमानित लागत 37 करोड़ रु० है। यह परियोजना तीन वर्षों के अन्त में 1000 मीगाफलॉप की उच्चतम कार्य निष्पादन क्षमता के सुपर कम्प्यूटरों की स्वदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएगी।

## आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन

**7668. श्री राम प्यारे सुमन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऐसे नियंत्रक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष कानून बनाने का विचार है जो आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और छूट सम्बन्धी नीति और उपबन्धों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सांविधानिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को उपलब्ध तंत्र को दो काफी वरिष्ठ अधिकारी देकर मजबूत बनाया गया है उनमें से एक अधिकारी

को अनुसूचित जाति के कल्याण से सम्बन्धित तथा दूसरे अधिकारी को अनुसूचित जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा एजेन्सियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को सभी प्रकार की सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि वे भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में उपर्युक्त क्षेत्रों में जो सूचना जरूरी समझें एकत्रित कर सकें। इनका उल्लंघन करने पर मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रिमण्डल सचिवालय में सचिव स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उसे यह सुनिश्चित करने के एक मात्र कार्य पर लगाया गया है कि अधिकारियों द्वारा अपने ऐसे अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध जिनके बारे में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की थी (इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से सूचना प्राप्त होने पर) और जिन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षोपायों का प्रथम दृष्टया दोषी समझा जाता है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाती है।

**खाड़ी और दक्षिण अफ्रीका के देशों में भारतीय मिशनों के विरुद्ध शिकायतें**

7669. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी और दक्षिण अफ्रीका के देशों में काम कर रहे भारतीयों से, उन देशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा उनकी समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान न दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विदेशों में भारतीय श्रमिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गऐ हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) :** (क) खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के देशों में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से हमारे राजदूतावासों के काम के बारे में समय-समय पर शिकायतें भी मिली हैं और प्रशंसाएं भी।

(ख) और (ग). जब कभी कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित मिशन से कहा जाता है कि वे मामले की शीघ्रता से जांच करे और उपचारी उपाय करने के लिए अपनी सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजें। मामले की मंत्रालय में जाँच-पड़ताल करके उपचारी कार्रवाई की जाती है। उत्प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्याओं के प्रति भारतीय राजदूतावासों/कोंसली अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार और दृष्टिकोण के बारे में उनकी राय जानने के लिये राजदूत, उप मिशन प्रमुख आदि जैसे उच्च अधिकारी स्वयं भी कोंसली स्कंधों का अचानक

निरीक्षण करते हैं। मंत्रालय ने सभी भारतीय मिशन प्रमुखों को सुझाव दिया है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर जनता को तत्पर और शिष्ट कोंसली सेवाओं का सुनिश्चय करें। भारतीय विदेश सेवा के निरीक्षक भी मिशनों के काम के विभिन्न पहलुओं को देखने के लिये समय-समय पर विदेश स्थित भारतीय मिशनों का दौरा करते हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा वे यह भी देखते हैं कि उन देशों की यात्रा पर गये भारतीयों तथा उत्प्रवासी भारतीय समुदाय के प्रति राजदूतावास के कार्मिकों का व्यवहार कैसा होता है।

**केरल में वित्तीय संकट का पता लगाने हेतु अध्ययन**

**7670. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा केरल में वित्तीय संकट के मूल कारणों का पता लगाने हेतु एक विशेष दल द्वारा अध्ययन कराया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) योजना आयोग के कहने पर, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने एक अध्ययन किया है, जिसमें छठी योजनावधि के दौरान केरल में योजना के वित्त पोषण की समीक्षा की गई है।

(ख) अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि छठी योजना के दौरान केरल के सरकारी निवेश को भारी धक्का लगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी संवृद्धि की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ा। अध्ययन में इसके ये कारण निर्धारित किये गये हैं :—(क) राजस्व में वृद्धि करने के प्रयासों का अभाव, (ख) फिजूलखर्ची, (ग) गैर-किफायती रूप से स्कूलों, कालेजों का खोला जाना तथा सड़कों का निर्माण, (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का अकुशलतापूर्ण संचालन, तथा (ङ) राज्य द्वारा मुहैया की गई सेवाओं से, जैसे सिंचाई, जिसमें बड़ी धनराशियां लगी होती हैं, प्रयोक्ता-लागत वसूल करने में असफलता।

**दिल्ली में विभिन्न क्लबों द्वारा मद्य निषेध वर्ष मनाया जाना**

**[हिन्दी]**

**7671. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ क्लबों ने देश में सूखा स्थिति के कारण वर्ष 1988 को मद्य निषेध के रूप में मनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्लबों के नाम क्या हैं और क्या देश के अन्य क्लबों से भी वर्ष 1988 को इसी तरह मद्य निषेध वर्ष के रूप में मनाने की अपील की गई है;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार को उनके निर्णय की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)** : (क) सरकार को क्लब द्वारा किये गये ऐसे निर्णय के संबंध में पता नहीं है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

**संसाधनों की कमी**

7672. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में संसाधनों की कमी की आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने संसाधनों की कमी को दूर करने के उपायों पर विचार करने के लिये इस वर्ष कोई बैठक की थी; और

(ग) यदि हां, तो बैठक में लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) जी, नहीं । तथापि, योजना आयोग ने मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी अपने दस्तावेज में सार्वजनिक क्षेत्र की योजना के लिये संसाधनों पर पड़ रहे दबाव का उल्लेख किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**अनैतिक व्यापार के मामलों में वृद्धि**

**[अनुवाद]**

7673. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनैतिक व्यापार के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में अनैतिक व्यापार संबंधी वर्षवार कितने मामले दर्ज किये गये ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज निम्नलिखित मामलों से यह पता नहीं लगता है कि दिल्ली में अनैतिक व्यापार में हाल ही में कोई वृद्धि हुई है :—

| वर्ष | मामलों की संख्या |
|---|---|
| 1985 | 29 |
| 1986 | 41 |
| 1987 | 23 |
| 1988 (31.3.88 तक) | 7 |

**नई सिगनल योजना**

7674. **श्री पी०एम० सईद :**

**श्री पी०ए० एंटनी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बेहतर यातायात व्यवस्था और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये नई सिगनल योजना शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के लगभग कब तक क्रियान्वित होने की आशा है; और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) योजना में कुछ प्रमुख सड़कों पर कुछ किलोमीटर की दूरी तक केबलविहीन सम-सामयिक यातायात सिगनलों की व्यवस्था की गई है।

(ग) योजना के जून, 1988 के अन्त तक शुरू होने की आशा है।

(घ) लगभग 75 लाख रुपये।

**सती महिमा मंडल के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निष्कर्ष**

7675. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने 25 मार्च, 1988 को दिए गए अपने हाल ही के निर्णय में पुरी के शंकराचार्य को "अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ" के तत्वावधान में 27 मार्च से 2 अप्रैल, 1988 तक मेरठ में एक धर्म सम्मेलन के आयोजन के दौरान सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 के उपबंधों का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन किया गया है और प्राचीन वैदिक परम्परा के नाम पर सती को महिमा मंडल का परिहार किया गया है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) सरकार को उच्चतम न्यायालय से ऐसा कोई निदेश/निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकार को करनी होती है क्योंकि अपराध के मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना और मुकदमा चलाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

**वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्बन्ध में जर्मन संघीय गणराज्य के साथ समझौता**

7676. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जर्मन संघीय गणराज्य के साथ अंतरिक्ष अनुसन्धान, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में कोई समझौते किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन समझौतों पर कब हस्ताक्षर किए गये थे ; और

(घ) समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री ( श्री के० आर० नारायणन )** : (क) से (ग). जी हां। भारत सरकार और संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार ने निम्नलिखित दो करारों पर हस्ताक्षर किये :—

(i) "परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष अनुसन्धान के शांतिपूर्ण प्रयोग के संबंध में सहयोग पर संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार" जिस पर 5 अक्तूबर, 1971 को हस्ताक्षर किये गये।

(ii) "वैज्ञानिक अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में संघीय जर्मन गणराज्य और भारत के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करार", जिस पर 7 मार्च, 1974 को हस्ताक्षर किये गये।

इन दो अन्तर-शासकीय वृहत् करारों के अन्तर्गत, भारतीय और संघीय जर्मन गणराज्य के संगठनों के बीच तदनुपरान्त निम्नलिखित विशेष व्यवस्थाओं, करार और समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप दिया गया :—

— न्यूक्लीय अनुसंधान केन्द्र और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच न्यूक्लीय ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों पर विशेष व्यवस्था, जिस पर 6 फरवरी, 1974 को हस्ताक्षर किये गये।

— जर्मन वैमानिकीय और अन्तरिक्ष अनुसन्धान स्थापना तथा भारतीय अनुसंधान संगठन के बीच अन्तरिक्ष अनुसंधान पर विशेष व्यवस्था, जिसपर 12 अगस्त, 1974 को हस्ताक्षर किये गये।

— न्यूक्लीय अनुसंधान केन्द्र तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के बीच वैज्ञानिक अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष व्यवस्था, जिस पर 25 नवम्बर, 1974 को हस्ताक्षर किये गये।

— विकिरण और पर्यावरणीय अनुसन्धान केन्द्र तथा भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के बीच चिकित्सा और जैविकी अनुसंधान पर विशेष व्यवस्था, जिस पर 2 फरवरी, 1977 को हस्ताक्षर किये गये।

— जर्मन वैमानिकीय तथा अन्तरिक्ष अनुसन्धान स्थापना और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बीच वैमानिकीय अनुसंधान पर विशेष व्यवस्था, जिस पर 30 जनवरी, 1982 को हस्ताक्षर किये गये ।

— शिक्षा विभाग तथा न्यूक्लीय अनुसन्धान केन्द्र के बीच वैज्ञानिक अनुसन्धान और प्रौद्योगिकीय विकास के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष व्यवस्था, जिस पर 12 नवम्बर, 1986 को हस्ताक्षर किये गये ।

— संघीय जर्मन गणराज्य की ओर से आर्थिक सहयोग मंत्रालय और जर्मन तकनीकी सहयोग अभिकरण तथा भारतीय पक्ष की ओर से राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण द्वारा दूर संवेदन में 1978 में हस्ताक्षरित सहयोग करार ।

— महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान और प्रौद्योगिकी के लिए संघीय मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग के बीच 29 अप्रैल, 1986 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन ।

(घ) इन करारों को कार्यान्वित करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं वे हैं : विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट संयुक्त गतिविधियों के अन्तर्गत तकनीकी सूचना तथा वैज्ञानिकों के दौरों का आदान-प्रदान करना, संयुक्त कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करना तथा प्रगति के मानीटरन के लिए सहयोगात्मक कार्यों की आवाधिक संयुक्त समीक्षाएं करना ।

**सैनिक कालेजों की स्थापना करना**

**[हिन्दी]**

**7677. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त सैनिक कालेजों की भी आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सैनिक प्रशिक्षण देकर देश में अनुशासित तथा योग्य सैनिकों को तैयार करने के लिये सैनिक कालेज खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार किन स्थानों में सैनिक कालेज खोले जाएंगे; और

(घ) क्या सरकार का चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल का दर्जा बढ़ाने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, हां ।

(ख) सैनिक कालेजों को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

**सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन**

**7678. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 18 सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को राज्य और केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतन के समान वेतन, भत्ता, पेंशन आदि नहीं मिलता है ;

(ख) क्या वेतन आदि में असमानता के कारण इनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों में असन्तोष है ; और

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में उनके वेतनमानों में संशोधन करके उन्हें भी पेंशन देने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) सैनिक स्कूल में कार्यरत अध्यापकों के वेतनमान, केन्द्रीय विद्यालयों में उनके समकक्ष अध्यापकों के समान हैं। अन्य कर्मचारियों को वही समुचित वेतनमान मिलता है जो केन्द्रीय सरकार में कार्यरत उन्हीं के समकक्ष पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलता है। ये कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता और तदर्थ बोनस पाने के हकदार हैं। उनको मुफ्त आवास या उसके बदले में अपने मूल वेतन का 10% मकान किराया भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक बिना किराए का फर्नीचर एवं स्कूल मेस में छात्रों के साथ मुफ्त भोजन पाने के भी हकदार हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार सैनिक स्कूल के कर्मचारियों के वेतनमानों को 1.1.1986 से पहले ही संशोधित कर लिया गया है। सैनिक स्कूल के कर्मचारी, पेंशन और उपदान योजना के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आते हैं।

## कृत्रिम वर्षा

7679. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृत्रिम वर्षा करने के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का क्या ब्यौरा है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) और (ख). एक बड़े क्षेत्र के ऊपर धन बीजन द्वारा मौसम परिवर्तन सम्बन्धी प्रयोग करने का प्रस्ताव है ताकि अनुकूल मौसम वैज्ञानिक परिस्थितियों में एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराने की उपयुक्तता का मापदण्ड निर्धारित किया जा सके।

## अनिवासी भारतीय विशेषज्ञों द्वारा माइक्रो-इलैक्ट्रानिक एककों की स्थापना

[अनुवाद]

7680. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनिवासी भारतीय विशेषज्ञों ने देश में माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक एकक स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रस्तावों की जांच कर रही है ; और

(ग) क्या भारतीय मूल के अमरीका में बसे चोटी के अनेक वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के विकास में सराहनीय योगदान कर सकता है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव इस समय इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विचाराधीन है।

(ग) जी, हां। अमेरिका तथा भारत की संयुक्त भारतीय विशेषज्ञ परिषद की हाल ही में आयोजित बैठक में परिषद ने यह सिफारिश की थी कि भारत को अब सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी का विनिर्माण करने वाले एक विश्वस्तरीय देश का स्थान लेना चाहिए।

## सामाजिक रूप से अव्यवस्थित किशोरों के लिए धनराशि

7681. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग से सामाजिक रूप से अव्यवस्थित किशोरों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत योजना परिव्यय बढ़ाने का आग्रह किया है ; और

(ख) क्या सरकार किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने की प्रणाली तैयार कर रही है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां। 1987-88 के दौरान 50 लाख रु० के आवंटन की तुलना में 1988-89 के बजट अनुमान में 3.00 करोड़ रु० की धनराशि प्रदान की गई है।

(ख) जी, हां। किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का प्रबोधन रिपोर्टों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ नियतकालिक बैठकों के माध्यम से भी किया जाता है।

## नशे के लिए औषधों के उपयोग को रोकने के लिए और अधिक केन्द्र

7682. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशे के लिए औषधों के उपयोग को रोकने हेतु और अधिक केन्द्रों के लिए मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| क्र० सं० | स्वयंसेवी संगठन का नाम | स्थापित किये/स्वीकृत परामर्श केन्द्रों की संख्या | | स्थापित किये/स्वीकृत निर्व्यसन केन्द्रों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | स्थान | संख्या | स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। | 6 | दिल्ली | — | — |
| 2. | भारतीय शिक्षा परिषद् ए-2/59 सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली। | 4 | दिल्ली | 1 | दिल्ली |
| 3. | गृह आर्थिक समिति, जे-ब्लॉक रिंग रोड, साऊथ एक्सटेन्शन, नई दिल्ली। | 1 | दिल्ली | — | — |
| 4. | दिल्ली महिला लीग, 4-भगवान दास रोड, नई दिल्ली। | 1 | दिल्ली | — | — |
| 5. | अफीम निर्व्यसन, उपचार, प्रशिक्षण अनुसंधान ट्रस्ट, मानकलू, जोधपुर, राजस्थान | 4 | जैसलमेर, बारमेर जालोर और जोधपुर (राजस्थान) | 1 | मनाकलाव जिला जोधपुर (राजस्थान) |
| 6. | काशी क्लब गंगा भवन डी-14/3, दसास्वमेध रोड वाराणसी (उ०प्र०) | 2 | (वाराणसी) (उ०प्र०) | 1 | (वाराणसी) (उ०प्र०) |
| 7. | श्री राम बाबू चैरिटेबल सोसायटी (आगरा),4/6 फाराना बाग, सिविल लाइन्स आगरा(उ०प्र०) | 1 | आगरा (उ०प्र०) | 1 | (आगरा) (उ०प्र०) |
| 8. | मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगाईप्रोउ एयरपोर्ट रोड इम्फाल-1, मणिपुर | 1 | इम्फाल (मणिपुर) | — | — |
| 9. | शहर स्वास्थ्य और कल्याण संघ पारासिबगान कलकत्ता | 1 | कलकत्ता (प० बंगाल) | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | डॉ० विद्या सागर कौशल्य देवी मेमोरियल ट्रस्ट बी-9/22, बसन्त विहार, नई दिल्ली। | — | — | 1 | दिल्ली |
| 11. | मणिपुर ग्रामीण संस्थान सोसायटी तेरा बाजार, इम्फाल मणिपुर। | 1 | इम्फाल (मणिपुर) | — | — |
| 12. | नशाबन्दी मंडल गुजरात मल्टीस्टोरिड बिल्डिंग माद्रा, अहमदाबाद गुजरात। | 1 | अहमदाबाद (गुजरात) | — | — |
| 13. | विवेकानन्द शिक्षा सोसायटी 13/3 कालीचरण दत्ता रोड, कलकत्ता पश्चिम बंगाल | 1 | कलकत्ता (प० बंगाल) | — | — |
| 14. | मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, 27, सर्कस एवेन्यु, कलकत्ता, प० बंगाल। | 1 | कलकत्ता (प० बंगाल) | — | — |
| 15. | सी ए आई एम फाउन्डेशन 318, 15 क्रॉस, सदाशिवनगर, बंगलोर, कर्नाटक | 1 | बंगलोर (कर्नाटक) | 1 | बंगलोर (कर्नाटक) |
| 16. | महिला समन्वय परिषद् 5/1, रेड क्रॉस प्लेस, कलकत्ता। | 1 | कलकत्ता (प० बंगाल) | — | — |
| 17. | नवजीवनी गाइडेंस सेन्टर, मॉडल टाऊन पटियाला, पंजाब। | 1 | पटियाला (पंजाब) | — | — |
| 18. | मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र, 39, सदानन्द रोड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। | — | — | 1 | कलकत्ता (प० बंगाल) |
| | | 28 | | 7 | |

## आन्ध्र प्रदेश में निर्माणाधीन केन्द्रीय परियोजनाएं

7683. **श्री माणिक रेड्डी** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इस समय वे निर्माण के किस चरण में हैं तथा प्रत्येक परियोजना को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ख) आंध्र प्रदेश के लिए कुछ और परियोजनायें मंजूर करने का विचार है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंग्ती)** : (क) इस मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा **संलग्न विवरण** में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय परियोजनाओं के निवेश निर्णय, क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा और ऐसे निवेश के सहयोगी तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर आधारित होते हैं, विभिन्न स्तरों पर इन पर विचार करने की आवश्यकता होती है और इसलिए, क्षेत्रीय आधार पर पूर्व-निश्चय नहीं किया जा सकता।

विवरण

| क्र० सं० | परियोजना | शुरू होने की प्रत्याशित तारीख | प्रगति (दिसम्बर, 1987) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **क्षेत्र : परमाणु ऊर्जा** | | |
| 1. | कठोर जल परियोजना मानुगुरू | 89/09 | मुख्य संयंत्र की दो स्ट्रीम पूरी हो चुकी हैं। 2 एक्सचेंज इकाइयां यांत्रिक रूप से पूरी हैं। शुरूआत बायलरों से प्रक्रिया स्ट्रीम मिलने पर निर्भर करती है। |
| | **क्षेत्र : कोयला** | | |
| 2. | मानुगुरू 2 ओ०सी० (एस०सी०सी०एल०) | 91/03 | वन्य अनुमोदन 11/87 में प्राप्त किया। |
| 3. | रामागुंडम्-1 ओ०सी० (आर०सी०ई०) (एस०सी०सी०एल०) | 88/03 | कोयले और ओबीआर का उत्पादन लगभग समय के अनुसार है। |
| 4. | रामागुंडम्-2 ओ०सी० —वही— | 94/03 | कार्यान्वयन की पहली स्थिति, तैयारियां पूरी हो चुकी है। |
| 5. | गोदवरी खानी 10क आई०एन०सी० —वही— | 92/03 | इन्कलाइन ड्राइवेज (खान प्रवेश) में प्रगति। |
| 6. | गोदावरी खानी 11क आई०एन०सी० —वही— | 93/03 | खान प्रवेश कार्य पूरा हो चुका है। |
| 7. | जवाहर खानी-5 इन्कलाईन —वही— | 90/03 | उपस्कर के आर्डर देने का कार्य प्रगति पर। |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | रवीन्द्र खानी 1-क इन्कलाईन | —वही— | 91/03 | कार्यान्वयन की पहली स्थिति । |
| | **क्षेत्र : इस्पात** | | | |
| 9. | विजाग इस्पात परियोजना | (आर आई एन एल) | 90/06 | स्तर-I, 12/88 में शुरू होना निश्चित । |
| | **क्षेत्र : विद्युत** | | | |
| 10. | रामागुंडम् एस टी पी पी स्तर-1 | (एन टी पी सी) | 88/07 | यूनिट 1, 2 और 3 शुरू हो चुकी हैं। यूनिट 4 जुलाई 88 में शुरू होना निश्चित हुआ है। |
| 11. | रामागुंडम् एस टी पी पी स्तर-2 | (एन टी पी सी) | 90/07 | जनित्र खड़े करने के कार्य में प्रगति । |
| | **क्षेत्र : सीमेंट** | | | |
| 12. | येरागुंतला सीमेंट परियोजना (सी सी आई) | | 90/04 | मुख्य संयंत्र के 25% उपस्कर स्थल पर प्राप्त हो चुके हैं। |
| | **क्षेत्र : रेलवे** | | | |
| 13. | विकाराबाद-तन्दूर (दोहरी करना) | | 90/03 | कार्यान्वयन की पहली स्थिति । |
| 14. | काजीपेटसनत नगर (विद्युतीकरण) | | 00/00 | धन के अभाव और विद्युतीकरण की चालू योजनाओं की उच्च प्राथमिकता के कारण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। |
| 15. | गन्टूर मचेरला (गेज बदलना) | | 90/03 | सम्पूर्ण प्रगति 30% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | बीबी नगर नदीकुड (नई लाईन) | 88/03 | सम्पूर्ण प्रगति 90% |
| 17. | नई बीजी कैरियर मरम्मत शाला तिरुपति | 88/06 | सम्पूर्ण प्रगति 68% |
| 18. | इस्पात संयंत्र के लिए विजाग रेल सुविधा | 88/12 | सम्पूर्ण प्रगति 50.5% |
| 19. | इस्पात संयंत्र के लिए विजाग पेरीफेरल यार्ड | 88/12 | सम्पूर्ण प्रगति 30% |
| 20. | गोदावरी पर नया पुल | 92/06 | सम्पूर्ण प्रगति 37% |
| | **क्षेत्र : भूतल परिवहन** | | |
| 21. | हिन्दुस्तान शिपयार्ड आधुनिकीकरण/विकास-2 | 88/03 | बन्दरगाह, जो परियोजना का मुख्य सहारा है, वह 9/86 में चालू किया गया । |
| 22. | विजाग तेल बर्थ | 88/03 | बर्थ सितम्बर, 1986 में पूरी हो चुकी है। परख कार्य चल रहा है और बिजली के उपस्कर चालू करने का कार्य चल रहा है । |

(बहु-राज्यीय परियोजनाएं सूची में शामिल नहीं हैं)

**ऊर्जा संकट पर योजना आयोग के विचार**

7684. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश को गम्भीर ऊर्जा संकट की स्थिति से उबारने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह विकास के लिए स्थाई बाधा न बनने पाए, वैज्ञानिकों और तकनीकविदों से समाधान खोजने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों को एक ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया है जिसके अन्तर्गत इस संकट से उबरने के लिए समाधान तैयार किए जा सकें; और

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिकों को इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल**

**[हिन्दी]**

7685. **श्री राजकुमार राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण स्कूल खोले जाएंगे और ये कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति तैयार करने के कार्यक्रम को वर्ष 1983-84 से अमल में ला रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने में शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करता है। इन कार्यक्रमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। संस्थानों के चयन की मुख्य कसौटियां, उनमें कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने की पर्याप्त क्षमता तथा उनके पास मूल संरचनात्मक सुविधाओं का होना है।

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग वर्ष 1984 से "क्लास" (विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन) कार्यक्रम को भी अमल में ला रहा है, जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में 10+2 स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में विभिन्न संस्थान एम०टेक, एम०सी०ए० (कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात), कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि जैसे कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिनका ब्यौरा **संलग्न विवरण-1** में दिया गया है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में "**क्लास**" कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रशिक्षण चलाने के लिए 139 विद्यालयों/कालेजों को शामिल किया गया है जिनका ब्यौरा **संलग्न विवरण-2** में दिया गया है।

**विवरण 1**

| क्र० सं० | जिला | क्र० सं० | जिला |
|---|---|---|---|
| 1. | आगरा | 8. | गुरुकुल कांगड़ी |
| 2. | अलीगढ़ | 9. | कानपुर |
| 3. | इलाहाबाद | 10. | लखनऊ |
| 4. | बलरामपुर | 11. | राय बरेली |
| 5. | बरेली | 12. | रुड़की |
| 6. | गाजियाबाद | 13. | सुलतानपुर |
| 7. | गोरखपुर | 14. | वाराणसी |

**विवरण 2**

| क्र० सं० | जिला | क्र० सं० | जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | इलाहाबाद | 2. | अलीगढ़ |
| 3. | आगरा | 4. | आजमगढ़ |
| 5. | बरेली | 6. | बबीना कैंट |
| 7. | देवरिया | 8. | देहरादून |
| 9. | फाहगढ़ | 10. | गोरखपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | गाजियाबाद | 12. | गढ़वाल |
| 13. | ज्वालापुर | 14. | झांसी कैंट |
| 15. | कानपुर | 16. | लखनऊ |
| 17. | मुगलसराय | 18. | मथुरा |
| 19. | मेरठ | 20. | मिर्जापुर |
| 21. | पिथोरागढ़ | 22. | रुड़की |
| 23. | रानीपुर | 24. | रानीखेत |
| 25. | राय बरेली | 26. | रामपुर |
| 27. | ऋषिकेश | 28. | सहारनपुर |
| 29. | शाहजहांपुर कैंट | 30. | वाराणसी |

**उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन**

7686. **श्री राजकुमार राय** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ख) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के संबंध में वर्षवार स्थिति क्या रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम और परिवार नियोजन के कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये गये वित्तीय और अन्य संसाधनों का ब्योरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती)** : (क) जी, नहीं।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम की कुछ चुनिंदा मदों के कार्यान्वियन के आधार पर, उत्तर प्रदेश द्वारा हासिल किया गया दर्जा नीचे दिया गया है :—

| वर्ष | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | (फरवरी, 1988 तक) |
|---|---|---|---|---|
| दर्जा | 1 | 1 | 1 | |

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये विशिष्ट तौर पर और अलग से परिव्यय का निर्धारण नहीं किया जाता। इन्हें संगत योजना शीर्षों से लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में, गत तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये परिव्यय नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु० में)

| | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 |
|---|---|---|---|
| 20-सूत्री कार्यक्रम (राज्य योजना) | 1121.51 | 1331.64 | 1024.47 |
| परिवार नियोजन कार्यक्रम | 56.15 | 49.80 | 62.31 |

**सशस्त्र सेनाओं में लोगों की भर्ती**

**[अनुवाद]**

7687. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान प्रत्येक राज्य में थल/नौ/वायुसेना में अलग-अलग कितने लोगों की भर्ती की गई;

(ख) गत तीन वर्षों में तीनों सेनाओं की भर्ती टीमों ने बिहार में किन-किन स्थानों का दौरा किया तथा भर्ती अभियान कब शुरू किया गया और उसमें कितने उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे/रिपोर्ट किया;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान भर्ती टीमों द्वारा दौरा करने का कार्यक्रम क्या है; और

(घ) जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशनों और ब्लाक कार्यालयों तथा जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर पहले से ही भर्ती टीमों के दौरे के संबंध में प्रचार करने के लिये क्या तरीके अपनायें गये हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) इस संबंध में सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे देने वाले **विवरण 1 और 2** संलग्न हैं। भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) बिहार में भर्ती की आवेदन-पत्र प्रणाली 1.4.1988 से आरंभ की गई है। भर्ती की नई प्रणाली के आरंभ होने से केवल वही उम्मीदवार, सूचित किये गये निश्चित स्थान पर और तारीख को शारीरिक परीक्षण के लिये उपस्थित होते हैं, जिन्हें उनके आवेदन-पत्रों की छंटनी के बाद चुना जाता है। वायुसेना में भर्ती के लिये भर्ती दल जून और दिसम्बर, 1988 में पटना का दौरा करेंगे।

(घ) भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिये, निम्नलिखित एजेंसियों को कम कम एक महीने पहले भर्ती कार्यक्रम से अवगत कराया जाता है :—

(क) आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्र ।

(ख) स्थानीय दूरदर्शन केन्द्र (यदि उपलब्ध हो) ।

(ग) अंचलों के भीतर के सैनिक बोर्ड ।

(घ) रोजगार केन्द्र ।

(ङ) स्थानीय समाचार-पत्र (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित) ।

(च) संबंधित क्षेत्रों के चुने हुए कालेज, पौलीटैक्नीकल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ।

(छ) स्थानीय जिला आयुक्त/उपायुक्त ।

(ज) पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय पुलिस स्टेशन ।

(झ) सिनेमा हालों में स्लाइडों के माध्यम से ।

**विवरण 1**

**थलसेना/नौसेना में भर्ती के लिए भर्ती दलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में किए गए दौरों का विवरण**

| क्रम सं० | उन स्थानों का नाम जिनका दौरा किया गया | किए गए दौरे की तारीख | | भर्ती होने के लिए आने वाले उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | से | तक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1985** | | | | |
| 1. | राजगीर | 06.7.85 | 13.7.85 | 577 |
| 2. | धनबाद | 19.7.85 | 22.7.85 | 3678 |
| 3. | सिवान | 25.7.85 | 30.7.85 | 500 |
| 4. | लोहारडागा | 05.8.85 | 09.8.85 | 977 |
| 5. | रक्सौल/जिन्धारा | 07.8.85 | 14.8.85 | 310 |
| 6. | डल्टनगंज | 10.8.85 | 13.8.85 | 341 |
| 7. | सारन | 17.8.85 | 19.8.85 | 350 |
| 8. | हजारीबाग | 09.9.85 | 14.9.85 | 1017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | सिवान | 15.10.85 | 18.10.85 | 325 |
| 10. | जयनगर | 14.10.85 | 19.10.85 | 392 |
| 11. | औरंगाबाद | 07.11.85 | 10.11.85 | 456 |
| 12. | सुरसन्द | 13.11.85 | 20.11.85 | 1206 |
| 13. | गिरिडीह | 13.11.85 | 17.11.85 | 1068 |
| 14. | सिमदेगा और गुमला | 09.12.85 | 15.12.85 | 965 |
| 15. | नर्नाताण्ड | 09.12.85 | 15.12.85 | 98 |
| 16. | राजगीर | 12.12.85 | 15.12.85 | 812 |
| **1986** | | | | |
| 17. | गोपालगंज | 12.1.86 | 17.1.86 | 600 |
| 18. | जहानाबाद | 15.1.86 | 19.1.86 | 1370 |
| 19. | धनबाद | 10.2.86 | 14.2.86 | 635 |
| 20. | नवादा | 13.2.86 | 15.2.86 | 190 |
| 21. | अंगारघाट | 10.2.86 | 17.2.86 | 450 |
| 22. | चिकनी/मोतीहारी | 14.3.86 | 19.3.86 | 143 |
| 23. | डाल्टनगंज | 14.3.86 | 18.3.86 | 181 |
| 24. | सिवान | 14.4.86 | 19.4.86 | 700 |
| 25. | जमशेदपुर | 14.4.86 | 18.4.86 | 435 |
| 26. | औरंगाबाद | 26.4.86 | 30.4.86 | 213 |
| 27. | मोकामा | 12.5.86 | 16.5.86 | 300 |
| 28. | लोहारडागा | 12.5.86 | 16.5.86 | 293 |
| 29. | राजनगर | 12.5.86 | 17.5.86 | 120 |
| 30. | डुमरा | 14.6.86 | 18.6.86 | 220 |
| 31. | गुमला | 02.6.86 | 06.6.86 | 248 |
| 32. | वैशाली | 09.6.86 | 12.6.86 | 700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 33. | नरकाटियागंज | 14.7.86 | 19.7.86 | 197 |
| 34. | हजारीबाग | 14.7.86 | 18.7.86 | 310 |
| 35. | गोपालगंज | 13.7.86 | 18.7.86 | 1050 |
| 36. | डल सिंह सराय | 11.8.86 | 14.8.86 | 319 |
| 37. | शेरघाटी | 16.8.86 | 20.8.86 | 960 |
| 38. | गिरिडीह | 08.8.86 | 12.8.86 | 194 |
| 39. | सारन | 08.9.86 | 10.9.86 | 2500 |
| 40. | धनबाद | 08.9.86 | 12.9.86 | 449 |
| 41. | राजगीर | 16.9.86 | 19.9.86 | 1500 |
| 42. | पंडाल | 13.10.86 | 17.10.86 | 890 |
| 43. | डाल्टनगंज | 12.10.86 | 17.10.86 | 676 |
| 44. | चायीबाड़ा | 13.10.86 | 18.10.86 | 333 |
| 45. | सिवान | 12.10.86 | 16.10.86 | 1500 |
| 46. | परतौनी | 08.11.86 | 12.11.86 | 560 |
| 47. | मोकामा | 09.11.86 | 12.11.86 | 1500 |
| 48. | नवादा | 17.11.86 | 22.11.86 | 535 |
| 49. | लोहारडागा | 15.11.86 | 21.11.86 | 370 |
| 50. | कुमारबाग | 08.12.86 | 10.12.86 | 478 |
| 51. | इन्द्रपुरी | 09.12.86 | 14.12.86 | 546 |
| 52. | गुमला | 08.12.86 | 12.12.86 | 327 |
| 1987 | | | | |
| 53. | आरा | 07.1.87 | 11.1.87 | 5000 |
| 54. | औरंगाबाद | 11.1.87 | 17.1.87 | 551 |
| 55. | पटेल मैदान | 15.1.87 | 20.1.87 | 537 |
| 56. | वैशाली | 08.2.87 | 12.2.87 | 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 57. | शेरघाटी | 09.2.87 | 14.2.87 | 525 |
| 58. | मोतीहारी | 09.2.87 | 12.2.87 | 315 |
| 59. | हजारीबाग | 16.1.87 | 22.1.87 | 786 |
| 60. | छपरा | 02.3.87 | 06.3.87 | 1500 |
| 61. | गिरिडीह | 09.2.87 | 14.2.87 | 819 |
| 62. | राजगीर | 03.3.87 | 09.3.87 | 189 |
| 63. | धनबाद | 03.3.87 | 09.3.87 | 841 |
| 64. | डुमरा | 03.3.87 | 09.3.87 | 644 |
| 65. | सिवान | 22.4.87 | 25.4.87 | 1200 |
| 66. | डाल्टनगंज | 23.4.87 | 29.4.87 | 294 |
| 67. | मधुबनी | 24.4.87 | 29.4.87 | 693 |
| 68. | मोकामा | 07.5.87 | 09.5.87 | 1500 |
| 69. | हजारीबाग | 23.4.87 | 29.4.87 | 670 |
| 70. | जहानाबाद | 11.5.87 | 17.5.87 | 2026 |
| 71. | जमशेदपुर | 11.5.87 | 19.5.87 | 580 |
| 72. | मोराल | 18.5.87 | 22.5.87 | 429 |
| 73. | इन्द्रपुरी | 08.6.87 | 10.6.87 | 186 |
| 74. | बेतिया | 08.6.87 | 11.6.87 | 425 |
| 75. | रांची | 08.6.87 | 12.6.87 | 966 |
| 76. | आरा | 03.6.87 | 06.6.87 | 6000 |
| 77. | बाराचकी | 03.7.87 | 20.7.87 | 275 |
| 78. | समस्तीपुर | 13.7.87 | 17.7.87 | 632 |
| 79. | हाजीपुर | 14.7.87 | 18.7.87 | 3000 |
| 80. | लोहारडागा | 13.7.87 | 18.7.87 | 920 |
| 81. | गुमला | 17.8.87 | 22.8.87 | 1572 |
| 82. | कान्ती | 17.8.87 | 21.8.87 | 669 |
| 83. | रागीर | 18.8.87 | 23.8.87 | 700 |
| 84. | नवादा | 10.9.87 | 17.9.87 | 750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 85. | मोतीहारी | 14.9.87 | 18.9.87 | 764 |
| 86. | छपरा | 14.9.87 | 17.9.87 | 9000 |
| 87. | गिरिडीह | 14.9.87 | 19.9.87 | 1107 |
| 88. | दरभंगा | 12.10.87 | 17.10.87 | 991 |
| 89. | बी०एम०पी० स्टेडियम | 14.10.87 | 17.10.87 | 4500 |
| 90. | इन्द्रपुरी | 15.10.87 | 20.10.87 | 1081 |
| 91. | धनबाद | 12.10.87 | 17.10.87 | 1610 |
| 92. | डाल्टनगंज | 05.11.87 | 10.11.87 | 614 |
| 93. | सिवान | 16.11.87 | 21.11.87 | 3500 |
| 94. | डुमरा | 16.11.87 | 20.11.87 | 1420 |
| 95. | तिलैया | 09.11.87 | 14.11.87 | 1257 |
| 96. | आरा | 09.12.87 | 13.12.87 | 13000 |
| 97. | औरंगाबाद | 10.12.87 | 15.12.87 | 2883 |
| 98. | बेतिया | 16.12.87 | 22.12.87 | 2450 |
| 99. | चायीबासा | 16.12.87 | 23.12.87 | 2405 |

**विवरण 2**

**वायुसेना में भर्ती के लिए भर्ती दलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में किए गए दौरों का विवरण**

| क्रम सं० | उन स्थानों का नाम जिनका दौरा किया गया | किए गए दौरे की तारीख | | भर्ती होने के लिए आने वाले उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| | | से | तक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पटना | 04.5.85 | 25.7.85 | 2496 |
| 2. | पटना | 24.9.85 | 05.10.85 | 2057 |
| 3. | पटना | 14.10.85 | 19.10.85 | 1377 |
| 4. | बीहटा | 24.9.85 | 05.10.85 | 3374 |
| 5. | दरभंगा | 24.9.85 | 05.10.85 | 3260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | रांची | 24.9.85 | 05.10.85 | 2912 |
| 7. | पूर्णिया | 04.11.85 | 08.11.85 | 1343 |
| 8. | पटना | 30.1.86 | 26.2.86 | 3434 |
| 9. | दरभंगा | 30.1.86 | 10.2.86 | 1544 |
| 10. | बीहटा | 30.1.86 | 19.2.86 | 3975 |
| 11. | पटना | 13.5.86 | 14.5.86 | 624 |
| 12. | बीहटा | 04.8.86 | 18.8.86 | 8808 |
| 13. | पटना | 05.1.87 | 19.1.87 | 3149 |
| 14. | पटना | 13.2.87 | 25.2.87 | 2369 |
| 15. | बीहटा | 05.1.87 | 19.1.87 | 2690 |
| 16. | बीहटा | 13.2.87 | 23.2.87 | 1841 |
| 17. | बीहटा | 20.4.87 | 08.5.87 | 3171 |
| 18. | बीहटा | 18.5.87 | 10.6.87 | 3388 |
| 19. | बीहटा | 27.6.87 | 13.8.87 | 4371 |
| 20. | बीहटा | 24.4.77 | 03.9.87 | 2535 |
| 21. | बीहटा | 20.10.87 | 09.11.87 | 5947 |

**सियाचिन के बारे में पाकिस्तान से सचिव स्तर पर बातचीत**

**7688. डा० बी० एल० शैलेश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में तनाव समाप्त करने के लिए पाकिस्तान से सचिव स्तर पर बातचीत करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां आयोजित की जाएगी ; और

(ग) पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किए गए इस दावे, कि यह क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा में आता है, के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है ?

**रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) वार्ता का तीसरा दौर पाकिस्तान में होगा। वार्ता की तिथियां तय की जा रही हैं।

(ग) हमने अपना पक्ष सुस्पष्ट कर दिया है कि सियाचिन भारत का अभिन्न अंग है और इस क्षेत्र पर हमारे प्रभुत्व में कोई विवाद नहीं है। फिर भी, दोनों देश शिमला समझौते के अनुसार इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। वार्तायें इस क्षेत्र में तनाव दूर करने में सहायक होंगी।

**ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण करने वाली कंपनियां**

**7689. श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी भारतीय कंपनियां ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या ये कम्पनियां टेलीविजन निर्माणकर्त्ताओं की मांग पूरी कर रही हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो मांग पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) देश में रंगीन पिक्चर टेलीविजन ट्यूब बनाने वाले एककों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की मांग पूरी करने हेतु इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) इकाइयों के नाम तथा वर्ष 1987 में उनके श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन के ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्रोतों से की जाती है लेकिन हाल ही में 51 से०मी० आकार वाली श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों में कमी हुई है, जो अस्थायी है। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये विद्यमान इकाइयां अपनी उत्पाद क्षमता का विस्तार कर रही हैं तथा वर्ष 1988 में दो नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। यह आशा की जाती है कि वर्ष 1988 के अन्त तक प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख नग की उत्पादन क्षमता प्राप्त हो जाएगी और वर्ष 1990 तक की भावी मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त होगा।

(घ) और (ङ). निम्नलिखित तीन इकाइयां रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण कर रही है :

1. मैसर्स पंजाब डिस्प्ले डिवाइसिज लिमिटेड
   (जे० सी० टी० इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड)
2. मैसर्स अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड
3. मैसर्स समटेल कलर लिमिटेड

यह आशा की जाती है कि वर्ष 1988 के अन्त तक तीनों इकाइयां अपने उत्पादन के अन्तिम चरण में पहुंच जाएंगी और वर्ष 1989-90 तक 17.5 लाख नग की उत्पादन क्षमता हासिल कर ली जाएगी। इन इकाइयों द्वारा बाद में और अधिक विस्तार किए जाने की संभावना है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1988-89 में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की मांग के 40 से 50% भाग की और वर्ष 19-8990 में लगभग पूरी मांग की पूर्ति स्थानीय स्रोतों से कर ली जाएगी।

**विवरण**

इकाइयों के नाम तथा वर्ष 1987 में उनके द्वारा किए गए श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन

| क्र० सं० | इकाई का नाम | मात्रा (नग) |
|---|---|---|
| 1. | भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर | 740,000 |
| 2. | पेनोवीजन लिमिटेड, सिकन्दराबाद | 51,190 |
| 3. | जे०सी०टी० इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चंडीगढ़ | 90,191 |
| 4. | मुलार्द ट्यूब्स प्रा० लि०, नई दिल्ली | 161,654 |
| 5. | प्रकाश पाइप्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली | 560,000 |
| 6. | समटेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली | 1,266,419 |
| 7. | सुचित्रा टेलीट्यूब्स लिमिटेड, हैदराबाद | 1,107 |
| 8. | टेलीट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली | 312,394 |
| 9. | बेबेल वीडियो डिवाइसिस, लिमिटेड, कलकत्ता | 3,500 |

**हाइड्रोजन फ्यूजन से ऊर्जा**

7690. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग "हाइड्रोजन फ्यूजन" से ऊर्जा पैदा करने के बारे में अनुसंधान कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार का "मोबक्यूल फ्यूजन" से प्राप्त ऊर्जा पर आधारित नये परमाणु संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त ऊर्जा स्रोत से क्या लाभ होने की संभावना है ; और

(ङ) योजना का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) से (ङ). भारत में मुख्यतः लेसर संलयन से संबंधित कुछ परीक्षण किए जा रहे हैं। इस प्रकार के संलयन का मुख्य लाभ यह है कि संलयन की प्रक्रिया हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप को काम में लाकर की जाएगी तथा यह आइसोटोप समुद्र के जल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इस कारण से ऊर्जा का यह स्रोत, कम से कम सिद्धान्त रूप में तो, कभी समाप्त न होने वाला है। तथापि, इस बात को

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि ऊर्जा के इस स्रोत को वाणिज्यिक उपयोग में लाने में कई दशक लगेंगे।

**असम में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सहायता**

**7691. श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सातवीं योजना में कोई सहायता देने की व्यवस्था की गई है और आठवीं योजना में सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती)** : (क) और (ख). लाभ-भोगियों के निर्धारण तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा उन्हें प्रायोजित किए जाने के बाद, बैंक-ऋणों से स्वरोजगार की व्यवस्था करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1983-84 में असम सहित सम्पूर्ण देश के लिए एक स्कीम शुरू की थी। ऋण की राशि की उच्चतम सीमा औद्योगिक कार्यों के लिए 35,000 रु०, सेवा कार्यों के लिए 25,000 रु० तथा लघु व्यापार कार्यों हेतु 15,000 रु० है।

सरकार ऋण की राशि के 25 प्रतिशत तक पूंजी-सब्सिडी देती है, जिसकी अदायगी, ऋण के बदले समायोजन के लिए, सीधे बैंकों को की जाती है। यह स्कीम सातवीं योजना के अन्त तक चालू रहेगी तथा आठवीं योजना अभी तैयार की जानी है।

**आदिवासियों के उत्थान के लिए महाराष्ट्र को आबंटन**

**7692. श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) क्या योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में अब तक की प्रगति पर निगरानी रखी गई है ;

(ग) यदि हां, तो योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि में महाराष्ट्र में आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ नए कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव किया गया है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) महाराष्ट्र में सातवीं योजना के दौरान राज्य योजना परिव्यय में से आदिवासी उप-योजना के लिए अनुमानित धनराशि 525 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). जी, हां। सातवीं योजना के दौरान राज्य का 4,58,600 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रथम तीन वर्षों के दौरान 2,27,000

अनुसूचित जनजाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में, फरवरी, 1988 तक, 2,47,031 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई।

(घ) कदचिरोली, चन्द्रपुर तथा भंडारा जिलों के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आदिवासी किसान परिवारों के लिए एक नई योजना से स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे अन्तर्गत कुंए खोदने, पम्प सेट लगाने तथा बिजली प्रदान करने के लिए 20,000 रुपए तक सहायता दी जाएगी। एक अन्य योजना थाने, नासिक, धूले, रायगढ़, अहमदनगर, पुणे, जलगांव, अमरावती, नागपुर, नाडेड और यवतमाल जिलों के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे आदिवासी किसान परिवारों के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत, भूमि सुधार, लघु सिंचाई तथा उन्नत कृषि औजारों की आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यों के लिए अदिवासी परिवारों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर 9,650 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों की दूरवर्ती तथा अगम्य पाकेटों में सड़कों तथा पुलों के निर्माण की एक योजना है जिसे 1988-89 से क्रियान्वित किया जायेगा और जिसके लिए 1988-89 के दौरान 7.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

**मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को सुविधायें**

**7693. श्री राजकुमार राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को मिलने वाली वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

**संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए संस्थानों की सदस्य संख्या का प्रतिशत**

**7694. श्री राजकुमार राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारियों की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी एसोसियेशन संघ में एक श्रेणी के कर्मचारियों का कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए ; और

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में इस समय प्रत्येक एसोसियेशन/संघ में सदस्यों की प्रतिशतता की स्थिति क्या है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) इसके लिए ऐसी कोई प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पाकिस्तानी नागरिकों का प्रत्यावर्तन**

7695. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अदला बदली में या अन्यथा अपने किसी नागरिक को जिसमें जम्मू और काश्मीर की जेल में सजा पूरी कर ली या भारतीय प्रदेश में अतिक्रमण किया हो, वापस लेने से इंकार कर दिया है ;

(ख) क्या इनमें तथाकथित जम्मू और काश्मीर लिबरेशन फ्रंट के दो नेता भी शामिल हैं;

(ग) देश में उनमें से कितने व्यक्ति अदला बदली या देश से निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) सरकार का ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार करने का विचार है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने अपने उन दो राष्ट्रिकों को वापिस लेने से इन्कार कर दिया है जिन्हें जम्मू और काश्मीर में उनकी सजा पूरी होने के बाद 22 फरवरी, 1988 को भारत-पाकिस्तान सीमा पर प्रत्यावर्तन के लिए ले जाया गया था। ऐसा संदेह किया जाता है कि ये दोनों तथाकथित "जम्मू एवं काश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट" के हिमायती हैं।

(ग) दो ।

(घ) सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है और उसने इन्हें लेने के लिए अपनी तत्परता जाहिर की है।

**अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिये भारतीय वायुसेना के विमान**

7696. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वायुसेना की स्क्वाड्रन हैं ;

(ख) क्या जो बिमान अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हैं उन्हें मंत्रियों और राजनैतिक दलों के नेताओं के निजी उपयोग के लिये भी उपलब्ध कराया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1985, 1986 और 1987 में इन विमानों के ऐसे उपयोग से संबंधित ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) अति विशिष्ठ व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना का एक संचार स्क्वाड्रन है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय मंत्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा केवल सरकारी कार्यों के लिए प्रदान की जाती है । लेकिन प्रधान मंत्री, गैर-सरकारी दौरों/यात्राओं के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, भारतीय वायुसेना के विमानों/हेलीकाप्टरों का उपयोग करने के लिए हकदार हैं और उसके लिए अदायगी की जाती है । राजनैतिक नेताओं को, अदायगी करके भी भारतीय वायुसेना के विमान/हेलीकाप्टर प्रदान नहीं किए जाते ।

(घ) कथित वर्षों के दौरान मंत्रियों राजनैतिक नेताओं को निजी प्रयोजनों के लिए हवाई यात्रा की कोई सुविधा प्रदान नही की गई ।

**चीन की सेनाओं द्वारा भारत चीन सीमा पर गोलाबारी**

7697. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की सेनाओं द्वारा वर्ष 1985, 1986 और 1987 में भारत चीन सीमा पर वर्ष 1962 को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार कितनी बार गोलाबारी की गई ;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान चीन की सेनाओं ने इस सीमा रेखा को कितनी बार पार किया ;

(ग) क्या गोलाबारी अथवा शत्रुतापूर्ण ऐसी प्रत्येक कार्यवाही को चीनी अधिकारियों के साथ स्थानीय अथवा प्रशासन अथवा सरकार से सरकार के स्तर पर उठाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) से (घ). 1985 से 1987 की अवधि के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में भारत और चीन के मध्य तथा कथित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की कोई घटना नहीं हुई । इस अवधि के दौरान मैकमोहन रेखा, जो कि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, के आर-पार पूर्वी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई हैं । लेकिन जून, 1986 में चीन के कुछ सैनिक अरुणाचल प्रदेश की सुमदोरोंग चू घाटी में घुस आए ।

चूंकि भारत-चीन सीमा पर कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है और मैकमोहन रेखा की व्याख्या के मतभेद के कारण चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है, इसलिए इसका उल्लंघन होना संभव हो सकता है । इन मामलों पर चीन सरकार से बातचीत चल रही है । भारत सरकार की नीति ऐसी समस्याओं को शांतिपूर्वक बातचीत से निपटाने की रही है । चीन सरकार भी इस नीति से असहमत नहीं है ।

**स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन**

7698. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है ;

(ख) 1 अप्रैल, 1987 को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन की मंजूरी के कितने दावे लम्बित पड़े थे ;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने अतिरिक्त दावे प्राप्त हुए ;

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने दावे स्वीकार किए गए तथा कितने दावे रद्द किए गए ;

(ङ) ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है जो दावेदारों द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण लम्बित पड़े हुए हैं ; और

(च) कितने दावों में स्पष्टीकरण अथवा सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांगी गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)** : (क) और (ख). स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 जिसका नाम बदल कर स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 कर दिया गया, के अधीन प्राप्त हुए 4,46,062 आवेदनों में से 1 अप्रैल, 1988 को 1,44,972 मामलों में पेंशन प्रदान की गई है। राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। 1.4.1987 को अनिर्णीत मामलों की संख्या 4878 थी। यह संख्या 1.4.1988 को घट कर 1052 रह गई है।

(ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन, हैदराबाद सीमा शिविर मामलों और आर्य समाज आन्दोलन मामलों को छोड़कर जिनकी अन्तिम तारीख क्रमश: 25.10.1985 और 30.6.1986 थी आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31.3.1982 थी। निर्धारित अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाता जब तक आवेदन पत्र के साथ यातना झेलने के दावों को प्रमाणित करने के लिए सरकारी रिकार्ड से दस्तावेजी साक्ष्य और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के पर्याप्त कारण संलग्न नहीं हो।

(घ) वर्ष, 1987-88 के दौरान 3132 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई हैं।

(ङ) और (च). उपर्युक्त 1052 अनिर्णीत मामलों में से 414 मामले राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट न आने के कारण लम्बित हैं। शेष गैर-सरकारी संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षा किए जाने के लिए लम्बित हैं।

**विवरण**

| | राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का नाम | स्वीकृत मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 9068 |
| 2. | असम | 4122 |
| 3. | बिहार | 22373 |
| 4. | गुजरात | 3455 |
| 5. | गोवा | 708 |
| 6. | हरियाणा | 1427 |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश | 2 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 456 |
| 9. | जम्मू और काश्मीर | 1645 |
| 10. | कर्नाटक | 9853 |
| 11. | केरल | 2552 |

| 1 | | 2 |
|---|---|---|
| 12. | महाराष्ट्र | 15904 |
| 13. | मणिपुर | 62 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3203 |
| 15. | मेघालय | 74 |
| 16. | मिजोरम | 3 |
| 17. | नागालैण्ड | 3 |
| 18. | उड़ीसा | 3817 |
| 19. | पंजाब | 6141 |
| 20. | राजस्थान | 699 |
| 21. | तमिलनाडू | 3864 |
| 22. | त्रिपुरा | 704 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 17264 |
| 24. | पश्चिमी बंगाल | 16314 |
| | भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक | 18981 |
| | **संघ शासित क्षेत्र** | |
| 1. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 38 |
| 2. | चण्डीगढ़ | 82 |
| 3. | दिल्ली | 1876 |
| 4. | पांडिचेरी | 282 |
| | जोड़ : | 1,44,972 |

**नवीनतम कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए विदेशी सहायता**

7699. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नवीनतम कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए किसी देश से सहयोग का अनुरोध करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका की कंट्रोल डेटा इण्डो-एशिया कम्पनी से पहले जो साइबर-830 किस्म की कम्प्यूटर प्रणाली की प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई थी, सरकार अब उसका दर्जा बढ़ाकर साइबर-930 के बराबर करना चाहती है। साइबर-930 प्रणाली इस सिरीज में आधुनिकतम है।

## केरल को आदिवासी उप-योजना के लिए आवंटन

7700. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत केरल को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और केरल सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की;

(ख) चालू वर्ष के लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) उस योजना का वर्ष 1987-88 के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के रूप में क्या प्रभाव रहा है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) आदिवासी उप योजना के अंतर्गत केरल सरकार को वर्ष 1987-88 के दौरान आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 8.74 लाख रुपये है। इस राशि में से राज्य सरकार ने फरवरी, 1988 के अन्त तक 43.60 लाख रुपये खर्च किए हैं।

(ख) केरल सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता में से चालू वित्तीय वर्ष के लिए 92.00 लाख रुपये का अंतरिम आवंटन किया है।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता का आशय मुख्यत: परिवारोन्मुखी आय सम्बंधन योजनाओं का उपयोग करना है। 1987-88 के दौरान ऐसी योजनाओं से 4380 परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले, फरवरी, 1998 के अंत तक 4806 परिवारों को सहायता दी गई।

## शारीरिक रूप से विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना

7701. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांगों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विकलांगों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संगठनों से आगे आने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय सरकार की विकलांगों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से दो बड़ी योजनाएं हैं। इसमें गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजना के अनुमानित

लागत का 90% तक सहायक अनुदान दिया जाता है और केवल 10% संगठनों द्वारा स्वयं वहन करना होता है। योजना के अन्तर्गत उन्हें निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिया जाता है :—

1. विकलांगता का पता लगाना, प्राथमिक स्वरूप का उपचार करना तथा निवारण।

2. शिक्षा तथा/अथवा प्रशिक्षण।

3. पुनर्वास—शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक।

योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों का वेतन, आकस्मिक खर्चे, उपकरणों तथा अन्य अध्यापन सहायक यंत्रों की लागत भी दी जाती है। भवनों के निर्माण के लिए भी 5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक सहायक-अनुदान प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. "विकलांगों को सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने/लगाने हेतु सहायता की योजना" के अन्तर्गत भी स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सरकार विकलांगों को सहायक यंत्र/उपकरण प्रदान करती है जिनकी कीमत 25 रुपये और 3,000 रुपये के बीच होती है। (i) यदि उनकी आय 1,200 रुपये प्रति मास से कम हो तो नि:शुल्क और (ii) यदि आय 1,201 रुपये से 2,500 रुपये प्रति मास के बीच हो तो कीमत के 50% पर।

**अन्तरिक्ष प्रमोचक स्थल**

**7702. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में विशेष अंतरिक्ष प्रमोचक स्थल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कहां करने का विचार है; और

(ग) क्या इस स्थल की स्थापना के लिए किसी बाहरी देश ने सहायता देने की पेशकश की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : (क) और (ख). अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए मुख्य प्रमोचन केन्द्र आन्ध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में पहले से ही विद्यमान है। इसकी स्थापना अक्तूबर, 1971 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रथम राकेट छोड़ कर की गई थी। विविध परवर्ती प्रमोचनों के लिए इसका संवर्धन किया गया है। 1980-90 दशाब्द के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत सापेक्ष महत्व की योजना में कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से नई प्रमोचन रेंज की स्थापना करना शामिल है। इस सम्बन्ध में अध्ययन चल रहे हैं।

(ग) किसी विशेष प्रमोचन स्थल की स्थापना के लिए फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। भारत के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा सामान्यतया अनेक देशों के साथ भारत के लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को देखते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो, इस मामले पर विचार किया जायेगा।

**"काली बस्ती" फीचर फिल्म के विरुद्ध अभ्यावेदन**

7703. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी फीचर फिल्म "काली बस्ती" के सम्बन्ध में दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण संघ अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजा गया अभ्यावेदन समुचित कार्यवाही हेतु उनके मंत्रालय को भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, नहीं। इसे संस्कृति विभाग को भेज दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जातियों के बालकों और बालिकाओं के लिये होस्टलों के निर्माण हेतु धनराशि**

7704. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अनुसूचित जातियों के बालकों और बालिकाओं के लिये होस्टलों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों को धन मंजूर कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उड़ीसा को इस कार्य के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत इन वर्षों के दौरान उड़ीसा में विभिन्न स्थानों में कितने होस्टल भवनों का निर्माण किया गया और उन पर वस्तुतः कितनी धनराशि व्यय हुई ?

**कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव)** : (क) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के होस्टलों के निर्माण की पहले से ही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना को 1988-89 से लड़कों के होस्टलों के लिए लागू करने का प्रस्ताव सिद्धांत रूप में मान लिया गया है, जिसके ब्यौरे राज्य सरकारों की सलाह से तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) अनुसूचित जाति की लड़कियों के होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 7,09,850 रुपए, 10,00,000 रु० तथा 12,44,000 रुपये थी।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों में निर्मित होस्टल भवनों की संख्या तथा उन पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | होस्टलों की संख्या | राज्य सरकार के अंश समेत खर्च हुई राशि |
|---|---|---|
| 1985-86 | 16 | 15.677 लाख रुपए |
| 1986-87 | 23 निर्माणाधीन | 20.000 लाख रुपए |
| 1987-88 (प्रत्याशित) | 4 | 24.88 लाख रुपए |

## परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए सोवियत संघ से नया प्रस्ताव

7705. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत को तीन परमाणु बिजली संयंत्रों की सप्लाई करने के लिए नये प्रस्ताव की पेशकश की है, जैसा कि 28 मार्च, 1988 के कलकत्ता के "बिजनिस स्टेण्डर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन संयंत्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

## शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी

7706. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-बेरोजगारी के राज्यवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) सातवीं योजना के अन्त तक और शताब्दी के समाप्ति तक (एक) कितने पिछले बेरोजगार होंगे (दो) कितने नये बेरोजगार आ जायेंगे; और

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और क्या हाल ही में ऐसे आंकड़ों की संगणना के लिए मानदंडों में संशोधन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती)** : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट (संशोधित-संख्या 341) के अनुसार लिंग तथा आवास और सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की राज्यवार मात्रा, चालू दैनिक स्थिति और चालू साप्ताहिक स्थिति, जोकि उसके 38वें चक्रे (जनवरी-दिसम्बर 1988) के दौरान रोजगार-बेरोजगारी से सम्बन्धित अद्यतन पंचवर्षीय सर्वेक्षण के अनुसार है, **संलग्न विवरण** में दी गई है।

(ख) सातवीं योजना के दस्तावेज में अनुमान लगाया गया है कि 5+आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी का बैकलाग सातवीं योजना के प्रारम्भ में 9.20 मिलियन था और 5+आयु वर्ग का श्रमिक बल, जो मार्च 1985 में 305.40 मिलियन था, बढ़कर मार्च 1990 में 344.78 मिलियन और मार्च 2000 में 427.98 मिलियन हो जाएगा। सातवीं योजना दस्तावेज में यह भी अनुमान लगाया गया है कि सातवीं योजना के दौरान 40.36 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष के बराबर अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा और 1990-2000 के दौरान 91 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष के बराबर रोजगार का सृजन होगा।

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अद्यतन आकलन वर्ष 1983-84 के बारे में उपलब्ध हैं जोकि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38 में चक्रे पर आधारित है। वर्ष 1983-84 के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार 40.09 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा के आधार पर और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुरूप 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमास की गरीबी की रेखा के आधार पर लगाया गया है। वर्ष 1984-85 की कीमतों के आधार पर अद्यतन बनाई गई गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 107 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है और शहरी क्षेत्र में, 122 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह है।

**विवरण**

**ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या और प्रतिशतता : 1983-84 (अंतिम)**

| क्र० सं० | राज्य | ग्रामीण | | शहरी | | मिश्रित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 164.4 | 38.7 | 40.7 | 29.5 | 205.1 | 36.4 |
| 2. | असम | 44.9 | 23.8 | 4.9 | 21.6 | 49.8 | 23.5 |
| 3. | बिहार | 329.4 | 51.4 | 36.1 | 37.0 | 365.5 | 49.5 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 67.7 | 27.6 | 19.9 | 17.3 | 87.6 | 24.3 |
| 5. | हरियाणा | 16.2 | 15.2 | 5.5 | 16.9 | 21.7 | 15.6 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 5.8 | 14.0 | 0.3 | 8.0 | 6.1 | 13.5 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 8.1 | 16.4 | 2.2 | 15.8 | 10.3 | 16.3 |
| 8. | कर्नाटक | 102.9 | 37.5 | 34.7 | 29.2 | 137.6 | 35.0 |
| 9. | केरल | 55.9 | 26.1 | 15.6 | 30.1 | 71.5 | 26.8 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 218.0 | 50.3 | 36.9 | 31.1 | 254.9 | 46.2 |
| 11. | महाराष्ट्र | 176.1 | 41.5 | 55.9 | 23.3 | 232.0 | 34.9 |
| 12. | मणिपुर | 1.3 | 11.7 | 0.6 | 13.8 | 1.9 | 12.3 |
| 13. | मेघालय | 3.9 | 33.7 | 0.1 | 4.0 | 4.0 | 28.0 |
| 14. | उड़ीसा | 107.7 | 44.8 | 10.4 | 29.3 | 118.1 | 42.8 |
| 15. | पंजाब | 13.7 | 10.9 | 10.7 | 21.0 | 24.4 | 13.8 |
| 16. | राजस्थान | 105.0 | 36.6 | 21.2 | 26.1 | 126.2 | 34.3 |
| 17. | तमिलनाडु | 147.6 | 44.1 | 52.6 | 30.9 | 200.2 | 39.6 |
| 18. | त्रिपुरा | 4.6 | 23.5 | 0.5 | 19.6 | 5.1 | 23.0 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 440.0 | 46.5 | 90.6 | 40.3 | 530.6 | 45.3 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 183.9 | 43.8 | 41.2 | 26.5 | 225.1 | 39.2 |
| 21. | नागालैण्ड, सिक्किम और संघ राज्य क्षेत्र | 17.9 | 47.4 | 14.4 | 17.7 | 32.3 | 27.1 |
| | अखिल भारतीय | 2215.0 | 40.4 | 495.0 | 28.1 | 2710.0 | 37.4 |

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास की गरीबी की रेखा और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार 56.64 रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमास की गरीबी की रेखा का उपयोग कर प्राप्त किए गए हैं।

2. वर्ष 1983-84 के लिए गरीबी की रेखा को अद्यतन बनाने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का निजी उपभोग सम्बन्धी।

3. ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के पारिवारिक उपभोग व्यय के 38वें चक्र (जनवरी, 1983 से दिसम्बर 1983) से सम्बन्धित अनन्तिम और त्वरित सारणीकरण पर आधारित हैं।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में अनुमानित अखिल भारतीय समुचित निजी उपभोम व्यय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त व्यय के बीच जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में किसी सूचना के अभाव में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित कर दिया गया है।

5. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

**लोक सभा के 20-4-88 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7706 के भाग (क) से सम्बन्धित विवरण**

**लिंग और आवास के आधार पर बेरोजगारी* की मात्रा (प्रतिशत)**

(प्रतिशत)

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सामान्य (मुख्य) स्थिति | | | | चालू साप्ताहिक स्थिति | | | | चालू दैनिक स्थिति | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण पुरुष | ग्रामीण स्त्री | शहरी पुरुष | शहरी स्त्री | ग्रामीण पुरुष | ग्रामीण स्त्री | शहरी पुरुष | शहरी स्त्री | ग्रामीण पुरुष | ग्रामीण स्त्री | शहरी पुरुष | शहरी स्त्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1.44 | 0.91 | 5.39 | 5.10 | 3.52 | 4.79 | 6.47 | 6.65 | 7.87 | 10.54 | 9.43 | 12.09 |
| 2. | असम | 2.83 | 3.79 | 4.94 | 11.15 | 2.56 | 4.11 | 5.08 | 9.18 | 3.47 | 5.98 | 6.52 | 9.41 |
| 3. | बिहार | 2.35 | 0.58 | 5.56 | 2.06 | 3.37 | 5.31 | 5.47 | 2.38 | 7.06 | 10.66 | 6.77 | 5.54 |
| 4. | गुजरात | 1.02 | 0.53 | 5.07 | 3.67 | 1.06 | 0.96 | 5.78 | 2.33 | 5.15 | 4.77 | 7.72 | 5.22 |
| 5. | हरियाणा | 3.80 | 0.45 | 4.50 | 8.01 | 5.15 | 0.91 | 5.69 | 8.16 | 6.69 | 2.95 | 7.57 | 9.72 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2.21 | 0.58 | 8.15 | 8.55 | 2.05 | 0.72 | 7.70 | 8.62 | 2.24 | 0.81 | 8.12 | 9.75 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 0.83 | 1.55 | 3.49 | 12.05 | 7.17 | 2.57 | 3.88 | 11.87 | 8.55 | 2.85 | 4.69 | 12.29 |
| 8. | कर्नाटक | 1.02 | 0.69 | 5.66 | 5.48 | 2.27 | 3.11 | 5.45 | 6.07 | 6.61 | 8.32 | 8.97 | 9.28 |
| 9. | केरल | 10.56 | 17.03 | 11.93 | 25.64 | 13.41 | 19.33 | 13.87 | 23.23 | 24.31 | 31.01 | 22.67 | 28.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | मध्य प्रदेश | 0.43 | 0.14 | 3.43 | 1.53 | 1.24 | 0.97 | 4.70 | 3.12 | 2.07 | 1.81 | 5.75 | 4.86 |
| 11. | महाराष्ट्र | 1.27 | 0.14 | 5.92 | 4.82 | 3.14 | 2.67 | 7.20 | 7.15 | 6.25 | 7.23 | 9.05 | 10.44 |
| 12. | मणिपुर | 0.65 | — | 0.47 | 0.15 | 0.74 | — | 0.47 | 0.15 | 0.26 | 0.53 | 0.48 | 0.16 |
| 13. | मेघालय | 0.77 | 0.12 | 8.49 | 10.09 | 0.98 | 1.82 | 8.09 | 13.22 | 3.20 | 4.10 | 9.08 | 14.60 |
| 14. | उड़ीसा | 1.84 | 1.25 | 5.43 | 6.32 | 3.60 | 5.92 | 6.22 | 8.25 | 7.82 | 11.79 | 8.47 | 10.85 |
| 15. | पंजाब | 3.15 | 11.66 | 3.95 | 9.55 | 3.87 | 5.71 | 4.94 | 8.10 | 6.97 | 9.25 | 7.07 | 9.38 |
| 16. | राजस्थान | 0.75 | 0.13 | 4.22 | 1.32 | 2.59 | 0.88 | 4.53 | 2.05 | 3.50 | 1.55 | 5.54 | 4.13 |
| 17. | तमिलनाडु | 3.32 | 2.85 | 7.86 | 8.33 | 8.12 | 8.48 | 9.83 | 10.07 | 17.59 | 20.53 | 15.08 | 16.06 |
| 18. | त्रिपुरा | 1.69 | 18.63 | 7.09 | 28.24 | 2.27 | 19.57 | 6.48 | 29.02 | 3.77 | 22.45 | 7.75 | 29.02 |
| 19. | सिक्किम | 1.63 | 0.86 | 9.60 | 6.28 | 1.70 | 0.03 | 11 24 | 0.26 | 2.01 | 2.01 | 12.90 | 9.77 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 1.31 | 0.12 | 4.54 | 3.58 | 1.97 | 1.42 | 5.26 | 3.51 | 3.65 | 2.46 | 7.44 | 5.56 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 3.05 | 4.52 | 9.80 | 18.43 | 6.37 | 14.74 | 9.96 | 14.98 | 14.36 | 24.01 | 12.72 | 17.01 |
| 22. | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 3.84 | 4.63 | 6.47 | 28.02 | 3.69 | 4.31 | 8.15 | 28.69 | 4.89 | 5.02 | 9.23 | 31.05 |
| 23. | चण्डीगढ़ | 5.75 | — | 8.19 | 17.46 | 5.69 | 3.92 | 0.73 | 21.40 | 5.69 | 6.01 | 0.76 | 23.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. दादरा व नगर हवेली | 1.06 | 0.47 | — | — | 3.60 | 3.34 | — | — | 12.04 | 7.01 | — | — |
| 25. दिल्ली | 3.69 | — | 3.30 | 4.92 | 9.05 | — | 3.17 | 4.30 | 11.17 | — | 4.11 | 5.66 |
| 26. गोवा, दमन व दीव | 1.83 | 4.91 | 6.26 | 17.12 | 3.01 | 2.62 | 9.61 | 11.51 | 5.92 | 12.41 | 12.42 | 14.22 |
| 27. मिजोरम | 0.06 | — | 1.22 | 1.20 | 0.06 | 0.15 | 1.27 | 1.15 | 0.25 | 0.20 | 1.26 | 1.08 |
| 28. पांडिचेरी | 2.43 | 3.30 | 10.11 | 8.40 | 12.63 | 11.79 | 14.02 | 6.64 | 28.11 | 35.87 | 18.00 | 14.70 |
| 29. नागालैंड | — | — | 0.38 | — | — | — | 0.38 | — | — | — | 0.38 | — |
| अखिल भारत | 2.12 | 1.41 | 5.86 | 6.90 | 3.72 | 4.26 | 0.69 | 7.46 | 7.52 | 0.98 | 9.23 | 10.99 |

स्रोत : रोजगार और बेरोजगारी से सम्बन्धित तीसरा पंचवर्षीय सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट (संशोधित—सं० 341 नवम्बर 1987) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 38वां चक्र (जनवरी—1988)—सारणी संख्या 25

*श्रम शक्ति की तुलना में बेरोजगारी की दर।

**सिक्किम के कर्मचारियों पर गोलाबारी**

**7707. श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार से अनुरोध प्राप्त हुये हैं कि सिलीगुडी से रंगपो को आवश्यक खाद्य वस्तुएं तथा पैट्रोलियम तेल ले जा रहे सिक्किम के कर्मचारियों पर दार्जिलिंग की पुलिस तथा अर्धसैन्य बलों द्वारा गोलियां चलाये जाने की हाल की घटनाओं की जांच की जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिक्किम में आवश्यक खाद्य वस्तुओं तथा पैट्रोलियम उत्पादों को बेरोक टोक ले जाये जाने को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सिक्किम सरकार के अनुसार 23 फरवरी, 1988 को सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के दल ने दार्जिलिंग जिले में सिंगला से 30 असैनिक व्यक्तियों का पीछा करते समय सिक्किम की सीमा में प्रवेश किया था। इस छापामार दल ने वापस आते समय सिक्किम नेशनलाईज्ड ट्रान्सपोर्ट पैट्रोल टैंकर पर कथित रूप से गोली चलाई। पश्चिम बंगाल सरकार जिसके साथ मामला उठाया गया था, ने सूचित किया है कि उक्त दल जो पश्चिम बंगाल की ओर के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, पर गो०रा०मु०मो० के लड़ाकू व्यक्तियों द्वारा घात लगाई गयी थी। गोला-बारी के दौरान यद्यपि, गो०रा०मु०मो० के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए लेकिन अन्य बदमाश सिक्किम में भाग गये और पुलिस दल पर सिक्किम की ओर से गोली-बारी करते रहे। गो०रा०मु०मो० के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के कारण पुलिस दल को दूसरे मार्ग द्वारा दार्जिलिंग वापस आने के लिए सिक्किम के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने जिला प्रशासन को जहां आवश्यक है, व्यवहार्य सीमा तक मार्गरक्षकों की व्यवस्था करने की सलाह दी है। सेना को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क पर असैनिक परिवहन के साथ सेना की कारवाई को समसामायिक बनाने के लिए भी आवश्यक अनुदेश दिए गए थे।

**परिवहन नीति की पुनरीक्षा**

**7708. श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की संपूर्ण परिवहन नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि योजना आयोग ने एक संचालन समिति का गठन किया है जो परिवहन क्षेत्रक के बारे में वर्ष 2000 तक के समय—

क्षितिज के लिए एक ऐसी भावी योजना बनाएगी जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से एकीकृत हो और जिसमें नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हों।

**पंजाब में हत्यायें**

7709. **श्री कमल चौधरी :**

**श्री लक्ष्मण मलिक :**

**श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**

**श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :**

**श्री रामभगत पासवान :**

**श्री एस०एम० गुरड्डी :**

**श्री जी०एस० बसवराजू :**

**श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान पंजाब में महीने-वार तथा जिले-वार कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) उक्त अवधि में सुरक्षा बलों द्वारा कितने उग्रवादी मारे गये, कितने उग्रवादी पकड़े गये, कितने उग्रवादी रिहा किये गये तथा कितने हथियार बरामद किये गये; और

(ग) शांति के माध्यम से पंजाब में सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इस वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्य में 549 व्यक्ति मारे गये थे। जिलेवार तथा महावार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

| जिले का नाम | जनवरी | फरवरी | मार्च |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अमृतसर | 74 | 90 | 160 |
| गुरदासपुर | 26 | 23 | 18 |
| होशियारपुर | 3 | 5 | 37 |
| जालंधर | 1 | 8 | 18 |
| कपूरथला | 2 | 6 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| फरीदकोट | 11 | 1 | 9 |
| संगरूर | 11 | — | 1 |
| फिरोजपुर | 5 | — | 5 |
| पटियाला | 4 | 5 | — |
| लुधियाना | 4 | 2 | 1 |
| भटिंडा | 2 | 1 | 2 |
| कुल | 143 | 141 | 265 |

उक्त अवधि के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ों में 44 आतंकवादी मारे गये थे और 670 पकड़े गये थे।

उक्त अवधि के दौरान रिहा किये गये आतंकवादियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1988 के पहले तीन महीनों के दौरान राज्य में पुलिस द्वारा रिवाल्वरों, पिस्तोलों, राइफलों, बन्दूकों, कारबाईन, एल०एम०जी०/एस०एम०जी०, 14 राकेटों, 7 राकेट-लांचरों, 3 राकेटों के खाली खोलों, टैंक भेदी ग्रेनेडों की 14 पावर चार्ज यूनिटों, 18 लिवर डिवाइसेस, 48 बम/ग्रेनेडों सहित 335 हथियार और 12,980 कारतूस बरामद किये गये। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई।

(ग) बातचीत द्वारा तथा आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में लोगों को शामिल करके पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।

**आंध्र प्रदेश की केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी परियोजनाएं**

**7710. श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

**(क)** क्या आंध्र प्रदेश सरकार की कई परियोजनाएं/योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

**(ग)** इन परियोजनाओं/योजनाओं को स्वीकृति कब प्रदान की जायेगी ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) पांच मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, अर्थात् बग्गा वंका, वोत्तिवागु, मदुवालसा, आन्ध्र तथा वेंगलराया सागरम योजना आयोग के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं।

**(ख)** और (ग). वे परियोजनाएं राज्य सरकार से वनों की दृष्टि से मंजूरी मिलने की सूचना उपलब्ध न होने के कारण लंबित पड़ी हैं।

### मथुरा जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के मामले

**[हिन्दी]**

**7711. श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है; और

(ग) इनको निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)** : (क) से (ग). जुलाई-अगस्त, 1986 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सभी लंबित मामलों को निपटा दिया गया था और जहां आवेदकों ने स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उन्हें पेंशन स्वीकृत की गयी थी। तथापि, मथुरा जिले के तीन इस प्रकार के मामले थे जिनमें आवेदकों ने 1938-39 में भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आन्दोलन के संबंध में यातना भुगतने का दावा किया था। इनमें से दो मामलों में पेंशन स्वीकृत की गयी है और एक मामले को रद्द किया गया है।

### "आपरेशन ब्ल्यू स्टार" के दौरान की गई गिरफ्तारियां

**[अनुवाद]**

**7712. श्री अजय मुशरान** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आपरेशन ब्ल्यू स्टार" के दौरान स्वर्ण मन्दिर से कितने व्यक्ति पकड़े गए थे;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दायर किए गए हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को उनके विरुद्ध मामले दायर किए बिना अभी तक बंद रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार पकड़े गए उन व्यक्तियों को, जिनके विरुद्ध कोई मामला दायर नही किया गया है, रिहा करने पर विचार कर रही है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम)** : (क) 1592 व्यक्ति पकड़े गये थे।

(ख) 380 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) कोई नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### सातवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर

**7713. श्री राम भगत पासवान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कितनी विकास-दर प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : योजना दस्तावेज के अनुसार सातवीं योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमानित क्षेत्रकीय मूल्य वर्धित संवृद्धि दरें निम्नलिखित हैं :—

| क्र० सं० | क्षेत्रक | खंड लागत पर सफल वर्धित मूल्य के अनुसार संवृद्धि की अनुमानित क्षेत्रकीय वार्षिक दरें (प्रतिशत वार्षिक मिश्रित) (1985-90)/(1984-85) |
|---|---|---|
| 1. | कृषि | 2.5 |
| 2. | खनन और विनिर्माण | 6.8 |
| | (क) खनन | 11.7 |
| | (ख) विनिर्माण | 5.5 |
| 3. | बिजली, गैस और जल पूर्ति | 7.9 |
| 4. | निर्माण कार्य | 4.8 |
| 5. | परिवहन | 7.1 |
| 6. | सेवाएं | 6.1 |

## राष्ट्रीय ध्वज का अनधिकृत निर्माण तथा बिक्री

[हिन्दी]

**7714. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी व्यक्ति आई० एस० आई० मार्क के बिना राष्ट्रीय ध्वज को तैयार कर सकता है तथा उसे बेच सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई नियम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है जो गैर-याचकीकृत राष्ट्रीय ध्वज अथवा ऐसा राष्ट्रीय ध्वज, जिस पर अशोक चक्र समुचित रूप से अंकित नहीं है, तैयार करवाते हैं अथवा उसकी बिक्री करते हैं ?

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय ध्वज के लिए विशिष्टताएं राष्ट्रीय मानक संस्थान, पुनः नामित भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानकीकृत की गई है। केवल तीन संगठन, नामतः खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, तमिलनाडु सर्वोदय संघ तिरूपुर और आयुद्ध कपड़ा फैक्ट्री, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने और बेचने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ग) ऐसी कार्यवाहियां चिन्ह और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

**राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा परिवार नियोजन के लिये नई विधि का विकास**

**[अनुवाद]**

**7715. श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने हाल ही में परिवार नियोजन की नई विधि विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता**

**7716. डा० बी० वेंकटेश** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना बनाने वालों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने राज्यों से बिजली परियोजनाओं पर व्यय के लिए अपनी नियत की गई धनराशि में वृद्धि करने और पारेषण लाइनों पर अधिक पूंजी निवेश करने का आग्रह किया है; और

(ग) सरकार ने बिजली की समस्या को हल करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजना आयोग ने गत वर्षों में विद्युत परियोजनाओं तथा पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के परिव्यय में वृद्धि की है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

| | विद्युत उत्पादन* | पारेषण एवं वितरण* |
|---|---|---|
| छठी योजना | 11852.00 | 5412.00 |
| सातवीं योजना | 21302.63 | 9198.00 |
| वार्षिक योजना—1985-86 | 3988.93 | 1350.77 |
| वार्षिक योजना—1986-87 | 4844.69 | 1798.21 |
| वार्षिक योजना—1987-88 | 5306.97 | 2161.49 |

(*पूर्वोत्तर परिषद के अतिरिक्त)

(ग) सरकार द्वारा विद्युत-समस्या से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ये शामिल हैं। नई क्षमता को शीघ्र चालू करके तथा जल्दी पूरी हो जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करके विद्युत उत्पादन में वृद्धि ; नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के जरिए मौजूदा विद्युत स्टेशनों के कार्य-निष्पादन में सुधार; पारेषण और वितरण हानियों में कमी; मांग--प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण के उपायों का कार्यान्वियन; दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा और माइक्रो जल-विद्युत के जरिए विद्युत का विकेन्द्रीकृत उत्पादन; बायो गैस तथा विकसित चूल्हों के कार्यक्रमों का विस्तार करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा-पूर्ति में वृद्धि। ऊर्जा के सभी स्रोतों के इष्टतम उपयोग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र-आधारित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं तथा परियोजनाओं के आयोजन तथा कार्यान्वियन के लिए राज्यों में क्षमताओं के विकास के वास्ते सातवीं योजना में एक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजन कार्यक्रम शामिल किया गया है।

---

**12.00 मध्याह्न**

(**व्यवधान**)

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपका नाम बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री माधव रेड्डा, पहले मैं आपका स्थगन प्रस्ताव निपटा रहा हूं।

**श्री सी० माधव रेड्डी** (आदिलाबाद) : महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव, केन्द्र राज्य संबंधों के एक गम्भीर मामले के बारे में है जो एक झूठे मामले से सम्बन्धित है जिसमें आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा विपक्ष के अन्य नेता अन्तर्ग्रस्त हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और उन्हे अपमानित किया जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यहें राजनीति से प्रेरित है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री माधव रेड्डी, यह मामला न्यायालय में है। इसलिए यह निर्णयाधीन है। हम एक निर्णयाधीन मामले पर विचार नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : इस मामले में कोई दम नहीं है। यह राजनीति से प्रेरित है। ···(**व्यवधान**)···

**उपाध्यक्ष महोदय** : चूंकि यह मामला न्यायालय में है, मैं इस पर यहां चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। हम एक निर्णयाधीन मामले पर चर्चा नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : चाहे कुछ भी हो, हम इस मामले को स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं ले सकते क्योंकि यह मामला न्यायालय में है। यह निर्णयाधीन है। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

**(व्यवधान)**

**श्री एम०रघुमा रेड्डी** (नलगोंडा) : यह राजनीति से प्रेरित है **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री वी० तुलसीराम** (नगरकूरनूल) : सब झूठा केस है। झूठा केस बना कर तंग करना क्या उचित कहा जा सकता है।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया शान्त रहिए। मैं अपना निर्णय दे चुका हूं। श्री जयपाल रेड्डी।

**(व्यवधान)**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूब नगर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की हत्या कर दी गई है। महोदय, यह आवश्यक है कि भारत के गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

**(व्यवधान)**

मणिपुर में के०रि०पु०ब० के दस जवान एक घात लगाकर मारे गए और पैसा भी लूट लिया गया। के०रि०पु०ब० के ये जवान मारे गए हैं। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इसे स्थगन प्रस्ताव के रुप में नहीं ले सकते। यदि आप किसी अन्य रूप में दें, तो हम देखेंगे।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कुनदेईवेलू।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : तिवारी जी, कल मैंने उस तरफ से शुरू किया था। आज मैं इधर से शुरू कर रहा हूं।

श्री कुलनदेईवेलु।

**श्री पी० कुलनदेईवेलु** (गोबिचेट्टिपालयम) . मैंने माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। 17.4.88 को 'इण्डियन एक्सप्रेस' में···

**श्री दिनेश गोस्वामी** (गौहाटी) : इस बारे में मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह विशेषाधिकार का मामला है। आप कृपया मेरी बात सुनें ··**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले उन्हें कहने दें।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : जब भी हम कोई विशेषाधिकार का मामला उठाते हैं तो आप हमें अनुमति नहीं देते। प्रक्रिया में कुछ एकरूपता होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हे वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी है। यह स्वीकार हो या न हो, मैंने इस बारे में अपना विनिर्णय कभी नहीं दिया है। वह यह मामला यूं ही उठा रहे हैं।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : यह एक पूर्व दृष्टांत होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने के मामले में आप हमारी बात सुनेंगे। मैं यह कहता हूं कि प्रक्रिया में कुछ एकरूपता होनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कई ऐसे मामले हैं जिनमें कई सदस्य दूसरे सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामलें उठाते हैं। इसमें नई बात क्या है ? हम इस मामले के गुणावगुणों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

**श्री पी० कुलनदेईवेलू** : मैंने श्री जयपाल रेड्डी द्वारा बोफोर्स सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति के बारे में दिए गए प्रेस वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की सूचना दी है **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं···

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहता। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : चूंकि उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता।

**श्री पी० कुलनदेईवेलू** : उन्हे प्रेस में दिए गए वक्तव्य से इनकार करने दें। मैं इस समिति का सदस्य हूं। **(व्यवधान)***

**श्री दिनेश गोस्वामी** : मैंने आपत्ति की, फिर भी आपने उन्हें अनुमति दी। अब जयपाल रेड्डी को भी अनुमति देनी चाहिए···**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : उन्होंने श्री जयपाल रेड्डी के वक्तव्य का जिक्र किया है। इसलिए, यह फैसला करने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, जिस प्रकार आपने उन्हें बयान देने की अनुमति दी है, उसी प्रकार श्री जयपाल रेड्डी को भी वक्तव्य देने की अनुमति मिलनी चाहिए।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : आपने मेरी आपत्ति अस्वीकार करके श्री कुलनदेईवेलू को अनुमति दी। अब आपको श्री जयपाल रेड्डी को भी अनुमति देनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री कुलनदेइवेलू की टिप्पणी को भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल होने की अनुमति नहीं दूंगा।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : यह रिकार्ड में शामिल किया गया है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं ।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : मैंने आरम्भ में ही आपत्ति की थी । आपने इसे नामंजूर करके उन्हें अनुमति दी । अब आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाल सकते ··· **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री कुलनदेईवेलू की टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होने दूंगा । मैंने सोचा वह कुछ और कह रहे हैं ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आपको श्री जयपाल रेड्डी को भी अनुमति देनी चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों को अनुमति देने से क्या लाभ, जब मैं श्री कुलनदेइवेलू की टिप्पणी ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं ।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : आपने किस नियम के अन्तर्गत इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला है ? आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से तभी निकाल सकते हैं जब यह असंसदीय हो···**(व्यवधान)**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री कुलनदेईवेलू ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है । उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं और एक मेरे बयान का जिक्र किया है । अब आप कहते हैं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है···**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उनके बयान को अनुमति नहीं दे रहा हूं । उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । बस...

**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समिति है । महोदय···**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जयपाल रेड्डी, आप पहले मेरी बात सुनिये, फिर बोलिए । आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं···

**(व्यवधान)**

**श्री एस०जयपाल रेड्डी** : नहीं, उन्होंने टिप्पणी की है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कुलनदेईवेलू ने भी कहा है कि आपने जो कहा वह आरोप है···

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया आप मेरी बात सुनिए । मैं अब कह रहा हूं कि श्री कुलनदेईवेलू ने आरोप के रूप में जो कुछ भी कहा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया गया है । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।···

**(व्यवधान)**

**श्री पी० कुलनदेईवेलू** : महोदय, यह किसी सदस्य के विरुद्ध आरोप नहीं है। उन्होंने प्रेस वक्तव्य जारी किया है और मैंने प्रेस वक्तव्य के आधार पर कहा है···**व्यवधान****

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : महोदय, मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। महोदय, चूंकि कुलनदेईवेलू इस प्रश्न पर विचार किए जाने से पूर्व इस मामले में अपनी बात कह चुके हैं, आपको मुझे भी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए···**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप दोनों को ही अनुमति नहीं दे रहा हूं···

**(व्यवधान)**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : अन्यथा मेरा मामला गलत हो जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप दोनों को ही अनुमति नहीं दे रहा हूं···

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपसे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता। श्री कुलनदेईवेलू ने भी जो कहा है मैं उसकी भी अनुमति नहीं दे रहा हूं···

**(व्यवधान)**

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : महोदय, आज निर्वाचन आयोग ने उप चुनावों की तारीखें घोषित की हैं। चूंकि यह रमजान का महीना है, इस देश के लाखों मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंची है **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी** (हैदराबाद) : मैं यह कह रहा हूं कि इलैक्शन जो...

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** (एटा) : रमजान शरीफ़ का महीना है, इसे 15 दिन बढ़ा दें तो क्या नुक्सान है ? कैसे आदमी जाएंगे कन्वेंसिंग के लिए क्या करना है, रमजान की प्रेस्टीज का सवाल है।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है। यह एक स्वतंत्र निकाय है।

**[हिन्दी]**

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : इसलिए 15 दिन बढ़ा दें। हम यह नहीं कहते हैं कि इलैक्शन न हो, लेकिन 15 दिन बढ़ा दें।

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी** : 15 दिन बढ़ा दीजिए, रमजान का महीना है। इसका मतलब है आप चाहते है कि मुसलमान वोट न दें। महज इसलिए साजिश की गई है। यह साजिश कि हमारे वोट न जावें

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्वाचन आयोग ही इस बारे में निर्णय कर सकता है...

(**व्यवधान**)

**[हिन्दी]**

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : यह बिल्कुल सही है। यह इसीलिए रखा गया है कि मुसलमान वोट न दें। इसलिए इसको 15 दिन बढ़ा दें।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** इस मामले में आप अपना मत पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। फिर भी तारीख तो चुनाव आयोग को निश्चित करनी है...

**[हिन्दी]**

**श्री सुलतान लाउद्दीन ओवैसी** : होम मिनिस्टर जवाब दें। (**व्यवधान**)

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : होम मिनिस्टर जवाब दें, आप मुसलमानों का वोट नहीं चाहते क्या ?

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अब इस मामले को छोड़ दें। गृह मंत्री इस मामले में अभी वक्तव्य कैसे दे सकते हैं। नहीं, वह अभी वक्तव्य नहीं दे सकते। चुनाव आयोग को ही तारीखें निर्धारित करना है। आप अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। अब इसे छोड़ दें।

**[हिन्दी]**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी** : हर वक्त हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। यह जानते हुए कि रमजान का महीना है। होम मिनिस्टर जवाब दें, वह जवाब क्यों नहीं देते ?

**[अनुवाद]**

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, उनका सुझाव ठोस है। यह सही है कि चुनाव आयोग को तारीखें घोषित करनी होती हैं। किन्तु वह जानना चाहते हैं कि इस पर गृह मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है, ताकि वह चुनाव आयोग को सिफारिश कर सकें। आप गृह मंत्री जी से क्यों नहीं कहते ? (**व्यवधान**)

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** : महोदय, कृपया गृह मंत्री जी से कहें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं उनसे नहीं कह सकता...

(**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं तो मैं किसी भी मंत्री से वक्तव्य देने के लिए नहीं कह सकता। मैंने ऐसा न कभी किया है और न ही करूंगा।

**(व्यवधान)**

**श्री बलवंत सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : गृह मंत्री जी आप उत्तर क्यों न देते ? **(व्यवधान)**

**गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह)** : महोदय, माननीय प्रोफेसर मधु दण्डवते ने प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहा है। वह एक अनुभवी संसदविद हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों में हस्तक्षेप नही करते। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि रमजान के दौरान चुनाव हुए हों। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की भावनाएं मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचा दूंगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैंने भी यही कहा था। आप उनकी भावनाएं मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचा सकते हैं। **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : आप जो इलेक्शन करा रहे हैं, उसके मायने तो यह हैं कि इस रमजान के महीने में इलेक्शन कराकर मुस्लिम वोट नहीं चाहते इसका होम मिनिस्टर जवाब दें। **(व्यवधान)**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी** : हम अपना वोट किस तरह से इस्तेमाल करें। आप हमारा वोट नहीं चाहते हैं। आप तो रमजान के महीने में इलेक्शन करा रहे हैं। आप इसकी तारीख 15 दिन आगे की करवा दें। आप इसके लिए सिफारिश कीजिए।

**[अनुवाद]**

**सरदार बूटा सिंह** : मुझे खेद है कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश नहीं दे सकते। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को उन तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन यह भी सच है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस आदेश के जारी होने से पूर्व इसका उल्लेख मुख्य चुनाव आयुक्त से किया था। मैं इस सम्माननीय सदन की भावनाएं उन तक पहुंचा दूंगा। **(व्यवधान)**

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसे मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचा सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं पहुंचा सकता। मैं कैसे पहुंचा सकता हूं।

**(व्यवधान)**

**श्री अजय मुशरान** (जबलपुर) : महोदय भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के सम्बन्ध में मैंने आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी। हर बार हम प्रश्न पूछते हैं पर गलती से वह छूट जाता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बारे में हम बाद में निर्णय ले सकते हैं। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं···?

**श्री अजय मुशरान** : जी हां, महोदय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा। मैं आपके अनुरोध पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री निर्मल खत्री** (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मसला तो वही था जिसको कि उन्होंने पेश किया था और गृह मंत्री जी ने उस पर आश्वासन भी दे दिया है।

[अनुवाद]

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : महोदय, अन्त में आपने मेरे लिए वक्त निकाल ही लिया। आपका धन्यवाद। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मसले को उठाने जा रहा हूं। महोदय, ईरान और ईराक की लड़ाई से, जोकि स्थानीय लड़ाई थी, अब विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है। अमरीका के युद्ध पोतों ने ईरान के तेल के अड्डों को नष्ट कर दिया है और घोषणा की है कि वह ईरान पर हमला करेगा। इस बीच एक और महाशक्ति सोवियत संघ ने अमरीका को चेतावनी दी है कि वह यह कदम न उठाए। इसलिए अब यह महाशक्तियों के बीच टकराव है और विश्व युद्ध में भी बदल सकता है। आज विदेश मंत्री चर्चा का जवाब देंगे इसलिए मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो खतरनाक घटनाएं घट रही हैं उसका सकारात्मक उत्तर दिया जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं निर्देश नहीं दे सकता। मेरे विचार से वह आपके मुद्दे को ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से अपने उत्तर में वे इस पर विचार करेंगे।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी के ध्यान में एक मामला लाना चाहता हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र और केरल की जनता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक एडवोकेट····

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। मंत्री जी भी मेरे ख्याल से कल इस पर जबाब दे चुके हैं। इसे दोबारा क्यों उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक एडवोकेट की हत्या कर दी गई।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, जी नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : सम्बन्धित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र पर असर पड़ रहा है। हत्या की गई···**—

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। मंत्री जी कल इसका जबाब दे ही चुके हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का 'प्रश्न' है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अपना विनिर्णय देन से पूर्व आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें। महोदय, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में···

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं विनिर्णय दे चुका हूं। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : यह कैसे होगा, जब वायोलेशन हो रहा है ? मैं होम मिनिस्टर से चाहता हूं कि मैट्रोपोलिटन कौंसिल का चुनाव न हो इस टाइम में। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब आज बयान दें। **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : महोदय, भारत सरकार हैदराबाद में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए संदेहजनक तरीके अपना रही है। महोदय वे मुख्य मंत्री के खिलाफ झूठे मामले बना रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं ?

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

**इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठ कर बाहर चले गए।**

---

**12.21 म० प०**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

### योजना मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ,

**[अनुवाद]**

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऍंगती)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) योजना मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5922/88]**

(2) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5923/88]**

**परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगें तथा इंडियन एसोसिएशन फार दी कल्टिवेशन आफ साइंस, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा**

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5924/88]**

(2) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5925/88]**

(3) (एक) इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5926/88]**

**केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथ भारतीय वन सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : महोदय, मैं श्री चिदम्बरम् की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड) नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5927/88]**

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1988, जो 6 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 432 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1988, जो 6 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 433 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5928/88]**

---

**12.22 म० प०**

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### 51वां प्रतिवेदन

**[अनुवाद]**

**श्रीमती ऊषा रानी तोमर** (अलीगढ़) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

---

**12.22½ म० प०**

## प्राक्कलन समिति

### 60वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**[अनुवाद]**

**श्री हुसैन दलवाई** (रत्नागिरी) : मैं, रेल मंत्रालय—यात्री सुविधाओं के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का साठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

---

12.23 म० प०

## सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

### 40वां प्रतिवेदन

**[अनुवाद]**

**श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** (अलप्पी) : मैं एयर इण्डिया—एजेंसी प्रणाली तथा यात्री सेवाओं के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का चालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

**श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैंने आपके व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दे दिया है।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर) : क्या विनिर्णय दिया है। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने दोनों विवरणों की अनुमति नहीं दी है।

**श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप कृपया मेरी बात को अस्वीकार करने से पहले सुनिए। मेरा नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, आपत्तियों को रद्द करने के बाद·····

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

**श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : आप कृपया कहने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा। श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अस्वीकार करने के बाद आपने श्री कुलनदेईवेलू को बात कहने की अनुमति दी। महोदय, उन्हें अनुमति देने के बाद, यदि उन्होंने कुछ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है तो उसे छोड़कर कार्यवाही वृतांत से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। **(व्यवधान)****

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

---

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** : इस विशेषाधिकार प्रस्ताव में काफी जान है।

**(व्यवधान)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से कैसे निकाल सकते हैं ? आप किस नियम के अन्तर्गत इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : पीठासीन अधिकारियों ने कई बातों को बहुत बार कार्यवाही वृत्तांत से निकाला है। सर्वप्रथम तो उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप हमें बताइए कि यह ठीक क्यों नहीं है।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : आपने मेरे द्वारा उठाई गई आपत्तियों को रद्द करके उन्हें बोलने की अनुमति दी।

**श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या ठीक नहीं है ? **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संसदीय समिति के बारे में किसी तरह की टिप्पणी करने और कोई आरोप लगाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यही कारण है कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : उन्होंने आपकी अनुमति लेने के बाद ही कुछ बोला है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से कैसे निकाल सकते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जो कहा पहले मैंने उसे सुना। उसके बाद ही मैंने कहा कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। बस मुझे इतना ही कहना है। आप परम्परा को जानते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री पी० कुलनदेईवेलू** (गोबिचेट्टिपालयम्) : मैं समिति का भी सदस्य हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : उन्होंने श्री जयपाल रेड्डी के वक्तव्य का जिक्र किया है। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रो० साहब, उन्होंने चर्चा के लिए विशेषाधिकार, प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लेकिन इसे स्वीकृति देने से पहले मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। सबसे पहले यह जानने के लिए मैंने उनसे पूछा कि विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है। फिर मैंने कहा कि चूंकि इसमें कुछ अन्य सदस्यों का भी जिक्र आता है इसलिए मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

**प्रो मधु दण्डवते** : आपने जो कहा उससे भी व्यवस्था का प्रश्न उठता है। ऐसा नियम है कि यदि कोई सदस्य अपने भाषण में किसी वक्तव्य को उद्धृत करता है तो हम यह मांग भी कर सकते हैं कि इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यदि सदस्य सभा में उपस्थित है तो वह विवरण सभा पटल पर रखने की बजाय स्वयं बोल कर बता सकता है कि वक्तव्य में क्या कहा गया था। उन्होंने श्री जयपाल रेड्डी का वक्तव्य उद्धृत किया है। मुझे यह पूछने का अधिकार है कि वक्तव्य में क्या कहा गया है। हम वह जानना चाहेंगे। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अपने विनिर्णय के सम्बन्ध में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं अपने विनिर्णय के बारे में चर्चा कराना नहीं चाहता।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं। उन्होंने केवल विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया था। वह कोई मामला उठाना चाहते थे। मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की स्वीकृति कभी नहीं दी।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसी कारण उन्होंने उस सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : अपने निवेदन में उन्होंने वक्तव्य को उद्धृत किया है। हम जानना चाहते हैं कि विवरण में क्या कहा गया है।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे ? जब श्री कुलनदईवेलू खड़े हुए तो मैंने यह आपत्ति उठाई कि आप श्री कुलनदईवेलू को अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि नियमानुसार इस पर विचार करने से पहले अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपने इस आपत्ति को रद्द कर दिया। आपने श्री कुलनदईवेलू को बोलने की अनुमति दी और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार आपको इस बात को कार्यवाही वृत्तांत से निकालने का अधिकार नहीं है जिसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा चुका है। इस विशेषाधिकार नोटिस पर जो आपके समक्ष है, विचार करते समय, चाहे इसे जानबूझकर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है या अनजाने में, अथवा इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित ही नहीं किया गया तब भी न्याय करने के लिए— श्री कुलनदईवेलू ने जो कुछ भी कहा आपको उस संबंध में श्री जयपाल रेड्डी को अपनी बात कहने की अनुमति देनी चाहिए। अन्यथा कार्यवाही को उचित नहीं माना जाएगा। **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : सब सदस्य जानते हैं कि 12 बजे के बाद अन्य मदों पर चर्चा शुरू करने से पहले क्या होता है। प्रत्येक सदस्य व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर कुछ निवेदन करता है, क्योंकि किसी भी मामले पर चर्चा करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ सदस्य कुछ निवेदन करते हैं। हम इस रीति का पालन कर रहे हैं। उस समय मुझे मालूम नहीं कि वह क्या कहने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस मामले में, मैं नहीं जानता था कि वह क्या कहने जा रहे थे। उन्होंने शुरू में नहीं कहा कि यह··· ······ संबंध में था।

**श्री दिनेश गोस्वामी** : उस समय मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था किन्तु आपने इसे अस्वीकृत कर दिया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अध्यक्षपीठ पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकार करें या नहीं। उस समय, यदि यह नियमानुसार नहीं होता तो मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया इस विषय को छोड़िए ।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जयपाल रेड्डी, मैंने आपको अनुमति कभी नहीं दी । आपने जो कुछ कहा मैंने उसकी अनुमति कभी नहीं दी ।

**(व्यवधान)**

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : कृपया पहले नियम पढ़कर आइए । अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब अध्यक्ष या अध्यक्षपीठ पर आसीन व्यक्ति कार्यवाही पढ़ते हैं तो कभी-कभी वह कुछ अंशों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देते हैं । उस समय आप यह नहीं पूछ सकते हैं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से क्यों निकाला गया है । यह अध्यक्षपीठ पर निर्भर है कि वह इसे स्वीकृति दे या न दे । इसका निर्णय अध्यक्षपीठ करता है । इसके निर्णय की जिम्मेदारी अध्यक्षपीठ को दी जाती है ।

**(व्यवधान)**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें । **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आपने इस संबंध में भी कुछ बातें कहीं । इस मामले के संबंध में मैं आप दोनों को अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से कैसे निकाल सकते हैं ? **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपने संसदीय समिति के कार्यकरण के बारे में और सदस्य के बारे में भी कुछ कहा—मैं नहीं चाहता कि उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए ।

**(व्यवधान)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : कोई आरोप नहीं लगाया गया है । उन्होंने कुछ कहा था । आपको भी नियमानुसार कार्यवाही करनी होगी । उन्होंने क्या कहा है ? आपको यह बताना होगा । **(व्यवधान)**

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : मैं अपने वक्तव्य के हर एक शब्द पर दृढ़ हूं ।

**श्री पी० कुलनदेईवेलु** : वह प्रेस को दिए गए वक्तव्य को स्वीकार कर रहे हैं । आप फिर इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर यहां चर्चा करना नहीं चाहता । मैं इस पर और चर्चा करना नहीं चाहता । यह सीधी सी बात है । मैं इस पर यहां चर्चा करना नहीं चाहता ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा के लिए और कई बातें हैं ।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप आग्रह क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको बताया कि मैं उन्हें भी अनुमति नहीं दे रहा हूं। यदि मैं उन्हें अनुमति देता हूं, तो आप भी अपना मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन मैं आप दोनों को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

---

12.31 म० प०

# नियम 377 के अधीन मामले

## (एक) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाना

[हिन्दी]

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन एक उद्योग है पर इस ओर हमारे देश में बहुत कम ध्यान दिया गया है। यद्यपि इसकी यहां प्रचुर सम्भावनायें हैं। प्राकृतिक सुन्दरता, कलापूर्ण मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें, रंगारंग उत्सव, साहसिक भ्रमण आदि सबका यद्यपि भारत एक संगम है फिर भी विश्व पर्यटन में भारत का अंश केवल 0.40% है। विकासशील राष्ट्रों को छोड़कर हमारे पड़ोसी छोटे-छोटे राष्ट्रों से भी भारत में पर्यटकों की संख्या कम है। आज पड़ोसी सिंगापुर, हांग-कांग, थाइलैंड, ताइवान, जापान आदि देश पर्यटन में आगे हैं।

भारत में पर्यटकों की संख्या कम होने का कारण उनके प्रति उदासीनता है। विदेशों में हमारे ट्रैवल एजेंट, प्रदर्शन एवं फिल्में नगण्य सी हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में विदेशों में आज भी भारत की छवि निर्धन और पिछड़े राष्ट्र के रूप में है।

अत: सरकार से मांग करूंगी कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर दूतावास में हमारा सूचना केन्द्र मुस्तैदी से काम करे।

2. पर्यटक कम समय में सुविधापूर्ण तरीके से भारत दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था हो। एयर-लिंक से उन्हें जोड़ें।

3. पर्यटक स्थलों को उपयुक्त सौन्दर्यीकरण किया जाए। काश्मीर की लेकझील, कन्याकुमारी की विवेकानन्द रॉक, विरावज का उजड़ा मंदिर, असम का सुन्दरवन अपना आकर्षण खो चुके हैं। रंगीला राजस्थान जो पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है, जहां वीर वीरांगनाओं के शौर्य तथा वीरता की कहानियां अमर हैं। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरती जो मीरा की संगीत पद्मनी के जोहर, प्रताप के स्वतन्त्रता प्रेम, पन्ना धाई के त्याग से भीगी हुई है उन सबकी पूर्णत: अपेक्षा की गई है। सरकार इन सब स्थलों को संवारे तभी पर्यटक उद्योग को विकसित करके एक उपयोगी विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन बनाया जा सकता है।

## (दो) निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए समय-समय पर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना

[अनुवाद]

**श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : विश्व में राजनैतिक प्रणालियों में प्रजातन्त्र प्रणाली सबसे अच्छी है। हमारा प्रजातन्त्र सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है और हमें इस पर गर्व है। प्रजातन्त्र जो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों द्वारा है, का ठीक ढंग से विकास किया जाना चाहिए। इसके प्रति श्राम लोगों के प्यार तथा सम्मान के बिना यह फल-फूल नहीं सकता। परन्तु यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनियन्त्रित तथा निरन्तर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा आम आदमी के प्रति हमारी नौकरशाही के तटस्थ तथा उदासीन रवैये से लोगों का प्रजातन्त्र से विश्वास, प्यार तथा सम्मान समाप्त होने लगता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है तथा इसे रोका जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तब तक अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा सकते जब तक कि वे एक साधारण तथा साफ-सुथरा जीवन व्यतीत नहीं करते और लोगों को ऐसा लगे कि वे एक साधारण और साफ-सुथरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभी चुने हुये प्रतिनिधियों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे समय-समय पर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। उपयुक्त विधान के जरिये सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

## (तीन) दिल्ली के किसानों को नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति करना

[हिन्दी]

**श्री भरत सिंह** (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल किसान फसल की कटाई कर खलियानों में ला रहे हैं। परन्तु बिजली बिना थ्रैशर नहीं चल सकते। पिछले साल किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती रही थी, जिसके कारण सब किसानों ने वर्षा के आने से पहले फसल बाजार में बेच दी और गेहूं को गीला न होने दिया। इस फसल को थ्रैशर से कटाई के लिए 24 घंटे बिजली की जरूरत है। इसलिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान यह सुनिश्चय करे कि फसल कटाई के दौरान न बिजली कटे और न खराब हो। यदि किसी कारणवश बिजली की लाइनों में खराबी आ जाये, तो उसे तुरन्त ठीक कराने के लिए निकटतम कम्पलेंट आफिस से मिस्त्री तथा मजदूरों को तुरन्त भेजे जिससे किसान बेकार न हो। यदि इसके लिये एक्सट्रा स्टाफ रखने की जरूरत पड़े तो उसे नियुक्त करे जिससे किसान की फसल को नुकसान न हो और ठीक टाइम पर अपनी फसल घर में ला सके।

## (चार) मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना-आगासौद क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना

**श्री नन्द लाल चौधरी** (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में सागर जिले के बीना आगासौद क्षेत्र में कोई भी बड़ा कारखाना न होने से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना (रिफायनरी) इस क्षेत्र में लगाया जाना हर दृष्टि से अत्यन्त ही उपयुक्त है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत के मध्य में होने, रेल सुविधाओं की

दृष्टि से हर स्थान को रेल गाड़ियां उपलब्ध होने, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धि, पथरीली और बिना वन की पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने से यह क्षेत्र रिफायनरी के लिए बहुत उपयुक्त है। इस क्षेत्र में मानव श्रम की भी कोई कमी नहीं है। आसपास दूर-दूर तक कोई रिफायनरी न होने के कारण भी यह प्रस्तावित रिफायनरी इसी बीना आगासौद क्षेत्र में स्थापित की जाये। इस रिफायनरी को बीना आगासौद क्षेत्र में ही स्थापित किये जाने के लिये बहुत बड़ी संख्या में नागरिक जन-आंदोलन चलाने के लिये तत्पर हो रहे हैं। जनता की ओर से मेरी यह जोरदार मांग है कि कृपया यह प्रस्तावित तेल शोधक रिफायनरी कारखाना सागर जिले के बीना आगासौद क्षेत्र में ही स्थापित किये जाने का निर्णय शीघ्र ही लिया जाये।

### (पांच) गोपालगंज में बूढ़ी गंडक पर रेल पुल का निर्माण करना

**श्री काली प्रसाद पांडेय** (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जिला गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारण तथा सिवान महान विभूतियों की जन्म स्थली एवं कर्म-स्थली रही है। सिवान जिला भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद एवं महान् स्वतन्त्रता सेनानी मजहरुल हक की जन्मस्थली है तथा गांधी जी ने पश्चिमी चम्पारण जिले के मितहा से निलहा आन्दोलन शुरू किया एवं अपना कार्य क्षेत्र गोपालगंज जिले को भी बनाया था लेकिन आज लोग इन विभूतियों के बलिदान को भूलते जा रहे हैं क्योंकि उन विभूतियो की यादगार स्वरूप वहां कुछ नहीं है।

अतः इन महान् विभूतियों की यादगार के लिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि रेलवे मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जाये जिससे कि नई पीढ़ी महान् विभूतियों का अनुसरण कर सके :

1. गोपालगंज जिले के बूढ़ी गंड़क नदी पर रेलवे पुल का निर्माण कर गोपालगंज रेलवे स्टेशन से सीमावर्ती जिला पश्चिमी चम्पारण को नयी रेल लाइन बिछाकर जोड़ा जाये तथा इस पुल का नाम गांधी पुल रखा जाये।

2. सिवान जिले के सिवान रेलवे स्टेशन पर मौलाना मजहरुल हक एवं जीरादेई रेलवे स्टेशन पर डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा गोपालगंज एवं बेतिया रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाये। अतः अनुरोध है कि रेल मंत्रालय इस दिशा में इन सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करे।

### (छः) बिहार में रसियारी गांव के समीप कमला-बालन नदी पर सड़क पुल का निर्माण करना

**श्री राम भगत पासवान** (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार का कमला बालन तथा कोशी नदी के बीच का कुछ भाग ऐसा है, जहाँ आजादी का आशीर्वाद अभी तक नहीं पहुंचा। दोनों नदियों के बीच करीब दस लाख जनसंख्या है। जहां कोई आवागमन का साधन नहीं है। न सिंचाई की व्यवस्था, न बिजली की व्यवस्था, न नदियों पर पुल। खेद है कि आजादी से लेकर अभी तक इस अंचल की दस लाख जनता रसीयारी गांव के निकट कमला बालन बांध पर पुल बनाने के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। लेकिन न तो केन्द्र सरकार और न बिहार सरकार उस पर ध्यान दे रही है। यह बाढ़ग्रस्त इलाका है और इन सैकड़ों गांवों के दोनों ओर नदी होने के कारण पुल के अभाव में पशु और मनुष्यों की प्रतिवर्ष जाने चली जाती हैं और लोग इसी बाढ़ की धारा में बह

[श्री राम भगत पासवान]

जाते है। यदि यहां पुल बन जाता है तो लाखों लोगों को बाढ़ के समय नदियों के पुल से होकर सुरक्षित स्थान में आश्रय लेने का मार्ग खुल जाएगा। इसके साथ ही करेह और बागमती नदी पर हथौरी घाट, वरियाही घाट, राजघाट और लड़का घाट पुल बनना अनिवार्य है जिसके लिए करोड़ों जनता वर्षों से मांग करती रही है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि कमला बलान नदी में रसियारी गांव के निकट अविलम्ब रोड ब्रिज बनाने की कृपा करें तथा बागमती और करेह नदी पर भी हथौरीघाट, वरियाही घाट, राजघाट और लड़का घाट पुल अविलम्ब बनाकर इस इलाके को करोड़ों जनता के अपार कष्ट को दूर करें ताकि जनता महसूस करे कि भारत के सबसे पिछड़े इलाके पर भी सरकार का ध्यान है और उनके कल्याण के लिए सरकार ध्यान दे रही है।

**(सात) उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना**

**श्री जगदीश अवस्थी** (बिल्हौर) : पिछले वर्ष देश के अनेक भागों में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। उत्तर प्रदेश भी इस सूखे से अछूता नहीं था। सूखे के प्रभाव के सरकारी और किसानों के व्यक्तिगत प्रयासों से थोड़ा कम करने में अवश्य सहायता मिली थी और उसी क्रम में किसानों ने अपने अथक परिश्रम से रवी की फसल के रूप में गेहूं, चना, अरहर, सरसों, मटर आदि की पैदावार को प्राप्त करने के लिए प्रयास किये थे तथा उनके ये प्रयास किसी सीमा तक सार्थक होते दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि वह किसान, जो अभी तक भयंकर सूखे की विभीषिका से निकल पाया था, एक बार पुन: प्रकृति के हाथ उत्पीड़ित हुआ तथा एक बार इसके सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। मार्च के महीने में हुई ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश के 34 जिलों के 10,000 से भी अधिक गांव प्रभावित हुए हैं तथा उसमें 200 गांव कानपुर के भी आ गये है। खड़ी फसल के करोड़ों रुपये तक की व्यापक क्षति हुई है। अनेकों छोटे एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है। उनका सारा परिश्रम बेमाने हो गया है तथा खेती में लगाया गया सारा धन बेकार गया है :

अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर एवं उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हाल की ओलावृष्टि से प्रभावित हुए है, उनका तत्काल सर्वेक्षण कराया जाये तथा इससे प्रभावित हुए किसानों से कर की वसूली को अविलम्ब स्थगित किया जाये और उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उनमें व्याप्त कुंठा एवं निराशा को दूर किया जा सके।

**(आठ) सिक्किम में रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने की योजना के अन्तर्गत गैर-आदिवासियों सहित सभी व्यक्तियों को लाना।**

**[अनुवाद]**

**श्रीमती डी० के० भंडारी** (सिक्किम) : महोदय, सिक्किम एक छोटा सा पिछड़ा हुआ राज्य है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत राज्य में जनजातीय लोगों को कम कीमतों पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य गरीबी दूर करना है। सिक्किम में ग्रामीण जनता में गरीबी व्याप्त है। इसलिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सस्ते खाद्यान्न मुहैया कराने वाली योजना को समूची जनसंख्या तक पहुंचा देना

चाहिए जो लगभग साढ़े तीन लाख है। इस तरह के पिछड़े हुये राज्य में इस कार्यक्रम के तहत केवल जनजातीय लोगों को ही रखने से गैर-जनजातीय लोगों में विद्वेष तथा उपेक्षा की भावना पैदा होगी जो सिक्किम में उतने ही गरीब तथा पिछड़े हैं जितने कि उनके जनजातीय भाई हैं। राज्य में जनसंख्या के इन दो वर्गों के बीच कोई अन्तर नहीं है। सिक्किम में भी जनजातीय लोग पूरे राज्य में फैले हुए हैं, वर्तमान योजना में जनजातीय तथा गैर-जनजातीय आधार पर एक को देना और दूसरे को न देना न्याय नहीं होगा, ईमानदारी तथा समता नहीं होगी, मानवीय धारणा की तो बात ही क्या है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करती हूं कि वह इस पहलू पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करे तथा सस्ते खाद्यान्न देने वाली इस योजना को सिक्किम के सभी लोगों पर लागू करे।

**12.45 म०प०**

## अनुदानों की मांगें, 1988-89

(एक) **विदेश मंत्रालय**—[जारी]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान को लेगी।

श्री सैफुद्दीन अहमद।

**श्री सैफुद्दीन अहमद** (मंगलदाई) : महोदय, काफी समय से हम विशेष तौर पर अमरीका तथा पाकिस्तान के साथ एक गलत विदेश नीति का पालन कर रहे हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में विदेश मंत्रालय ने अमरीका के साथ आपसी सम्बन्धों में अधिक विश्वास व्यक्त किया है···**(व्यवधान)**

यह कह कर कि भारत और पाकिस्तान मित्र देश हैं, अमरीका भी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार जैसे, ए०डब्ल्यू०ए०सी०एस०, देने के कार्य से हमारा ध्यान हटाने के लिए हमें सुपर-कम्प्यूटरों के लिए लाइसेंस देने की पेशकश की है। परन्तु ये महाशक्तियां अच्छी तरह से जानती हैं, और पाकिस्तान के वैज्ञानिक की घोषणा से भी तथा अन्य स्रोतों से भी यह पता चलता है कि पाकिस्तान केवल भारत को लक्ष्य करके ही अणु अस्त्र उन्मुख कार्यक्रम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और फिर भी अमरीका पाकिस्तान को बहुत अधिक मात्रा में अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। अमरीका अच्छी तरह से जानता है कि अफगान मुजाहिदीन आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के जरिये से हो रही है। परन्तु फिर भी अमरीका मुजाहिदीनों को आधुनिक हथियारों की सप्लाई यहां तक कि अफगानिस्तान से सोवियत सेना हटाने के बाद भी जारी रखने पर दृढ़ है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई की बात की विभिन्न जगहों पर अलग-अलग समय में सफाई दी गई है। कभी वे कहते हैं कि अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की सहायता करने के लिए इनाम के रूप में दिये जा रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि वे पाकिस्तान को सोवियत संघ से सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। ये सब झूठे बहाने हैं। ये सभी हथियार केवल भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत में अस्थिरता पैदा होनी चाहिए।

[श्री सैफुद्दीन अहमद]

इन सभी गम्भीर मामलों के लिए हमारी सरकार इस समस्या के समाधान हेतु अधिक ध्यान नहीं दे रही है। अब भी संवाददाताओं के समक्ष कुछ वक्तव्य देकर यह दावा कर रही है। परन्तु कोई प्रभावी तथा कूटनीतिक कार्यवाही नहीं की गई है। इसके विरुद्ध विश्वव्यापी कार्यवाही करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार, जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर करते समय हमारी सरकार ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करने की कोशिश की थी। उस कार्यवाही का उद्देश्य अभी तक नहीं बताया गया है। परन्तु यह एक घातक कदम था जिसे सभी जानते थे।

हमारी सरकार की इस विफलता के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि हमारी सरकार महत्वपूर्ण या गम्भीर मामलों पर विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार सोचती है कि विपक्ष हमेशा सरकार तथा देश को गुमराह करता है।

जहां तक प्रचार तंत्र का सम्बन्ध है, हमारी सरकार देश के भीतर बहुत ही मजबूत है किन्तु जहां तक देश के बाहर राजनयिक गतिविधियों का सम्बन्ध है, वे ठीक नहीं हैं और इसीलिये सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से पाकिस्तान के गलत कारनामों के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार करने में सर्वथा असफल रही है।

इसलिये, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इन दोनों देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में दुबारा विचार करने की आवश्यकता है। उनके साथ अपने राजनयिक सम्बन्धों के बारे में हमें फिर से विचार करना चाहिये। इस वर्तमान स्थिति में हमें पाकिस्तान से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ देने चाहिए।

इसके साथ ही, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं तथा कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

**श्री बृज मोहन महंती** (पुरी) : सर्वप्रथम मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित मूल नीति के बारे में कहना चाहता हूं। उस समय वादविवाद में आचार्य कृपलानी ने कहा था कि भारत एक सामान्य विदेश नीति अपनायेगा और विदेश नीति के क्षेत्र में एक संयुक्त मोर्चा कायम करेगा। वह नीति वैध रही है तथा प्रतिदिन यह सुनिश्चित होता जा रहा है कि वह नीति उत्तरोत्तर सफल रही है। हाल ही में जो आई० एन० एफ० सन्धि हुई है वह हमारी उसी विदेश नीति की सफलता के कारण है। मैं प्रधान मंत्री को उनके द्वारा की गई उस पहल के लिए बधाई देता हूं जिसके कारण आई० एन० एफ० सन्धि पर हस्ताक्षर कराने में मदद मिली है।

में विदेश मंत्री का ध्यान नये परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूं। परिवर्तन ये हैं कि ईरान की क्रांति के पश्चात् रूढ़वाद की जो, लहर वहां आई है, उसने दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम एशिया के सभी देशों को झकझोर सा दिया है। जो ताकतें धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती थीं, वे कठिनाई में पड़ गयी हैं। भारत सरकार को इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिये।

पाकिस्तान अब शरियत कानून लागू कर रहा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और श्री जिन्ना ने कभी भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान एक मजहबी देश हो जायगा और वहां मध्य कालीन संस्कृति पुन: लौट आयेगी। परन्तु यह एक दु:खद बात है। इसका असर हम पर भी पड़ता है।

बंगलादेश में इस्लामीकरण हो रहा है। हर व्यक्ति को यह पता है कि बंगलादेश इस समय चीन, पाकिस्तान और अमरीका के अधिक नजदीक है। चीन ने बंगलादेश के अन्दर अपना एक चीनी डिवीजन बनाया है। चीन बंगलादेश में एक आयुध कारखाने का पर्यवेक्षण भी कर रहा है। अत: वे उत्तरोत्तर नजदीक आते जा रहे हैं। यद्यपि बंगलादेश इस बात को भूल गया है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने के बारे में चीन ने ही बंगलादेश पर रोक लगाई थी। यह भी एक कहानी है और इस पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हमारी समस्या सुविदित है। अनेक वर्षों तक अनेक वार्तायें हो चुकी हैं। यह न यहां हैं और न वहां है। मैं परामर्शदात्री समिति में व्यक्त किए गए विचारों को प्रकट नहीं करना चाहता हूं किन्तु तथ्य यह है कि इन वार्त्ताओं का कोई भी आशाजनक परिणाम नहीं निकला है। इसके विपरीत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पुन: घुसपैठ की है। निश्चित रूप से हमारे लिए यह एक दु:खद स्थिति है। हमारी राजनयिक वार्तालाप के बावजूद उन्होंने हमारे अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया है और वह उस पर कब्जा किये हुए है।

चीन न केवल ईरान को अपितु साऊदी अरब को भी मिसाइलें बेच रहा है। कुछ मामलों में साऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और चीन एक साथ हैं। जहां तक पाकिस्तान और चीन का सम्बन्ध है, एक विश्लेषण यह है कि चीन सीमा विवाद के बल इस कारण नहीं निपटाना चाहता है जिससे कि पाकिस्तान को बल मिलता रहे। इसीलिये यह मेल भारत की सुरक्षा और भारत की अखंडता के लिये खतरे का सूचक है। हमें इस पर निश्चित ही ध्यान देना चाहिये।

एक दूसरी बात भी हमें याद रखनी चाहिये कि चीन ने कुछ अफ्रीकी देशों में भी अपने सैनिक अड्डे बनाये हुए हैं। तंजानिया में उसका मिसाइल अड्डा है। एक और देश में उसने एक सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। इससे किस बात का संकेत मिलता है? क्या इससे इस बात का संकेत नहीं मिलता कि चीन अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है और उसका यह कार्य हमारी सुरक्षा के हित में नही है।

जहां तक खाड़ी देश सहयोग परिषद का सम्बन्ध है जिसमें छह देश सम्बद्ध हैं। वे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किन्तु सामूहिक रूप से वे पाकिस्तान के साथ अधिक जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान हवाई रक्षा प्रणाली बनाने में उनकी सहायता कर रहा है। इसके बारे में हमारी प्रतिक्रिया क्या है? आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में हम अपने मित्र खोते जा रहे हैं और हम अलग-थलग की स्थिति में हैं। आओ अब हम इन्डोनेशिया को ही लें। इन्डोनेशिया में क्या परिवर्तन हुआ है? किसी समय बंगलादेश युद्ध के समय इसने पाकिस्तान को अपना सैनिक अड्डा इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। अब, वास्तव में उसका रवैया बदल गया है। अब वह चीन अथवा पाकिस्तान समर्थक नहीं रह गया है किन्तु हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिये। हिन्द महासागर के बारे में उसके मौलिक दृष्टिकोण में अन्तर आ गया है। उसका दृष्टिकोण था कि महाशक्तियों और उन देशों को, जो हिन्द महासागर से संबद्ध नहीं हैं, वहां से अपने अड्डे हटा लेने चाहिए। अब

[श्री बृज मोहन महन्ती]

उसका यह कहना है कि वहां सभी शक्तियों को रहना चाहिये और वह समानुपातिक रूप में। यह बड़ा भारी परिवर्तन है। इसके बावजूद हमने इन्डोनेशिया से अपने सम्बन्ध बनाये हैं। जहां तक भारत-चीन का सम्बन्ध है, उसकी समस्या क्या है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। आस पास की यह स्थिति है।

अब मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं श्री जिया द्वारा दुबई में दिये गये वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगा। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था :

"पाकिस्तान का भारत के साथ कोई झगड़ा नहीं था और पाकिस्तान भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न करता रहा है।"

उन्होंने यह भी कहा है :

"प्रधान मन्त्री जुनेजो प्रधान मंत्री राजीव गांधी से कई बार मिल चुके हैं। मैं भी कई बार मिल चुका हूं और जब भी हम मिले तो हर बार हमने देखा कि उनके साथ बातचीत बड़ी प्रभावकारी रही है और वह हम खुश होकर लौटे हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है।"

यह वक्तव्य आडम्बरपूर्ण है। यह वक्तव्य उन देशों को फुसलाने के लिये है, जहां हमारी साख बनी हुई है। यह वक्तव्य गुमराह करने के लिए दिया गया है। विदेश मंत्री, अपने उत्तर में, कृपया इसे स्पष्ट करें।

जहां तक सियाचिन ग्लेशियर का प्रश्न है, हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि यह जल विभाजक है। इसके बारे में पाकिस्तान का क्या रुख रहा है? किसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा था कि यह भूमि किसी की नहीं हैं। अब उनका कहना है कि यह पाकिस्तान का एक अंग है। मेरा अनुरोध है कि हमें जल विभाजक की दलील पर दृढ़ रहना चाहिये। लद्दाख की रक्षा के लिये यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में यह खबर थी कि इस विवाद के बारे में रक्षा सचिवों के स्तर पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव था। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भारत ने पहल की तब पाकिस्तान की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। विदेश मंत्री इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

इसी प्रकार जिन अपहरणकर्त्ताओं को पाकिस्तान के न्यायालयों ने दण्ड दिया था एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें दण्ड नहीं दिया गया है। यहां मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान भारत में अस्त्रों की तस्करी में खुले आम मदद कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब वह उनका समर्थन करने के लिए आग्नेयास्त्र दे रहा है।

1.00 म० प०

मैंने इसे एक बार उठाया था। बचे हुए हथियार पंजाब के आतंकवादियों को भेजे जा सकते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है। वे कहते हैं कि वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं। इसका कौन विश्वास करेगा?

अब पाकिस्तानियों की यह शिकायत है कि भारत शान्त क्यों रहता है। भारत 7 वर्षों के लिए हुए समझौते के अन्तिम चरण में हस्तक्षेप क्यों करता है? वास्तव में, समस्या यह है कि पाकिस्तान, जेनेवा सम्मेलन में डूरंड लाइन विषय को उठाना चाहता है। यदि वर्तमान डूरंड लाइन को स्वीकार कर लिया गया होता, तो जहां तक कश्मीर में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र का सम्बन्ध है उसका वैध अधिकार मिल गया होता। उनकी अफगानिस्तान के साथ कई किलोमीटर साझी सीमा है। सौभाग्यवश, पाकिस्तान को यह विषय उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी जिसमें वह अपने शरारतपूर्ण चाल में सफल होता।

महोदय, आतंकवादियों की पंथिक समिति की लाहौर में बैठक हो रही है। इसको कौन नहीं जानता? हाल ही में ऐसा समाचार था कि सिख आतंकवादियों ने पाकिस्तान के साथ संधि की है और वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि खालिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं बनेगा। शुरू में, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान पूरे मन से उनका समर्थन कर रहा है, उनको हथियारों की सप्लाई कर रहा है और उनको प्रशिक्षण आदि दे रहा है।

अब समय आ गया है जब हमें शक्ति की दृष्टि से पाकिस्तान के साथ अवश्य ही बातचीत की जानी चाहिए। एक समय था, हम भारत में यहां तक श्री जय प्रकाश नारायण भी, पाकिस्तान और भारत के बीच महासंघ बनाने के बारे में सोच रहे थे। आज कोई भी उसके बारे में नहीं सोच सकता। हमारी एक जैसी संस्कृति है। हमारे एक जैसा जीने का तरीका है। आज, हम एक-दूसरे से इतने विमुख हो गए हैं कि इसके लिए किसी एक जैसी व्यवस्था कायम करने की बात नहीं हो सकती चाहे वह महासंघ के बारे में हो अथवा किसी प्रकार के एक जैसे विचार की बात हो। इस बात की बहुत-बहुत कम सम्भावना है।

मैं पाकिस्तान के भूतपूर्व राजदूत और विख्यात लेखक डा० अफजल इकबाल की टिप्पणियां का उद्धृत कर रहा हूं। उनकी पुस्तक **इस्लामाइसेशन आफ पाकिस्तान** इसके बारे में बहुत ही अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा है:

> "वे (पाकिस्तानी) अपने इतिहास के उन पांच हजार वर्षों को ध्यान में नही रख रहे जो उन्होंने अपने भारतीय भाइयों के साथ बिताये और ऐसी संस्कृति में योगदान किया जिसमें गंधारा की उत्पत्ति हुई और भावी पीढ़ियों को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ों के महान स्मारक विरासत में दिए। वे मुगल काल की विरासत पर गर्व महसूस नहीं करते जिससे उस समय की कीर्ति के अधिकांश प्रतीक आज भारत में विद्यमान हैं। पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम जन स्वयं अपनी एक अलग छवि बनाने की उत्कंठा के कारण इस्लाम पूर्व काल के अस्तित्व से इन्कार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने इतिहास को उस समय से आरम्भ करना चाहते हैं जब हज्जाज-बिन-युसूफ का युवक सेनापति मोहम्मद-बिन-कासिम सिंध में आया। उन लोगों में यह प्रवृत्ति बन गई है कि वे अपने आपको अरब के साथ, जो इस्लाम का उदगम स्थान है, जोड़ना पसन्द करते हैं न कि उस भूमि से जहां पर उनका जन्म हुआ है..."

यह संस्कृति का संकट है। मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने बुनियादी विचारों से पूरी तरह समझौता किये बिना प्रायः पाकिस्तान के साथ मित्रता करनी चाहिए।

[श्री बृज मोहन महन्ती]

जहां तक हमारे महाशक्तियों के साथ सम्बन्धों की बात है, हमें होने वाले परिवर्तनों की ओर ध्यान देना चाहिए। जहां तक अमरीका और सोवियत संघ का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध अब इतने तनावपूर्ण नहीं हैं जितने एक या दो वर्ष पहले हुआ करते थे। अमरीका इतना शक्तिशाली नहीं है। अमरीका का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आधिपत्य नहीं है। अमरीकी डालर की दर गिर रही है। स्टाक मार्किट भी हर रोज गिर रही है। अमरीका, जापान अथवा पश्चिम जर्मनी से प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं है। वे भारत में अधिक निवेश करना चाहते हैं। अतः स्वभाविक है कि वे भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह ऐसा नहीं है, कि यह उनकी दया के ऊपर है कि वे उच्च टैक्नोलोजी का अन्तरण करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे भारत के प्रति दयालु है, बल्कि उनके यहां सहयोग करने में कुछ स्वार्थ है। हमें उन्हें साफ तौर से बता देना चाहिए पाकिस्तान के साथ उनके सम्बन्ध, भारत के साथ सम्बन्धों की कीमत पर नहीं होने चाहिए और न ही उन्हें पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का ऐसा कोई समझौता करना चाहिए अथवा पाकिस्तान को किसी प्रकार की कोई सहायता देनी चाहिए जिससे हमारे हितों को नुकसान पहुचे। आप जानते हैं कि अमरीकी नौसेना और पाकिस्तान की नौसेना ने संयुक्त रूप से अपने नौसैनिक अभ्यास किए हैं और आप जानते हैं कि हिन्द महासागर शत्रु देशों के जहाजों से भरा हुआ है जिनकी संख्या लगभग 100 है। अतः ये कारण हैं।

मेरा अन्तिम निवेदन है कि विदेश मंत्री को देश के सुरक्षा हित को ध्यान में रखना चाहिए और विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जोकि हमारी नीति के बुनियादी मानदण्डों के अन्तर्गत हो। उन्हें हमारी विदेश नीति के सुरक्षा पहलू की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत सरकार की विदेश नीति का सम्बन्ध है, राज्य मंत्री ने हमें कल इस बात की पुनः याद दिलाई कि यह एक ऐसी नीति है जिसकी नींव उन सिद्धांतों और परम्पराओं पर आधारित है जोकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से चली आ रही हैं, जिनके मुख्य निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। हम इस अवधि के दौरान इस नीति का आम तौर पर समर्थन करते रहे हैं क्योंकि हमारा यह विश्वास रहा है कि हमारे जैसे देश में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, शांति, निशस्त्रीकरण, गुट-निरपेक्ष, गैर-उपनिवेशवाद, गैर-जातिवाद गैर-साम्राज्यवाद का समर्थन करने की इस नीति द्वारा और उन शक्तियों के सक्रिय सहयोग द्वारा हो सकती है जोकि इस मामले में, जैसा कि ऐतिहासिक अनुभव से हमें पता चलता है, सोवियत संघ है। कुछ समाजवादी देश हमारे साथ दृढ़-निश्चय होकर खड़े रहे और उन्होंने हमारी उन सभी विपत्तियों और मुसीबतों के समय जिनका हमें सामना करना पड़ा, हमारी हर सम्भव तरीके से सहायता की है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है इस सामान्य नीति के मानदण्डों के अन्तर्गत, इस सम्पूर्ण विदेश नीति में कोई कमी नहीं है। कभी-कभी कुछ अनिश्चय की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे बताना मेरे विचार में हमारा कर्तव्य है। इस समय, मैं इससे बाहर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना समय नही है लेकिन मैं कहूंगा कि श्री तिवारी ने यहां जिस ऐतिहासिक अनुभव की बहुत ही विस्तार से व्याख्या की थी, पाकिस्तान और अमरीका के साथ गत 40 अथवा 41 वर्षों के दौरान हमारे सम्बन्धों के ऐतिहासिक अनुभव की बात कही थी उसे नजरअन्दाज नहीं किया

जा सकता और मैं श्री तिवारी द्वारा दिए गए उन सम्बन्धों के विस्तृत विश्लेषण से व्यापक रूप से सहमत हूं जिनकी उन्होंने हमें यह कहकर याद दिलायी है कि हमारे इतिहास में पाकिस्तान और अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में उन गम्भीर क्षणों में उन सम्बन्धों को क्या हुआ, और इसी लिए केवल एक ही बात जिसका मैं इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि जब हम निश्चित रूप से सभी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयास करने की नीति का अनुकरण करते हैं, चाहे किसी देश ने विगत में हमारे लिये कुछ किया हो अथवा न किया हो, और हमें सभी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिये प्रयास करना चाहिये। मेरे विचार में, तथापि हमें कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जोकि समय की कसौटी पर खरी उतरे हमारी विदेश नीति के सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुरूप न हो। मैं यहां इसका संक्षेप में उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि जब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा करेंगे तो मैं शायद उस पर कुछ और अधिक कहना चाहूंगा। लेकिन इसका विदेश नीति के साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है और इसीलिये मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। यह नये अभ्यास का प्रश्न है जो कि हम अपनी नई नीति को देने के लिये कह रहे हैं अर्थात, रक्षा सम्बन्धी मामलों में अमरीका के साथ सहयोग किया जाये। मैं नहीं समझता कि जवाहर लाल नेहरू ने कभी इसकी वकालत की थी। मैं नहीं समझता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बहुत ही साधारण कारणों के लिए कभी इसकी वकालत की थी अथवा समर्थन किया था। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब हमने अमरीका के साथ किसी प्रकार के कोई रक्षा समझौते करने चाहे थे—ऐसा नहीं कि उनके लिये प्रयास नहीं किये गये थे—लेकिन अन्ततः वे समझौते नहीं हो सके। उन समझौतों के न होने के कारण बहुत ही साधारण थे कि अमरीकियों की कुछ बहुत ही सख्त और कठोर शर्तें थी जिन्हें वे उन सभी देशों में लगाना चाहते हैं जो उनके साथ रक्षा सौदा अथवा रक्षा सहयोग करना चाहते हैं। उनमें से एक शर्त यह है जिस देश विशेष अथवा जिस क्षेत्र विशेष में जैसी स्थिति देखते हैं उनके अनुसार रक्षा सहायता को वहां भेजने का अधिकतर अपने पास सुरक्षित रखते हैं। यदि वे ये अनुभव करते हैं कि यदि उस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह उनकी पसन्द के अनुसार नहीं है तो फालतू पुर्जी वे उन उपकरणों के जिनकी वे सप्लाई करते हैं,की सप्लाई की गारंटी देने को तैयार नहीं हैं। और विगत समय में भी वे सहायता प्राप्त करने वाले देशों को उन चीजों की जिन्हें वे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपनी स्वयं की अलग उत्पादन सुविधाओं को विकसित करने की अनुमति देने के बारे में बहुत ही सावधान थे। परन्तु उसके अलावा मैं महसूस करता हूं कि यह नीति कुछ विरोधाभासपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। यदि हम सभी ऐतिहासिक विश्लेषणों पर वास्तव में विश्वास करें जो श्री तिवारी और कुछ हद तक स्वयं मंत्रीजी ने कल दिये थे तो मैं नहीं समझता कि यह इस बात से मेल खाते हैं कि हमें अमरीका के साथ एक समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसे आमतौर पर रक्षा संबंधी मामलों में सहयोग कहा जाता है। चाहे यह केवल कुछ उपकरण या नयी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के सम्बन्ध में हो, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि एक ही सांस में रिपोर्ट में और भाषण में हम कह रहे हैं कि ये वे लोग हैं जो पाकिस्तान के सैनिक शासन के पीछे हैं। ये वे लोग हैं जिनके सक्रिय समर्थन के बिना पाकिस्तान वह सब नहीं कर पाता जो वह आज कर रहा है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे पास उनके द्वारा पंजाब में सीमा पार से आतंकवादियों के संग सक्रिय रूप से की जा रही सांठ-गांठ और सहायता के सम्बन्ध में प्रमाण हैं। जो हथियार सप्लाई किये गये हैं वे सब अमरीकी हथियार हैं और अमरीका ने कहा है, अमरीका के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेनायें हटा लेने के बाद भी वे पाकिस्तान

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। यह सब कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। यदि मैं यह कहूं कि पाकिस्तान का स्वयं पर कोई अधिकार नहीं है तो मुझे आशा है कि वे बुरा नहीं मानेंगे यह पूरी तरह से अपना स्वामी भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। साथ ही हम अमरीका के साथ रक्षा सम्बन्धी मामलों में सहयोग करने के सम्बन्ध में अपनी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं। महोदय, मेरा सुझाव है कि यह नीति हमारी अपनी सुरक्षा और स्वतन्त्रता के हित में नहीं है। इससे गम्भीर खतरा है जिससे हम संकट के समय में काफी कठिनाई में पड़ सकते हैं और हमें इन मामलों में अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए और मैं तो सुझाव दूंगा कि हमें उन पुराने रास्तों पर डटे रहना चाहिए जिनका हमने अनुसरण किया है। मैं इस बात की वकालत नहीं कर रहा हूं कि आपको सोवियत संघ के अलावा किसी भी अन्य देश या किसी अन्य शक्ति के पास रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के मामले में कभी भी सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। मैं यह बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं।

लेकिन यहां कुछ विशेष मिसाल है और हम जानते हैं कि ये हथियार किसलिये लिये जा रहे हैं। कहां उपयोग किये जा रहे हैं तथा किसलिये उन्हें जमा किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि अमरीका प्रत्येक दिन विश्व के भिन्न भागों में क्या कर रहा है। उन्होंने इजराइल को विश्व के अन्य भाग में दखल देने के लिए उकसाया है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के उच्च-अधिकारी की ट्यूनिस में हत्या करने के बाद, जो कि यासर अराफात के बाद दूसरे नम्बर पर थे, मुझे यह देखकर आश्चर्य है कि इजराईली सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने खुले आम डींग मारी है और कहा है "हां, हमने यह हत्या करवायी है और यदि आवश्यक हुआ तो हम कुछ और लोगों की हत्यायें भी करायेंगे। इसके लिए एक विशेष कमान्डों बल को, जो कि विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था, भूमध्य सागर के पार ट्यूनिस भेजा गया था। वे रात में गुप्त रूप से नौकाओं द्वारा उतरे, जो कि पहले से ही उपलब्ध कराई गई थी, और फिर वे कुछ पोशाकें पहनकर छद्मवेश में उनके घर में घुसे और उनकी पत्नी के सामने लगभग 70 से 75 गोलियां मार कर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की उन्होने अपनी सहापराधिता से इन्कार करने की कोशिश नहीं की। वे खुले आम कह रहे है, "हां, हमने यह किया है।"

ये वे लोग हैं जिनसे आप सम्बन्ध रखना चाहते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की रंग भेदी शासन के साथ उनकी सांठ गांठ के बारे में जानते हैं। यद्यपि उन्होंने फिलिस्तीनी नेताओं और अधिकृत क्षेत्र में फिलिस्तीनी योद्धाओं की हत्याओं की निन्दा की है, लेकिन हमें हाल की नृशंस हत्याओं तथा श्रीमती डुलसे सेपटेम्बर की पेरिस में की गई हत्या को नहीं भूलना चाहिए जो कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि थी। उनके कार्यालय के दरवाजे पर ही नृशंस रूप से उनको गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये सब योजनाबद्ध था। ये राज्य द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद के रूप हैं जो स्वतन्त्रता आन्दोलनों के विरुद्ध इस्तेमाल किये गये हैं। और किस मुंह से, किस निश्चय से हम विश्व को कहें कि हम इस महाशक्ति अर्थात अमरीका के साथ किसी प्रकार का रक्षा सम्बन्धी सहयोग करना चाहते हैं? मैं तो सरकार को इसके विपरीत सलाह दूंगा। यह फैसला, उनके ऊपर निर्भर करता है। विदेश में रह रहे हमारे अधिकांश मित्रों की आंखों में, जिनके साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध थे और अभी भी हैं और जिन्हें हम अपना मित्र समझते हैं तथा उभयनिष्ट मामलों में अपना साथी समझते हैं, यह बात हमारी छवि के लिए अच्छी नहीं होगी। हमारी भावी सुरक्षा

और हितों को देखते हुए हमारा इससे दूर रहना तथा इसमें अपने आपको अधिक न उलझाना अच्छा होगा।

हमने हिन्द महासागर में जो कुछ हो रहा है उसे भी देखा है जिसका यहां कल जिक्र भी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की 1971 की इस घोषणा के बाद से कि हिन्द महासागर को सभी तटीय देशों के सम्मिलित प्रयास से तथा अमरीका तथा रूस की सहायता से, जिनके जहाज और नौसेना इस महासागर का इस्तेमाल कर रहे हैं; शान्ति क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। यह कार्य साथ मिल बैठकर और समझौता करके किया जा सकता था तथा इसके द्वारा हिन्द महासागर में एक प्रकार से विसैन्यीकरण किया जा सकता था, लेकिन आज तक इस कार्य से अमरीका के सिवाय और कोई देश पीछे नहीं हटा है। इग्लैंड भी इसमें शामिल है लेकिन इसमें ज्यादा हाथ अमरीका का है। वे किसी भी कीमत पर इस सम्मेलन को होने से रोक रहे हैं। तीन या चार दिन पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र-सुरक्षा परिषद में यह सब दोहराया है और इस प्रकार के किसी भी सम्मेलन या सम्मेलन के लिए एक प्रारम्भिक समिति बनाने से भी इन्कार किया है। इस बीच यहां क्या हो रहा है ? हिन्द महासागर में नौसैनिक युद्धपोत और नौसैनिक अड्डों में हर वक्त बढ़ोतरी हो रही है। शायद हमारी सरकार इस बात को समझ चुकी है कि हिन्द महासागर का एक विसैन्यीकृत शान्ति क्षेत्र बन जाए, एक असम्भव कार्य है। अत:, मैंने देखा है कि इस समय हमारी रक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में हमारी नौसेना को शक्तिशाली और विकसित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। निसंदेह यह विदेश नीति के अन्तर्गत नहीं आता है फिर भी मैंने इसका जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था की है ताकि यह वास्तव में एक "नीले जल की शक्ति" बन जायें। हम एक तीसरा विमानवाहक जहाज प्राप्त करना चाहते हैं, हमने प्रशिक्षण के प्रयोजन से एक आणविक शक्ति वाली पनडुब्बी खरीदी है और हमने कुछ पनडुब्बीरोधी विशेष प्रकार के भारी वायुयान पर भी पैसा लगाया है। हम अपनी नौसेना को विकसित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो निरस्त्रीकरण की बात चल रही है उससे हम अछूते नहीं हैं और हम भी इसके हिस्से हैं। यह इसलिए क्योंकि सरकार महसूस करती है कि शान्ति क्षेत्र बनाने पर कोई भी समझौता होने की सम्भावना बिल्कुल भी नहीं है।

महोदय, मुझे यह सब 'जेन्सडिफेन्स वीकली' से प्राप्त हुआ है जो कि काफी विश्वसनीय और प्रमाणिक पत्रिका समझी जाती है। इस पत्रिका में बताया गया है कि गेराल्डटोन, पश्चिम आस्ट्रेलिया में अब एक गुप्त खुफिया अड्डा बनाया जा रहा है, जो कि हिन्द महासागर के ऊपर सैन्य संदेश सूचनाओं पर निगाह रखेगा। विशेष रूप से उन पर जो भारत और इन्डोनेशिया से आएंगी। जेन्स वीकली में कहा गया है कि इस खुफिया अड्डे से प्राप्त जानकारी अमरीकी व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हुए अमरीकी व्यवस्था में परस्पर आदान प्रदान की जायेगी। खैर, यह बात निश्चित है कि यदि इस पर अमरीकी व्यवस्था द्वारा निगरानी रखी जाती है तो यह पाकिस्तान और दूसरे देशों सहित अमरीका के सभी मित्र देशों को प्रेषित कर दी जायेगी।

1.20 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इस तरह महासागर का सैन्यीकरण हो रहा है। इसका यहां अधिक जिक्र नहीं किया गया है। मैंने यह पिछले वर्ष भी कहा था। क्या हमारी सरकार को हिन्द महासागर के सम्बन्ध में कुछ

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

नई पहल करने के सम्बन्ध में नहीं सोचना चाहिए ? अन्यथा यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जायेगा। हमने कुछ अन्य कारणों की वजह से श्रीलंका में कार्यवाही की लेकिन वह भी हिन्द महासागर के प्रश्न से बहुत अधिक जुड़ी हुई है। परन्तु यदि संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अमरीका और ब्रिटेन द्वारा निरंतर गतिरोध उत्पन्न करने से यह सम्मेलन कराना संभव नहीं है तो अन्य तटीय देश जो कि मेडागास्कर से पश्चिम आस्ट्रेलिया तक—मुझे कहना चाहिए पूर्व तक फैले हैं तो उनकी क्या बिसात है ! यह एक अजीब सी बात है। परन्तु आजकल, जैसे कि मुझे हाल ही में पता चला है जबकि मैं वहाँ था कि पश्चिमी आस्ट्रेलियावासी स्वयं को प्रशान्त महासागर के लोग नहीं समझते हैं अपितु वे हिन्द महासागर के लोग समझते हैं क्योंकि पश्चिमी आस्ट्रेलिया हिन्द महासागर के सामने पड़ता है। वे इस विचार के भी समर्थक थे कि यदि अमरीका या ब्रिटेन या अन्य सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र के तटीय देश एकजुट होने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं ? यह उनकी धारणा है। परन्तु तटीय देशों के हित, उनकी सुरक्षा खतरे में है। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई अन्य बात सम्भव हो सकती है जिससे ये देश साथ-साथ आ सकें, भले ही यह संयुक्त राष्ट्र का कोई औपचारिक सम्मेलन न हो, फिर भी कुछ सिद्धान्त और कुछ मोटे मार्गनिर्देश सिद्धान्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे इस महासागर के विसैन्यीकरण में सहायता मिलेगी और फिर इन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए तथा फिर इस सम्बन्ध में विश्व जनमत को निर्णय लेने दीजिए। इस क्षेत्र में इस प्रकार की पहल करने के सम्बन्ध में केवल भारत की ही विशिष्ठता है और समझबूझ है।

दूसरा संकट खाड़ी में पैदा हुआ है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि यह हाल ही में दो दिनों में घटित हुआ है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि जब हमें सरकार का उत्तर प्राप्त होगा तो उसमें वे इस बात को भी शामिल करेंगे। उन्होंने अब तक इस सम्बन्ध में कोई चिन्ता जाहिर नहीं की है। मेरे विचार से खाड़ी में ऐसी स्थिति है कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो इसके अकल्पनीय परिणाम निकल सकते हैं। अब खाड़ी विवाद में अधिक शक्ति प्रदर्शन पूरे क्षितिज पर वास्तविक रूप में फैल रहा है। अमरीकियों ने ईरानी प्लेटफार्मों तथा युद्धपोतों पर हमला किया है। उन्होंने उनमें से कुछ को डुबोया है और आगे कार्यवाही करने की धमकी दी है।

श्री नटवर सिंह के पुराने मित्र श्री शेवर्दनानदे ने अपनी सरकार की ओर से बोलते हुए अमरीका को एक चेतावनी दी है कि यदि वे खाड़ी में अपनी नौसैनिक और थल सैनिक गतिविधियों में इजाफा करते हैं तो रूस चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। इसका क्या तात्पर्य है ? खाड़ी क्षेत्र भी हमारे लिए चिन्ता का विषय है। मैं चाहूंगा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट करे, जहाँ पहले ही बहुत से नौसैनिक जहाज जमा हैं और अब क्षेत्र में भयानक आग लगाने के लिए थोड़ी सी चिन्गारी की आवश्यकता है जिसके अत्यन्त भयंकर परिणाम होंगे। इसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा क्योंकि खाड़ी का क्षेत्र विश्व का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है।

अब श्रीलंका के बारे में कुछ बातें हैं। मुझे वास्तव में इसकी जानकारी नहीं है परन्तु बिना दलगत भेदभाव अथवा मतभेद के इस देश के लोग निश्चित रूप से इस बारे में अत्यधिक चिन्तित

हैं कि श्रीलंका में अभी भी संघर्ष चल रहा है और उसका कोई अन्त दिखाई नही दे रहा है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है और अब इसे छुपाने का प्रयास करने में कोई लाभ नहीं है कि जब भारतीय शान्ति सेना को वहां भेजा गया था तो उन्हें सैनिक आसूचना अथवा किसी अन्य प्रकार की आसूचना नहीं दी गई थी। परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें मझधार में छोड़ दिया गया। न तो उन्हें इस बारे में जानकारी थी और न ही उन्हें यह सूचना दी गई थी कि 'लिट्टे' के पास किस प्रकार के हथियार हैं। उन्हें यह सूचना नहीं दी गई थी कि लिट्टे की लड़ने की क्षमता कैसी है और उनका प्रशिक्षण कैसा है। मैं यह भी कहूंगा कि उन्हें यह जानकीरी भी नहीं दी गई थी कि वहां स्थानीय तमिल जनसंख्या में लिट्टे को किस सीमा तक समर्थन और सहानुभूति प्राप्त है। अब यह एक वास्तविकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में जानता है। हमारे अपने ब्रिगेडियर अथवा मेजर जनरल श्री पांडे की बात को रिकार्ड किया गया है। उन्होंने इस वास्तविकता को मानते हुए एक वक्तव्य जारी किया है कि स्थानीय लोग 'लिट्टे' के समर्थक हैं। वे लिट्टे के लोगों को ऐसे व्यक्ति समझते हैं जो पहले उस समय के दौरान उन्हें संरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे, जब श्रीलंका की सेना और वायुसेना उन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। इन सब परिस्थितियों में भारतीय शान्ति सेना को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रारम्भ में निश्चित रूप से हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उस स्थिति में हमें इस आप्रेशन में इतने अधिक सैनिक दस्ते लगाने पड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि पहले भी ऐसा कोई सैनिक संघर्ष हुआ है जिसमें भारत ने किसी अन्य देश में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक भेजे हों। वर्ष 1971 में बांग्लादेश में भी इतने सैनिक नहीं भेजे गये थे जितने अब वहां पर भेजे गये हैं। कुछ समाचारपत्र यह कहते हैं कि वहां 15 ब्रिगेड भेजी गई हैं। मैं यह नहीं जानता कि वहां 15 ब्रिगेड भेजी गई अथवा उससे कम या अधिक परन्तु वहां काफी बड़ी संख्या में सैनिक बल भेजे गये हैं।

इस देश में कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि यह लड़ाई अनिश्चित काल तक जारी रहे। या तो सरकार को हमें यह बताना चाहिए कि हमने 'लिट्टे' के लोगों की कमर तोड़ दी हैं और कुछ दिन बाद ही वे लड़ाई बन्द करके समर्पण करने के लिए मजबूर हो जायेंगे। अत: मैं यह नहीं समझता कि यह एक सुखद संभावना है क्योंकि वहां जाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य यह था कि हम एल० टी० टी० ई० के लोगों से हथियारों का समर्पण करायें और वहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें समझौते के अन्य भागों को क्रियान्वित किया जा सके अर्थात भावी प्रोविन्सियल काउंसिल (प्रांतीय परिषद) के लिए, जो स्वायतशासी होगी, शक्तियों का हस्तांतरण हो सके और फिर चुनाव कराये जाएं। यह एक एकमुश्त समझौता था जिससे वहां पर अन्तत एक ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें स्थिति सामान्य हो और शान्ति स्थापित हो सके तथा श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल लोगों को वे स्वायतशासी अधिकार मिल सकें जिनके लिए वे संघर्ष करते रहे हैं। परन्तु वहां लड़ाई बंद नहीं हुई है। अन्य कार्यवाही कैसे की जाए जबकि मुझे यह कहना चाहिए कि मैं नहीं समझता कि राष्ट्रपति जयवर्द्धने ने भी अपने वायदों को निभाया है? मैं इस बारे में कुछ और अधिक जानना चाहूंगा। समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से हमें यह जान पड़ता है कि भारत श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रपति जयवर्द्धने के वायदों को भी आंशिक रूप से ही क्रियान्वित किया गया है और अब वे इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक नहीं हैं कि शक्तियों के हस्तांतरण को सुनिश्चित किया जाए और इस बारे में आश्वासन दिया जाए कि उत्तर और पूर्व की एक मिश्रित प्रोविन्सियल काउंसिल बने, जिसे शक्तियां प्रदान की जायें और सभी राजनैतिक बंदियों को आम माफी दे दी जाये। मैं नहीं जानता कि बिना इन सब बातों के हम कैसे वहां शांति स्थापित करने अथवा स्थिति

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

को सामान्य बनाने की आशा कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में हमारी कैसी स्थिति है क्योंकि ऐसे हालात जान पड़ते हैं कि हम किसी दलदल में फंस गये हैं। मैं उन लोगों का समर्थन नहीं करता जो सरकार पर यह दोष लगाते हैं कि श्रीलंका पर एक प्रकार से सैनिक आक्रमण किया गया है। मैं समझता हूं कि उस समय परिस्थितियों को देखते हुए यह समझौता करना सर्वोत्तम कार्य था। परन्तु इसके क्रियान्वयन से हम भारी समस्या में पड़ गये हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

मुझे बताया गया है कि 'लिट्टे' अब हथियारों का समर्पण करने के लिए तैयार है—इस बारे में श्री नटवर सिंह स्पष्ट रूप से बताएंगे—परंतु यह अपने सभी हथियारों को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है। लिट्टे के लोग यह कहते हैं कि हम अपने सभी हथियारों का समर्पण नहीं कर सकते क्योंकि हम यह नहीं जानते कि भविष्य में क्या घटना घटित होगी। मान लीजिए, हम अपने हथियारों का समर्पण कर देते हैं और भारतीय शांति सेना श्रीलंका से बाहर चली जाती है तो उत्तर में हमारे लोगों की रक्षा कौन करेगा? अतः हम वार्ता द्वारा समझौता करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपने हथियारों का समर्पण करना नहीं चाहते, हम हथियारों का समर्पण करने के लिए तैयार हैं परन्तु इस बारे में कोई समझौता होना चाहिए। हमें इस बारे में आश्वासन दीजिए कि भविष्य में क्या होगा क्योंकि राष्ट्रपति जयवर्द्धने में उनका विश्वास नही है। स्वभाविक रूप से मैं भी ऐसा ही सोचता हूं।

दक्षिणी श्रीलंका में सिहाली उग्र राष्ट्रवादियों की भारी लहर है। जे०बी०पी० ने लोगों को अंधाधुंध मारना आरम्भ कर दिया है और उन्होंने कुमार नतुंग जैसे लोकप्रिय व्यक्ति की भी हत्या कर दी है। वे तमिल नहीं थे अपितु वे एक सिहली थे जो सिहली और तमिलों की एकता का समर्थन करते थे और उनकी एकता के लिए लड़ रहे थे, वे उत्तरी श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। कोलम्बो में उनके अंतिम संस्कार में 5 लाख व्यक्ति उपस्थित थे जोकि एक अभूतपूर्व बात है। ये जे०वी०पी० आतंकवादी संगठन दक्षिण में हैं जिनसे हमें अभी नहीं निपटना है समझौते के अन्तर्गत यह हमारा कार्य नहीं है। भारतीय शांति सेना जे०वी०पी० से निपटने के लिए नहीं लड़ रही है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि उनसे कौन निपटेगा। क्या श्री जयवर्द्धने उनसे निपटने में सक्षम हैं? अतः हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां क्या घटित होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बात हमारे देश के हित में है और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि श्रीलंका में चल रही लड़ाई वार्ता तथा समझौते द्वारा खत्म हो। जैसा कि हम बहुत से देशों में देख रहे हैं कि किसी दूसरे देश में लम्बे समय तक अपनी सेना रखना सदैव हानिकारक रहा है। हम प्रतिदिन दूसरे देशों के बारे में हाल ही के बहुत से उदाहरणों, को उदघर्त कर रहे हैं। यदि इसमें बहुत ज्यादा देरी की जाए तो बहुत सी समस्यायें और उलझनें उत्पन्न होती हैं। और मैं अपने जवानों को ऐसी स्थिति में रखना पसंद नहीं करता जहां विदेशी जनसंख्या का एक भाग यह सोचता है कि वे हर समय उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा भाग यह समझता है कि देश एक विदेशी सेना को सौंप दिया गया है। इस प्रकार के वातावरण में और इस प्रकार की अविश्वास की भावना से दीर्घकाल में हमें कोई लाभ नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय शांति सेना को तुरंत वापस बुला लिया जाए, हम ऐसा भी नहीं कर सकते? फिर उसके बाद क्या होगा? परंतु इस लड़ाई को भी अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसमें क्या तर्क है ? अतः हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और इस बारे में पहल करनी चाहिए कि यह लड़ाई वार्ता तथा समझौते द्वारा खत्म हो और हमें राष्ट्रपति जयवर्द्धने को मजबूर करना चाहिए कि वे अपने वायदों को पूरा करेंगे ताकि वहां जल्दी ही चुनाव कराये जा सकें। मैं नहीं समझता कि एक बार वहां चुनाव कराने के पश्चात भारतीय शांति सेना को वहां कुछ करना है और कोई भी व्यक्ति यह आग्रह नहीं करेगा कि भारतीय शांति सेना को वहां रहना चाहिए। यदि वहां चुनाव कराये जाते हैं और प्रांतीय परिषदों का गठन करके उन्हें शक्तियां हस्तांतरित कर दी जाती हैं तो हमारी सेना को वापस आना चाहिए। वे वहां अनिश्चितकाल के लिए नहीं रह सकते क्योंकि ऐसा करने से हमें और अन्य लोगों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

मैं अफगानिस्तान के बारे में भी एक दो बात कहूंगा। मैं श्री नटवर सिंह की इस बात से सहमत हूं कि भारत ने जनेवा में हुए समझौते को कराने में सकारात्मक और अत्यन्त लाभप्रद भूमिका अदा की है। लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे यह एक बहुत साधारण सी बात है इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। कल ही मुझे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति यहां मिले और वे कहने लगे कि यह कोई समझौता नहीं है यह एक प्रतिचरम है यह एक ऐसा समझौता है जिसे कभी भी कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऐसे समझौते को प्रोत्साहन देने से क्या लाभ है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि एक वर्ष पहले कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा समझौता भी संभव है। राष्ट्रपति जिया ने अपने एक वक्तव्य में इसे एक चमत्कार बताया है। निश्चित रूप से श्री गोर्बाचेव द्वारा की गई पहल से यह समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि चाहे यह बात आप पसन्द करें अथवा नहीं परन्तु हमारी सेना वापस जा रही है। इसे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यह गत 9 वर्षों से वहां रह रही है।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : यह एक ऐतिहासिक घटना है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अब आप देखिये कि जो लोग अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति के विरुद्ध चिल्ला रहे थे वे लोग अचानक ही सोवियत सैनिकों के वापस बुलाए जाने और इस समझौते के विरूद्ध हो गये हैं क्योंकि उनकी वृत्तिका बद हो जायेगी। सारा मुद्दा यही है। उनके लिए सोवियत सैनिकों की उपस्थिति से बेहतर कोई बात नहीं है ताकि पाकिस्तान उसे अमरीका से घातक हथियार प्राप्त करने के लिए एक बहाने के रूप में प्रयोग कर सके। और तथाकथित मुजाहद्दीनों को न केवल पेशावर में हथियार मिलते रहें अपितु लड़ाई को जारी रखने के लिए भारी मात्रा में डालर और धन मिलता रहे।

मुद्दा यह है कि इस खून खराबे के 8 वर्षों बाद—श्री गोर्बाचेव ने इसे एक खून खराबा कहा है—भी यह एक वास्तविकता है कि मुजाहद्दीन एक राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाने में समर्थ नहीं रहे हैं। उनमें विभिन्न कबीलों के 7 दल हैं जो आपस में समझौता करने में असमर्थ हैं। अफगान समाज के पुराने कबीलों के ढांचे को पेशावर में तथाकथित शरणार्थी बनकर अच्छा नहीं किया जा सकता जहां शरणार्थी लोग शिविरों में कठिनाई से रह रहे हैं परन्तु मुजाहीद्दीनों के कुछ नेता पेशावर में 5 सितारा होटलों में रह रहे हैं और विलासितापूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वे किसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का गठन करने में सफल नहीं रहे हैं और उन्होंने किसी स्वतन्त्र क्षेत्र की स्थापना नहीं की है यद्यपि अकसर यह कहा जाता है कि कुछ शहरों और कस्बों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र छापामारों के नियन्त्रण में हैं। ऐसा कोई व्यवस्थित स्वतन्त्र क्षेत्र नही है जहां वे इसकी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

स्थापना कर सकें। और यह जो जनजाति समूह बाहर हैं, मैं समझता हूं कि यह साम्यवाद और मार्क्सवाद के अधिक विरुद्ध नहीं हैं, चाहे वह ऐसी भाषा का प्रयोग करें, किन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात ठीक प्रकार से समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि वह इस विचार के विरूद्ध हैं कि काबुल में कोई केन्द्रीय प्राधिकरण की विचारधारा के विरूद्ध है, जिसके वह कभी भी अभ्यस्त नहीं थे, इसके बावजूद कि काबुल में विगत में राजा अथवा सरकार अथवा जो कुछ भी था, इन जनजाति जिरगों, इन जनजाती लोगों ने कभी भी काबुल के केन्द्रीय प्राधिकरण को स्वीकार नहीं किया। अतः उन्हें सदा यही भय रहता है कि 1978 के बाद काबुल में जो अब नई सरकार बनाई गई है उस से एक केन्द्रीय प्राधिकरण काम करना आरम्भ करेगी और वास्तव में वह इसी के विरूद्ध लड़ रहे हैं।

अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि अमरीका निकारागुआ की सैंडानिस्टा सरकार की कोंट्रास के साथ बात-चीत करने की सलाह दे सकती है, कोंट्रास तो वहां के बागी हैं जिन्हें अमरीका से सहायता प्राप्त हो रही है, उन्होंने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें सीधे तौर पर बात करनी चाहिये तो इसी के अनुरूप काबुल में मुजाहिदों को सीधे नजीबुल्लाह से बातचीत क्यों नहीं करनी चाहिए? वह उन्हें नजीबुल्लाह सरकार के साथ बात-चीत करने से क्यों रोक रहे हैं? नजीबुल्लाह ने हर किसी से बिना किसी रोक के बात करने की पेशकश की है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है, कोई आगे आए और बातचीत करे और एक नया मोर्चा बना ले जिसमें वह लोग भी सम्मिलित किए जाएं जो सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं, किन्तु वे बातचीत करने को तैयार नहीं हैं।

अतः मैं समझता हूं कि पाकिस्तान भी और पश्चिम में उनके समर्थक उनके अपने ही प्रचार के शिकार हुए हैं। वे कहते हैं कि यदि रूसी वापस चले जाएगें तो काबुल में यह सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी। यदि ऐसा है, तो वह इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि सेना को हटाने से पूर्व कोई अन्तरिम सरकार बनाई जानी चाहिए? उनके अपने मत के अनुसार, सेना को वापस बुलाते ही काबुल में सरकार एक ही दिन में गिर जाएगी। उनके लिए कोई भी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। किन्तु वे कहते रहे कि वहां कोई अन्तरिम सरकार बनाई जानी चाहिए। अतः वे अपनी बात से पीछे हट गए, अब उनका प्रचार काबुल के विरुद्ध है और मुजाहिदीन काबुल सरकार का स्थान लेने की स्थिति में नहीं है। मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान में अशान्ति रह सकती है। कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। शान्ति नहीं होगी, भारी असैनिक लड़ाई हो सकती है। अशान्ति हो सकती है। जहां तक सोवियत संघ का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास है कि वह इस बात को समझते हैं। इसके बावजूद भी वह अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। हमारी चिन्ता क्या है? हमें इस समस्या को अपने ही दृष्टिकोण से अथवा भारत के अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से देखना चाहिए। यह हमारी प्रमुख चिन्ता है कि और अमरीका से मुजाहिदों को लाखों डालरों के अतिरिक्त मार करने वाले और ब्रिटेन से फूंकने वाले प्रक्षेपास्त्र और अन्य कई अस्त्र दिए जा रहे। कुछ टीकाकार, जिनके बारे में यह आशा की जाती है कि इन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यह कहते हैं कि किसी भी तरह से अधिकतर मुजाहिदीन अफगानिस्तान वापस नहीं लौटेंगे। इनकी भारी संख्या में ये वहीं रह जाएगें और वह अस्त्र-शस्त्र के सहित पाकिस्तान का अंग बनेंगे और यह ऐसा लक्षण नहीं है जिससे राष्ट्रपति जिया को अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान में समस्या अंतहीन हो जाएगी। और इससे हमें भी कोई प्रसन्नता नहीं है क्योंकि जैसा

हमने पहले भी पंजाब से सम्बन्धित वाद-विवाद के दौरान कहा है कि जनजातीय लोगों के हाथों में जो भारी मात्रा में शस्त्र इकठ्ठे हुए हैं उन्हें रूसी फौजों की वापसी के बाद किस के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाएगा ? यदि आपको मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो किसे मारेंगे। आप किसी पाकिस्तानी अथवा अफगानी को मारेंगे या भारी लाभ कमाने के लिए हथियारों को सीमा पार तस्करी से भारत भेजेंगे। अतः उस दृष्टिकोण से हमारा भविष्य भी भयप्रद है।

महोदय, अब हमें संयुक्त राज्य अमरीका और अमेरीकी कांग्रेस को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा लागू किए गए सिमिंगटन संशोधन पर पुनः विचार करें। उस संशोधन का अधित्याग पाकिस्तान की सहायता करने के लिए किया गया था क्योंकि अमरीकी समझते हैं कि उच्च प्राथमिकता सोवियत सेना के साथ लड़ने को दी जानी चाहिए न कि इस प्रश्न को कि क्या पाकिस्तान परमाणु शक्ति बनता है या नहीं। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए कि वे परमाणु शस्त्रों का निर्माण करने वाले हैं, उन्होंने इस सिमिंगटन संशोधन को रद्द कर दिया और कहा, "हम पाकिस्तान को सहायता देते रहेंगे, यद्यपि हम जानते हैं कि वे बम बना रहे हैं।" क्यों ? क्योंकि उनके विचार से सर्वाधिक प्राथमिकता इस बात को नहीं दी जानी चाहिए कि क्या पाकिस्तान बम बनाता है या नहीं, किन्तु क्या उन्हें सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए सहारा दिया जा सकता है। किन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या होगा। अब जबकि गोर्बाचेव ने सेना को वापस बुला लिया है तो इस सिमिंगटन संशोधन को रद्द करने का क्या औचित्य है ? और हमारी सरकार को यह प्रश्न उच्च स्तर पर उठाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि अमरीका उनसे सहमत हो जाएगा क्योंकि कारलुक्की की पुरानी फर्म तथा अन्य लोगों, मैं भूल गया हूं, ने हमें आश्वासन दिया है कि सोवियत सेना हटाने के बावजूद भी हथियारों को दिया जाना जारी रहेगा, किन्तु हमारा एक अच्छा तर्क है कि यदि रूस की सेना एक बार हटा दी जाती है, और आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान परमाणु शस्त्र बना रहा है, फिर आपको अमरीकी कांग्रेस का यह निर्णय रद्द करना चाहिए जिसके द्वारा यह सिमिंगटन संशोधन त्याग किया गया। उसके लिए अब कोई आधार नहीं है, कम से कम इस प्रश्न पर हम अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार कर सकते हैं। एक बार जब तथाकथित विद्रोह का सामान्य लक्ष्य टाल दिया जाए तब तो शस्त्रों का उपयोग रूस के लोगों को नहीं परन्तु अफ़गानिस्तानियों और पाकिस्तानियों को मारने के लिए किया जाएगा। हां, यदि वह इसे जारी रहने देंगे तो यह उनका अन्त होगा, किन्तु हम नही चाहते कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा और जिससे हम प्रभावित होंगे इस सारे काम का परिणाम हमें प्रभावित करे, जिससे आतंकवादियों को सहायता मिलेगी।

महोदय, अतः मैं समझता हूं कि हमने एक अच्छा काम किया है। मैं आशा करता हूं कि डा० नजीबुल्लाह द्वारा एक मिली-जुली और स्पष्ट सरकार बनाने वाले प्रयास जो अब किए जाएंगे जिसमें वह लोग भी होंगे जो देश छोड़ कर चले गए थे, जो सरकार के विरुद्ध लड़ते रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो राजा—मैं नहीं जानता कि क्या राजा अब वहां जाना चाहते हैं या नहीं, खैर जो भी हो, हमारी मुख्य चिन्ता यह होनी चाहिए कि मैत्रीपूर्ण भारत के साथ अफगानिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध हों। अफगानिस्तान सरकार शान्ति और निर्पेक्षता का समर्थन करे, यही हमारे हित में है और इस उद्देश्य के लिए हमें अपनी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, किंतु निश्चय ही सावधानी से, हम अपने आप को इस स्थिति में नहीं धकेल देंगे, हमने मेरे विचार में कभी भी ऊधमी अथवा असमय ढंग से ऐसा नहीं किया, हमें विवेकशील होना चाहिए, हमें इस प्रकार से काम करना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

चाहिए जिस से हमारे प्रयास सहायक और लाभदायक हों और हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि सीमा पार से शस्त्रों की तस्करी, मादक द्रव्यों की तस्करी, मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार, जो संभवत: लाखों डालरों में हो रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से रोक दिया जाए। हमें ऐसा करना है। अन्यथा उस देश में शत्रुता की समाप्ति के बावजूद यह शस्त्र और औषधियां आते रहेंगे। निश्चय ही इस से पंजाब में आतंकवादियो को सहायता मिलेगी। किंतु इस से हमारे देश के हित कई प्रकार से बुरी तरह प्रभावित होंगे। अत: हमें चीजों को नई स्थिति में देखना चाहिए जबकि नए विचार सामने आ रहे हैं नई पहल की जा रही है और नए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। यह एक नया विश्व है, जिसमें नए ढंग से आपसी संबंध बढ़ाये जा रहे हैं जो कुछ वर्ष पूर्व नहीं थे। हमारे पास नए विचार और नए इरादे होने चाहिए जिन से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आपको प्रस्तुत कर सकें।

**श्री दिग्विजय सिंह** (सुरेन्द्र नगर) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं न केवल इसलिए कि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं किंतु मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्रालय का काम प्रशंसनीय है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर गत कुछ वर्षों में जब विश्व में अशान्ति रही, भारत ने विश्व के प्रत्येक कोने में न केवल अपनी राजनीतिक छवि बनाए रखी है बल्कि इसका और भी विकास किया। प्रमुख कारण यह है कि हमारे समाज ने पूरी तरह लोकतांत्रिक सिद्धांत और संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया है और हमने विश्व में, विशेषकर एशिया में एक ऐसी छवि बनाई है कि हमारी सीमाओं के बावजूद हम वयस्क मताधिकार की प्रणाली की कदर करते हैं। संभवत: यही कारण है कि जो हमारी यह स्थिति है जिसकी हमने कदर की है, कि हमारे कुछ पड़ोसी हमारी इस स्थिति से ईर्ष्या करते हैं और यह भारत के हर में और नजर आ रही हैं। मैं जरा दोहराता हूं कि क्या हो रहा है।

अफगानिस्तान के बारे में प्राय: बहुत कुछ कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्थिति अब इतनी बदल रही है और अस्थिर है कि इस बात का पूर्वाभास हो रहा है कि आने वाले समय में न केवल महाशक्तियों की ओर से बल्कि अन्य सभी पड़ोसी शक्तियों से भी अफगानिस्तान के लिए छीना-झपटी होगी। जब ऐसी स्थिति शीघ्र उत्पन्न होती है, सम्भवत: पखवारे में, भारत के पास अपना विकल्प होना चाहिए और भारत को अपना काम इस दक्षता से करना होगा और यह देखना होगा कि इसके हितों की सुरक्षा की जा रही है—चाहे यह अफगानिस्तान हो या अफगानिस्तान में विभिन्न गुट हैं, अथवा अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं या महाशक्तियां हैं।

महोदय, हमारा दूसरा पड़ोसी बर्मा है। हमें नींद से जागना चाहिए और यह समझना चाहिए कि बर्मा न तो ऐसा है न ऐसा रहेगा जैसा कि यह विगत में था। हम बर्मा में विद्यार्थी अशान्ति के सम्बन्ध में पढ़ते रहते है। बर्मा में चेतना और जागरूकता बढ़ रही है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने बर्मा की यात्रा की। यह अत्यन्त प्रशंसनीय तथा बड़ी बात है। किन्तु, मैं समझता हूं कि न केवल व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में परन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना है क्योंकि एक ऐसी शून्यता है जिसको भारत आसानी से पूरा कर सकता है। यदि पाकिस्तान जो 'सार्क' का एक सदस्य है अपने आप को एक पश्चिम-एशिया देश के रूप में समझे, तो हम क्यों न बर्मा को न केवल एक दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र, पर 'सार्क' का भी एक

सम्भव सदस्य मान लें ? हम इस क्षेत्र में पहल क्यों नही कर सकते हैं ? चीन में विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हाल का यह समाचार नहीं सुना कि पीपल्स नेशनल कांग्रेस में मतभेद हैं और पीपल्स नेशनल कांग्रेस में सदस्यों के कुछ पूरे समूह हैं जो किसी भी प्रस्तुत विधेयक के लिए समझौता नहीं करते हैं जैसा कि गतवर्ष था।

वहां घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में देश पहल कर रहा है। सम्भवत: विश्व में अन्य देशों की तुलना में कम्पनियां चीन में अधिक पहल कर रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें सजग रहना है और देखना है कि एक ऐसा तरीका कैसे निकाला जा सकता है जिससे हमारे विवाद यथासमय आसानी और मैत्री पूर्ण ढंग से हल हो सकें और इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि हम व्यापार के क्षेत्र में अच्छे मित्र कैसे बन सकते हैं। वैसे भी दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र में बहुत सी समानताएं हैं।

हिंद महासागर में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि महाशक्तियां अपनी भूमिका अदा कर रही हैं चाहे डियागो गासिया में अमरीका हो या अफ्रीका में सोमालिया में सोवियत संघ हो, जहां इनके अड्डे हैं। दोनों ही विस्फोटक हैं। भारत का यह रुख प्रशसंनीय है कि हम दोनों से तटस्थ रहें और हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई और मंच, काम करें।

जहां तक हिंद महासागर का सम्बन्ध हैं हमें एक काम और करना चाहिए। 12, 13 या 14 साल पहले 'मोनेक्स' नाम की एक परियोजना शुरू की गई थीं। इसके अन्तंगत अफ्रीका, एशिया, आस्ट्रेलिया और दक्षिणपूर्व एशिया के देशों को समन्वित ढंग से वैज्ञानिक क्षेत्र में यह काम करना था कि हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली मानसून की लहरों का उदभव सुनिश्चय करके उनका अध्ययन किया जा सके ताकि मानसून की घोषणा की जा सके। लगातार तीन सालों से मानसून नहीं आया है, ऐसे में आज हमें लगता है कि इस तरह की वैज्ञानिक सूचना का होना कितना महत्व रखता है। मुझे यह बताते हुए खेद है कि 'मोनेक्स' अपना काम पूरा नहीं कर सका क्योंकि इसमें भाग लेने वाले अफ्रीका, एशिया के देश और आस्ट्रेलिया के बीच समन्वित रूप से कार्य करने पर सर्वसम्मति नहीं हो सकी। और जब 'मोनेक्स' को सोवियत संघ और अमरीका से विशेषज्ञता प्राप्त हुई तो दोनों देशों की रुचि मानसून के बारे में कुछ पता लगाने के बजाय अपने राजनैतिक हितों में अधिक थी। हमें 'मोनेक्स' को दोबारा से शुरू करना चाहिए और इस काम को शुरू करने में पहल करनी चाहिए।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति हम जो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं उसके बजाय हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता आनी चाहिए। मैं जानता हूं कि रंगभेद की समस्या को हल करने के लिए प्रथम पंक्ति के अफ्रीकी देशों में एक मजबूत आधार का होना बहुत महत्व रखता है। पर मेरे विचार से विश्व नए आयामों की खोज में है। विश्व शांति के लिए अब हमारे समक्ष गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलू होने चाहिए जैसे पर्यावरण या परिवार नियोजन भी। विश्व अशांति का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन इनमें अधिक रुचि क्यों नहीं ले सकता। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि 'दक्षेस' ने इन क्षेत्रों में पहल की है, उन्होंने पर्यावरण और पर्यटन के मामले में समानता होने के कारण शुरूआत की है क्योंकि हम एक ही भौगोलिक क्षेत्र के हैं। इस मामले में हम सामूहिक ढंग से सोच सकते हैं।

[श्री दिग्विजय सिंह]

जहां तक महाशक्तियों का सम्बन्ध है, एक बहुत ही प्रेरक घटना घटी है । मैं तो कहूंगा कि सोवियत संघ के महान नेताओं द्वारा की गई पहल के कारण हमने रेकजविक और उसके बाद जनेवा और अब हाल ही में मास्को में हुए शिखर सम्मेलन में हमें आशा की यह किरण मिली है कि महाशक्तियों के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण की अधिक सम्भावना है ।

मुझे आशा है कि इस सदन का हर सदस्य मेरी इस बात का समर्थन करेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जून से शुरू होने वाले निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष सत्र में हमारे प्रधान मंत्री जी भाग लेगें और हम सब चाहेगें कि वह जाएं, भारत की स्थिति स्पष्ट हो और संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में इस बात पर जोर दें कि निरस्त्रीकरण की दिशा में, खासकर परमाणु सम्भावनाओं से शांति की दिशा में और प्रगति हो ।

एक और पार्लियामेंटेरियन ग्लोबल एक्शन नामक संगठन है जिसका सदस्य हर संसद सदस्य बन सकता है । मैंने भी इसमें भाग लिया है । इसकी कुछ बैठकें हुई थीं । यह एक ऐसा संगठन है जिसे हर राजनैतिक दल के संसद सदस्यों की जरूरत है । हम इस संगठन के अन्तर्गत सक्रिय हैं, हमारी बात मानी गई, हमें मान्यता भी मिली और पिछले साल 9 नवम्बर को इस संगठन को प्रथम इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार प्रदान किया गया । हमने बहुत सक्रियता से काम किया है और 6 देशों के शासनाध्यक्षों को सहमत करा लिया और उनकी 20 जनवरी को स्टाकहोम में बैठक हुई और कुछ बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाए गए । एक कार्यक्रम है अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा का—एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना, जो विभिन्न देशों की परमाणु सामर्थ्य की जांच करे । हम चाहते हैं कि एक प्रणाली विकसित की जाए, एक संगठन की, एक संस्था की स्थापना की जाए जो यूरेनियम और प्लूटेनियम के व्यापार को नियमित और नियंत्रित कर सके । यह अन्तिम लक्ष्य है और भविष्य में परमाणु को नष्ट करने में यह रामबाण औषधि सिद्ध होगा ।

इस्लामाबाद एक ऐसे देश की राजधानी है जिसने अनेक विस्फोट देखे हैं । हमें बताया गया है कि केवल दो हफ्ते पूर्व इस्लामाबाद में हुए विस्फोट का कारण संभवत अफगानिस्तान के लिए रखी गयी और जिसे भारत में भी लाया जा सकता था युद्ध सामग्री का विशाल भंडार था । लेकिन उस स्थल का निरीक्षण करने और उस स्थान पर जमा युद्ध सामग्री में दोबारा विस्फोट न होने देने को सुनिश्चय करने के लिए पहुंचने वालों में प्रथम स्थान अमरीकी विशेषज्ञों का था । बड़ी खतरनाक स्थिति है । और अब हम सुन रहे हैं कि तृतीय विश्व के देश जैसे सूडान और उसकी राजधानी समृद्ध यूरेनियम उप्लब्ध कराने के लिए व्यापारिक स्थल बने हुए हैं । हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं । आप खरीद सकते हैं । पाकिस्तान भी वहां से खरीद सकता है । ईरान और ईराक वहां से खरीद सकते हैं । मेरा ख्याल है कि ईराक ने इसे खरीदा है । इसराइलों को यूरेनियम के बारे में तब पता चला जब उन्होंने उसे खरीदा और उसे नष्ट किया । दक्षिणी अफ्रीका वहां से खरीदता है । इसका प्रसार हो रहा हैं इसका उपाय यही है कि इस प्रकार की प्रणाली के विरुद्ध एक मजबूत अन्तर्राष्ट्रीय लाबी तैयार की जाए क्योंकि इससे सारा विश्व नष्ट हो सकता है ।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैं केवल एक बात कहूंगा कि हमारे पड़ोसी देशों, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन, जिनके हमारे साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं हैं, को समर्थन देने में अमरीका

और ब्रिटेन प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अमरीका में भारतीय आबादी काफी है। अनिवासी भारतीयों के लिए हमने एक व्यवस्था की हुई है। मेरे ख्याल से हमें इस दिशा में काम करना चाहिए कि समृद्ध गैर निवासी भारतीयों, जिनका स्थान अमरीका में यहूदियों के बाद दूसरे नम्बर पर है। वे राजनैतिक दृष्टि से संगठित हों और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे चुनाव में—चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट—चुने जाएं और अमरीका में उनका राजनैतिक अस्तित्व हो। यह भूमिका वाशिंगटन स्थित हमारा दूतावास निभा सकता है।

**2.00 म०प०**

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् को मजबूत करने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व में जो कुछ घट रहा है, विश्व में जो पैदा हो रही जागरूकता से तृतीय विश्व के दो देशों के बीच छोटे स्तर पर भी परमाणु युद्ध से भी विनाश हो सकता है। इस पृष्ठ भूमि में विश्व और अधिक जागरूक हो रहा है। हम चाहते हैं कि भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक नेता की भूमिका निभाए।

[हिन्दी]

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार गुट-निरपेक्षता और पंचशील है। जब से हमने आजादी प्राप्त की है, कितने ही बाहरी और आन्तरिक दबाव क्यों न आए हों, हम अपनी इस नीति पर स्थिर रहे हैं। इसका कारण यही है कि देश की बागडोर, केवल दो वर्षों छोड़कर, बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हाथों में रही है।

स्वतन्त्रता के बाद पं० नेहरू की डायनैमिक लीडरशिप में हमने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की भूमिका क्या है, इसको पहचाना है और शीत-युद्ध की राजनीति से हम हमेशा दूर रहे हैं। मैं यह कहूं कि गुट-निरपेक्षता के जनक पं० जवाहर लाल नेहरू हैं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि 7 सितम्बर, 1946 को पं० नेहरू ने गुट-निरपेक्षता के बारे में कहा था, जब कि वह अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे, उस समय जबकि यह माना जाता था कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, टीटो-नासिर और नेहरू से जुड़ा हुआ है। परन्तु नासिर 1953 में अन्तर्राष्ट्रीय रंग-मंच पर आए और युगोस्लाविया रूस से जुड़ा हुआ था। यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन एक आदर्श नीति ही नहीं है, इसने हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। हमें अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक सम्बन्धों के लिए दोनों ही शक्तियों से सम्बन्ध जोड़ना अति आवश्यक था। इसी वजह से आज हिन्दुस्तान तीसरी दुनिया का एक प्रमुख वक्ता कहलाता है।

इस गुट निरपेक्ष आन्दोलन से हम यह सिद्ध कर सके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रजातांत्रिक बनाया जा सकता है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ को भी हम एक आदर्श शक्ति के रूप में उभार सके हैं। उपनिवेशवाद की नीति को हमने काफी हद तक कम किया है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि उपनिवेशवाद को खत्म करने में तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातन्त्र को विकसित करने में हमारे देश की गुट निरपेक्ष नीति ने महान सफलता प्राप्त की है। परन्तु कुछ इसके अपवाद भी हैं, जहां पर यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन सफल नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए ईराक और ईरान दोनों ही

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

यद्यपि गुट-निरपेक्ष राष्ट्र हैं, परन्तु आपस में उनका इस समय जिस मोड़ पर युद्ध पहुंचा हैं, दूसरे विश्व-युद्ध के बाद यह एक सबसे बड़ा रक्त-रंजित युद्ध है। अभी हाल ही में जिस प्रकार से तेल-वाहक जहाजों को वहां नष्ट किया गया है, उसे देखकर दिल दहल जाता है।

मैं यह भी कहूंगी, यद्यपि हम हिन्द महासागर को शांत क्षेत्र घोषित करने की कोशिश में लगे रहे, परन्तु अभी भी चारों तरफ कई युद्ध-पोत हमारे समुद्र पर तैर रहे हैं। मैं यह कहूंगी कि हमने सफलता तो जरूर प्राप्त की है, परन्तु इसके कुछ अपवाद जरूर रहे हैं।

साउथ-साउथ को-आपरेशन में खास प्रगति नहीं हो पाई। इसका कारण यही है कि कई राष्ट्र इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी हमने इस प्रयत्न को छोड़ा नहीं है। हाल ही में जूलियस नरेरे के कहने पर, हमने साउथ-साउथ कमीशन में अपने बहुत ही विद्वान अर्थ-शास्त्री तथा प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह को उसमें सैक्रेटरी जनरल के लिए भेजा है और मैं समझती हूं कि इससे निश्चित तौर पर इस मामले में भी देश को सफलता मिलेगी।

बड़ी शक्तियों के साथ सम्बन्धों में सबसे पहले हमारा परम मित्र राष्ट्र रूस आता है। वह हमारा टैस्टेड फ्रेंड है और हमेशा परेशानी और दिक्कत के समय उसने हमारा साथ दिया है। उदाहरण के लिए 1952, 1965 और 1971 की लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है। परन्तु मैं यह कहूंगी कि यद्यपि हमने रशिया से फ्रैन्डशिप की है परन्तु हमारी गुट-निरपेक्ष नीति पर इससे आंच नहीं आई है। मैं यह भी उदाहरण दूंगी कि 1971 में हमने यू० एस०एस०आर० के साथ, शांति मित्रता और सहयोग की संधि की थी परन्तु ब्रेझनेव ने जब एशियन कलैक्टिव सिक्योरिटी स्कीम के बारे में प्रस्ताव हमारे सामने रखा तो हमने उसको नहीं माना, क्योंकि वह चाइना के खिलाफ पड़ता था।

हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन हैं। हमने संधि नहीं मानी फिर भी सोवियत-इंडो रिलेशन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आई। आज हम यह कह सकते हैं कि 5 हजार करोड़ रुपये का व्यापार हम रशिया के साथ कर रहे हैं जबकि 1954 में यह केवल 1.3 करोड़ रुपये का ही था। इसके साथ-साथ रशिया ने मिग-29 हमें दिये जो कि उसने वारसा पैक्ट के राष्ट्र को भी नहीं दिये।

1986 में श्री गोर्बाचेव हमारे देश में आए और हमारे प्रधान मंत्री वहां गए, तो इससे हमारे सम्बन्धों में और अधिक प्रगाढ़ता आई है और श्री गोर्बाचेव ने ब्लाडीवास्टक के अपने भाषण में यह कहा है कि विश्व को स्थायित्व प्रदान करने में भारत और रशिया की मित्रता एक महत्वपूर्ण कदम है।

दूसरी महान शक्ति अमेरिका कई मायने में हमारे से समान है। वह भी प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर विश्वास करता है परन्तु प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता और रेशियल इक्वैलिटी के हमारे विचार एक जैसे हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगी कि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई द्वि-पक्षीय मामलों में हमारा साथ नहीं देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका हमेशा यही देखता है कि पहले उसका हित हो और उसके बाद हिन्दुस्तान के बारे में सोचता है। हमारे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को अमेरिका ने हमेशा ही संशय की दृष्टि से देखा है। उनके भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट जान फोस्टर डलेस ने गुट-

निरपेक्षता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो हमारे साथ नहीं हैं, वह हमारे खिलाफ है। इस प्रकार से उसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और 1954 में पाकिस्तान के साथ सुरक्षात्मक संधि उसने की।

इसी तरह से 1965 और 1971 की लड़ाई में अमेरिकी शस्त्रों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। 1974 में जब हमने पोखरण में शांतिपूर्ण कामों के लिए अणु शक्ति के परीक्षण का प्रयोग किया तो उससे अमेरिका ने एक बहुत ही कड़ा रुख अखत्यार किया तथा हमारे तारापुर संयंत्र के लिए जो फ्यूल तथा स्पेअर पार्टस देता था वह भी देने बन्द कर दिए। इस तरह से अमेरिका साउथ एशियन क्षेत्र में असफल प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान को हथियारों की सहायता देकर, सोफिस्टीकेटेड वैपन्स दे कर। अमेरिका ने जो एफ-16, एवाक्स, हारपून मिसाइल्स आदि पाकिस्तान को दिये हैं, उन से आज अमेरिका से जो हमारे संबंध हैं, उन में संशय पैदा हो जाना स्वाभविक है। इसी प्रकार से इस महीने के शुरू में जब वहां के डिफेन्स मिनिस्टर मि० कारलूची भारत आए थे, तो उन्होंने यह टिप्पणी की थी अफगानिस्तान में रूसी सेना हट जाने के बाद भी पाकिस्तान को वे शस्त्र देते रहेंगे और इस को उन्होंने उचित बताया है। इसलिए अमेरिका से संबंध बनाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का उन का दृष्टिकोण है।

हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से जो हमारे संबंध है, उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। चीन हमारा सब से बड़ा पड़ोसी राष्ट्र है, जिस की 1800 मील की सीमा भारत से लगती है और हम यह चाहते रहे हैं कि चीन से हमारे सम्बन्ध अच्छे बने परन्तु इस बात को चीन ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। मैं यह कहना चाहूंगी कि 1949 में जब साम्यवादी कम्युनिस्ट चीन में क्रान्ति हुई थी, उस समय चीन को मान्यता देने वाला नान-कम्युनिस्ट दूसरा राष्ट्र भारत था। इसी प्रकार कोरिया के संघर्ष के समय भी हमने उन को सहायत दी थी और 1954 में तिब्बत के साथ व्यापार में हम ने उन्हें सहयोग दिया परन्तु 1962 में उसने भारत पर अटैक किया और साथ ही बहुत सी जमीन भारत की हथिया ली। यद्यपि 1976 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सीमा के सम्बन्ध में सुलह करने की बात की और कई वार्ताएं हुई, फिर भी कोई सफलता इस क्षेत्र में नही मिली है। इसलिए चीन के जो इरादे हैं, उनको बहुत ही गौर से देखना चाहिए। साथ ही यह कहना चाहूंगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में सुन्डोगचु वैली में प्रवेश किया है और उस को जब हम ने राज्य का दर्जा दिया, उस समय चीन ने खुल कर विरोध किया। वह बराबर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और पाकिस्तान के जरिये पंजाब के आतंकवादियों को हथियार पहुंच रहे हैं। यह समझ में नहीं आता है कि चीन की वर्तमान नीति क्या है। वह सब देशों से समझौता चाहता है परन्तु भारत के साथ उसका इस तरह का रुख क्यों है। इस बात को ध्यान में रखना होगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि साउथ एशिया सहयोग के लिए 1985 में शार्क की स्थापना हुई। यह तभी सम्भव है जबकि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, दोनों एक दूसरे से सहयोग करें। पाकिस्तान के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहती परन्तु मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब-जब पाकिस्तान में आन्तरिक विरोध होता है, पाकिस्तान के हुकमरान हथियारों का रुख हिन्दुस्तान की तरफ कर देते हैं। 1971 से पाकिस्तान एक कूटनीतिक खेल खेल रहा है। वह लड़ाई ओपनली नहीं करना चाहता परन्तु उस ने परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया सीख ली है तथा साथ ही अघोषित शीत युद्ध पंजाब के आतंकवादियों के माध्यम से कर रहा है और उनको हथियार दे रहा है।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : लोगों को नहीं दे रहा है, सिर्फ टेररिस्टों को दे रहा है।

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : पंजाब में जो लिमिटेड लोग हैं, उनको दे रहा है। मैंने आतंकवादी शब्द इस्तेमाल किया है। पंजाब में जो आतंकवादी लोग हैं, उन को हथियार दे रहा है। इसलिए शार्क की सफलता के लिए सब को कोशिश करनी चाहिए परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि शार्क तभी सफल हो सकता है जबकि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध सुधरें। शार्क के माध्यम से हमें पाकिस्तान को चेतावनी देनी चाहिए कि पंजाब में वह अपने खूनी आतंकवादी पंजों को समेटे। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के हुकमरान जरूर हमारे देश के खिलाफ हैं क्योंकि वे अपने स्वार्थ में फंसे हैं परन्तु वहां की जनता के साथ हमारे संबंध सदियों से रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर हम कई देशों में भारत महोत्सव मनाते हैं तो क्यों नहीं हम पाकिस्तान में भी भारत महोत्सव मनाने की सोचें और भारत में पाकिस्तान महोत्सव मनाया जाय। हो सकता है कि इस प्रकार हमारे सांस्कृतिक आदान-प्रदान से हम कुछ आगे बढ़ सकें।

हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के साथ हमने 1987 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये और अभी हमारी सेना वहां शान्ति स्थापना के लिए हमने भेजी परन्तु एल० टी० टी० ई०, आतंकवादी संगठन ने हमारे इन कामों में सहायता नहीं दी है और कई प्रकार से हमें वहां पर नुक्सान उठाना पड़ा है इसलिए इण्डियन पीस कीपिंग फोर्स जो शान्ति स्थापित करने के लिए गई थी आज वहां पर शान्ति के लिए उनको युद्ध करना पड़ रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर सरकार तुरन्त ध्यान दे और उस समझौते को लागू करे।

(व्यवधान)

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बंगलादेश से हमारे सम्बन्ध इस समय चकमा शरणार्थी समस्या की वजह से और भी विकट हो गये हैं क्योंकि त्रिपुरा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रान्त है, वहां पर 50 हजार के करीब चकमा शरणार्थी आ गये हैं और इस स्थिति में हमें बंगलादेश से बात करनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आज विश्व सैन्य शक्ति के ऊपर वन ट्रिलियन डालर अर्थात 10 खरब रुपया खर्च करता है। यह इतना पैसा है कि विश्व के कई गरीब देशों, जिनकी जनसंख्या विश्व की 2/3 है, के बजट के बराबर है। साथ ही मिलिट्री पर इतना अधिक खर्चा होता है करोड़ों, अरबों रुपया, जिसका मैडीकल रिसर्च पर उसका 1.5 परसेण्ट भी खर्च नहीं होता, मैं कहना चाहूंगी कि भारत ने इस ओर काफी प्रयास किया है और उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि निशस्त्रीकरण के मामले में हमारा देश अगुवा रहा है। 1987 में जब यू० एन० ओ० में निशस्त्रीकरण तथा विकास के लिए कांफ्रेंस हुई तो सौभाग्य की बात है कि हमारे विदेश राज्य मंत्री श्री नटवर सिंह उसके अध्यक्ष थे और 153 राष्ट्रों ने उसमें भाग,लिया, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है, वहां पर जो सुझाव आए हैं सरकार उनकी तरफ ध्यान दे।

हाल ही में जापान और वियतनाम में प्रधान मंत्री जी की यात्रा भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया आयाम लेकर आयेगा और आर्थिक दृष्टि से हमारे सम्बन्ध उनसे जुड़ेंगे।

न्यू डेटान्ट जो दो महाशक्तियों के बीच 1987 में हुआ, आई०एन० एफ० ट्रीटी के माध्यम से, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसमें भी भारत की पहल रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय

में 6 नेशंस पीस इनिशिएटिव के माध्यम से उन्होंने यह काम शुरू किया था और श्रीमती गांधी ने बीज रूप में इसको बोया था वह राजीव गांधी की लीडरशिप में विकसित और प्रस्फुटित हो रहा है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अगर हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और विश्व की दोनों महा-शक्तियां इस ओर प्रयास करती रहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि हम लोग विश्व शान्ति का स्वप्न साकार कर सकेंगे और विश्व को महान विनाश के गर्त में जाने से बचा सकेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज हमारा विदेश मंत्रालय श्री राजीव गांधी जैसे प्रखर व्यक्ति के हाथ में है तथा नटवर सिंह जी उनके सहयोगी हैं तो निश्चित तौर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का विश्व शान्ति का जो स्वप्न था उसे हम साकार कर सकेंगे तथा भगवान महावीर और बुद्ध का संदेश जो उन्होंने विश्व को दिया था, आने वाले समय में हिन्दुस्तान शान्ति का संदेश अपनी विदेश नीति के माध्यम से विश्व को दे सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** (संगरूर) : सभापति महोदय, मैं भारत की विदेश नीति का समर्थन करता हूं। पिछले 40 वर्षों से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई गुट-निरपेक्ष की नीति का पालन कर रहे हैं। इस नीति की सहायता से हमने विभिन्न राष्ट्रों के बीच टकराव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में अफगानिस्तान के संबंध में हमने जो भूमिका निभाई है, उसकी बहुत सराहना की गई है। हम अपने पड़ोसी देश में शांति चाहते हैं। अत: काबुल से सोवियत सेनाओं के हट जाने से निश्चित रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच आपसी सम्बन्धों का नया युग आरम्भ होगा। महोदय, साथ ही भारत ने पी०एल०ओ० का समर्थन करने और इजरायल के नापाक इरादों का विरोध करने में जो भूमिका निभाई है, वह भी सराहनीय है। अफ्रीका के लोगों के रंगभेदी सरकार के विरुद्ध संघर्ष में अफ्रीकी आंदोलन में भारत की भूमिका भी सराहनीय है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 6 फरवरी 1988 को श्री एडुआर्डो फैलीरो ने ओमान में कहा था कि भारत खाड़ी के युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करेगा। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने सेना के कमाण्डरों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि ईरान-इराक युद्ध इस देश से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत ने कोरिया और स्वेज नहर के मामले में शांति लाने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमें विश्व शांति का अग्रदूत माना गया है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि हमारी सरकार ईरान-इराक युद्ध की मूक दर्शक क्यों बनी बैठी है जिसमें मानवता का विनाश हो रहा है।

महोदय, भारत के अरब के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरब देशों के साथ केवल पाकिस्तान के ही सम्बन्ध अच्छे हों। महोदय, इसीलिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि मंत्री महोदय को ईरान-इराक संघर्ष को समाप्त करने के लिए सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने के गंभीर प्रयास करने चाहिए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि भारत को तुरन्त 'नाम' की बैठक बुलानी चाहिए, उसे 'नाम' के अध्यक्ष को एक बैठक बुलाने पर राजी करना चाहिए।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : संयुक्त राष्ट्र भी जो नही कर पाया है वह आप चाहते है कि हम करें।

**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : जी हां, हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि सुरक्षा परिषद का संकल्प 598 निष्प्रभावी रहा है लेकिन मैं केवल पहले निभाई गई भूमिका पर जोर दे रहा हूं। पिछले 40 वर्षों में ऐसी घटनाओं के समय हमने कोरिया और स्वेज नहर में संघर्ष के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम विश्व में शांति लाने में सबसे आगे हैं और हमें ऐसा माना जा रहा है। अत: मेरा सुझाव है कि दिल्ली निरस्त्रीकरण घोषणा और परमाणु अस्त्रों के विस्तार की भांति हमें इस युद्ध को भी समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली से यह अपील की जानी चाहिए की ईरान-इराक युद्ध समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री का एक विशेष दूत नियुक्त करना चाहिए जो तेहरान तथा बगदाद जाकर इन देशों को इस बात के लिए राजी करे कि हम नहीं चाहते कि पड़ोसी देश में या हिन्द महासागर में विदेशी सेनाएं हों। सुरक्षा परिषद के संकल्प 598 को इस खण्डों में बिना किसी कांट-छांट के पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाना चाहिए। महोदय, पंडित नेहरू के दो बड़े गहरे मित्र थे नासिर और टीटो। एक प्रसिद्ध तिकड़ी थी जिन्होंने वर्षों तक विश्व के कार्यों में ऐतिहासिक भूमिका अदा की। इसी तरह प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को राष्ट्रपति मुगाबे और राष्ट्रपति कैनथ कोंडा से बातचीत करनी चाहिए। ये विश्व के दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने शांति तथा सौहार्द के लिए तथा विश्व में संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। प्रधान मंत्री को इस मामले पर उनसे भी बात करनी चाहिए। छः सदस्यीय खाड़ी निगम परिषद पहले ही एक संकल्प पारित कर चुकी है। वह संकल्प तुनिसिया में अरब संसदीय यूनियन के 8वें सत्र में एकमत से स्वीकार किया गया था। अत: पूरे विश्व में इसे पहले ही से समर्थन प्राप्त है। हमें भी इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए जैसी कि हम पिछले वर्षों में करते आए हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। सिख समुदाय की छवि बिगाड़ने का प्रचार किया जा रहा है। मैं कनाडा और अमरीका गया था, जहां इस गलत सूचना का आन्दोलन चलाया जा रहा है। हमारे दूतावासों को इस मामले के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पंजाब के समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ है कि सिख समुदाय की छवि बिगाड़ने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और कुछ पश्चिमी देशों में भी निहित स्वार्थों द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है। समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि कुछ ऐसी वीडियो फिल्में भी दिखाई जा रही हैं जो सिख समुदाय की छवि बिगाड़ती हैं। यह भी आरोप लगाया गया है—मैंने केवल 'आरोप' शब्द का प्रयोग किया है—कि भारतीय दूतावास के कुछ सदस्य भी इन शरारती तत्वों के साथ मिले हुए हैं। अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यदि इस मामले में कुछ जानकारी उपलब्ध है तो वह कुछ कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों मांगों तथा इस सभा में रखी गई उनकी रिपोर्ट का समर्थन करता हूं। जैसा कि विदेश राज्य मंत्री श्री नटवर सिंह ने कल वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय नीति की कसौटी यह है कि वह राष्ट्रव्यापी सहमति से तैयार होती है। यहां तक कि जब सरकार बदली थी और 1977 में कांग्रेस

पार्टी की हार के बाद नई सरकार सत्ता में आई थी, तब भी राष्ट्र ने विदेशी कार्यों के संबंध में यही नीति अपनाई थी। जब किसी ने तत्कालीन विदेश मंत्री श्री वाजपेयी से कहा कि जनसंघ नेता के रूप में उनकी भूमिका और उनके भाषण भारत के विदेश मंत्री होने के रूप में उनकी भूमिका और उनके भाषणों के विपरीत हैं, तब उन्होंने यह उत्तर दिया था कि उन्हें भारत सरकार की विदेश नीति की चिंता है, जनसंघ की विदेश नीति की नहीं। अतः इससे पता चलता है कि भारत की विदेश नीति, जो राष्ट्रीय सम्मति पर आधारित है, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में उभरी है और सरकारों के बदलने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है।

भारत एक ऐसे संसदीय लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां इसकी विदेश नीति के पीछे राष्ट्रीय सम्मति प्राप्त है क्योंकि यह गुट-निरपेक्ष, पंचशील और ऐसे अन्य सिद्धान्तों पर आधारित है जिन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले ही अपना लिया गया था।

यह हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने वाले नेताओं की दूरदृष्टि तथा बुद्धिमानी के प्रति सम्मान ही है कि एशियाई राष्ट्र संबंध सम्मेलन भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही किया गया था और भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। हम उस संस्थान के निर्माताओं में से एक हैं जो कि मानवता के लिए आशा की किरण के समान हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है जो कि स्वागत योग्य है। भारत का ध्यान अब एशिया की ओर गया है। हमने अपनी विदेश नीति में एशिया की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भाग लेने के लिए वेंकूवर जाते समय तोक्यो में रुकना इसका पहला प्रमाण है और प्रधान मंत्री की जापान की हाल ही की यात्रा से यह बात और पक्की हो गई है कि हम अपनी विदेश नीति सूत्रों में एशियाई आयामों को भूल नहीं रहे हैं। पिछले वर्ष नई दिल्ली में एशियाई विदेश सम्बन्ध सम्मेलन का होना इस दिशा में दूसरा कदम है और हमारी सरकार तथा जापान के विदेश मंत्री, श्री कुशनरी के बीच हुई बातचीत इस दिशा में विशेष प्रगति का प्रतीक हैं। हिरोशिमा—जो परमाणु बम से विध्वंस होने के कारण विख्यात है—के मेयर का नई दिल्ली में हुए एशियाई राष्ट्र विदेश संबंध सम्मेलन में भाग लेना भी सही दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण कदम है। जापान अब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे रहा है। हमें जापान से सहायता मिली थी। ओ०डी०ए० से हमें सहायता देने वालों में जापान सबसे बड़ा देश है।

यहां मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आरंभिक स्थिति में हमारी विदेश नीति में जो ऐतिहासिक विघटन आया वह यह था कि काफी समय तक हमारी विदेश नीति पर पाश्चात्य प्रभाव रहा। हम पश्चिम की ओर अधिक उन्मुख थे और उसके परिणामस्वरूप एशियाई देशों, चीन, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध उस हद तक नहीं बना पाए जितने आरंभ से होने चाहिए थे। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी जापानी को कठिन भाषा माना जाता है। लेकिन हमें एशियाई देशों और भारत के बीच अधिक से अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना चाहिए। इस समय हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति पर पश्चिम का अधिक प्रभाव है। हम पर पाश्चात्य प्रभाव है। लेकिन मूलतः हमारे संबंध एशियाई देशों, जापान, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया से हैं। यदि हम ऐसा कर पाए तो आशा है जनता का मत हमारे पक्ष में होगा। अतः दिल्ली विश्वविद्यालय में जापानी और चीनी भाषा के अध्ययन के लिए विभागों की स्थापना करना सही दिशा में एक कदम था। मैं विदेश राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमारे राजनयिक सम्बन्धों, हमारे अपने साहसिक कार्यों में एशिया की ओर ध्यान केन्द्रित करने के

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

लिए इस आन्दोलन को बढ़ावा मिला है और हम एशिया में होने वाली घटनाओं को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत ही गंभीरता से समझ पाए हैं जितना कि इससे पहले नहीं समझ पाए थे।

चीन के बारे में, मेरे विचार में भारत सरकार के अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के प्रयासों के लिए उस देश को हमारी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि हम सांस्कृतिक सम्बन्धों की परम्पराओं से बंधे हुये हैं। और अब समय बदल रहा है। आज का चीन वह नहीं है जो 1979 से पहले हुआ करता था जब अमरीका ने भी चीन को मान्यता प्रदान की थी, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलाने के लिए उनके मामले की वकालत करने के लिए भारत मुख्य रूप से जिम्मेदार था। चीन में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और अब चीन-रूस सम्मेलन होने की चर्चा है। हालांकि, इसमें भी कुछ कमियां हैं लेकिन इससे यह पता चलता है परिवर्तन की कुछ हवाएं चल रही हैं। चीन ने भी इस प्रकार के सम्मेलन के लिए तीन शर्तें रखी हैं। उनमें से एक शर्त लगभग पूरी हो भी गई है अर्थात अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं की वापसी। चीन के साथ सीमा पर सोवियत सेनाओं की उपस्थिति को कम करना ; और तीसरी शर्त है कि कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं को हटाना। इस सम्बन्ध में, मैं सुझाव दूंगा कि कम्पूचिया की समस्या को हल करने के लिये नए सिरे से भारतीय प्रयास शुरू किये जाने चाहिए क्योंकि यदि एक बार यह समस्या निपटा दी जाती है, तो एशिया में तनाव कम हो जाएगा।

लगभग 8 वर्ष पहले, जब मैं अमरीका के दौरे पर गया था और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक समूह के सामने भाषण दिया था तो एक प्रोफेसर ने मुझे यह कहकर चेतावनी दी थी कि वह दिन कभी नहीं आएगा जब सोवियत रूस अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। मैंने कहा था : 'नहीं, मैं आशावान हूं कि वह दिन आएगा।' मैंने सोचा था कि पांच वर्षों के अन्दर ऐसा होगा। लेकिन ऐसा अब आठ वर्षों के अन्दर हुआ है। अब 15 मई से सोवियत सैनाएं वापस बुला ली जाएंगी। यदि ऐसा हो सकता है, तो इस तरफ, वियतनामी सेनाएं भी वापस बुलाई जा सकती हैं, बशर्ते कि बातचीत द्वारा समझौता हो जाता है, और चीन इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि वह वियतनाम के बागियों को सहायता नहीं देगा। केवल एक वर्ष पहले तक कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि आई० एन० एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये जाएंगे, कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाएं हटा ली जाएगी, कि उससे चीन-सोवियत सम्बन्धों में परिवर्तन आएगा। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है। प्रधान मंत्री राजीव गांधी और उनकी सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और गुट-निरपेक्ष नीति के कारण ऐसा संभव हुआ है।

बुनियादी तौर पर, अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का ही परिणाम है जोकि हमेशा अन्य देशों से विदेशी सेनाओं की वापसी पर जोर देता रहा है। यद्यपि रूस हमारा मित्र है, रूस को कई बार यह स्पष्ट कर दिया गया था। इसी प्रकार हम इस धारणा की बार-बार वकालत करेंगे।

हाल ही में ईरान-इराक के इस संघर्ष में अमरीकी कार्यवाहियों से सैनिक तनाव भी बढ़ा है; उस तनाव को कम करने के लिए ही ये हमारे प्रयास हैं। आई० एन० एफ० सन्धि पर हस्ताक्षर होना हमारी विदेश नीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना इसीलिए है कि यह दोनों पक्षों को

एक साथ लाने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा दिए गए तर्कों का प्रत्यक्ष परिणाम है। रेयक-जादिक सम्मेलन की असफलता के बाद, यह भय था कि तनाव बढ़ जाएगा। भाग्यवश, 8 दिसम्बर को आई० एन० एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये गए जोकि हस्ताक्षर करने वाले दोनों देशों की विदेश नीतियों तथा भारत के लिये भी वह दिन एक महत्वपूर्ण दिन था। इतना ही नहीं, मुझे यह जानकारी है कि स्वयं अमरीका में ही आई० एन० एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के लिये कुछ विरोध हुआ था। वहां इसके विरुद्ध रूढ़िवादी विचार हैं। लेकिन, फिर भी, रीगन प्रशासन को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने यह संधि की और इससे विश्व की आशा बंधी है। राजीव गांधी ने प्रधान मंत्री के रूप में कुछ दिन पहले यह बताया था कि इस संधि का प्रभाव, विश्व में कुल परमाणु शस्त्रागार के 3 प्रतिशत पर नियंत्रण करना होगा। लेकिन यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। एक शुरूआत की गई है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि शुरूआत की गई है, और हम निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं; और, इसीलिए विश्व में हथियारों पर होने वाले खर्च में पर्याप्त कमी होगी और इस धन को विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए, रोगों की रोकथाम और निरक्षरता को दूर करने के लिए और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा।

चीन दक्षिणी समुद्रों में अपनी सैनिक उपस्थिति को दिखाने का प्रयास करता रहा है; और मैं दिनांक 11 जनवरी, 1986 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार से उद्धृत करना चाहूंगा जिससे ए० एस० ई० ए० एन०, देशों की इसके प्रति प्रतिक्रिया को संक्षेप में दिया गया है—हालांकि ए० एस० ई० ए० एन० देशों ने बहुत स्पष्ट तरह से बाधा खड़ी नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है :

"हालांकि, वियतनाम ने यह गल्ती दोबारा नहीं की। मुक्ति सेना से ठीक पहले रोजमर्रा की कहानी उसमें प्रकाशित होती थीं, वियतनाम की समाचार एजेंसी ने सरकारी टिप्पण प्रस्तुत किया कि "बहुत से देशों ने गतिविधियां शुरू की जिनका उद्देश्य वियतनाम की टरुओग सा (दी सप्रेटलीस) और हो भाग सा (दी पेरासेल्स) के दो द्वीप समूहों के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करना था…"।

"….वियतनामी लोगों ने यह नोट किया कि यह विधायिका और प्रशासनिक दोनों तरीकों, मनीला का संदर्भ स्पष्ट है, और खोजों और सर्वेक्षणों के माध्यम से, चीन की नौसैनिक गतिविधि का संदर्भ स्पष्ट है, किया जा रहा है।"

अत: चीन अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है। लेकिन उससे हमें अपने खतरा का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें और भी बहुत सी उलझनें हो सकती हैं। लेकिन, यदि हम कम्पूचिया की समस्या को हल कर लेते हैं और उसमें भारतीय प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत उन देशों में से एक है जिसने कम्पूचिया को मान्यता प्रदान की है; और प्रिंस सिहानुक का हस्तक्षेप और वर्तमान प्रधान मंत्री तथा इससे पूर्व सरकार के नेता को बातचीत के लिए उन्हें साथ मेज पर लाना, सही दिशा में एक कदम होगा।

मैं भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद की व्यापक भूमिका देने की भी वकालत करता हूं क्योंकि इस सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से ही हम विभिन्न देशों के बीच सम्बन्धों को ठोस बना सकते हैं; उसने बहुत अच्छा कार्य किया है फिर भी इसमें कुछ सुधार किये जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और हमारे विश्वविद्यालयों के बीच, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक जैसी हमारी शैक्षिक संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के बीच तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद के बीच और अधिक सहयोग और समन्वय होना चाहिए ताकि इन सभी सम्बन्धों को ठोस बनाया जा सके और हम एक दूसरे के नजदीक आ सकें।

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं, परन्तु पाकिस्तानी शासक सोचते हैं कि वे सीमा पर आतंकवादियों की सहायता करके अथवा लोगों के अन्दर किसी प्रकार का कपटपूर्ण प्रचार आरम्भ करके हमें भयभीत कर सकते हैं, पाकिस्तानी लोग, बंगलादेश युद्ध में हमारी भूमिका के लिए हमसे बदला लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की मूर्खता के कारण बंगलादेश का सृजन हुआ था। भारत को कोई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभानी पड़ी थी। लेकिन पाकिस्तान को भी यह महसूस करना चाहिए कि उनका हस्तक्षेप, जोकि एक गंभीर बात है, इस प्रकार के संघर्ष में अप्रत्यक्ष रूप से अथवा खुले तौर पर, जोकि पाकिस्तान के पड़ोस में भारत के एक पंजाब में वह पैदा कर रहा है, वह पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के लोग और भारत के लोग भाईयों जैसे रहे हैं; वे एक साथ रहते रहे हैं। अत: यह पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान के लोगों के हित में है—पंजाब एक समृद्ध राज्य है—कि उन्हें हमारे आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों द्वारा आतंकवादियों के प्रचार के रूप में सहायता द्वारा अथवा उग्रवादियों को शस्त्र देकर हस्तक्षेप करना एक शत्रुता का कार्य है और इसलिए सभी पक्षों द्वारा इसकी घोर निंदा किये जाने की आवश्यकता है। जो प्रशिक्षण वे दे रहे हैं और अपनी विभिन्न संस्थाओं में भारत के विरुद्ध जो प्रचार कर रहे हैं वह पाकिस्तान के भविष्य के लिए भी अच्छा शकुन नहीं है। यह पाकिस्तान के हित में है कि भारत और पाकिस्तान को सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखने चाहिए। अत: उन्हें ऐसा कोई कार्य करने से बाज आना चाहिए जो सीमा के इस तरफ आतंकवादियों की गतिविधियों को बढ़ाने के रास्ते में अथवा हस्तक्षेप के रास्ते में आता है। भारत, पाकिस्तान में शांति सहित शांतिपूर्ण विश्व की कामना करता है। पाकिस्तान और भारत, चीन और अन्य देशों में शांति के प्रतीक रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा की कीमत पर ऐसा करेगा। भारत की विदेश नीति समय पर खरी उतरी है। इसको सोवियत मित्रता और सम्पूर्ण विश्व में मित्रता के द्वारा इसे ठोस बनाया गया है। भारतीय सेनाओं ने कोरिया, गाज और विश्व के प्रत्येक हिस्से में शांति का झंडा फहराया है। यह उस नेतृत्व के प्रति सम्मान है जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा विश्व को दिया गया था। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इसके लिए पर्याप्त सम्मान दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस आन्दोलन को आरम्भ किया था और श्री राजीव गांधी ने इस आन्दोलन को अपने प्रमाणों से और मजबूत किया है। यह आन्दोलन जो 40-50 देशों से शुरू किया गया था अब इसमें 100 से अधिक देश हैं। क्या यह उस नीति और भारत सरकार की बुद्धिमता के प्रति सम्मान नहीं है? यह उसकी विदेश नीति की वजह है कि भारत की आवाज आज आदर के साथ सुनी जाती है। मैं चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच आठवें दौर की सरकारी बातचीत के बाद, उसमें और प्रगति होगी। मैं यह भी चाहता हूं कि श्री नटवर सिंह को तनाव कम करने और विश्व में शांति लाने के लिए अपने राजनयिक प्रयास तथा अन्य विभिन्न देशों को अपने प्रयास जारी रखने चाहिए।

चीन हमारा पड़ोसी है। पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। अन्य पड़ोसी देश भी हैं। 'सार्क' की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमने राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना के लिए कदम उठाये हैं इससे सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता और सुदृढ़ होगी। हमारे कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के राजनयिक दौरे ठीक रहे हैं, और उनके महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं और श्री के० सी० पंत और

श्री एन० डी० तिवारी के दौरों से वातावरण और भी अच्छा बना है। इसलिए इन शब्दों के साथ भारत सरकार द्वारा श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में विश्व में व्याप्त तनाव को दूर करने और शान्ति स्थापित करने और समूची मानव जाति के लिए शान्ति और प्रगति का युग लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। विश्व में बिना किसी रक्तपात व युद्ध के शान्तिमय वातावरण बने और डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाये। दिलों से नफरत दूर हो जाए और विश्व के सभी देश भारत सरकार द्वारा बनाई गई विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए चार्टर के तहत कदम से कदम मिलाकर चलें और एक बेहतर और समृद्ध विश्व की स्थापना करें।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं श्री एन० सी० पराशर की तरह सभी विषयों पर नहीं बोलूंगा, मैं केवल दो विषयों पर बोलूंगा क्योंकि मुझे बहुत कम समय आबंटित किया गया है।

अफगानिस्तान और इस्लामाबाद के बीच हुए समझौते से और रूस और अमेरिका के उस समझौते की गारन्टी देने से अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं की वापिसी का रास्ता निकल आया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता है और हमारे क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से जो तनाव व्याप्त था वह समाप्त होता प्रतीत होता है। हम इसका स्वागत करते हैं। भारत ने इसका स्वागत किया है और यू० एन० महासचिव के विशेष दूत द्वारा समझौता करवाने में भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है हमारे मंत्री श्री नटवर सिंह बहुत से विश्व नेताओं से मिले और यू० एन० में तथा गुट निरपेक्ष बैठकों में समझौते के लिए सुझाव दिये थे और मेरे विचार से वर्तमान समझौता इन दिये गये सुझावों पर भी आधारित है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और हमारे मंत्री श्री नटवर सिंह को बधाई देता हूं।

अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के घुसने के समय से ही उनके बारे में बहुत सी आशंकाऐं रही हैं। कुछ ने कहा था कि रूस की सेनायें अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि वे हिन्द-महासागर तक पहुंचना चाहती हैं कुछ ने कहा रूसी सेनायें वहां रहेंगी, वे कभी भी वापिस नहीं आयेंगी रूस का दृष्टिकोण यह था कि उन्हें वहां बुलाया गया था। इसलिए वे वहां थी। परन्तु जेनेवा समझौते से यह सिद्ध हो गया है कि साम्राज्यवादी ताकतों की ये सब चालें और लगाये गये आरोप झूठे थे।

हम अफगानिस्तान में बहुत अधिक रुचि रखते हैं और यह समझौता जो हुआ है वह हमारे उस देश से पिछले ऐतिहासिक सम्बन्धों के कारण हुआ है। हमारा उनके साथ व्यापार है, हमारे उनके साथ सांस्कृतिक सम्बंध है, हमारे पिछले कई वर्षों से उनके साथ राजनीतिक सम्बन्ध हैं और विशेष रूप से कि अफगानिस्तान एक गुट निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष समाजवादी देश है। और हमारा इस क्षेत्र में तथा विश्व के प्रति दृष्टिकोण एक जैसा है। अतः इसलिए, हमने यह भूमिका निभायी है, और इस कारण यह भारत सरकार के लिये चिन्ता का विषय रहा है।

इस सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्री जिया से सहयोग देने, मिलकर समाधान निकालने के लिये अनुरोध किया था। लेकिन उस अनुरोध को नहीं माना गया था। अब फिर श्री राजीव गांधी ने भी श्री जिया से कहा था कि हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन उन्होंने भारत सरकार के इस अनुरोध को भी नहीं माना। लेकिन कोई बात नहीं, अब वह समझौता हो गया है, हमें देखना है क्या यह समझौता सफल होगा, लेकिन उसमें कुछ खतरे हैं क्योंकि अफगान विद्रोहियों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है और पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हुई हैं। कुछ लोगों के वहां निहित स्वार्थ हो गये हैं। इतने सारे अस्त्रों का वे

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

क्या करेंगे और वे किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं ? मैं इस समझौते पर इसलिये जोर दे रहा हूं, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध भारत से है। इस समझौते के बाद ये सभी अस्त्र भारत को भेज दिये जायेंगे। पाकिस्तान पहले से ही अस्त्रों की सप्लाई कर रहा है, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है, और आतंकवादियों द्वारा जिन आधुनिकतम अस्त्रों, राकेटों, आदि को लाया जा रहा है उससे पता चलता है कि ये सब अस्त्र भारत में पहुंच गये हैं। अब प्रमुख रूप से भारत की तरफ दबाव डालने की चेष्टा होगी। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें। भारत को उस स्थिति का मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये क्योंकि उस स्थिति का परिणाम भारत पर, विशेषकर काश्मीर तथा पंजाब पर पड़ेगा।

मेरा दूसरा मुद्दा चीन के बारे में है। भारत और चीन के सम्बन्ध बहुत अच्छे थे किन्तु 1962 के युद्ध के बाद सीमा के प्रश्न को लेकर हमारे सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ा और उसके बाद से व्यावहारिक रूप से हमारे सम्बन्धों में दरार पड़ गई है। न तो उनकी ओर से और न हमारी ही ओर से सम्बन्धों को सुधारने के लिये कोई पहल की गई। अब तक 20 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। मेरे विचार से अब समय आ पहुंचा है जबकि हमें नये सिरे से सोचना होगा। यहां तक कि रूस भी अपनी सभी नीतियों और कार्यक्रमों पर फिर से विचार कर रहा है। हमें भी फिर से विचार करना चाहिये और अपने पड़ोसी, चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने की चेष्टा करनी चाहिये। अब चीन के दृष्टिकोण में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। माओ युग के बाद वहां कुछ परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं। विश्व के अन्य देशों के मामलों में वे विद्रोहियों को सहायता दिया करते थे और उन्हें उकसाया करते थे किन्तु अब यह काम उन्होंने लगभग छोड़ दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा उन्होंने सिद्धान्त के आधार पर किया है। वे पहले तीसरी दुनियां के देशों को सहायता भी देते थे और उन्हें उकसाते भी थे किन्तु अब ऐसी बात नहीं देखी जाती है। वे अनेक देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधार रहा है। जापान, बर्मा और पाकिस्तान के साथ उनका सीमा विवाद समाप्त हो गया है। ऐसा कुछ समय पहले हुआ था। अब वह सोवियत रूस के साथ भी अपने सम्बन्ध सुधारने की चेष्टा कर रहा है। दोनों देशों की मैत्री सोसायटी ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और वे सभी इंजीनियर, जो बीस साल पहले वहां से चले गये थे, फिर से वापिस आ गये हैं और अब वे रूस की सहायता से परियोजनायें पूरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नदी द्वीप समस्या भी सुलझाने की चेष्टा की है। इन दोनों देशों के बीच अनेक बातें हो रही हैं। उनके बीच व्यापार बढ़ गया है, उनके शिष्टमंडल एक दूसरे के यहां आ जा रहे हैं। उनके नेतागण एक दूसरे के यहां आ जा रहे हैं और दूसरे समाजवादी देशों के नेता भी चीन में आ रहे हैं। जहां तक सांस्कृतिक और आर्थिक पहलू का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने सम्बन्ध सुधार लिये हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि वे अपने राजनैतिक सम्बन्ध नहीं सुधार पाये हैं और अन्ततोगत्वा इसे सुधारने का भी उनका उद्देश्य है। मेरा अनुरोध है कि चीन की इस बदली हुई स्थिति में और बदली हुई विचारधारा में हमें भी अपने संबंध सुधारने के लिये कुछ पहल करनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ समय पहले, दो मंत्री—श्री तिवारी और श्री पंत वहां गये थे और बाद में उनका शिष्टमंडल भी यहां आया था। यह अच्छी बात है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि चीन के साथ अपने संबंध सुधारने के लिये हमें पहल करनी चाहिये और इस दृष्टि से यह कार्य हमारे लिये बहुत लाभदायक होगा कि भारत के लिये 100 करोड़ रुपये का बाजार खुल जायेगा। दूसरे, यह कि यदि उनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हो जाते हैं तो रक्षा पर और अपने

बलों की तैनाती पर हम अब जो बहुत सारा धन व्यय कर रहे हैं, वह भी कम हो सकता है, तीसरे, भारत और चीन के बीच मैत्री हो जाने से पूरी भू-राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिये, यह आवश्यक है कि श्री राजीव गांधी ने हमारी विदेश नीति के संबंध में इतना भारी प्रयास किया है और अनेक प्रयासों में हमें सफलता भी मिली है। मैं इसलिये जोर दे रहा हूं चूंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और यदि उनके साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हो जाते हैं तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाये। आप जानते हैं कि चीन कोई भी निर्णय लेने में समय बहुत लगाता है। यह उनकी आदत है। रूस के साथ उनकी जो वार्ता चल रही है वह गत 10 वर्ष से चल रही है। और अब तक वे केवल आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही बात-चीत कर पाये हैं। वे राजनैतिक क्षेत्र में बातचीत शुरू नहीं कर पाये हैं। सौभाग्यवश हमारी केवल सीमा संबंधी समस्या ही उनके साथ है। 25 साल के बाद, दोनों ओर भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं रह गया है और हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। मेरा यह अनुरोध है कि सभी पहलुओं पर विचार करने और विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करने के बाद चीन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिये और उसे अमल में लाया जाना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच तनाव समाप्त हो जाये और भारत अपना धन और अपनी निधि आर्थिक क्षेत्र में तथा देश के विकास के लिये लगा सके।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

**[हिन्दी]**

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** (श्रीनगर) : मिस्टर चेअरमैन, मैं आपके माध्यम से इस बात की सराहना करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जो फोरन पालिसी चल रही है, सन् 1947 के बाद से वह बड़ी कामयाब रही है। गांधी जी और जवाहरलाल जी ने सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात की जो नीतियां कायम की थीं उन पर हम पूरे उतरे हैं। बड़े ही साविक कदम और ईमानदारी के साथ हमारी मौजूदा सरकार ने इन नीतियों का पालन किया है और कर रही है।

हमने सारी दुनिया में पंचशील और नातरफदार मुल्कों का जो एक कंसैप्ट दिया है उसने आज दुनिया में बड़ी इज्जत और वकादार का मोकाम हासिल किया है। एक जमाना ऐसा था जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अमेरिकन इम्पीरियलिज्म था तो दूसरी तरफ सोशलिस्ट रिपब्लिक और उसके साथ के ममालिक थे। लेकिन नातरफदार ममालिक ने जो दुनिया के अन्दर एक तसव्वुर दिया जो कि हिन्दुस्तान की कोशिशों की वजह से हुआ, आज हमने उस मैदान में अपने कदम आगे बढ़ा दिये हैं। अब सारी दुनिया में इस चीज को तसलीम किया जाने लगा है कि नातरफदार मुल्कों की तहरीक सही और काबिले अमल है। शायद इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ शानदार नतायज सामने आये हैं। बड़े मुल्कों के मातहत आई०एन०एफ० ट्रीटी हुई। दोनों बड़ी ताकतों ने यह मान लिया कि वे 50 परसेंट स्ट्रेजिक वेपंस को कम करेगी। दुनिया अब आहिस्ता-आहिस्ता उन बुनियानी रास्तों की तरफ आ रही है, उनके करीब आ रही है जिन पर चलने के लिए हिन्दुस्तान की कोशिशों से बहुत देश तैयार हुए।

आज की दुनिया का सब से बड़ा मसला है अरब ममालिक के खिलाफ जारियत का जहां पर कि इजराईल ने बड़ी जोर-जबर्दस्ती का तरीका अख्तियार किया हुआ है और इससे सारे वेस्ट एशिया, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सारी दुनिया को एक खतरे में डाल दिया है। अफसोस की बात है कि इजराईल की जारहाना कार्यवाहियां में दुनिया के सब से बड़े ताकतवर मुल्क अमेरिका की पुस्तपनाही हासिल रही है। अमेरिका की इस पुस्तपनाही की वजह से इजराईल ने अपने मुखालिफ

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

हमसाया मुल्कों पर बोरहा हमला बोल दिया और सारी दुनिया में स्टेट टेरोरीज्म की उसने एक बदतरीन मिसाल पैदा कर दी।

हमने यह देख लिया है कि अमेरिका जो उसका साथी रहा है, हर मामले में उसकी बराबर हौसला अफजाही कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। जबकि वेस्ट बैंक और गाजापट्टी में इजराईल ने एक जबर्दस्त किस्म का तशद्दुद फिलीस्तीनी अवाम के साथ किया। सैकड़ों आजादी पसंद इंसानों को वहां कुचल दिया गया। उनके मकानात जला दिये गये, इनकी बस्तियों को तबाह कर दिया गया और उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वे अपना वतन छोड़ दें। नतीजा यह हुआ सन् 47 से अब तक फिलस्तीनियों की लाखों की तादाद में बहुत बड़ी आबादी आज जोर्डन और सीरिया और दूसरे अरब ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी है। हाल ही में जारियत का एक नया सिलसिला वहां और शुरू किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जाए। ऐसे नाजुक मसले पर अमेरिकन कांग्रेस ने एक रिजोल्युशन को इंप्लीमेंट करने के लिये यूनाइटेड नेशन पर न्यूयार्क में दबाव डाल दिया कि पी० एल० ओ० के आफीसिस बन्द कर दो।

**3.00 म०प०**

नाइंसाफी की हद हो चुकी है कि एक तरफ से तो मजलूम कौम पिस रही है, दहशतपसंदी का शिकार हो रही है, तमाम मुल्क इसके लिए इसरायल को लानत-मलामत कर रहे हैं, उस मुल्क को सहारा न देने वाला अमरीका उल्टे वहां पर पी० एल० ओ० के आफिसेस को, जो कि अभी पूरे देश की हैसियत नहीं रखता है, लेकिन जिसको मेंबरशिप दी गई है, उस मेंबरशिप को खत्म करना चाहता है बजोरे ताकत यूनाइटेड नेशंस और अमरीका के बीच समझौता है, जिसके तहत यूनाइटेड नेशंन कायम किया गया था, उसके दफातिर कायम हैं, उनकी सरासर खिलाफवर्जी करके अमरीका उनको वहां से निकाल देना चाहता है।

**3.01 म०प०**

**[ श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए ]**

फिलिस्तीन का मसला जिस के मामले में हिन्दुस्तान ने साबित कदमी, ईमानदारी और जुर्रत के साथ इसकी हिमायत की है और उसको इसका काफी फायदा भी हमें मिला है, हमें आलमी मुल्कों की बिरादरी में इज्जत और वकार दिया है, कि अरब मुल्कों में, मिडल ईस्ट में आज हिन्दुस्तान को बावकार हैसियत हासिल हो चुकी है जो कि गालिबन उन मुल्कों को हासिल नहीं है, जहां पर मुसलमान अक्सरियत हैं, चाहे पाकिस्तान हो बंगलादेश हो, उनके मुकाबले में हिन्दुस्तान को ज्यादा महानता, ज्यादा इज्जत और ज्यादा आबरू मिलीं है। इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो हमारी सन् 1947 से पालिसी रही है, पहले भी गांधी जी ने फिलिस्तीन की आजादी की हिमायत की और जियानिज्म की मुखालिफत की, इस पालिसी का हमें बहुत फायदा भी मिला है, इससे हमको बड़ा डिविडेंस मिला है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है, इसलिए इस बात का हमें फख्र होना चाहिए, हमने जो पालिसी अख्तियार की है वह दुरुस्त है, सही है। फिलिस्तीन के लाखों लोग बेघर हुए हैं इस वक्त और मुल्कों में हैं, मकबजा इलाकों में जबरदस्त कत्लेआम हो रहा है, ऐसे समय में हिन्दुस्तान को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान हकीकी मायने में नातरफदार मुल्कों का लीडर है, दुनिया में सबसे बड़ा वकार है, जो पौधा हमने नातरफदार होने का लगाया, नान-अलायनमेंट का, वह तनावर दरख्त की सूरत में सामने

आ चुका है। इसलिए जहां तक हमारी पालिसी है, उस पालिसी को अमली शक्ल देनी चाहिए। जैसे हमने अफ्रीका में अफ्रीकन फण्ड कायम करके वहां की नसली पालिसी के खिलाफ पूरी ताकत और मआसी कुवत के साथ हम काले शियाफान लोगों के साथ हैं उनको जद्दोजहद में, शाना-ब-शाना हैं, इसी तरह से हमें आज फिलिस्तीन के मामले में दो कदम आगे बढ़ना चाहिए। फिलिस्तीन के मामले में सिर्फ इतना काफी ही नहीं है कि हमने उनको मारल सपोर्ट दे दिया तमाम फोरम्स में, तमाम आर्गनाइजेशंस में, तमाम जगहों पर जहां-जहां भी मौका मिला उनकी हिमायत की, उससे भी आगे बढ़ कर हमको फिलिस्तीन मुजाहदीन की आजादी के लिए जिस जमात की रहनुमाई जनाब यासर अराफात कर रहे हैं, उनको हमें अपनी ताकत, हिम्मत और कूवत देनी चाहिए, क्योंकि यह मानी हुई हकीकत है कि, फिलीस्तीन का बहुत बड़ा इलाका इजराइल के कब्जे में है और मौजूदा हालात में उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है, वह बहुत ही बेरहमी का है, सफाकाना है, इसका इलाज करने के लिए हिन्दुस्तान को पेशकदमी करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अमरीका ने कई मामलों में, जिनकी तरफ और भी मेंबरान ने इशारा किया है, किस तरह से हमारे साथ ज्यादती की है। जिसकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इसकी बजाए इसने उन हमसाया मुल्कों को हमारे खिलाफ हथियार दिए और उनको ताकतवर बना दिया, इसने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। टेक्नालाजी और साइंस में नहीं मालूम कि हमको उनसे क्या मदद मिलती है, लेकिन हकीकी तौर पर हम नुक्सान में रहे हैं, हर मामले में। हमें सिर्फ दोस्ती की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी इज्जत, वकार और इंटेग्रिटी को भी महफूज रखना चाहिये। अगर हम इजराइल के बारे में यह बात कह रहे हैं तो खुद अमेरिका बिल्कुल वईना इसी तरह है। मैंने अभी आपको पी०एल०ओ० आफिसेज को निकालने की बात कही। लेकिन एक और ताजा वाक्या कल हुआ। ईरान में अगर गल्फ वार चल रही है तो यह मामला ईरान और इराक के बीच में है। यह जंग अफसोसनाक है और हिन्दुस्तान की सरकार ने इस जंग को खत्म करने की हत्तुलइमकान कोशिश की है और करनी चाहिए। आपका फर्ज है क्योंकि हमारे पास में लड़ाई लड़ी जा रही है। खुदा ना खास्ता यह तीसरी जंग में बदल सकती है और दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि अमेरिका पुलिस फोर्स बनकर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए और अपनी तानाशाही के लिए कभी एक मुल्क को और कभी दूसरे मुल्क को तबाह कर रहा है। कल जो ऑयल रिग्स पर हमला कर दिया वह बहुत अफसोसनाक है। ईरान-इराक वार एक तरफ छोड़कर जो हालात अमेरिका ने किए, क्या आप समझते हैं दुनिया इससे बचेगी। आज किसी भी ताकत की कोई भी गल्ती, कोई भी जोर जबर्दस्ती कोई भी टरोरिज्म दुनिया को तबाह करने के लिए काफी है। मैं उस मामले में रूस को बधाई देता हूं कि उसने सामने आकर आज अमेरिका को खबरदार किया है कि यह हमला गलत बात है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक ईरान-इराक वार का सवाल है, यह मैं आपसे वाजे अल्फाज में कहना चाहता हूं कि क्या यह अमेरिका नहीं था जिसके बलबूते पर इजराइल ने इराक के न्युक्लियर इन्सटालेशन्स को तबाह कर दिया। अब यह दोस्ती कैसे हुई। एक तरफ उसका इंटरेस्ट आज है और जाहिरा तौर पर गल्फ की कुछ कंट्रीज की पुश्तपनाही कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। लेकिन हकीकतन उसने जोड़-तोड़ की कोशिश की है, टकराव की कोशिश की है। वह मिडिलईस्ट को तबाह करने के दर पे है, और दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहता है। हमारी इत्तिला के मुताबिक दोनों मुल्कों को किसी न किसी जरिए से अमेरिका हथियार दे रहा है। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि खतरनाक सूरतेहाल पैदा हो रही हैं। हमें वाजे अल्फाज में अपने वफादात को पेशेनजर रखकर दुनिया के अमन को मद्दे-

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

नजर रखकर हमारी लीडरशिप को अमेरिका को साफ कह देना चाहिए कि वह मीडिलईस्ट से बहरे हिन्द से, हिन्द महासागर से बाहर आए जो सिक्स्थ और सेवन्थ फ्लीट है जिसके बलबूते पर वह दुनिया को डराना और दबाना चाहता है, अपना मकसद हल करना चाहता है, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज अमेरिका अपने हद्द, कंट्रोल से बाहर आ रहा है। कितने दुख की बात है कि इस वक्त जबकि फिलीस्तीन का आवाम अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है अमेरिका की पुश्तपनाही से इजरायल की फौज और मोसड ने अबु-जिहाद को कतल कर दिया। हम इस आजादी की जद्दोजहद की कदर करना जानते हैं क्योंकि हमने खुद अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी है। हमें इसके लिए कीमती कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। मेरी ख्वाहिश है कि भारत सरकार इन तमाम मामलात में जहां पर अमेरिका की दखलन्दाजी हो रही है, अपनी बरतरीयत दिखाना चाहता है, रोब जमाने की कोशिश में है वह अमेरिका को रोके। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, इसकी मफाहमत के लिए रूस और अमेरिका को मुबारकबाद देता हूं। बड़ी मुनासिब बात हुई है और हिन्दुस्तान ने मुनासिब वक्त पर इस मामले में सही रोल अंजाम दिया। जब तक दोनों मुल्कों से सामान की सप्लाई जारी रहती है हालात बहाल होना मुश्किल है। वह पुरअमन हालात जिसकी हम तमन्ना करते थे कि अफगानिस्तान में हालात सुधर जायेंगे और वहां पर जंगोजदाल की कशमकश कतलोगारतगिरी का सिलसिला बंद हो जायेगा, वह आसार हमें नजर नहीं आते। मैं साफ अल्फाज में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि हमें इस बात को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि जब तक अमेरिका मुजाहिदिन को फौजी सामान देता रहेगा और जब तक रशिया अपनी ताकत बराबर वहां की नजीबुल्ला गवर्नमेंट को देता रहेगा तब तक ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं। फिर भी गनीमत है कि किसी हद तक यह एग्रीमेंट हुआ, लेकिन हिन्दुस्तान को पहल करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा इस मामले में। यह समझौता पुख्ता नहीं है यह अधूरा है, इसको पूरा, मुकम्मल बनाने के लिए मुझे तवक्का है कि आपकी कयादत में अंतर्राष्ट्रीय दबाब डाला जाये और नॉन एलायनमेंट का प्रेशर डाला जाये इन मुल्कों पर कि वह किसी समझौते पर आ जायें। चीन के बारे में काफी बहस हुई। मसला उठा कि हमें चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए। पुराने वक्तों से हिन्दुस्तान और चीन के बीच ताल्लुक रहे हैं। उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चीन के पास जम्मू-कश्मीर का अकसाई चिन का इलाका है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी चीन और हिन्दुस्तान के बीच हालतों और खासतौर से बोर्डर इश्यू के बारे में बातचीत हुई तो अकसाई चिन का जिक्र नहीं आता। मैं यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि अकसाई चिन जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसलिए हम अकसाई चिन को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। आप खामोशी से काम लेते हैं इससे हमें दुःख होता है। आप नार्थ-ईस्टर्न इलाकों की बात कर रहे हैं, लेकिन अकसाई चिन की बात नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का तमाम इलाका जिसकी आइनी पोजीशन 1947 में 80 हजार मुरब्बा मीटर थी जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और अकसाई चिन का इलाका आ जाता था। यह हमारा इलाका है इसमें हमारी दस्तरस होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर विधान सभा में हमने 24 सीटें उनके लिए छोड़ दी हैं। यह आपका फर्ज है कि संविधान के उस कमिटमैंट को पूरा किया जाये जहां पर 24 सीटें खाली पड़ी हैं उन तमाम इलाकों के लिए जो हमारे काबू से बाहर हैं। वह क्या सिर्फ ख्वाब रहेगा, क्या इस को बातचीत के जरिए अमली शक्ल अख्तियार नहीं करनी है। हमारी 100 सीटें हैं जम्मू-कश्मीर विधान सभा में, लेकिन 76 सीटें इस वक्त पुर हैं और 24 सीटें खाली पड़ी हैं। जो हमारा इलाका है विधान सभा में उसके बिना हमारी पोजीशन अधूरी है। वैधानिक, थ्योरीटिकली जो पोजीशन है वह अधूरी है। मैंने जो मसाइल उठाये हैं और खासकर अरब मुल्कों के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में आप मजबूत और सख्त कदम उठायें उन तमाम ताकतों के खिलाफ जिन्होंने इस वक्त दुनिया में अमन को खतरे में डाल दिया है।

**شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)**: مسٹر چیئر مین ، میں آپکے مادھیم سے اس بات کی سراھنا کرنا چاھتا ھوں کہ ھماری سرکار کی جو فارین پالیسی رھی ھے سنہ ۱۹۴۷ء کے بعد سے بڑی کامیاب رھی ھے ۔ گاندھی جی اور جواھر لال نہرو جی نے ساری دنیا کے ساتھ تعلقات کی جو نیتیاں قائم کی تھیں ان پر ھم پورے اترے ھیں ۔ بڑے ھی ثابت قدم اور ایمانداری کے ساتھ ھماری موجودہ سرکار نے ان نیتیوں کا پالن کیا ھے اور کر رھی ھے ۔

ھم نے ساری دنیا میں پنچ شیل اور ناطرفدار ملکوں کا جو ایک کنسیپٹ دیا ھے اس نے آج دنیا میں بڑی عزت اور وقار کا مقام حاصل کیا ھے ۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب دنیا دو حصوں میں بٹی ھوئی تھی ایک طرف امریکن امپیریلزم تھا اور دوسری طرف سوشلسٹ ریپبلک اور اسکے ممالک تھے ۔ لیکن ناطرافدار ممالک نے جو دنیا کے اندر ایک تصور دیا جو کہ ھندوستان کی کوششوں کی وجہ سے ھوا ۔ آج ھم نے اس میدان میں اپنے قدم بڑھا دیے ھیں ۔ اب ساری دنیا میں اس بات کو تسلیم کیا جانے لگا ھے کہ ناطرفدار ملکوں کی تحریک صحیح اور قابل عمل ھے شاید اسی کا نتیجہ ھے کہ پچھلے کچھ برسوں سے کچھ شاندار نتائج سامنے آئے ھیں ۔ بڑے ملکوں کے درمیان آئی اَین ایف ٹریٹی ھوئی ھے ۔ دونوں بڑی طاقتوں نے یہ مان لیا ھے کہ وہ ۵۰ فیصد اسٹریٹیجک ویپنس کو کم کریں گے ۔ دنیا اب آھستہ آھستہ ان بنیادی راستوں کی طرف آرھی ھے انکے قریب آرھی ھے جن پر چلنے کیلئے ھندوستان کی کوششوں سے بہت دیس تیار ھوئے ۔

آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عرب مملکت کے خلاف جارحیت کا ،اسرائیل نے بڑی زور زبردستی کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس سے سارے ویسٹ ایشیا بلکہ مین تو یہ کھونگا کہ ساری دنیا کو ایک خطرے مین ڈالدیا ہے ۔ افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیون مین دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک امریکہ کی پشت پناہی حاصل رہی ہے ۔ امریکہ کی اس پشت پناہی کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے مخالف ہم سایہ ملکون پر بارہا حملہ بول دیا اور ساری دنیا مین سٹیٹ ٹیررزم کی اسنے ایک بدترین مثال پیدا کردی۔

ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ امریکہ جو اسکا ساتھی رہا ہے ہر معاملے مین اسکی حوصلہ افزائی کررہا ہے۔ مین آپکو ایک مثال دیے رہا ہون۔ جبکہ ویسٹ بنک اور غازہ پٹی مین اسرائیل نے ایک زبردست قسم کا تشدد فلسطینی عوام کے ساتھ کیا ۔ سینکڑون آزادی پسند انسانون کو وہان کچل دیا گیا ۔ انکے مکانات جلادئیے گئے انکی بستیون کو تباہ کردیا اور انہین اسبات کیلئے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ دین ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۴۸ سے ابتک فلسطینیون کی لاکھون کی تعداد مین بہت بڑی آبادی آج جارڈن اور سیریا اور دوسرے عرب ممالک مین پناہ لینے پر مجبور ہوچکی ہے ۔ حال ہی مین جارحیت کا ایک نیا سلسلہ وہان اور شروع کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگون کو وہان سے نکالا جائے ۔ ایسے نازک مسئلے پر امریکن کانگریس نے ایک ریزولیشن کو امپلیمینٹ کرنے کے لئے یونائیٹڈ نیشن پر نیویارک مین دباؤ ڈال دیا کہ پی آل او کے آفس بند کردو ۔ نا انصافی کی حد ہوچکی ہے کہ ایک طرف سے تو مظلوم قوم پس رہی ہے ۔ دہشت پسندی کا شکار ہورہی ہے ۔ تمام ممالک اسکے لیئے اسرائیل کو لعنت

ملامت کررھے ھین - اس ملک کو سہارا دینے والا امریکہ الٹا وھان پر پی ال او کے آفسز کو جو کہ ابھی پورے دیش کی حیثیت نہین رکھتا لیکن جس کو ممبر شپ دی گئی ھے اس ممبر شپ کو ختم کرنا چاھتا ھے بزور طاقت ، یونائیٹیڈ نیشنس اور امریکہ کے بیچ سمجھوتا ھے جسکے تحت یونائیٹیڈ نیشنس قائم کیا گیا تھا اسکے دفاتر قائم ھین انکی سراسر خلاف ورزی کرکے امریکہ انکو وھان سے نکال دینا چاھتا ھے -

فلسطین کا مسئلہ جسکے معاملے مین ھندوستان نے ثابت قدمی کے ساتھ اسکی حمایت کی ھے اور اسکا کافی فائدہ بھی ھمین ملا ھے ھمین عالمی ملکون کی برادری مین عزّت وقار دیا ھے - عرب ملکون من مڈل ایسٹ مین آج ھندوستان کو باوقار حیثیت حاصل ھوچکی ھے جوکہ غالبا ان ملکون کو حاصل نہین ھے جہان پر مسلمان اکثریت ھے - چاھے پاکستان ھو بنگلا دیش ھو انکے مقابلے مین ھندوستان کو زیادہ مہانتا زیادہ عزّت اور زیادہ آبرو ملی ھے - اس بات کے لیئے مین مبارکباد دینا چاھتا ھون جو ھماری سنہ ۱۹۴۷ء سے پالیسی رھی ھے - پہلے بھی مہاتما گاندھی جی نے فلسطین کی حمایت کی اور زیونزم کی مخالفت کی - اس پالیسی کا ھمین بہت فائدہ بھی ملا ھے - اس سے ھمکو بڑا ڈیویڈنس ملا ھے - اسمین کوئی شک نہین ھے اسلیئے اس بات کا ھمین فخر ھونا چاھیے ھم نے جو پالیسی اختیار کی ھے وہ درست ھے صحیح ھے - فلسطین کے لاکھون لوگ بکھرے ھوئے ھین جو اسوقت اور ملکون مین ھین --

۰۱ - ۱۵ بجے - شری زین البشر - پیٹھا سین ھوئے

مقبوضہ علاقون مین زبردست قتل عام ھو رھا - ایسے وقت مین ھندوستان کو کچھ قدم اٹھانا چاھیے کیونکہ ھندوستان حقیقی

معنون مین ناطرفدار ملکون کا لیڈر ہے۔ دنیا مین سب سے بڑا
وقار ہے۔ جو پودھا ہم نے ناطرفدار ہونیکا لگایا (نان الائنمنٹ)
وہ تناور درخت کی صورت مین سامنے آچکا ہے۔ اسلیئے جہانتک
ہماری پالیسی ہے اس پالیسی کو عملی شکل دینی چاہیے۔ جیسے
ہم نے افریقہ مین افریقن فنڈ قائم کرکیے وہان کی نسلی پالیسی
کے خلاف پوری طاقت اور معاشی قوت کے ساتھ ہم کالے سیاہ فام
لوگون کے ساتھ ہین انکی جدوجہد مین شانہ بشانہ ہین۔ اس
طرح سے ہمین آج فلسطین کے معاملے دو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔
فلسطین کے معاملے مین صرف اتنا ہی کافی نہین ہے کہ ہم نے انکو
مارل سپورٹ دیے دیا ہے۔ تمام فارمس مین تمام آرگنائزیشنز
مین تمام جگہون مین جہان جہان بھی موقع ملا انکی حمایت سے آگے
بڑھکر ہم کو فلسطینی مجاہدین کی آزادی کے لئے جس جماعت کی
رہنمائی جناب یاسر عرفات کررہے ہین انکو ہمین اپنی طاقت ہمت
اور قوت دینی چاہیے۔ یہ مانی ہوئی حقیقت ہے کہ فلسطین کا
بہت بڑا علاقہ اسرائیل کے قبضہ مین ہے اور موجودہ حالات مین ان
کے ساتھ جو سلوک کیا جارہا ہے وہ بہت ہی بے رحمی کا ہے۔ اس
کا علاج کرنیکے لئے ہندوستان کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔

اسکے ساتھ ساتھ مین یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہون کہ
امریکہ نے کئی معاملون مین جنکی طرف اور بھی ممبران نے اشارہ
کیا ہے کس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جسکی طرف ہم نے
دوستی کا ہاتھ بڑھایا اسکی بجائے اسنے ان ہم سایہ ملکون کو
ہمارے خلاف ہتھیار دیے اور انکو طاقتور بنادیا۔ اسنے ہماری
ایک بات بھی نہین سنی۔ تیکنالوجی اور سائنس مین نہین
معلوم کہ ہم کو ان سے کیا مدد ملتی ہے۔

لیکن حقیقی طور پر ہم نقصان میں رہے ہیں ہر معاملے میں ۔
ہمیں صرف دوستی کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی
عزت ۔ وقار اور انٹیگریٹی کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے ۔ اگر ہم
اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو خود امریکہ بالکل
بعینہ اس طرح ہے ۔ میں نے ابھی آپ کو پی ایل او آفیسز کو
نکالنے کی بات کہی ۔ لیکن ایک اور تازہ واقعہ کل ہوا ۔ ایران
میں اگر گلف وار چل رہی ہے تو یہ معاملہ ایران اور عراق کے بیچ
میں ہے ۔ یہ جنگ افسوسناک ہے اور ہندوستان کی سرکار نے
ختم کرنیکی حتی الامکان کوشش کی ہے اور کرنی چاہیے ۔ آپکا فرض
ہے کیونکہ ہمارے پاس میں لڑائی لڑی جا رہی ہے ۔ خدانخواستہ
یہ تیسری جنگ میں بدل سکتی ہے اور دنیا تباہ ہوسکتی ہے ۔
لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ امریکہ پولیس فور بن کر اپنے
انٹریسٹ کو بچانے کیلئے اپنی تانا شاہی کیلئے کبھی ایک ملک
کو اور کبھی دوسرے ملک کو تباہ کرہا ہے ۔ کل جو آئل رگس پر
حملہ کردیا وہ بہت افسوسناک ہے ۔ ایران عراق وار ایک طرف
چھوڑ کر جو حالات امریکہ نے پیدا کیے ، کیا آپ سمجھتے ہیں دنیا
اس سے بچے گی ۔ آج کسی بھی طاقت کی کوئی بھی غلطی کوئی بھی
زور زبردستی کوئی بھی ٹیررزم دنیا کو تباہ کرنیکیلئے کافی ہے ۔
میں اس معاملے میں روس کو بدھائی دیتا ہوں کہ اپنے سامنے آکر
آج امریکہ کو خبردار کیا کہ یہ حملہ غلط بات ہے اور آپ کو
ایسا نہیں کرنا چاہیے ۔ جہاں تک ایران عراق وار کا سوال ہے
یہ میں آپ سے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ امریکہ

نہین تھا جسکے بلبوتے پر اسرائیل نے عراق کے نیو کلیئر انسٹالیشن کو تباہ کردیا - اب یہ دوستی کیسے ہوئی - ایک طرف اسکا انٹریسٹ آج ہے اور ظاہری طور پر گلف کی کچھ کنٹریز کی پشت پناہی کررہا ہے - انکی مدد کررہا ہے - لیکن حقیقتاً اسنے جوڑتوڑ کی کوشش کی ہے - ٹکراؤ کی کوشش کی ہے - وہ مڈل ایسٹ کو تباہ کرنیکے درپے ہے - اور دونون ملکون کو لڑانا چاہتا ہے - ہماری اطلاع کے مطابق دونون ملکون کو کسی نہ کسی ذریعہ سے امریکہ ہتھیار دیے رہا ہے - اس لیئے مین آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہون کہ خطرناک صورت حال پیدا ہورہی ہے - ہمین واضح الفاظ مین اپنے مفادات کو پیش نظر رکھکر دنیا کے امن کو مدّ نظر رکھکر ہماری لیڈرشپ کو امریکہ سے صاف کہہ دینا چاہیئے کہ وہ مڈل ایسٹ سے ، بحرہندسے ، ہندمہاساگر سے باہر آئے - جو سکتھ اور سیونتھ فلیٹ ہے جسکے بلبوتے پر وہ دنیا کو ڈرانا اور دبانا چاہتا ہے اپنا مقصد حل کرنا چاہتا ہے اسپر روک لگادینی چاہیے - ہمین یہ نہین بھولنا چاہیے کہ آج امریکہ اپنے حدود سے باہر آرہا ہے - کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسوقت جبکہ فلسطین کا عوام اپنی آزادی کیلئے لڑرہا ہے امریکہ کی پشت پناہی سے اسرائیل کی فوج اور موصد نے ابوجہاد کو قتل کردیا - ہم اسی آزادی کی جدوجہد کی قدر کرنا جانتے ہین کیونکہ ہم نے خود انگریزون کے ساتھ جنگ لڑی ہے - ہمین اسکے لیئے قیمتی قربانیان دینی پڑی ہین - میری خواہش ہے کہ بھارت سرکار ان تمام معاملات مین جہانپر امریکہ کی دخل اندازی

هورهی هے وه اپنی برتریت دکهانا چاهتا هے ۔ رعب جمانے کی کوشش مین هے ۔ امریکه کو ٹوکے ۔ جهانتک افغانستان کا تعلق هے اس مفاهمت کیلیئے روس اور امریکه کو مبارکباد کهتا هون ۔ بڑی مناسب بات هوئی اور هندوستان نے مناسب وقت پر اس معاملے مین صحیح رول انجام دیا ۔ جب تک دونون ملکون سے سامان کی سپلائی جاری رهتی هے حالات بحال هونا مشکل هین ۔ پهر امن حالات جسکی هم تمنّا کرتے تهے که افغانستان میں حالات سدهر جائینگے اور وهانپر جنگ و جدال کی کشمکش قتل و غارتگری کا سلسله بند هو جائیگا ۔ آثار همین نظر نهین آتے مین صاف الفاظ مین آنریبل منسٹر صاحب سے کهنا چاهونگا که همین اس بات کو نظر انداز نهین کرنا چاهیے که جبتک امریکه مجاهدین کو ضروری سامان دیتا رهیگا اور جبتک رشیا اپنی طاقت برابر وهان کی نجیب الله گورنمنٹ کو دیتا رهیگا تب تک حالات سدهرنے والے نهین هین ۔ پهربهی غنیمت هے که کس حد تک یه ایگریمنٹ هوا لیکن هندوستان کو پهل کرنی پڑیگی ۔ آپکو آگے آنا پڑیگا ۔ اس معاملے مین ۔ یه سمجهوتا پخته نهین هے یه ادهورا هے اسکو پورا مکمل بنانے کیلیئے مجهے توقع هے که آپکی قیادت مین انٹر راشٹریے دباؤ ڈالا جائے اور نان الائنمنٹ کا پریشر ڈالا جائے ان ملکون پر که وه کسی سمجهوتے پر آجائین ۔ چین کے بارے مین بات چیت هوئی مسئله اٹها که همین چین کے ساته دوستی کرنی چاهیے ۔ پرانے وقتون سے هندوستان اور چین کے بیچ تعلق رهے هین ۔ انهون نے هم سے بهت کچه سیکها هے اور هم نے انسے

بہت کچھ سیکھا ہے چین کے پاس جمون کا شمیر کا اقصائی چین کا
علاقہ ہے ۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی
چین اور ہندوستان کے بیچ حالتون اور خاص طور سے بارڈر ایشو
کے بارے مین بات چیت ہوئی اقصائی چین کا ذکر نہین آتا ۔ مین
یہ زور دیکر کہنا چاہتا ہون کہ سیاچین جمون کشمیر کا حصہ
ہے اور جمون کشمیر بھارت کا حصہ ہے ۔ اسلیئے ہم اقصائے
چین کو نظر انداز نہین کرسکتے ۔ آپ خاموشی سے کام لیتے ہین
اس سے ہمین دکھ ہوتا ہے ۔ آپ نارتھ ایسٹرن کی بات کررہے ہین
لیکن اقصائے چین کی بات نہین کررہے ہین ۔ جمون کشمیر کا
تمام علاقہ جسکی آئنی پوزیشن ۱۹۴۷ء مین ۸۰ ہزار مربع کیلومیٹر
تھی جسمین جمون کشمیر ۔ لداخ ۔ گلگت اقصائے چین کا علاقہ
آجاتا تھا ۔ یہ ہمارا علاقہ ہے اسمین ہماری دسترس ہونی چاہیے
جمون کشمیر ودھان سبھا مین ہم نے ۲۴ سیٹین انکے لئے چھوڑ
دی ہین ۔ یہ آپکا فرض ہے کہ سنویدھان کے اس کمیٹمینٹ کو پورا
کیا جائے جہانپر ۲۴ سیٹین خالی پڑی ہین ان تمام علاقون کیلئے
جو ہماری قابو کے باہر ہین ۔ وہ کیا صرف خواب رہیگا کیا اسکو
بات چیت کے ذریعہ عملی شکل اختیار نہین کرنی ہے ۔ ہماری ۱۰۰
سیٹین ہین جمون کشمیر ودھان سبھا مین لیکن ۷۶ سیٹین اسوقت
پُر ہین اور ۲۴ سیٹین خالی پڑی ہین ۔ جو ہمارا علاقہ ہے ودھان
سبھا مین اسکے بنا ہماری پوزیشن ادھوری ہے ۔ ویدھانکے ۔
تھیوریٹیکلی جوپوزیشن ہے وہ ادھوری ہے ۔ مین نے جو مسائل
اٹھائے ہین اور خاص کر عرب ملکون کے بارے مین جو کچھ کہا ہے
اسکے بارے مین آپ مضبوط اور ٹھوس قدم اٹھائین ان تمام طاقتون
کے خلاف جنھون نے اسوقت دنیا مین امن کو خطرے مین ڈالدیا ہے ۔

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्टसगंज) : मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कल से इस बहस को सुन रहा हूं सभी माननीय सदस्यों ने चाहे इधर के हों या उधर के हों हमारी विदेश नीति का समर्थन किया है। हमारी विदेश नीति के जो मुख्य तत्व हैं उन पर बिस्तार से प्रकाश डाला है। मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन की किताब का जिक्र करना चाहता हूं उन्होंने बिना युद्ध के विजय नामक पुस्तक में लिखा है एक जगह कि सन 1971 में यदि वह हस्तक्षेप न करते तो भारतवर्ष पाकिस्तान को निगल जाता। मैं इसी से प्रेरित होकर कुछ कहना चाहता हूं। सारी दुनियां जानती है कि भारतवर्ष की जो विदेश नीति है वह उन शाश्वत मूल्यों पर आधारित है जो हमारे पुराने मूल्य हैं। जिस देश की सर्वदा यह कल्पना रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः यह मुख्य बात है कि जब 1947 में विदेश नीति का निर्माण होने लगा हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उन सारे शाश्वत मूल्यों को ही आधार मानकर विदेश नीति निर्धारित की। शायद प्रेजीडेन्ट निक्सन भूल गए कि जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने आत्म-समर्पण कर दिया था तो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा था कि हम गीता को अपना आदर्श मानते हैं, हम उस देश के लोग हैं जो विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होते, हम "लाभा लाभौ, यदा यदौ" के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और किसी दूसरे देश की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं करना चाहते। यही कारण था कि हमारे देश की महान नेता ने उस समय युद्ध-विराम का एक तरफा ऐलान कर दिया। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ लोग, जो ऐसे देशों के राष्ट्रपति रहे हैं, उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, हमारी विदेश नीति से किसी न किसी प्रकार का मतभेद रखते हैं, जो उनके विचारों में, उनकी किताबों में बाहर निकल कर आ जाता है। इसलिए हमारी विदेश नीति ऐसी नही रही कि हमने किसी दूसरे देश की एक इंच भूमि पर भी कब्जा करने की बात सोची हो। आज जिस प्रकार की सामरिक परिस्थितियां विद्यमान हैं, मैं पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे नेता तीन बार वहां के प्रधानमंत्री जुनेजो से मिले, हमारी ओर से सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए, व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखे गए परन्तु ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत की स्पष्ट विदेश नीति को देखते हुए हमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वह दुनिया को भ्रमित करने के लिए कह बैठता है कि हमारे साथ "नो वार पैक्ट" किया जाए। क्या उसे शांति प्रस्तावों में, सहयोग के प्रस्ताव में, मित्रता की संधि में, व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के प्रस्ताव में, सांस्कृतिक सम्बन्धों के संवर्धन में "नो वार पैक्ट" की भावना नजर नहीं आती। परन्तु उसकी नियत कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। अभी पिछली 12 मार्च को पाकिस्तान की ओर से फिर "नो वार पैक्ट" की बात दोहरायी गयी। यदि आप देखें तो भारतवर्ष वह देश रहा है जिसने अफगानिस्तान के समझौते के लिए पहल की है परन्तु सारी दुनिया समझती रही कि भारतवर्ष का झुकाव एशिया के साथ है इसलिए वह नहीं चाहता कि रूस की सेनाएं अफगानिस्तान से हटें। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह बिल्कुल निराधार आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता था। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि हमने अफगानिस्तान समझौते की दिशा में कितना प्रयास किया और जैसे ही अफगानिस्तान का समझौता हुआ हमारे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और प्रधानमंत्री ने उसका स्वागत किया। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका की ओर से ऐसा कोई खण्डन नहीं किया गया कि अफगानिस्तान का समझौता हो जाने के बाद वह पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता में कोई कटौती करेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि अफगानिस्तान समझौते का भारतवर्ष को कोई फल मिलने नहीं जा रहा है। अमेरिका की नीति स्पष्ट हो गयी है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

यहां अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी के शासन का जिक्र किया, जब इस देश में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो भी हमारी विदेश नीति थी, जहां तक सिद्धांतों का प्रश्न है, प्रो० मधु दंडवते जी चले गए, शायद वे जानते थे कि पनिका कुछ कहने वाला है, परन्तु यह जरूर है कि उस दौरान हमारी विदेश नीति में कुछ विकृतियां आ गयी थीं। आपको याद होगा कि उन दिनों हम कैसे अमेरिका के नजदीक पहुंचने लगे थे। उस समय हमारे एक विदेशी राजदूत को क्या करना पड़ा था, मैं यहां उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वह संसदीय भाषा नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि जिस समय हमारे अटल जी चाइना के गेस्ट हाउस में बैठे थे तो चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके हमें एक तोहफा दिया था। यह हमारी विकृत विदेश नीति का ही परिणाम था। समय इस बात का साक्षी है कि जब कभी हमारी विदेश नीति में थोड़ी सी शिथिलता आई, जरा भी विकृति आई तो हमें उसके कुपरिणाम भुगतने पड़े हैं। वही नतीजा था मान्यवर कि लिखित रूप में या वैसे भी जनता पार्टी द्वारा भी घोषणा करने के बाद कि हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्होंने व्यापार में परिवर्तन किया, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान से, अभी कहीं प्रधान मंत्री ने कमाण्डरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। यह विश्वस्त सूत्रों से पता चल गया है कि यूरेनियम को परिष्कृत करने का कार्य कुछ स्तर पर पाकिस्तान में पहुंच गया है और यही नहीं, परमाणु हथियार बनाने की बात थी, उसमें भी जानकारी मिली है कि वह बना रहा है और "नो वार पैक्ट" की बात करते हैं। तो आज हमें खासकर, भारतवर्ष को बहुत सावधानी से अपनी स्थिति को देखना है और हम किसी भी हाल में वर्तमान परिस्थितियों में अपनी सैनिक शक्ति घटा नहीं सकते। हमने 13 सौ करोड़ रुपया इस मद में रखा है, मान्यवर यदि और बढ़ाने की भी आवश्यकता हो तो वह भी हमें बढ़ाना पड़ सकता है। लेकिन आज पड़ौसियों को देखकर जहां हम अपने सभी पड़ौसियों से हम अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं वहीं प्रसन्नता की बात है कि चीन से, हमारे पिछले विदेश मंत्रियों के आने-जाने के कारण अच्छे सम्बन्ध बने हैं, इससे हमारे विवाद तय हो जाने चाहिए।

अभी भाटिया जी बोल रहे थे, मैं खासकर जापान, कम्पूचिया और वियतनाम के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता, क्योंकि प्रधान मंत्री ने कल ही इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मान्यवर मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि श्रीलंका में जो हमने समझौता किया है, उसकी केवल दो तबकों को छोड़कर जिन्होंने इसकी आलोचना की है, बाकी सारी दुनिया ने एक स्वर से इसका समर्थन और प्रशंसा की है। वे दो तबके कौन से हैं--पहला तो हमारे सामने बैठा विरोधी पक्ष और दूसरा हमारा पड़ौसी पाकिस्तान है। इन दो तबकों को छोड़कर, बाकी सबने जो हमारा श्रीलंका के साथ अकार्ड हुआ है, उसकी सभी लोगों ने सराहना की है और दोनों की नीयत साफ है। मान्यवर, पाकिस्तान और विरोधी पक्ष क्यों आलोचना करता है, यह भी आप जानना चाहेंगे, यह साफ है कि ये दोनों हमारी सफलता को पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि जो हमने एकार्ड किये है, उनके साथ हम उन अकार्ड का पालन करना चाहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि श्रीलंका में जो समझौता हुआ है उसके अनुरूप आचरण करें, ताकि जो तामिलियन्स है, वे लोग वहां शान्ति से रह सकें और अपना व्यापार तथा शासना व्यवस्थ कायम कर सकें।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वही नही बल्कि और देशों से हमारे सम्बन्ध देखें, बंगला देश, को हमने सार्क की अध्यक्षता करने के लिए छोड़ दिया। हम हर जगह चौकन्ना रहे हैं। वहां आज बैठक हुई तो 45 देशों की मेजवानी हमने की जब कि हमारा उत्तरदायित्व नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह और माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी बधाई के पात्र हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा मौका नहीं दिया कि कोई हमारे ऊपर अंगुली उठा सके। यही कारण है कि हमारी विदेश नीति से चाहे नॉन अलाइनमेंट की हो, चाहे कोई भी हो, इससे प्रभावित होकर दुनिया के वे देश जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उन्होंने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया था और चेयरपरसन इंदिरा जी को बनाया था, उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी को बनाया। उसका कारण है, अगर आप देखें तो हमने कभी भी अपने हितों को ताक पर रखकर समझौता नहीं किया।

ये कहते हैं कि इण्डिया प्रो-कम्युनिस्ट है। निक्सन ने एक किताब में लिखा है कि भारतवर्ष ने विलक्षण राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वहीं पर उन्होंने एक कारण भी लिखा है कि भारतवर्ष रूस की तरफ झुका है और आर्थिक तथा सामरिक कार्यों में उसकी तरफ झुका हुआ है। मान्यवर ऐसा नहीं है। हम एक दोस्ती के आधार पर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए केवल सहयोग मात्र चाहते हैं, तो ये आरोप लगाते हैं। हमारी जो विदेश नीति है वह कोई प्रो नहीं है, अगर है, तो वह प्रो-इंडिया है। हम किसी की तरफ नहीं झुके हैं। प्रो-इंडिया के मायने हैं, दुनिया में शांति स्थापित करने का जो हमारा लक्ष्य है, हिन्दुस्तान आज से नहीं सर्वदा से ही किसी भी देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना चाहता किसी के आन्तरिक मामले में दखल नहीं देना चाहता। जैसे हम किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहते, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी नीति के अनुसार जैसी हमारी आन्तरिक स्थिति हो उसके अनुसार चलें और कोई दूसरा उसमें दखल न दे।

**[अनुवाद]**

**श्री तरुण कांति घोष** (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतन्त्रता के बाद भारत ने एक बहुत ही सही विदेश नीति अपनाई है जिसकी सराहना विश्वभर में की गई है। यह नीति हमारे महान नेता प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादित की थी। यह कहा जा सकता है कि इन्दिरा जी ने इस नीति का अनुसरण किया है और राजीव जी भी इसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

हमारी विदेश नीति एक कमजोर नीति नहीं है। यह एक स्पष्ट तटस्थता, स्पष्ट गुट-निरपेक्षता की नीति है। स्पष्ट तटस्थता का अर्थ है कि हम किसी बड़ी शक्ति के आगे नहीं झुकते हैं परन्तु साथ ही हम ठीक बात कहने में भी नहीं झिझकते हैं चाहे यह विश्व की महाशक्ति के विरुद्ध हो।

मैं यह कहना चाहता हूं कि नटवर जी जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं, जहां भी उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है, वहां जाकर वह एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों के प्रति भारत के समर्थन की बहुत सराहना करता हूं। भारत, विदेशी शासन के अधीन काफी समय तक रहा है। यह बहुत सही है कि हमें विश्व में सभी दलित देशों का समर्थन करना चाहिए।

[श्री तरुण कांति घोष]

हम ठीक यही कर रहे हैं। हम अफ्रीकी देशों का समर्थन कर रहे हैं जहां अभी तक रंग-भेद की नीति चलाई जा रही है। उनके रंग के कारण भेद-भाव है। हमें उन्हें अधिक समर्थन देना चाहिए ताकि निकट भविष्य में यह बुराई विश्व से समाप्त हो जाये।

हम अरब देशों को समर्थन देने की नीति भी अपना रहे हैं जो मैं महसूस करता हूं, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक सही नीति है।

अपने पड़ौसी देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्धों की भी बहुत आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि बर्मा बंगलादेश के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं तथा श्रीलंका के साथ हमारे सम्बन्ध एक अच्छा उदाहरण है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से सम्भाला है। स्वाभाविक है कि हमें वहां मरे कई जवानों का दुःख है—इस बारे में कोई शक नहीं है—परन्तु एक स्थिति पैदा की गई थी जिससे श्रीलंका, भारत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षडयन्त्रकारी पत्तन हो सकता था। श्री राजीव गांधी ने अपनी दूरदर्शिता तथा ठोस नेतृत्व से ऐसा होने से रोक दिया।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह बहुत दुःख की बात है कि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों की भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं। एक दिन पाकिस्तान भारत का एक अंग था। पाकिस्तान के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए तथा मैं लोक सभा से यह घोषणा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे दिल में स्नेह तथा सद्‌भावना के सिवाय कुछ नहीं है। दुर्भाग्यवश, सेना के जनरल, तानाशाह, जो अब पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए भारत-विरोधी भावना पैदा करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान के लोगों को यह महसूस हो जायेगा कि भारत उनका दुश्मन नहीं है बल्कि एक सगा भाई है, उस दिन वे सत्ता में नहीं रहेंगे।

यह भी दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका जो एक लोकतान्त्रिक देश है, पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। अमरीकी लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं। परन्तु अब हम देख चुके हैं कि अमरीकी प्रशासन तथा अमरीका के लोग दो अलग-अलग बातें हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अमरीका पाकिस्तान को, जहां तानाशाही है तथा जो एक लोकतान्त्रिक देश नहीं है, भारत के विरुद्ध हथियार दे रहा है।

चाहे वे कुछ भी कहें कि ये हथियार सोवियत संघ के विरुद्ध अथवा अफगान समस्या के कारण दिये जा रहे हैं, फिर भी जेनेवा समझौते के बाद भी उन्होंने यह घोषणा की है कि वे पाकिस्तान को हथियार देना जारी रखेंगे। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या ऐसा है कि वे अफगानिस्तान में गड़बड़ी जारी रखना चाहते हैं अथवा भारत के विरुद्ध हथियार दे रहे हैं? अमरीकी लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं परन्तु भारत को पाकिस्तान, अमरीका या किसी भी अन्य देश से नहीं डराया जा सकता। भारत के 80 करोड़ लोगों को डराना सम्भव नहीं है। अतः मैं अमरीकी प्रशासन से निवेदन करता हूं कि उन दिनों में, जब पाकिस्तान के साथ बंगलादेश में उनकी गलत युद्ध-नीति के कारण हमारी लड़ाई हुई थी, निक्सन द्वारा की गई गलती को न दोहरायें। आज मैं एक बार फिर रीगन प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक गलत नीति अपना रहे हैं। वे 80 करोड़ लोगों की सद्‌भावनाओं का विरोध कर रहे हैं। किसके लिए! मुझे ऐसा कोई

कारण नजर नहीं आता कि वे ऐसा क्यों करते जा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान को हथियार देना बन्द कर देना चाहिए। उन्हें शान्त हिन्द महासागर क्षेत्र को युद्ध का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में अमरीकी हथियार नहीं भेजने चाहियें। हम शान्ति चाहते हैं। हम भाईचारा चाहते हैं। हम प्रगति कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में युद्ध नहीं चाहते। हम किसी भी देश की भूमि नहीं छीनना चाहते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आरम्भ से ही पंडित नेहरू चीन के साथ मैत्री स्थापित करना चाहते थे। हम अब महसूस करते हैं कि वह कितने महान नेता थे और वह कितने दूरदर्शी थे। यदि चीन और भारत अच्छे मित्र बन जायें तो धरती पर कोई भी शक्ति हम पर हुक्म नहीं चला सकती। दुर्भाग्यवश चीन ने भारत की मित्रता स्वीकार नहीं की। उन्होंने नेहरू की मित्रता के साथ धोखा किया। यहां तक कि आज भी उन्होंने हमारी कुछ सीमावर्ती भूमि पर कब्जा कर रखा है। मैं राजीव की इस घोषणा का पूर्ण समर्थन करता हूं कि हम चीन के साथ मैत्री चाहते हैं क्योंकि यदि चीन भारत का मित्र बन जाता है तो पाकिस्तान का सामरिक महत्व कम हो जायेगा। पाकिस्तान इस बात से अच्छी तरह अवगत है कि भारत कभी भी भयभीत नहीं हो सकता परन्तु भारत को एक तरफ से चीन से तथा दूसरी तरफ से पाकिस्तान से घेरा जा सकता है और इसके माध्यम से ये दोनों देश गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को पंजाब में गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिए। पंजाब सिर्फ भारत का ही एक सबसे अधिक सम्पन्न राज्य नहीं है परन्तु यह सम्पूर्ण उप-महाद्वीप का सम्पन्न राज्य है और आतंकवादियों को समर्थन देकर, वे किसी और चीज की बजाय मानवता और हमारी मित्रता को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं।

ईरान-इराक युद्ध में जो नवीनतम स्थिति पैदा हुई है वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि ईरानी तेल ठिकानों पर अमरीकी बमबारी और अमरीकी जहाजों पर ईरानी बमबारी ठीक है अथवा गलत, परन्तु अमरीका के आक्रमण के पश्चात् रूस ने चेतावनी दी है और अमरीका से अनुरोध है कि वह लड़ाई को और न बढ़ाये। इससे बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। विदेश मंत्री से अनुरोध है कि इस बात के बारे में जानकारी रखी जाये और इस अनावश्यक नरसंहार को रोकने के लिए कुछ किया जाये। एक समय था जब हमारे पूर्वज फारसी सीखा करते थे। इसलिए ईरान और इराक के—जो कभी फारस था—अपने बहन भाईयों को यह बताना चाहिए कि उन्हें इस पागलपन को रोकना चाहिए। यदि उन्हें कुछ शिकायत है तो इसका समाधान उन्हें बातचीत के माध्यम से निकालना चाहिए और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजीव जी द्वारा अपनायी गयी नीति का, मैं समझता हूं कि, सम्पूर्ण राष्ट्र और इस देश की सभी राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। जो कुछ वे कर रहे हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और बजट के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री पी॰ के॰ थुंगन** (अरुणाचल, पश्चिम) : महोदय, मैं प्रातः से वाद-विवाद को बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। यहां तक कि विरोधी पक्ष में भी कुछ परिवर्तन देखा है जब उन्होंने विदेश नीति की गुटनिरपेक्ष नीति की प्रशंसा की। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादि और श्रीमती गांधी द्वारा सुदृढ़ की गयी गुटनिरपेक्षता की नीति को सही ढंग से और

[श्री पी० के० थुंगन]

निरंतर अपनाने के लिए मैं सरकार, विशेषकर प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को मुबारकबाद देने में अपने साथियों के साथ हूं।

मैं विदेश नीति की उपयोगिता के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता, जो सिर्फ हमारे देश के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि इस धरती पर सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है। मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं। यह तो सच है कि हमारी विदेश नीति विश्व में सर्वोत्तम है परन्तु आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने चाहिएं। उदाहरण के तौर पर, मैं तिब्बत की स्थिति का उदाहरण देना चाहता हूं। अब हमें पीछे नजर डालनी चाहिए। हमें इतिहास से यह सीखना चाहिए कि इतिहास में किसी समय अगर कोई घटना हो गयी है तो क्या उसी प्रकार की गलती अथवा वैसी ही घटना फिर भी होने देनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि, हमारी स्वतन्त्रता के आरम्भ में, तिब्बत के प्रति हमारी नीति के संबंध में हमने बहुत बड़ी गलती की। इसीलिए, तिब्बत, चीन और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के मामले में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारी विदेश नीति बहुत सफल रही है। परन्तु जहां तक हमारे पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, इसमें कुछ कमियां हैं। इसलिए, सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार किया जाये।

आजकल, तिब्बत में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए हमें अपनी उत्तरी सीमा से अधिक से अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत में हर छठे तिब्बती को चीन द्वारा मारा गया है। हर छठे तिब्बती को चीन के अत्याचारों के कारण मार दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के हितों की रक्षा के बारे में हम बहुत ऊंचा बोलते हैं। इसके साथ-साथ, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि चीन के अत्याचारों के तहत तिब्बत में कष्ट उठा रहे लोगों के बारे में आवाज उठाने का क्या यह सही समय नहीं है। जहां तक हमारी विदेश नीति का सम्बन्ध है हमारी एक बहुत अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय छवि है। परन्तु जब हम दक्षिण अफ्रीका पर बोलते हैं तब यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के मन में इस बारे में किसी प्रकार का संदेह पैदा करना आरम्भ कर दें ···जहां हम दक्षिण अफ्रीका···और फलिस्तीनियों के बारे में आवाज उठाते हैं वहीं हम तिब्बत के बारे में मौन साध लेते हैं। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दिमाग में यह संदेह हो सकता है कि भारत दोहरी नीति अपना रहा है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाये।

मैं बर्मा का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रत्येक भारतीय इस बात से अवगत है कि नागालैण्ड में विद्रोहियों की गतिविधियों का संचालन बर्मा से किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी विद्रोहियों की गतिविधियों का सचालन बर्मा से किया जा रहा है। इसलिए, इस बात पर गंभीरता से विचार करने का उपयुक्त समय है कि बर्मा सरकार और बर्मा के लोगों के साथ सम्बन्ध सुधारे जायें ताकि हमारे देश की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा न हो।

मैं भूटान के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं। जहां तक तिब्बत का संबंध है, वहां पर विकास नहीं हुआ था, वहां पर क्षेत्रीय असंतुलन थे और इसलिए चीन सरकार को यह कहने का

अवसर मिल गया कि वे वहां पर तिब्बती लोगों को कठिनाई से उबारने आए हैं। हमें अपने उन पड़ौसियों के बारे में जो बहुत नजदीक हैं, सचेत रहना होगा। यदि लोग ऐसे पिछड़े क्षेत्र में रहेंगे और इस तरह अलग-थलग रहेंगे तो इसका विपरीत असर पड़ेगा जैसा कि हमने तिब्बत के मामले में देखा है। सुना है कि विशेषकर अरुणाचल में, चीन के साथ हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बातचीत हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में समडुरोंग चु वैली में चीन के अवैध कब्जे के बाद से हम यह सुन रहे हैं कि दिल्ली और पीकिंग के बीच बातचीत होनी वाली है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की यह एक प्रबल भावना है और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ही नहीं बल्कि दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों की यह भावना है—यह प्रबल भावना है कि भारत सरकार उनके हितों की देख-भाल ठीक ढंग से नहीं कर रही है। ऐसी भावना क्यों आनी चाहिए? माननीय मंत्री से मेरा सुझाव है कि जब भी इस प्रकार की वार्ता हो तब स्थानीय प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया जाये। मुझे बताया गया और मुझे हैरानी हुई कि समडोरोंग चु वैली की घटना के बाद जब चीन के साथ बातचीत हुई तो हमारे कुछ अधिकारी इस वैली का नाम भी अच्छी तरह नही बोल सकते थे। मैं नहीं जानता कि यह गलत या सही है; माननीय मंत्री से इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए मांग की जाती है। और बातचीत के दौरान चीनी अधिकारी यह कह कर हमारे अधिकारियों को हताश कर रहे थे कि जब आप इस भूमि का नाम ही नहीं ले सकते तो यह आपकी कैसे हो सकती है। यदि ऐसी बातें होती हैं जिससे वास्तव में हमारे राष्ट्र और स्थिति का अपमान होता है तो हम सही ढंग से मांग भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि यह गलत हो। यदि यह गलत है तो मुझे प्रसन्नता होगी।

मैं मैक मोहन लाइन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। दो दिन पहले ही चीन के उप-प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि वे इस लाइन को मान्यता नहीं देते हैं। मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने लाइन को मान्यता क्यों देनी चाहिए? क्योंकि जब मैक मोहन लाइन पर सहमति हुई थी, जब इस पर हस्ताक्षर हुये थे, तो उस समय तिब्बत ने न कि चीन ने, इस पर हस्ताक्षर किये और इसको मान्यता दी थी। इसलिए जब भी मैक मोहन लाइन का प्रश्न उठता है तो तिब्बत का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जब हम आमने-सामने बात आरम्भ करें—चाहें यह किसी भी स्तर पर हों—इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

महोदय, मैं नेपाल के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। केवल नेपाल और भारत ऐसे दो देश हैं जहां लोग मुक्त रूप से जा सकते हैं और इन दो देशों में स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सकते हैं। जब तक कि हम बहुत सावधान न हों—संसार भौतिक दृष्टि से और सभी मायनों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है—मैं इस सम्बन्ध में सावधानी बरतने के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि यदि नेपाल के सम्बन्ध में हम अपनी नीतियों को लागू करने में सतर्क नहीं होंगे तो उनमें से कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है।

अन्त में, क्योंकि मुझे आपसे लड़ाई नही करनी है और आपने पहले ही घंटी बजा दी है—मैं उस अपमान की पृष्ठ भूमि के बारे में बात करना चाहूंगा जो चीनी हमारे देश का कर रहे हैं। माननीय सदस्य और मेरे साथी ने 1962 के चीन के हमले के बारे में बहुत ठीक कहा है। यह सारे राष्ट्र को ज्ञात है कि इस विश्वासघात के कारण हमने पंडित नेहरू को खोया। वह इस धक्के से ठीक नहीं हो सके। इसके पश्चात् उन्होंने हमारा और भी कई जगह अपमान किया।

[श्री पी० के० थुंगन]

जहां तक मुझे याद है मैं यहां 1980 में एक संसद सदस्य के रूप में आया था। हमारा एक सदस्य एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन भेजा जाना था। हमारे अध्यक्ष महोदय के नाम का प्रस्ताव किया गया और चीन ने यह कहते हुए वीसा देने से इन्कार कर दिया कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश चीन में आता है अतः हमारे अध्यक्ष महोदय चीनी हैं और उन्हें वीसा की आवश्यकता नहीं है। यह वस्तुतः एक अपमान था।

इसके पश्चात् 1982 में जब एशियाई खेल हुए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने लायन नर्तकों का एक दल भेजा था। फिर उन्होंने इस पर यह कहते हुए आपत्ति की कि लायन नृत्य एक चीनी नृत्य है।

इसके बाद पुन: सुमदरोंग चू-वैली वाली घटना हुई।

फिर इस महान सभा में हमने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने सम्बन्धी एक विधेयक पारित किया। और इस पर भी उन्होंने आपत्ति की।

हाल हीं में उन्होंने पुन: मैकमोहन रेखा के सम्बन्ध में आपत्ति की है।

इसलिये इन सब अपमानों के बारे में हम क्या कर रहे हैं : क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे और इस सब अपमान को सह लेंगे ? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसको गंभीरता से लें। हमें किसी प्रकार से भी अपना क्षेत्र वापस लेना है। यहां तक कि उन्हें एक इंच भूमि भी न दी जाये। हमें सुमडोरोगं चू वैली को अवश्य ही वापस लेना चाहिये।

कई सदस्यों ने पाकिस्तान का जिक्र किया है। महोदय, यह सबको विदित है कि वे पंजाब में आतंकवादियों को हथियार भेज रहे हैं। यह भी विदित है कि वे आतंकवादियों की सहायता करने के लिये अपने लोगों को भेज रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हम क्या कर रहे हैं ? जब हम सब कुछ देख रहे हैं और हमारे पास सभी सम्भव प्रमाण हैं तो हम क्या कर रहे हैं ? यहां तक कि जनरल जिया बार-बार झूठ बोल रहे हैं। उनके प्रधान मंत्री भी हमारे प्रधान मंत्री से झूठ बोल रहे है। हम क्या करने जा रहे हैं ? हमें बहुत गम्भीरता से सोचना होगा। यदि वे हमारे देश में आतंकवादी भेज सकते हैं तो क्या हम अपने आतंकवादी वहां नहीं भेज सकते हैं ? महोदय, मेरा तात्पर्य यह था कि हमें बात और आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। हम किस प्रकार से इस स्थिति से निपटेंगे ? यही मुख्य मुद्दा है। हम अपने पड़ोसियों द्वारा पैदा की गई कई समस्याओं से पीड़ित हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यही उचित समय है जब हमें इस पर गम्भारता से विचार करना होगा।

महोदय, अन्त में मैं भारत से थोड़ा और आगे का बात करना चाहूंगा। मुझे कुछ लैटिन अमरीकी देशों का दौरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और वे भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में देखते है। अत: उनकी भारत से बहुत आशायें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करें, यद्यपि वे देश बहुत दूर स्थित हैं, फिर भी हम उनसे अधिक सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रख सकते है। हमारे अधिकाधिक आर्थिक और सांस्कृतिक तथा अन्य पारस्परिक कार्यक्रम होने चाहिएं।

**अन्त में मैं** आपको पुन: धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चूंकि आपने अन्तिम घंटी भी बजा दी है अत: एक अनुशासित सदस्य के नाते मुझे अवश्य बैठ जाना चाहिये।

**श्री ई० अय्यपू रेड्डी** (कुरनूल) : सभापति महोदय मुझे तह दिल से अरुणाचल प्रदेश के उस सदस्य को, जिन्होंने अभी-अभी अपना भाषण पूरा किया है उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण और इस सभा में कठोर सच्चाई को रखने के लिये बधाई देनी चाहिए। विदेशी मामलों सम्बन्धी वाद विवाद में वही धर्मनिष्ठ घिसी पिटी बातें और उपदेश दिये गये हैं। हम भारतीय बहुत संवेदनशील हैं और हम बुद्ध से लेकर धर्म के सभी महान सिद्धान्तों पर बहुत जोर देते हैं। परन्तु हमारी विदेश नीति परिणामोन्मुख होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति विदेश नीति के दो उद्देश्यों को जानता है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को सुधारना और सीमाओं पर तनाव को कम करना तथा रक्षा सम्बन्धी समस्याओं को कम करना है। दूसरा उद्देश्य, अपने व्यापार, वाणिज्य, कारोबार और उद्योग को अन्य सभी देशों के साथ बढ़ाना है। यदि हम अपनी विदेश नीति को इन दो उद्देश्यों के आधार पर देखें तो हमें निश्चित रूप से अपनी सफलता या असफलता का वास्तविक अनुमान लगेगा।

**3.52 म०प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

मुझे लम्बा भाषण नहीं देना है। मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें रखूंगा। पहली समस्या जिसका वर्णन मुझसे पहले वक्ता ने किया है वह चीन के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में है। पिछले वर्ष यह स्वीकार किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है अर्थात सोमदोरोंग चू वैली पर। हमें यह भी आशंका थी कि वे और अधिक भाग पर कब्जा करेंगे। वस्तुत: उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी। अब यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि आपने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इस कब्जा किये भाग के सम्बन्ध में क्या किया है। आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आपने इसे केवल अनदेखा कर दिया है। आपने केवल यह कहा कि आपने 150 मिलियन से 200 मिलियन डालर मूल्य का व्यापार समझौता किया है। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अनदेखा क्यों करें ?

फिर जहां तक बंगलादेश का सम्बन्ध है पिछली बार भी चकमा शरणार्थियों की समस्या थी। अब इसका आपके पास क्या उत्तर है ? आपने कहा था कि भारत में चकमा शरणार्थियों संबंधी मामला उठाया गया था लेकिन उनको वापस बंगलादेश भेजने के सम्बन्ध में कोई भी समझौता नहीं किया गया है। क्या आपसे हम इस उत्तर की आशा करते हैं ? इन चकमा शरणार्थियों को वापस भेजने के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? आपने क्या ठोस कदम उठाये हैं या उठाने जा रहे है ? जहां तक चीन और बंगलादेश का सम्बन्ध है इसका कोई उत्तर नहीं है।

क्या मैं भी तिब्बत के बारे में एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? जहां तक मानव अधिकारों के हनन का सम्बन्ध है क्या हमारे कुछ देशों के लिए कुछ अलग मानक हैं और कुछ अन्य देशों के लिये कुछ अलग हैं ? क्या हम वही मानदण्ड सभी देशों पर लागू नहीं कर सकते हैं और विशेष रूप से तिब्बत में मानव अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में ? क्या हमारे पास एक भी शब्द कहने के लिए

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

नहीं है ? क्या तिब्बत में मानव अधिकारों के हनन के विरुद्ध वह शब्द कहने का हममें साहस नहीं है ?

आगे मैं श्रीलंका की समस्या की बात करूंगा। आपका यह कहना कि प्रभाकरन को पैसा दिया गया था इस संबंध में आपने कुछ भी नहीं कहा है। मैं आपसे कुछ स्पष्ट्रीकरण चाहता था। परन्तु जो रिपोर्ट सभा को दी गई है उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह)** : मैंने सभा में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था।

**श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : हम इसे कब प्राप्त करेगें ? हाल ही में प्रधान मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि श्रीलंका में जैसे ही चुनाव हो जायेंगे समस्या सुलझा ली जायेगी और सेना वापस बुला ली जायेगी। इसके लिए एक समय सारणी अवश्य होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमारी भारतीय शान्ति सेना एक निर्धारित समय पर वापस भारत आ जायेगी। हम तमिलों और सिंहलियों दोनों के अप्रिय नहीं बनना चाहते हैं। वहां ज्यादा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अतः हमारा उद्देश्य भारतीय शान्ति सेना को यथाशीघ्र वापस बुलाना होना चाहिए।

अब मैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ कहूंगा। यह बहुत बड़ा सवाल है यद्यपि हम जनेवा समझौते का स्वागत करते हैं। अफगानिस्तान का प्रश्न पहले जैसा ही है। वास्तव में जनरल जिया-उल-हक ने एक वक्तव्य जारी किया था कि नजीबुल्लाह के शासन को उलट दिया जायेगा और मुजाहिद्दीन अफगानिस्तान का शासन संभाल लेंगे। जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमें किसी भी प्रकार की राहत दिखाई नहीं दी है। गत 8 वर्षों के दौरान वहां पर रूस का कब्जा होने के कारण हमें अप्रत्यक्ष रूप से भारी हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप हमें अपनी रक्षा तैयारी में वृद्धि करनी पड़ी है और आधुनिक हथियारों को लेना पड़ा है। हमें यह भार वहन करना पड़ा है। जिनेवा वार्ता या समझौते के कारण यह समस्या हल होने वाली अथवा कम होने वाली नहीं हैं। क्योंकि अमरीका ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। इसके विपरीत आज सुबह पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों, जैसे 'अवाक्स' और अन्य वायुयानों की सप्लाई के बारे में एक प्रश्न किया गया था और यह मान लिया गया था कि अमरीका पाकिस्तान को सर्वोत्तम हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमरीका द्वारा सप्लाई जारी है। वास्तव में यह घोषणा की जा चुकी है कि पाकिस्तान अमरीका का एक प्रतिनिधि है। आप यहां की स्थिति देखिए। जहां तक पाकिस्तान की विदेश नीति का सम्बंध है इससे उन्हें चारों ओर लाभ ही हो रहा है। यह तो वही बात करता है कि चोर से कह चोरी कर और साहै से कहे जागता रहे। पाकिस्तान को चारो ओर से लाभ प्राप्त हो रहा है।

अब पाकिस्तान भारत के प्रति घृणा की नीति से लाभ उठा रहा है। पाकिस्तान इस नीति को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के साथ राजनयिक बातचीत अथवा किसी समझौते पर पहुंचने के हमारे प्रयास पूर्णतया विफल हुए हैं। क्यों ? पाकिस्तान की भारत के प्रति घृणा की नीति के कारण ऐसा हुआ है। पाकिस्तान भारत के प्रति घृणा का प्रचार कर रहा है। उसे ऐसा करने से लाभ हो रहा है। वह अमरीका से भारी मात्रा में सहायता प्राप्त कर रहा है। वह उस नीति को

जारी रखने जा रहा है। अब जिनेवा समझौते में यह घोषणा की गई है कि पाकिस्तान अमरीका का एक प्रतिनिधि है, क्योंकि अमरीका द्वारा एक गारन्टी दी गई थी।

**4.00 म० प०**

इसके साथ ही पाकिस्तान गुट निरपेक्ष आन्दोलन का एक सम्माननीय सदस्य है। गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के एक सदस्य के नाते पाकिस्तान के अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अमरीका का कृपापात्र बन गया है और अमरीका पाकिस्तान के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार है। यदि पाकिस्तान अमरीका की गर्दन पर चढ़कर अमरीका से परमाणु हथियार अथवा परमाणु प्रौद्योगिकी को अमरीका से ले जाने का प्रयास करता है तो भी वह बुरा नहीं मानेगा। वह इस बारे में आपत्ति नहीं करेगा। यह बात बिलकुल स्पष्ट हो चुकी हैं। क्योंकि ग्लेन नामक एक सीनेटर को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार प्राप्त कर रहा है अथवा परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। अतः आपकी नीति में ऐसे कौन-कौन से परिवर्तन किए जाने हैं ताकि पाकिस्तान भारत के प्रति घृणा की नीति का लाभ न उठा सके। चीन भी पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान भारत के प्रति घृणा की नीति को अपनाता रहेगा तब तक वह चीन का भी कृपापात्र बना रहेगा। इसके साथ ही हमारे खाड़ी के सभी मित्र देश भी पाकिस्तान की सहायता करने जा रहे हैं। श्री काबुली यह कह रहे थे कि अरब देशों में भारत का सम्मान पाकिस्तान और बंगलादेश के सम्मान से अधिक है। यह बात बिलकुल ठीक है। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें सभी अरब देशों के साथ अपने सम्बन्धों को बनाये रखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए।

परन्तु जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से हम पाकिस्तान की कूट नीति का मुकाबला करने में समर्थ नहीं हैं। और आपको इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा। और हमें विश्व को तथा उन सभी लोगों को जो पाकिस्तान की भारत के प्रति घृणा की नीति का समर्थन कर रहे हैं, यह बताने की स्थिति में होना चाहिए कि इस नीति से कोई लाभ नहीं होगा और भारत पाकिस्तान की ऐसी विदेशी नीति को सहन नही करेगा।

हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम जापान के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जापान एक ताकत है। वास्तव में यह एशिया की आर्थिक महाशक्ति है और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम जापान से साथ प्रोद्योगिकी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपने सम्बन्धों में सुधार करें।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह कोई ठोस भूमिका निभाने में समर्थ नहीं रहा है। उदाहरणतया जिनेवा समझौते में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का कोई उल्लेख नहीं है। यह गुट निरपेक्ष आन्दोलन अब क्या कार्य कर रहा है? ईरान और ईराक के बीच की लड़ाई में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को कोई ठोस उपलब्धि नहीं मिली है, यद्यपि ईरान और ईराक दोनों गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं। इसी प्रकार समझौते को कराने में इसकी कोई भूमिका नहीं रही है। खाड़ी युद्ध में सक्रिय अमरीकी हस्तक्षेप के प्रति गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की क्या प्रतिक्रिया रही है? अमरीका द्वारा हाल ही में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने और ईरान के तेल प्लेटफार्मों को नष्ट करने से तनाव उत्पन्न हुआ है। इस बारे में भारत सरकार और गुट निरपेक्ष

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

आन्दोलन के देशों की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उनकी कोई बैठक आयोजित करने की इच्छा है ? खाड़ी युद्ध में इस महाशक्ति के हस्तक्षेप को रोकने और वहां शान्ति स्थापित करने के बारे में वे कौन सा रवैया अपना रहे हैं ?

हिन्द महासागर को एक शान्ति क्षेत्र बनाये रखने के बारे में दुर्भाग्य से अभी वर्ष 1990 में एक सम्मेलन होना बाकी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाये रखा जाए, हमें गम्भीरतापूर्वक प्रयास करने होंगे।

इनमें से कुछ समस्याओं, विशेष रूप से अपने पड़ोसियों के साथ समस्याओं पर हमें एक यथार्थवादी तरीके से विचार करना चाहिए। जब हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पाकिस्तान पंजाब में अव्यवस्था और अराजकता लाकर हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है और हस्तक्षेप कर रहा है। मैं अपने पूर्व वक्ता द्वारा कही गई बातों की प्रशंसा करता हूं कि हमें कुछ वैसा ही कार्य करना चाहिए जैसा कार्य वे करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए जैसा वे हमारे साथ कर रहे हैं। यद्यपि एक साधारण भारतीय अथवा एक शिक्षित व्यक्ति की ऐसी प्रतिक्रिया न भी हो परन्तु भारत की ऐसी ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अतः भारत में अराजकता लाने से पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ कार्य किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और समर्थन के साथ-साथ मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के बारे में इस माननीय सदन में बहुत सी बातें कही गई हैं। पाकिस्तान के बारे में भारत सरकार की एक अपनी नीति है और हमारे देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटने की वकालत करती है और दूसरी विचारधारा पाकिस्तान के साथ नरमी का रवैया अपनाने की वकालत करती है। इस तरह की विचारधारायें इस माननीय सदन में रखी गई हैं, लेकिन उपाध्यक्ष जी, चाहे वह भारत सरकार की नीति हो या नरम और गरम विचारधारायें हों, वे पाकिस्तान के फौजी शासन को मान्यता देती हैं और पाकिस्तान के लोगों को दुर्भाग्य से मान्यता नहीं दे रही हैं।

पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको कोई भी विचारधारा मान्यता नहीं दे रही है। इसका मुझे दुख है। यह बात तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे बहुत गहरे रिश्ते हैं, पाकिस्तान चालीस साल पहले ही हमसे अलग हुआ है। हम भाई-भाई हैं। हमारा एक-दूसरे से बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते के होते हुए भी पाकिस्तान के लोग जिस संकट से गुजर रहे हैं, जिस तरह का शासन उन पर जबर्दस्ती चलाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और जिस तरह से उस शासन तंत्र को चलाने में कोई आवाज उनकी नहीं है, कोई बात उनकी नहीं है, उस बात को दुर्भाग्य से हमारे देश में मान्यता नहीं दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के लोगों को मान्यता नहीं देंगे, जब तक जनतंत्र के लिए, जम्हूरियत के लिए प्रजातंत्र के लिए वहां जो आंदोलन चल रहे हैं, हम उनको समर्थन नहीं देंगे, जब तक हम उनको नैतिक बल नहीं देंगे, तब तक पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर नहीं सकते हैं। यह तजुर्बा बताता है कि जब भी पाकिस्तान में फौजी शासन रहा है, जब भी पाकिस्तान में फौजी डिक्टेटरशिप रही है, तब-तब हमारे और पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के फौजी शासक भारत में नफरत का वातावरण और भारत के खिलाफ एक डर की भावना पाकिस्तान की जनता के सामने रखते हैं और उसके ऊपर वे जीवित रहना चाहते हैं, उसके ऊपर वे अपना शासन कायम रखना चाहते हैं।

जब भी पाकिस्तान में जनतांत्रिक व्यवस्था कायम रही है, पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान के जनतांत्रिक ढंग से चुने हुए शासकों से, पाकिस्तान के जनतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री जब थे, उनसे हमारे सम्बन्ध हमेशा अच्छे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध तभी ठीक रह सकते हैं जब कि वहां जनतांत्रिक सरकार कायम हो। जब तक जनतांत्रिक सरकार वहां कायम नहीं होगी, तब तक वहां की जनता के और हमारी जनता के तालमेल नहीं बैठेंगे। एक-दूसरे के हम बहुत करीब हैं, एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं, एक-दूसरे में जितना प्रेम और मोहब्बत है और एक-दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं हैं। दोनों देशों के लोगों के सम्बन्ध ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जितने भारत और पाकिस्तान के लोग एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन यह तभी हो सकता है जब पाकिस्तान में जनतांत्रिक व्यवस्था कायम हो।

यही हाल बंगलादेश का है। बंगलादेश के लोग भी हमारे उतने ही करीब हैं जितने पाकिस्तान के लोग हमारे करीब हैं। हमारा एक ही देश रहा है और हम सब एक देश के वासी रहे हैं लेकिन आज बंगलादेश में भी वही स्थिति है जो पाकिस्तान में है। वहां भी फौजी शासन और वहां भी फौजी डिक्टेटरशिप है। बंगलादेश की जनता भी आज जनतंत्र की बहाली की लड़ाई लड़ रही है, वह भी आन्दोलन कर रहे हैं, वे भी आज बंगलादेश की मिलेट्री जनता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बंगला देश के साथ तो हमारा एक स्पेशल कमिटमैंट है। बंगला देश की आजादी में हमने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और उसे आजाद कराके वहां जनतांत्रिक व्यवस्था कायम कराई थी लेकिन आज वहां की फौज ने कब्जा कर रखा है। जब फौजी शासन वहां पर है तो बंगला देश से हमारे वह रिश्ते नही हैं, जो उस समय थे जब कि वहां जनतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। वही हालात पाकिस्तान के साथ हमारे हैं और बंगला देश के साथ भी वही हालात हैं। वहां के फौजी शासकों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं जब बंगला देश की जनतांत्रिक सरकार बने। इसलिए जो जनतांत्रिक आंदोलन बंगला देश और पाकिस्तान में चल रहा है उसको हमें पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए।

यह बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि भारत-पाकिस्तान और बंगला देश का जो उप-महाद्वीप है, जिसे हम सब-कांटिनैंट कहते हैं, यह हमारी संयुक्त धरोहर है और यहीं से हमने आजादी की लड़ाई शुरू की थी और यहीं से जनतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने की 100 वर्ष पहले, उससे भी पहले, क्योंकि 100 वर्ष का तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमने इस व्यवस्था को कायम करने की लड़ाई शुरू की थी। चाहे ढाका रहा हो, लाहौर,

[श्री जैनुल बशर]

कलकत्ता, मद्रास रहा हो, सभी जगह से हमने अपने देश में जनतांत्रिक परम्परा को कायम करने का संघर्ष शुरू किया था, लड़ाई शुरू की थी। यह लड़ाई हमारी सब की संयुक्त धरोहर है, लेकिन क्या आज हम अपने उन भाइयों को भूल रहे हैं जो फौजी डिक्टेटरशिप में दबे हुए हैं और उनके साथ ऐसा ही सलूक कह रहे हैं जैसा दूसरे देशों के साथ किया जाता है। टैक्नीकली, कानून के हिसाब से आपका इंटरनेशनल लॉ कुछ भी कहता हो, उसके हिसाब से वह अलग देश हैं, लेकिन वहां के लोगों के साथ जो हमारे रिश्ते-नाते हैं, जो हमारा संयुक्त इतिहास रहा है जो संघर्ष की हमारी संयुक्त धरोहर रही है क्या उसको हम कभी भूल सकते हैं ?

मैं चाहता हूं कि हम नैतिक रूप से भारत की जनता की तरफ से, पाकिस्तान और बंगला देश की जनता को वहां जो जनतांत्रिक संघर्ष में लगे हुए हैं जो वहां जनतंत्र की बहाली चाहते हैं, उनको हमको पूरा समर्थन देना चाहिए।

दूसरी बात मैं चीन के बारे में कहना चाहता हूं। चीन के बारे में बहुत सी बातें कही गई। चीन से हमारे सम्बन्ध, कभी सुने जाते हैं कि सुधर रहे हैं और कभी सुने जाते हैं कि सुधर नहीं रहे हैं। चीन ने सन् 1962 में हमारे सीने पर जो जख्म लगाया है, आज वह जख्म सर्द जरूर हो गया है लेकिन वह जख्म खत्म नहीं हुआ है। आज जब वह हमको याद आता है कि हजारों-किलोमीटर हमारी भूमि आज चीन के कब्जे में है तो एक दर्द सा उठता है, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके लिए एक दर्द उठता है,। इस सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं, कभी समाचार-पत्रों में यह निकलता है कि भारत की चीन से बातचीत हो रही है और अभी कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में, जिसका जिक्र हमारे साथी थुंगन साहब ने किया, चीन की घुसपैठ भी हुई और उस सम्बन्ध में भी हमने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, बातचीत हुई लेकिन यह ऐसा क्यों है कि चीन के साथ दोस्ती अगर कायम हो सके, सरहदी मामले में अगर कोई समझौता हो सके, अगर हम चीन के साथ दोस्ती के साथ चल सकें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन चीन बराबर हमारी बेइज्जती करता जाय, चीन हमारी मान्यताओं को हमेशा ठुकराता जाय और एकतरफा तौर पर सरहद पर कार्यवाही करता जाय तो आखिर यह बात हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं और हम कब तक ऐसा करते रहेंगे ? क्या भारत सरकार इतना याद नहीं रख सकती कि आज भी हजारों किलोमीटर जमीन जो चीन के कब्जे में है, वह कब तक चीन के कब्जे में रहेगी और भारत के लोगों को हम क्या जवाब देंगे ?

हम बहुत लम्बी बातें करते हैं, विदेश नीति के बारे में, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन यह जो हजारों किलोमीटर भूमि आज चीन के पास आपकी पड़ी हुई है, हमारी पड़ी हुई है उसको निकालने की हम किस तरह से कार्यवाही करेंगे। मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री जी जब अपना जवाब दें तो इस बारे में हमको बतायें, पूरे देश को इस बारे में संतुष्ट करें कि हमारी यह हजारों किलोमीटर भूमि कैसे चीन के हाथ से हम निकाल सकते हैं।

मैं श्रीलंका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीलंका में हमारी सेनाएं आज मौजूद हैं और श्रीलंका में एक समझौते के तहत मजबूरी में हमको जो कदम उठाना पड़ा है उसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं था, उस कदम का हम सभी लोग स्वागत करते हैं लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि श्रीलंका से जितनी जल्दी हम अपना पिण्ड छुड़ा सकें, उतनी जल्दी हमको अपना पिण्ड छुड़ाना

चाहिए। आज श्रीलंका ने, जहां तक मैं समझता हूं, न श्रीलका की सरकार हमारा स्वागत कर रही है और एल०टी०टी०ई० वाले तो स्वागत कर ही नहीं सकते लेकिन श्रीलंका की सरकार, जिसके लिए हमारी फौजों में, हमारी सेनाओं ने अपनी कुर्बानी दी, जिसके लिए भारत की सरकार ने सब कुछ किया लेकिन उनके जो बयानात आ रहे हैं, उनको पढ़कर मैं समझता हूं कि भारत की सरकार के लिए और भारत की जनता के लिए अपमानजनक हैं। जो भी बात हम कहते हैं, जो भी हमारी बात होती है, श्रीलंका उसको कण्ट्राडिक्ट कर देता है, तो या श्रीलंका के प्रधान मंत्री, या श्रीलंका का कोई मंत्री, या श्रीलंका के प्रेसीडेंण्ट जयवर्धने उसको किसी न किसी शक्ल में कण्ट्राडिक्ट कर देते हैं।

ठीक है श्रीलंका में शान्ति की बहाली की हमने जिम्मेदारी ली है, शान्ति की बहाली हो जाय तो जल्दी से जल्दी वहां से हमको अपना पिण्ड छुड़ाना ही अच्छा होगा, यही हमारे देश के हित में है। अगर अधिक दिनों तक हमारी सेनाएं श्रीलंका में रह जाती हैं, अधिक दिनों तक श्रीलंका के पचड़े में फंसी रहेंगी तो हम समझते हैं कि यह देशहित में नहीं होगा। आखिर रूस को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, अमेरिका को वियतनाम छोड़ना पड़ा, कोई भी विदेशी फौज किसी देश में बहुत दिनों तक नहीं रह सकती और जितने दिनों तक वह रहेगी किसी भी देश में, उतना ही अधिक उसे ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह होगा, अच्छा यह होगा कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हम श्रीलंका से अपना गला साफ करें और श्रीलंका से हम हट जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: विदेश नीति का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ बधाई देना चाहता हूं अपने विदेश विभाग के अफसरों को, जो बाहर विदेशों में रह कर काम करते हैं। उनका काम अच्छा है, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं और भारत की जो विदेश नीति है, उसके कार्यान्वयन के लिए जिस तरह से कुर्बानियां देकर और परेशानियां सह कर, वे अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री महावीर प्रसाद यादव** (माधीपुरा) : मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

यह बहुत अच्छी बात है कि भारत गौतम बुद्ध की नीति का अनुसरण कर रहा है।

न हि वैरेण वैराणि,
शामयंतीह कदाचन।

इस तथ्य के बावजूद कि परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है, भारत अहिंसा की नीति का अनुसरण कर रहा है। पड़ोसी देशों द्वारा भड़काये जाने पर भी भारत अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है। पंचशील और गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धान्त भारत की विदेश नीति की दो प्रमुख विशेषताएं रही हैं। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। परन्तु सरकार को बदलती हुई परिस्थितियों और बदलती हुई स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। गुट-निरपेक्षता एक बहुत अच्छी बात है। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। क्या हमारी सरकार यह जाँच करा सकती है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के कितने देश यह कहने को तैयार हैं कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है? मेरी भावना यह है कि हमारे बचाव के लिए बहुत अधिक देश सामने नहीं आयेंगे।

[श्री महावीर प्रसाद यादव]

श्री काबुली इजराइल के बारे में बता रहे थे। परन्तु उन्होंने इस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया कि पाकिस्तान भारत के लिए कितनी कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान की भारत से दुश्मनी नहीं है। यह एक कक्षा अध्यापक द्वारा मुख्याध्यापक को कही गई बात के समान है। पाकिस्तान एक कक्षाध्यापक है और यह मुख्याध्यापक कहीं अन्यत्र है। यदि मुख्याध्यापक इस कक्षाध्यापक को नहीं उकसाते तो वह भारत के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकता था। अत: जैसा कि मैं अनुभव करता हूं बदली हुई परिस्थितियों में केवल बौद्ध दर्शन से काम नहीं चलेगा। चान जैसे एक बौद्ध देश ने वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण किया और भारत अपने आप को आक्रमण से नहीं बचा पाया। मैं समझता हूं कि बदलती हुई स्थिति और परिस्थितियों में बौद्ध दर्शनशास्त्र को एक मूल दर्शन के रूप में नही लिया जाना चाहिए। मैं तुलसीदास के शब्दों को दोहराता हूं :

[हिन्दी]

भय बिनु होय न प्रीति।

[अनुवाद]

प्यार और प्रीति भय बिना नहीं आ सकते। राजनीति में गुण, अवगुण, शेर और बकरी एक साथ चलने चाहिए। हम भारतीय लोगों को भगवान कृष्ण की तरह तैयार रहना होगा। हमारे हाथों में न केवल कमल और शंख तथा मुंह में बांसुरी होनी चाहिए अपितु चक्र और गदा भी हमारे हाथों में होनी चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जब तक हमारे हाथों में गदा और चक्र नहीं होगा तब तक भारत को आदर और सम्मान प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं कि हमें हर जगह धमकाया जा रहा है। सृष्टि सृष्टिकर्ता को धमका रही है अर्थात् बंगलादेश भारत को धमका रहा है। यहां मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। बंगलादेश को एक करोड़ इक्यावन लाख रुपये की सहायता और आठ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है। आप जानते हैं कि चकमा समस्या अभी तक नहीं सुलझ पाई है। चकमा शरणार्थियों की समस्या अभी तक बनी हुई है फिर भी आप बंगलादेश को ऋण और सहायता दे रहे हैं। क्या हम यह भारत की कीमत पर नहीं कर रहे हैं ? मेरी तो समझ में नहीं आता। बंगलादेश आपके लिये शरणार्थियों की समस्या पैदा कर रहा है और आप बंगलादेश को ऋण और सहायता दे रहे हैं।

अब मैं नेपाल को लेता हूं। नेपाल बहुत अच्छा पड़ोसी है। किन्तु 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब नेपाल ने ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा कि यह गलत है। फिर भी आप नेपाल को 21 करोड़ रुपये की सहायता और 25 करोड़ रुपये का ऋण दे रहे हैं। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। आप नेपाल या बंगलादेश को सहायता और ऋण दे सकते हैं। किन्तु नेपाल हमारे लिये क्या कर रहा है ? परसों श्री राजहंस ने नियम 377 के अधीन एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो बांध बनाया था नेपाल उससे हमारे वाहनों को नहीं गुजरने देता है। हमारी बसों और ट्रकों को बहुत अधिक दर पर यह महसूल अदा करने के बाद ही गुजरने दिया जाता है। इसलिये, मुझे नेपाल या बंगलादेश को दिये जाने वाले ऋण या सहायता पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु ऐसा करते समय भारत के हितों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिये।

पंडित जवाहर लाल नेहरू बहुत ही महान व्यक्ति थे। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भारत के सीमा क्षेत्र से केवल एक किलोमीटर आगे कोसी बांध बनाया गया था और उसी प्रकार भारत की सीमा से थोड़ी ही दूर, नेपाल के सीमा क्षेत्र में गंडक बांध भी बनाया गया था। किन्तु वहां भारत के हितों को बड़ी बुरी तरह क्षति पहुंच रही है। यहां तक कि झंडे को बिना उतारे मंत्री को भी बांध के ऊपर से गुजरने नहीं दिया जाता है। नेपाल भारत के साथ यह व्यवहार कर रहा है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं अपनी विदेश नीति के मूल तत्व पर आपत्ति कर रहा हूं। भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है जो गुट-निरपेक्षता अथवा पंचशील की नीति पर आधारित है। किन्तु भारत के हितों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिये।

अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं केनेडी की एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा : "युद्ध से बचने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि युद्ध के लिये तैयार रहो।" हमें हर हालत में युद्ध के लिये तैयार रहना चाहिये किन्तु हमें हताश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि भारत की सुरक्षा हर हालत में होनी चाहिये और भारत को इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये जिसकी विश्व भर में प्रशंसा की जाये।

[हिन्दी]

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विदेश विभाग की अनुदानों की मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

विदेश विभाग की मांगों पर जो बहस चल रही है, उसमें मुझे यह कहना है कि भारत की विदेश नीति की आधारशिला पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी, उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी, "विश्व इतिहास की झलक", उसको मुझे जेल में पढ़ने का मौका मिला, उसमें पंडित जी के जो विचार थे, आज हमारी विदेश नीति उन्हीं आधारों पर चल रही है। 1917 में विश्व क्षितिज पर जवाहरलाल जी ने जिस सिद्धांत को जन्म दिया था कि दुनिया के मजदूरों की लड़ाई सबसे बड़ी मददगार होगी और हिन्दुस्तान में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों को हटाने के लिए, उसमें भी मददगार बनेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति कितनी मजबूत थी और सुदृढ़ थी। यह नीति उस महापुरुष की बनाई हुई थी और उसी पर आज हम चल रहे हैं, यह सच्चाई है। गुटनिर्पेक्षता और शांति की नीति से हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। देश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, बीच में सिर्फ दो वर्ष के लिए दूसरी पार्टी के हाथ में सत्ता आई, उस वक्त हमें देखने को मिला था जब कंपूचिया का सवाल आया था तो उस सरकार ने कंपूचिया सरकार को मदद नहीं दी थी, कहा था कि हम मान्यता नहीं देंगे, वे लोग ही इसको मान्यता देंगे, लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने आते ही कंपूचिया को मान्यता दी, इससे बड़ा सुबूत हमारी गुटनिर्पेक्षता का और क्या हो सकता है, गुटनिर्पेक्षता की नीति हमारी कितनी मजबूत है। वैसे तो विश्व में दो ही ताकतवर ताकतें हैं, लेकिन हमारी जो गुटनिर्पेक्षता की नीति है, उस नीति का यह प्रमाण है कि जिनेवा समझौता हुआ और इस समझौते से तनाव में कमी आई है, यह बिल्कुल सही बात है।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं अफगानिस्तान के सवाल पर, रूसी फौज के वहां पहुंचने के सवाल पर हमारी गुटनिर्पेक्ष सरकार ने बराबर कहा है कि अगर अफगानिस्तान इस तरह का

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

षडयन्त्र न करे तो रूस को फौज हटा लेनी चाहिए, हिन्दुस्तान की बराबर यह नीति रही है, लेकिन जब फौजें हटाने की बात आई तब दो डिफेंस मिनिस्टर वहां से पाकिस्तान आए और उन्होंने बहुत मजबूती से कहा कि अगर रूस फौज हटा ले तब भी हम पाकिस्तान को हथियारों की मदद करते ही रहेंगे। इससे पता लगता है कि जो साजिश चल रही थी, उसका फौज के होने या न होने से कोई सम्बन्ध नहीं था। ये साम्राज्यवादी शक्तियां गुटनिर्पेक्षनीति से घबरा रही हैं और हमारे यहां अस्थिरता पैदा करने में लगी हुई हैं। पाकिस्तान के माध्यम से ये शक्तियां काम कर रही हैं। हमारा कहना है कि हमारी सरकार को गुटनिर्पेक्षता की नीति को और अधिक मजबूत करना चाहिए। हम गुटनिर्पेक्ष देशों का नेतृत्व कर रहे हैं, यह सबसे बड़ी चीज है, हम गुटनिर्पेक्ष देशों का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं।

कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे श्रीलंका का सवाल है, यहां पर सांप्रदायिक शक्तियां और अलगावादी शक्तियां काम कर रही थीं, वहां पर भारत-श्रीलंका समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार उन शक्तियों को खत्म करने के लिए वहां पर शांति सेना को जाना पड़ा। तमिलवासियों को उनका हक दिलाने के लिए हमारी शांति सेना जो काम कर रही है, हम समझते हैं उसमें जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी और हमारी सेना वहां से वापिस आयेगी और उन तमिलों के जो अधिकार हैं उनको लागू कराया जायेगा। साथ ही साथ प्रतिवेदन में यह भी देखने को मिला कि चीन और भारत की बातचीत के लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है। पूरा देश यह देख रहा है कि कब दोनों में इस तरह की बैठक हो जिससे समस्या को हल किया जा सके। कुछ विशेष हम नहीं कहना चाहते इसलिए अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

**श्री बीर सेन** (खुर्जा) : महोदय, मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता।

महोदय, हमारी विदेश नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है और किसी बात की अच्छाई की प्रमाणिकता उसके व्यावहारिक प्रयोग से ही पता चलती है। थोड़ा परिवर्तन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इसकी अच्छाई का पता उसके ग्राहकों की संख्या से चलता है। जैसा कि आपको पता है, विश्व के दो-तिहाई देशो ने गुट निर्पेक्षता की हमारी नीति को स्वीकार कर लिया है और यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि हमारी विदेश नीति का आधार सुदृढ़ है।

महोदय, हमारी नीति आक्रमण न करने तथा हस्तक्षेप न करने की बात पर आधारित है और हम विस्तारवाद के इच्छुक नहीं हैं। हमारी नीति के यही मूल सिद्धांत हैं। वास्तव में, आजादी प्राप्त होने के बाद से इन 40 वर्षों के दौरान अपने पड़ोसियों के साथ तथा अन्य देशों के साथ हम अपनी समस्या बातचीत के माध्यम से सुलझाने की चेष्टा करते रहे हैं। किन्तु कुछ समस्यायें बातचीत से नहीं सुलझ पाई हैं और उनमें से एक समस्या यह है कि चीन ने हमारी 40,000 वर्ग कि०मी० भूमि पर कब्जा किया हुआ है। 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह भूमि उसके कब्जे में है और हम उसके लिये कुछ भी नहीं कर पाये है। कल, एक माननीय सदस्य, जो किसी समय में विदेश मंत्री भी रहे थे, ने हर हालत में शांति बनाये रखने की वकालत की थी। जिसका अर्थ यही है कि इसके बावजूद कि चीन हमारी 40,000 कि० मीटर भूमि लौटाने को तैयार नहीं होता है तो भी हमें चीन से शांति बनाये रखने की मांग करनी चाहिये। मेरे विचार से यह सलाह सहज ही

अकर्मण्यता, और मौन स्वीकृति का द्योतक है और मेरे विचार से हम इस प्रकार की सलाह का पालन और आगे नहीं कर सकते हैं और हम इस प्रकार की सलाह का पालन नहीं करते रहेंगे। इसका संबंध हमारी भूमि की प्रतिष्ठा के साथ है। यदि यह भूमि चीन के पास रहती है और हम इसके बारे में चुप्पी साधे रहते हैं तो स्वाभाविक है कि इससे हमारे आत्म सम्मान की भावना नष्ट हो जायेगी। इसलिये यदि हमें चीन के साथ संबंध रखना है, तो स्वभावत: मेरे विचार से इस समय ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इसके कारण हमें सैनिक कार्यवाही करनी पड़े। वास्तव में, मेरा ऐसा न कोई विचार है और न मैं इस बात का ही समर्थन करता हूं कि सैनिक कार्यवाही से ही इस झगड़े का समाधान हो सकता है। किन्तु मेरे विचार से वार्ता अनिश्चित कालीन नहीं हो सकती है और एक समय ऐसा आता है जब वार्ता व्यर्थ हो जाती है। उस समय, हमें निस्संदेह कुछ कार्यवाही करनी पड़ सकती है और वह कार्यवाही किस प्रकार की होनी चाहिये उसके बारे में मेरी यह धारणा है कि उसका समाधान सैनिक बल से ही हो सकता है जिसे हमें सुदृढ़ बनाना होगा। जब तक चीन को यह पता है कि तुलना में वे संख्या में अधिक हैं, उनकी ताकत अधिक है और उनके पास परमाणु शक्ति है तथा जब तक वह इस बात को समझते रहेंगे कि भारत कमजोर है तब तक वह किसी प्रस्ताव पर सहमत नहीं होगा। कृपया ध्यान दीजिये, गत सप्ताह, चीन के उप-प्रधान मंत्री ने कहा कि वह मेघालय को मान्यता नहीं देते। दोनों ओर से कुछ छूट होनी चाहिये। निस्संदेह, मेरे विचार में हम उनके शब्दों से सहमत नहीं हो सकते हैं। हम उनके शब्दों के प्रत्यक्ष अर्थ से सहमत नहीं हो सकते हैं। गत समय का यह अनुभव रहा है कि हम मैत्री के लिये, भाईचारे के लिये चिल्लाते रहे हैं और हम गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाते रहे हैं हिन्दी-चीनी भाई-भाई। किन्तु हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिये पिछले अनुभव से हमें सबक लेना चाहिये कि चीनी भरोसेमंद नहीं हैं और शब्दों के द्वारा वे धोखा दे सकते हैं। इसलिये, वास्तविकता यह है कि चीनी प्राधिकारियों द्वारा दिये गए वचनों अथवा संकेतों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि हम अपने को मजबूत बनायें जिससे कि चीन भी इस बात को यह महसूस करे कि हम उस जमीन को जबरदस्ती ले सकते हैं जिसे चीन गत 26 वर्षों से हथियाये हुए है।

मुख्य नीति तो अमरीका के बारे में है अर्थात् अमरीका से हमारे कैसे संबंध हैं। इस बात पर विचार करते समय हमें इस बात पर विचार करना होगा कि विश्व नीति में अमरीका की क्या भूमिका रही है और पूरे विश्व के बारे में उसका उद्देश्य क्या है। मेरे विचार से अमरीका विश्व पर राज्य करने का स्वप्न देखता है और वह इसी चेष्टा में लगा हुआ है। इसीलिये पूरे विश्व में अपनी दखल बढ़ा रहा है। उसकी दखलन्दाजी हिन्द महासागर, खाड़ी देशों और सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। अफ्रीका में भी उसकी दखलन्दाजी दृष्टिगोचर होती है। उसकी नीति है विश्व पर साम्राज्य करना। सिकन्दर पहला व्यक्ति था जिसने इस नीति का सपना देखा था और उसके बाद नैपोलियन बोनापार्ट ने भी इसी नीति को अपनाया था। इस नीति को अपनाने वाला तीसरा व्यक्ति हिटलर था। अब, अमरीका का राष्ट्रपति पूरे संसार पर राज्य करने के उसी विचार से उसी नीति को अपना रहा है। और उन लोगों ने जो नीति अपनायी है और जो तरीका अपनाया, अमरीका की नीति और तरीका उससे कुछ भिन्न है। उन्होंने सैनिक कार्यवाही, सैनिक शासन की नीति अपनायी। किन्तु अमरीका नव साम्राज्यवाद की नीति, नये प्रकार के मुख्तारी देकर देशों को परतन्त्र बनाकर ऋण देकर, सैनिक सहायता देकर और कर्जा देकर तथा साम्राज्यवाद की नीति अपनाये हुए है। आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति अपनाये हुए हैं। इसी

[श्री वीर सेन]

संदर्भ में हमें भारत के साथ अमरीका के संबंधों को भी देखना होगा। भारत के संबंध में भी वह इसी नीति को अपनाये हुए है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अमरीका की यह नीति है कि जो भी राष्ट्र कमजोर है अथवा विकासशील अवस्था में हैं, वह उसकी पकड़ में आ जाये और उसकी नीति पर चले। यदि वे उसकी नीति का अनुसरण नहीं करते हैं अथवा जो भी उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने से इनकार कर देते हैं, वह उन राष्ट्रों के खिलाफ हो जाता है। वह उस सरकार को गिरा देना चाहता है.........

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

**श्री वीर सेन** : कुछ सदस्यों को आपने एक घंटे का समय दिया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह समय उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

**श्री वीर सेन** : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के मामले में भी अमरीका की नीति भारत को दास बनाने की रही है और उसकी यह नीति प्रत्यक्ष नहीं है अपितु वास्तव में वह नीति अप्रत्यक्ष रही है। उसकी यह नीति मुख्तारी दे करके और पाकिस्तान के माध्यम से रही है। वह इस इरादे से पाकिस्तान को अस्त्र नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान या रूस से लड़ना है अपितु पाकिस्तान को अस्त्र देने के पीछे उसका यह छदम इरादा है कि किसी भी दिन वह युद्ध कर सके और पाकिस्तान के माध्यम से भारत पर अधिकार कर सके। पाकिस्तान को अस्त्र इसलिये दिये जा रहे हैं कि किसी दिन वह भारत पर हमला कर सके। अमरीका और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में विचार करते समय भारत सरकार को इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिये।

अमरीका पूरे विश्व में अस्थिरता लाने, तोड़-फोड़ करने और सरकारों को गिराने तथा विद्रोहियों को उकसाने के कार्य में लगा हुआ है। वह न केवल विद्रोहियों को उकसा रहा है बल्कि विद्रोहियों का पोषण भी कर रहा है। वह निकारागुआ और विपक्षियों का पालन-पोषण कर रहा है तथा उन्हें अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई कर रहा है। वह अफगानिस्तान के विद्रोही, मुजाहिदों की, जो पाकिस्तान में बसे हुए हैं, की सहायता कर रहा है। वह ये सब तरीके अपना रहा है और कभी-कभी वह लीबिया और भारत के विरुद्ध सीधी कार्यवाही भी करता है। गत कुछ दिनों के दौरान खाड़ी देशों में भी उसने सीधी कार्यवाही की है।

कभी-कभी वह कहता है कि वह लोकतंत्र का समर्थक है किन्तु वह लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। वह तानाशाही का समर्थक है। वह मानव अधिकारों का पक्षधर नहीं है। उसने अनेक देशों में रक्तपात कराया है और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने हाथों में लिया है। वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों की परवाह नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीका इस समय जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उससे तो अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नया रूप देकर फिर से लिखना होगा। अमरीका डाकू और आक्रांता जैसी भूमिका निभा रहा है। जहां कहीं भी असहमति की बात होती है, अमरीका वहां की स्थिति से लाभ उठाता है। अब उसकी छद्म कार्यवाही समाप्त हो गई है और वह खुलकर, स्पष्ट रूप से आगे आ रहा है। यह एक खतरनाक बात है और अमरीका के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में विचार करते समय हमें इन सभी बातों को भी ध्यान में रखना होगा।

अमरीका अपनी नीति का प्रतिपादन अपने हित में करता है और उसके हित उसके लिए अत्यधिक महत्व के हैं। उसके हित क्या हैं ? मेरे विचार से उसका हित, सर्वप्रथम, अपने अस्त्र बेचने में है। वह अपने अस्त्र उद्योग को जीवित रखना चाहता है और इसीलिये वह सभी देशों को, चाहे वह देश कोई क्यों न हो, अपने अस्त्र सप्लाई कर रहा है और उसे उन देशों को भी अपने अस्त्र बेचने में कोई हिचक नहीं है, जिनके साथ वह युद्धरत है, उदाहरण के तौर पर ऐसा देश ईरान है।

उन्होंने ईरान को चोरी-छिपे हथियार बेचे और लाभ कोन्ट्राज को दे दिया। यह है उनकी नैतिकता।

हमें अमरीका के मामले में बहुत सतर्क रहना होगा और हमें उनके साथ राजनयिक भाषा में ही निपटना होगा। हम उन्हें मित्र कह सकते हैं। हम उन्हें किसी भी प्रकार संबोधित कर सकते हैं, किन्तु दिल ही दिल में हमें यह जान लेना चाहिए कि वह हर लिहाज से हमारे विरुद्ध है और उनका यह विरोध किसी दिन पाकिस्तान के माध्यम से प्रकट होगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री वीर सेन** : अब, मैं अन्य बातों को छोड़ दूंगा।

मैं यह बताना चाहता हूं कि विश्व द्वारा आई०एन०एफ० सन्धि और अफगान सन्धि की सराहना की गई है। हमने भी इन सन्धियों के होने में सहयोग दिया है। मैं यह महसूस करता हूं कि श्री रीगन का कार्यकाल बंजर रहा है; उनके सात साल के कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं हुई; वह इस बात के लिए अत्यन्त उत्सुक थे कि उनके कार्यकाल की कोई उपलब्धि हो, इसीलिए वह चाहते थे कि किसी प्रकार का कोई समझौता हो और उन्होंने यह आई०एन०एफ० सन्धि और अफगान सन्धि की। इतिहास में अपना नाम कायम रखने के लिए उन्होंने कुछ किया है यह सन्धि उनकी जरूरत थी।

दूसरी ओर श्री गोर्बाचेव अपनी राजनयिक कला में कुशल हैं। वह अत्यन्त सफल रहे हैं और उनके विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं उनका उद्देश्य स्पष्ट है—विश्व की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में उनका अत्यन्त स्पष्ट दृष्टिकोण हैं, उन्होंने अपने आपको एक वास्तविक शान्तिदूत, कुशल राजनयिक के रूप में स्थापित कर लिया है, और मैं समझता हूं कि इस उपलब्धि के साथ वह नोबल शान्ति पुरस्कार के हकदार हो गए हैं।

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हम पाकिस्तान से बातचीत करते आ रहे हैं। पाकिस्तान शान्ति और मैत्री के हमारे प्रयत्नों का विरोध करता रहा है। प्रधान मंत्री ने कल भी इस ओर इशारा किया है कि वह हमारे शान्ति के प्रयत्नों का विरोध करता रहा है। तो इसका हल क्या है ? मेरे विचार से संशोधित मुनरो सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिए, हमारी सरकार को संशोधित मुनरो सिद्धान्त लागू करना चाहिए। मुनरो सिद्धान्त में राष्ट्रपति मुनरो ने कहा है यदि कोई बाहरी देश अमरीका के पड़ोसी देशों के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो अमरीका उनके बचाव और सहायता के लिए आगे आएगा। मेरे विचार से इसी प्रकार यदि हम घोषणा कर दें कि इस उप महाद्वीप के किसी भी देश पर अगर किसी बाहरी देश द्वारा हमला किया जाता है, या जब कभी वह आर्थिक या अन्य किसी प्रकार के संकट में होगा तो हम इस प्रकार की स्थिति में उसकी सहायता करेंगे, यदि हम यह घोषणा कर दें कि हम इस प्रकार की स्थिति में उनकी सहायता करेंगे

[श्री वीर सेन]

और हम अपने को हथियारों से इस प्रकार लैस करेंगे कि उनकी जरूरत के वक्त उनकी मदद कर सकें, यदि इस प्रकार की घोषणा की जाती है तो पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या का हल खोजा जा सकता है। वरना पाकिस्तान के साथ हमेशा टकराव रहेगा, और पाकिस्तान अमरीका के हाथों में खेल रहा है, यह समस्या हमेशा बनी रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

**श्री हरुभाई मेहता** (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे देश की विदेश नीति की की जाने वाली प्रशंसा का समर्थन करता हूं। कल के एक वक्ता तथा आज के एक वक्ता को छोड़कर सदन के दोनों पक्षों के लगभग सभी सदस्यों ने हमारी विदेश नीति तथा इसकी उपलब्धियों की प्रशंसा ठीक ही की है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा डाली गई सुदृढ़ नीवों पर आधारित है अर्थात यह विश्व शान्ति की चाह के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसा नहीं है कि यह केवल भारत की सुरक्षा के इर्द-गिर्द ही घूमती हो। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति की परिकल्पना कभी भी एक कछुए के रूप में नहीं की है जो अपने अंग छुपा लेता है ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके। हम विश्व शान्ति तथा गुट निरपेक्षता की लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वास्तविक गुट-निरपेक्षता— एक शक्ति और दूसरी शक्ति की बारी-बारी आलोचना करके नहीं, बल्कि विश्व में युद्ध चाहने वाली ताकतों के विरुद्ध शान्ति की ताकतों को सुदृढ़ करके।

विदेश नीति के बारे में ठीक ही कहा गया है कि यह देश की आत्मा का प्रतीक है। इतना ही नहीं इसकी सुदृढ़ नींव हमारे देश के करोड़ों लोगों के दिलों में इतनी पक्की है कि जब कुछ समय के लिए सत्ता दूसरे दलों के हाथ में थी और विदेश मंत्री एक ऐसे दल से सम्बन्ध रखते थे जिसका झुकाव साम्राज्यवाद की ओर है, कुछ प्रयत्नों के बावजूद भी वह हमारी विदेश नीति में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं कर पाए। पंडित नेहरू द्वारा स्थापित और इन्दिरा जी द्वारा सुदृढ़ की गई विदेश नीति को हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा काफी बढ़ावा दिया गया है। यह वर्ष विशेष रूप से उपलब्धियों का वर्ष है। सोवियत संघ और अमरीका के बीच आई० एन० एफ० सन्धि, जिसमें भारत का भी योगदान है उपलब्धियों में से एक है। उन लोगों ने जो भारत की प्रगति को नहीं देख सकते, हालांकि वह इसी देश के हैं, कहा है कि भारत का कोई योगदान नहीं है। किन्तु मुझे भारत में सोवियत संघ के महामहिम राजदूत के शब्द याद आ रहे हैं कि अमरीका और सोवियत संघ के बीच सन्धि की नींव दिल्ली में रखी गई थी और दिल्ली घोषणा पर हमारे प्रधान मंत्री और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत ने अफगानिस्तान के मामले में भी हरारे तथा विभिन्न अन्य स्थानों पर पहल की। जहां कहीं भी पीड़ित लोगों को जागरूक लोगों की सहायता की जरूरत पड़ी भारत ने नेतृत्व प्रदान किया।

मुझे डर है कि हमारे पड़ोसियों के सम्बन्ध में कुछ संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाने का समर्थन किया जाता है। हमारी विदेश नीति के बारे में जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा यदि आप समझते हैं कि हमारे हित आपस में टकराते हैं तो आप एक नहीं सौ समझौते कर सकते हैं किन्तु इससे शान्ति स्थापित नहीं होगी। हमारा विश्वास है, भारत का हमेशा से यह विश्वास रहा है, भारत का आज भी यह विश्वास है कि हमारे हित अर्थात् पाकिस्तान और भारत दोनों के हित

अधिकांशत एक हैं। हमारी प्रमुख समस्याएं गरीबी, देश के पिछड़ेपन तथा विदेशी ताकतों द्वारा दबाव डाले जाने की हैं।

हम सभी जानते हैं, और हम में से अधिकांश लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं, हमारे में फूट डालने के लिए जानबूझ कर प्रयत्न किए गए। स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए वे जानते थे कि यदि सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग एक जुट रहे तो उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वे कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा, ब्रिटिश शासन भी नहीं। किन्तु वे यह भी जानते थे कि यदि वह हम में फूट डाल सकें—चाहे यह भाषा या धर्म या किसी अन्य बात को लेकर हो तो वह हमें हरा सकते हैं। इसलिए उन्होंने भेदभाव पैदा करने का प्रयत्न किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 31 जुलाई, 1972 को इस सदन में बोलते हुए कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद—विभाजन के बाद साम्राज्यवादी हमें उसी प्रकार से नहीं बांट पाए। इसलिए उन ताकतों ने जो इस उप-महाद्वीप को कमजोर देखना चाहती थी यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि इस उप-महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहे ताकि हम अपनी आधारभूत समस्याओं को हल करने तथा अपने आप को सशक्त बनाने की अपेक्षा आपस में झगड़ते रहें। जब इस प्रकार की स्थिति हो तो हमें यह देखना होगा कि क्या हम यह सब चलने दें या कहें कि अब बहुत हो चुका। आज हमें यह देखना होगा कि हमारा वास्तविक हित किसमें है। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि हमारा तथा पाकिस्तान का हित दोनों देशों के बीच शान्ति में है।

मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की वही घोषणा पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी विदेश नीति का आधार है। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता और हमारे इलाके पर अधिकार जताना चाहता है।

6 फरवरी को पाकिस्तान के सिंध से ग्रामीण विकास मंत्री गुजरात और गांधीनगर आए और कहा कि जूनागढ़ अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है और हम जूनागढ़ को भारत का हिस्सा नही मानते और हम इसे पाकिस्तान के नक्शे में दिखाते रहेंगे और तब से मामला संयुक्त राष्ट्र में है। पाकिस्तान के खराब मन्सूबों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए।

हमारी किसी भी पड़ोसी से शत्रुता नहीं है। इसी प्रकार चीन के सम्बन्ध में भी कुछ लोगों ने लड़ाकू नीति की पैरवी की है। किन्तु मैं नहीं समझता कि हमारी विदेश नीति इतनी नाजुक है कि हम प्रत्येक समस्या के लिए हथियार जुटाने लग जाएं और आपस में भेद भाव पैदा करें। बातचीत द्वारा इसे हल किया जा सकता है। बातचीत और शान्तिपूर्ण प्रयास हमारी विदेश नीति की ताकत हैं। इसलिए, चीन के साथ हमारी सीमा समस्या के संबंध में मैं भारत की नीति का समर्थन करता हूं।

विश्व शान्ति की हमारी चाह केवल शान्ति के लिए शान्ति स्थापित करने की नहीं है। हमारे शान्ति के प्रयास विकास से भी सम्बन्धित हैं। जैसा कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने कहा कि एक युद्ध विकास को अवरुद्ध करता है।

[श्री हरुभाई मेहता]

**5.00 म०प०**

इसी प्रकार पंडित नेहरू ने भी कहा था और हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि निरस्त्रीकरण का महत्व विश्व विकास के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। हथियारों के लिए किए गए सभी कोई भी प्रयासों से विकास अवरुद्ध होता है और इसीलिये हमें निरस्त्रीकरण समझौते के लिए समर्थन जुटाते रहना चाहिये। विभिन्न समस्याओं के बारे में—उदाहरण के तौर पर इजरायल के बारे में—सरकार की सजगता और तत्परता पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किये गये हमले की भर्त्सना करने के बारे में सरकार की तत्परता और सहनशीलता का पता चलता है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के उप नेता की हत्या किये जाने की हमारी सरकार ने तत्काल ही भर्त्सना की। जब डेविस कप मैच खेलने के लिये हमारी टैनिस टीम को इजराइल भेजा जाना था तब मैंने सरकार को पहले ही लिख दिया था कि वहां की स्थिति को देखते हुए हमें वहां अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिये; तब सरकार ने इस बात की घोषणा करने में बड़ी ही तत्परता दिखाई कि वर्तमान स्थिति में हमारी टीम वहां नहीं जायेगी। इसी प्रकार उस समय हमारी क्रिकेट टीम को बंगलादेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी जब वहां के 21 विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि ऐसी स्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित न किया जाये।

इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि हमारी विदेश नीति को, जिसकी सर्वत्र सराहना की गई है, और भी विकसित किया जाये। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह विश्व शांति के हित में हमारी विदेश नीति को तेज गति से कार्यान्वित करने के लिये प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को बल प्रदान करे।

**प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी)** : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लाभदायक वाद-विवाद हुआ और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं तथा इस चर्चा में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।

अपनी विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्यों के प्रति तथा जिस प्रकार हम अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं उस पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। विस्तार पूर्वक चर्चा करते समय जो मतभेद उभर कर आये हैं, उनके बावजूद, हमारी विदेश नीति की मुख्य बातों की अनेक बार संपुष्टि की गई है तथा उनमें निष्ठा व्यक्त की गई है। आज भी विश्व में उसकी प्रमुख बातें प्रासंगिक हैं।

महोदय, गत दो या तीन वर्षों के दौरान विश्व में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में, बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। नये दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है और नये-नये विचार उभर कर आ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के लिए चुनौतियां पैदा होंगी विशेषकर भारत जैसे देश के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में, किसी को भी अतीत के दलदल में नहीं फंसा रहना चाहिये अपितु लचीला मार्ग अपनाना चाहिये। किन्तु इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिये जिन पर हमारी विदेश नीति आधारित है।

जब हमने नैतिकता को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था तब हमें अनैतिक और अव्यवहारिक समझा गया था। आज स्थिति बदल गई है। अब विश्व अहिंसा की अनिवार्यता, परमाणु

अस्त्रों से छुटकारा पाने तथा निरस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार कर रहा है। आज विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं हैं, जब तक सच्चाई को गुट हितों और प्रभाव डालने वाले तत्वों से मुक्त नहीं कराया जाता। अब संसार हमारी इस विचारधारा के उत्तरोत्तर नजदीक आता जा रहा है कि विश्व के विभिन्न देश के लोगों की विविधताओं को बिना किसी स्वार्थ भाव के मानवीय आधार पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और स्वीकार किया जाना चाहिये। जो देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में बहुत अधिक शंकालू थे, वे आज शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं न कि नफरत की।

उस समय से लेकर जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमारी विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था, आज तक की अवधि के दौरान विश्व हमारी विश्व-धारणा के निकट आता रहा है। और यह सिद्ध होता है कि हाल ही में दिल्ली घोषणा द्वारा, जिस पर नवम्बर, 1986 में हस्ताक्षर किये गये थे, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति की पुष्टि की गई है। तर्क द्वारा परमाणु अस्त्रों के विकास को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

मई, 1984 में उस समय जब प्रमुख शक्तियों के बीच वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और जब कोई इस बारे में सोच ही नहीं सकता था कि तनाव समाप्त भी हो सकता है, तब इन्दिरा जी के साथ छः राष्ट्रों ने पहल की थी, किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रयास से और पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों के सतत प्रयास से, उन सभी देशों के प्रयास से जो निरस्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं, विश्व में सही वातावरण तैयार करके, हमने पहली बार आई० एन० एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद परमाणु अस्त्रों को नष्ट किया जाना देखा था।

हमने देखा कि तनाव कम हो रहा है विशेषकर प्रमुख शक्तियों के बीच और वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों को मान्यता प्रदान करने लगे हैं। हमने पहली बार यह देखा कि सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र विकसित हो रहा है और दो पोलों पर टिकी दुनिया अब आगे बढ़ने लगी है।

यही समय है जबकि हम अपनी इस धारणा को पूरा कर सकते हैं कि संसार में परमाणु अस्त्र नहीं होंगे और विश्व निरस्त्रीकरण की धारणा अपनायी जायेगी। हमें स्वयं को अस्त्रों की उसी दौड़ की स्पर्धा से बचाना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि परमाणु अस्त्रों के अलावा कोई ऐसा साधन विकसित न हो जिससे सब कुछ नष्ट न हो जाये। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि अस्त्रों की इस दौड़ में नये आयाम न जुड़ जायें। इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पांच-महाद्वीपों में उच्च किस्म के किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र का विकास न हो जाये जिसका कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नुकसान किये बिना एक ही राष्ट्र के सम्पूर्ण नेतृत्व को समाप्त किया जा सके किन्तु जिसके कारण अभी अव्यवस्था पैदा हो जाए।

यह समय इस बात पर विचार करने का है कि हम इन सब चीजों को किस प्रकार नियंत्रित करें और इन्हें नई दिशा कैसे प्रदान करें। हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नई व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें एक वास्तविक कुशल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र और प्रभुसत्ता समानता का प्रतीक हो। हमें मानव मात्र के एक साझे परिवार की मान्यता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें एक दूसरे के हित आपस में निर्भर हों

[श्री राजीव गांधी]

और दक्षिण में विकास के सहजीवन के साथ उत्तर में स्थायित्व हो। हमें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल्यों पर आधारित एक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

महोदय, दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में हमने कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ मैत्री और मधुर तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की बात दोहराई है। हमारे दिलों में पाकिस्तान के लोगों के प्रति-सद्भावनाएं हैं, जिनके साथ हमारी भाषा, संगीत और साहित्य साझा है। हमारा इतिहास साझा है। पाकिस्तान के लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं है। हम उनका भला चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों के स्तर पर—यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों, पत्रकारों, श्रमिक नेताओं, महिला ग्रुपों के आदान-प्रदान का स्वागत करते हैं। प्रत्येक स्तर पर हम और अधिक आदान-प्रदान चाहते हैं। हम पाकिस्तान की उस नई पीढ़ी के साथ, जिसका जन्म पाकिस्तानियों के रूप में हुआ, जिन्हें पाकिस्तान की नीतियों ने भारत की व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं होने दी, आदान-प्रदान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच शान्ति का अर्थ दोनों देशों के लोगों के बीच शान्ति है।

इन्हीं सम्बन्धों को बढ़ावा देने तथा सद्भावना पैदा करने के लिए हमने शिमला भावना से कई उपायों का प्रस्ताव किया है। मैं इसकी व्यापक सूची नहीं देना चाहता किन्तु मैं कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। हमने शान्ति और मैत्री की एक सन्धि का प्रस्ताव किया है। हमने परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का प्रस्ताव किया। हमने सीमा सम्बन्धी नए बुनियादी नियमों पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है। हमने विमान अपहरण पर एम० ओ० यू० का प्रस्ताव किया है। हमने सैनिक विमानों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन करने के बारे में एम०ओ०यू० का प्रस्ताव किया है। हमने गैर-सरकारी व्यापार के विस्तार का प्रस्ताव किया है। हमने बिना भेद-भावपूर्ण व्यापार व्यवस्था कायम करने और एम० एफ० एन० सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है। भारत पाक संयुक्त उद्यमों को, लेखकों, बुद्धिजीवियों, संचार माध्यमों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक ग्रुपों का आदान-प्रदान, फिल्मों, ड्रामा, संगीत, नृत्य का आदान प्रदान करने को कहा है। हमने पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया है। हमने विश्वास पैदा करने वाले तथा जोखिम को घटाने वाले अन्य कई उपायों का, जिन पर आपसी सहमति हो, प्रस्ताव किया है। हमने यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हल करने का प्रस्ताव किया है। हमने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और आतंकवाद को समाप्त करने के क्षेत्र में भी सहयोग करने का प्रस्ताव किया है। दुर्भाग्यवश हमें पाकिस्तान से अत्यन्त असंतोषजन प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।

दूसरी ओर पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के बीच इन कार्यक्रमों को रोक रहा है। वह परमाणु हथियार कार्यक्रम पर ही जोर दे रहे हैं। उन्होंने सियाचिन जैसे क्षेत्रों में आक्रामक रुख अपना रखा है। वह अपने क्षेत्र में आतंकवादियों और पृथकतावादियों को सहायता और शरण दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान से कहा कि हमारी सीमाओं पर आतंकवादी घटनाओं में हुई अचानक वृद्धि पर बातचीत के लिए भारत तथा पाकिस्तान के गृह सचिवों को बातचीत करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संचार सुविधा होनी चाहिए। सैनिक क्षेत्र में पहले से ही हाटलाइन है। शायद गृह सचिवों के बीच भी हाटलाइन की जरूरत है ताकि यदि कोई तनाव उत्पन्न हो तो उसे जितनी जल्दी संभव हो समाप्त किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक हाटलाइन हुआ करती थी। किन्तु उनके अनुरोध पर इसे हटा दिया गया।

हम चाहते हैं कि इसे बहाल किया जाए ताकि यदि कोई तनाव हो तो उसे तुरन्त कम किया जा सके।

मुझे आशा है कि हम अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयत्न करेंगे एक समृद्ध, स्थिर, स्वतंत्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न तथा अखण्ड पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय हित में है। हम पाकिस्तान को इसी रूप से देखना चाहेंगे।

पश्चिम में थोड़ा आगे, अफगानिस्तान में हम जेनेवा समझौते का स्वागत करते हैं। इससे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की समाप्ति होगी। इससे शरणार्थियों की वापसी होगी जेनेवा समझौते से अफगानिस्तान में शान्ति और स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ ये जिससे इसकी स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और गुटनिरपेक्षता को बल मिला है। हमने इसे सफल बनाने में खामोशी से अपनी रचनात्मक भूमिका अदा की है। हमें खेद है कि पाकिस्तान ने बातचीत के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इससे शायद काम थोड़ा और आसान हो जाता।

हमारे विचार से अफगानिस्तान में शान्ति, स्थायित्व और गुटनिरपेक्षता की सर्वोत्तम गारंटी वहां पर सुदृढ़ सरकार का होना है। हम काबुल में एक सुदृढ़ सरकार देखना चाहेंगे। हमारा इसमें बहुत कुछ दाव पर है। इसीलिए हम राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को समझौते के बाद की स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत यात्रा का निमंत्रण दे रहे हैं। हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रगति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के युग की कामना करते हैं और हम इस प्रयास में उनका सहयोग करने का वचन देते हैं।

महोदय, श्रीलंका के साथ हमारे समझौते का श्रीलंका में स्थायी और उचित समझौते के रूप में सभी ने स्वागत किया था, यह एक ऐसा समझौता था जिसमें तमिलों की सभी न्यायोचित जरूरतों और मांगों को पूरा किया गया था; एक ऐसा समझौता जो श्रीलंका की एकता को सुदृढ़ करता है, यह एक ऐसा समझौता था जो उसकी सुरक्षा सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करता था।

पिछले 9 महिनों में भारतीय शान्ति सेना ने तमिलों और तमिलों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया है। भारतीय शान्ति सेना ने तमिल उग्रवादियों और श्रीलंका की सेना के बीच के संघर्ष को समाप्त कर दिया है। 'लिट्टे' से हथियार ले लिए गए हैं—'लिट्टे' के एक बड़े वर्ग को भारतीय शान्ति सेना द्वारा निहत्था कर दिया गया है।

उत्तर में लगभग शान्ति स्थापित हो गई है और पूर्व में भी स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है। श्रीलंका की सरकार ने अधिकांश तमिल बन्दियों को रिहा कर दिया है और प्रान्तीय परिषदों के लिए विधान तैयार किया है। 'लिट्टे' के लिए हमारे द्वार खुले हैं। हम चाहते हैं कि वह राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें और लोकतांत्रिक तरीके से जोर आजमाइश करें।

महोदय दक्षिण एशिया में 'दक्षेस' बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है। हम इसकी प्रगति से अत्यन्त संतुष्ट है। 'दक्षेस' नए आयाम स्थापित कर रहा है और दक्षिण एशिया में आपसी सम्बन्धों के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। एक सदस्य ने 'दक्षेस' का इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को सुलझाने का प्रश्न उठाया है। मैं अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। 'दक्षेस' कोई

[श्री राजीव गांधी]

द्विपक्षीय मंच नहीं है और हम इसका इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए नहीं करेंगे। हमारे सीधे सम्पर्क हैं और हम द्विपक्षीय मामलों को सीधे हल कर सकते हैं।

महोदय, हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न करते रहे हैं। हम विश्वास का वातावरण तैयार कर रहे हैं और अपने सम्बन्धों में एक नए और लाभकारी चरण की प्रत्याशा करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि सम्बन्धों को सामान्य करने की प्रक्रिया जटिल है। सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने की आवश्यकता है। इसमें आपस में स्वीकार्य परिणामों की जरूरत है और हमें दोनों देशों की राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम दीर्घावधिक समझौते की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी सीमाओं पर शान्ति बनाए रखना जरूरी है। हम चीन के साथ बहुत से क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का इस सदन के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। हमने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि उनके नियन्त्रण पर मुझे चीन यात्रा पर जाना चाहिए।

जापान के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी प्रगति हुई है। मैंने उनके भूतपूर्व प्रधान मंत्री नाकासोने, जब वह प्रधान मंत्री थे, काफी बातचीत की है। और जापान की इस यात्रा के दौरान मैंने प्रधान मंत्री ताकेशिता के साथ काफी लम्बी बातचीत की है। जापान इस समय हमारे आधिकारिक विकास सहायता का सबसे बड़ा दाता है। यह हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हम जापान के साथ अपने संयुक्त उद्यमों में, जापान के साथ तकनीकी सहयोग में जापानी निवेश में वृद्धि की आशा करते हैं।

जापान से वापस आते समय, मैं वियतनाम में उनके नए नेताओं से मिलने के लिए रुका। वियतनाम भारत का सच्चा मित्र है, जिनके साथ हमारे साझे मूल्य हैं, साझे सिद्धान्त हैं और बहुत सी साझी भौगोलिक राजनैतिक मान्यताएं हैं। मेरी यात्रा से दोनों देशों के बीच के सुदृढ़ ऐतिहासिक सम्बन्धों में पुनः विश्वास प्रकट किया गया। हमने वियतनात के नेताओं के साथ एक सुदृढ़ राजनैतिक सूझबूझ स्थापित कर ली है, एक ऐसी सूझबूझ जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा एशिया में शान्ति और स्थायित्व की ताकतें मजबूत होंगी।

हमने कम्पूचिया के बारे में बातचीत की। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कम्पूचिया की समस्याओं का हल खोजने के प्रयत्नों में सक्रिय रहा है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रिंस सिंहानुक और प्रधान मंत्री हुन्सेन के बीच शीघ्र बातचीत होगी।

ए० एस० ई० ए० एन० देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि वह आगे आएंगे और अपनी भूमिका अदा करेंगे। ए० एस० ई० ए० एन० देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। हमने आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य सम्बन्धों को बढ़ाया है। सिंगापुर के प्रधान मंत्री कुछ समय पहले भारत आए थे और मैं इण्डोनेशिया और मलेशिया गया था। मलेशिया के साथ हमारे बहुत पुराने सम्बन्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खाड़ी युद्ध जारी है। हमने दो गुट-निरपेक्ष देशों के बीच इस भ्रातृघातक संघर्ष पर लगातार खेद प्रकट किया है। हमने दोनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 598 का समर्थन किया है। शहरों के बीच पुन: युद्ध शुरू होने और उसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग किये जाने में उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को कम महत्व दिया गया है। हम महा शक्तियों की नौसेनिक उपस्थिति में वृद्धि होने पर खेद प्रकट करते हैं। अमरीकी युद्धपोतों के सम्मिलित हो जाने से खाड़ी में होने वाली घटनाएं अधिक से अधिक गम्भीर हो रही हैं और हम चारों तरफ अधिक से अधिक संयम रखने का अनुरोध करते हैं। समय की पुकार है कि राजनेता की तरह सावधान रहे, नौसेनिक उपस्थिति में वृद्धि को रोका जाए और बातचीत द्वारा समझौते को बढ़ावा दिया जाय।

पश्चिम एशिया में, फिलिस्तीनियों के उद्देश्य और पी० एल० ओ० के प्रति हमारा समर्थन ऐतिहासिक और अनुकूल है और यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से भी बहुत पहले का है। हम अधिकृत क्षेत्रों में इजरायली सेनाओं के बर्बर व्यवहार की भर्त्सना करते हैं। हाल ही में अबु जिहाद की निर्मम हत्या भी एक ऐसा कार्य है जिससे उस क्षेत्र में केवल तनाव ही बढ़ेगा और इन मामलों को सामान्य बनाने तथा उनका हल ढूंढने में और अधिक कठिनाई होगी। स्थिति बहुत ही गम्भीर है और उसे थोड़ा-थोड़ा करके हल नहीं किया जा सकता। मेरा विश्वास है कि मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए समर्थन बढ़ रहा है। फिलिस्तीनियों का आत्म निर्णय के लिए अहस्तान्तरकरणीय अधिकार है और हम उस अधिकार के लिए उनका समर्थन करते हैं।

मध्य अमरीका के सम्बन्ध में हम 'कोन्टेडोरा' प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इसी वजह से गत वर्ष के मध्य में गुआटेमाला शांति समझौता हुआ है, जिससे न्यायोचित और स्थायी समझौता होना चाहिए, जिससे क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए बाहरी हस्तक्षेप और दखल के बिना आत्म-निर्भय, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अखण्डता का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

लेटिन अमरीका के भारत से बहुत दूर होने के बावजूद भी उसके भारत के प्रति बढ़ते हुए स्नेह, एक दूसरे के प्रति बोध और ठोस समर्थन कई बहुत से साक्ष्य हैं। मैं डेनियल ओरटेगा द्वारा निकारागुआ में शांति लाने, निकारागुआ की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उस क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए किए गए उचित प्रयासों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

गत वर्षों के दौरान पेरू के साथ हमारे सम्बन्धों में भारी सुधार हुआ है। लेटिन अमरीका में पेरू एक नए रास्ते का डंका पीट रहा है। अर्जेंटीना और मैक्सिको, हमारे छ: राष्ट्रों की पहल में हमारे साथी हैं और हम एक साथ मिलकर निशस्त्रीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। आयात निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार वार्ताओं में ब्राजील और भारत के बीच काफी सहयोग है और हमारी एकता तथा समरुचि होने के कारण हम अपने रास्ते पर चल सके हैं और विकासशील देशों के पक्ष में बहुत सी बातें कर पाए हैं। हमें लेटिन अमरीका के साथ अपना सहयोग उस स्तर तक बढ़ाना चाहिए जोकि लेटिन अमरीका से भारत के लिए अधिक कार्य और सहानुभूति के अनुरूप हो।

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध परम्परागत रूप से निकट और हार्दिक रहे हैं। इनमें अब अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है, इनमें नए स्तरों तक गुणात्मक सुधार हो रहा है। बढ़ते

[श्री राजीव गांधी]

हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग में नई वृद्धि और विशेष रूप से हम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो सहयोग शुरू कर रहे हैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहिए। सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव काफी सफल रहे हैं। हम इस वर्ष नवम्बर में महासचिव गोर्बाचेव के भारत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इन्दिरा जी के 1982 में अमरीका का दौरा करने के बाद हम अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों में लगातार सुधार कर रहे हैं। अब अमरीका व्यापार में हमारा सबसे बड़ा भागीदार है जिसमें आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकी अन्तरण का अवसर बढ़ रहा है। हम अमरीका के साथ अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विषयों पर लाभप्रद विचार विमर्श कर रहे हैं। रक्षा मामलों के बारे में हम उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जिससे हम अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकें।

हमारी विदेश नीति गांधीजी द्वारा हमें दी गई एक मानवता, अहिंसा और सच बोलने के बुनियादी अभिकरण पर आधारित है। हमने मानवता के बारे में, हमने जो संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर अपने आपको विभाजित कर दिया है उसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है। हमने रंग-भेद को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है जिससे नामीबिया में उपनिवेशवाद पैदा हुआ है। हमने रंगभेद के कारण दक्षिण अफ्रीका में हमले, विद्रोह और अस्थिरता के विरुद्ध संघर्ष किया है। इस चुनौती के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का अफ्रीकी कोष से पता चलता है। 45 देशों ने इसका उत्तर दिया है और उसमें हमारी ओर से 50 करोड़ रुपए सहित एक चौथाई बिलियन डालर का वचन दिया गया है। भारत सहित बहुत से दानी देशों ने परियोजनाओं को अधिक से अधिक मान्यता देनी शुरू कर दी है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की विश्व में मान्यता बढ़ रही है। किसी समय इसको अनैतिक कहा जाता था : आज इसे सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाता है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्त और प्रथायें विश्व में सुनिश्चित शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए केवल रास्ते के रूप में देखी जाती है। हम छोटे अल्पमत से पूर्ण बहुमत में हो गए हैं और उन देशों के भी, जो, यहाँ तक कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में नहीं हैं, गुट-निरपेक्ष भाषा में बात करना शुरू कर दिया है। हमें इस आन्दोलन की एकता को अवश्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि इसी से हमें शक्ति मिलेगी।

आर्थिक क्षेत्र में, असंगत विश्व व्यवस्था दक्षिण में विकास को नुकसान पहुंचा रही है और उत्तर में लगातार खुशहाली पैदा कर रही है। हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता है, विकास के सम्बन्ध में एक नई सर्वसम्मति और सहकारी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारत निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उस समय से संघर्ष करता रहा है जबकि वे प्रचलित नहीं थे। आई०एन०एफ़० संधि इस प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह केवल पहला कदम है। और अधिक कुछ किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में और अधिक कुछ बनेगा और अधिक प्रगति करने के लिए हमें समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें इस प्रक्रिया में सभी परमाणु हथियार वाली शक्तियों को सम्मिलित करना

चाहिए । हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हथियारों, परमाणु हथियारों का नए क्षेत्रों में विस्तार न हो । हमें यह देखना चाहिए कि जन संहार के अन्य हथियारों अथवा शल्य हथियारों का और विकास न हो । हमें भय दिखाकर निवारण करने वाले सिद्धान्तों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में बदल देना चाहिए ।

वर्ष 1988 में, हमने भारत की स्वतन्त्रता के 40 वर्ष पूरे किये हैं । हमने अपनी विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी भी शुरू कर दी है । उनकी दूरदृष्टि थी जिसे उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद विश्व-व्यापी मान्यता मिल रही है । हम प्राचीन सभ्यता के स्वाभिमानी उत्तराधिकारी हैं जिसके बुनियादी निर्देश हमारी विदेश नीति के स्त्रोत हैं । हम जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे हैं । हमारे सामने नई चुनौतियां और नए आसार तथा नई संभावनायें हैं । हमें अपने सिद्धान्तों का पालन करना होगा लेकिन हमें उन्हें नए तरीके से समझना होगा जोकि हमारे सामने उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप हो । हम अपने पड़ोस में शांति और सौहार्द के लिए और क्षेत्रीय संघर्षों के प्रस्ताव के लिए कार्य करेंगे, हम विश्व में मानव अधिकार और न्याय के लिए, एक जैसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए, सहकारी विश्व व्यवस्था के लिए एक मानव-जाति के लिए कार्य करेंगे ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धि अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें ।**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 18 मार्च 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| 23 | विदेश मंत्रालय | 69,26,00,000 | 15,50,00,000 | 334,72,00,000 | 77,50,00,000 |

## (वो) इस्पात और खान मंत्रालय

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन अब इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 और 68 पर चर्चा तथा मतदान करेगा। इसके लिए 4 घंटे आबंटित किए गए हैं।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्यायें लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 67 और 68 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

**लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 18 मार्च 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व | पूंजी | राजस्व | पूंजी |
| | | रु० | रु० | रु० | रु० |
| | **इस्पात और खान मंत्रालय** | | | | |
| 67. | इस्पात विभाग | 8,60,00,000 | 108,24,00,000 | 43,01,00,000 | 541,23,00,000 |
| 68. | खान विभाग | 19,69,00,000 | 37,77,00,000 | 98,43,C0,000 | 188,84,00,000 |

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री बी० बी० रमैया।

**श्री बी० बी० रमैया** (ऐलुरू) : मैं इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण मद है।

आज विश्व में किसी भी देश की प्रगति का मापदंड उसके द्वारा तैयार किये जाने वाला इस्पात है। इस्पात छोटे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र तक सबके लिए एक महत्वपूर्ण मद बन चुका है। एक छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी तोप जैसी रक्षा मद के निर्माण के लिए इस्पात एक अनिवार्य है। यहां तक कि मकानों, बांधों और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए इस्पात पर निर्भर रहना पड़ता है। दुर्भाग्य से भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे कम है। भारत में इसका उत्पादन यह प्रति व्यक्ति 15 से 18 किलोग्राम है जबकि जापान में यह 629 किलोग्राम, पश्चिम जर्मनी में 549 किलोग्राम, सोवियत संघ में 570 किलोग्राम और अमरीका में 508 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। इस प्रकार विभिन्न देशों में यह भिन्न-भिन्न है।

किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां इस्पात का उत्पादन कितना है। अगर देश के इस्पात के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि 1948 में भारत में इस्पात का लाख 12 लाख टन उत्पादन हुआ था जबकि जापान ने 18 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया था। 1982 में भारत इस्पात के 100 लाख टन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जबकि जापान ने 1000 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। पिछले दशक में यह ऐतिहासिक प्रगति हुई है। मैं सदन को यह सब इस लिए बता रहा हूं कि संसाधनों के बावजूद इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है। इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर अनिवार्य हैं। हमारे देश में यह सब उपलब्ध हैं और जनशक्ति भी अधिक है पर हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देश के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक इन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। यदि आप मांग पर नजर डालें तो देखेंगे कि योजना अधिकारियों के अनुमानों के अनुसार सन् 2000 के अंत तक मांग 225 लाख टन होगी और उपलब्ध गणना के अनुसार जबकि हमारी उपलब्धि 172 लाख टन भी नहीं होगी। इससे पता चलता है कि 2000 ई० तक 53 लाख टन का अन्तर होगा। इससे पता चलता है कि इस उद्योग के लिए संसाधन जुटाने, उनके उपयोग और संकेन्द्रण की बहुत जरूरत है। वस्तुत: मेरा विचार है कि उपर्युक्त मांग अपेक्षाकृत कम है। हम इस्पात उद्योग का समर्थन तथा तेजी से विकास करना चाहते हैं और देश की प्रगति और समृद्धि के लिए हमें संसाधनों की जरूरत है।

कुछ और भी कारण हैं। चीन को लीजिए। चीन में 470 से 500 लाख टन से अधिक इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। हम उस दर से भी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं जिस दर से चीन प्रगति कर रहा है। इससे पता चलता है कि हम कितने विकासोन्मुख हैं—भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) से प्राप्त इस्पात उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार 1986-87 में 63.1 लाख टन तथा 1987-88 में केवल 72·4 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ। टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी में केवल 19·3 लाख टन और विद्युत भट्टियों से लगभग 30 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। जबकि 1985-86 में इस्पात में 159 करोड़ रुपए का लाभ हुआ और मालूम नहीं क्यों—1986-87 में इसमें कमी आई और यह घटकर 52·81 करोड़ रुपए रह गया। इससे पता चलता है कि इस्पात उत्पादन में कार्यकुशलता की कुछ कमी है जिस पर विकास की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

एक महत्वपूर्ण कारण उपयोगिता है। और इसके अलावा प्रौद्योगिकी और जनशक्ति की स्थिति को अद्यतन बनाना भी महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि स्थापित क्षमता के उपयोग पर नजर

[श्री बी० बी० रमैया]

डालें तो भिलाई में यह 77%, दुर्गापुर में 65%, राउरकेला में 89%, बोकारो में 75% और 'टिस्को' में 65% है। इससे पता चलता है कि मौजूदा संयंत्रों का विकास करना ही एक महत्वपूर्ण बात है और इन्हें सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। हाल ही में गठित समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, सुधार और विकास के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए की जरूरत है। आशा है सरकार पहल करके इन पहलुओं में सुधार लाएगी।

अगर मांगों पर नजर डालें तो 1987-88 में इस्पात की मांग 125 लाख टन की और 'पिग आयरन' की मांग 17.6 लाख टन थी अगर आयात को भी शामिल किया जाए तो इस्पात की मांग 125.3 लाख टन और 'पिग आयरन इनगोटस्ट' की मांग 14.7 लाख टन है। और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हम हर साल इस्पात के आयात पर 900 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है। दुर्भाग्य से हम अभी भी इस्पात के आयात पर निर्भर करते हैं और इसके आयात पर काफी धनराशि व्यय करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रमुख देशों के विकास पर नजर डालें तो पाएंगे कि इस्पात क्षेत्र में प्रगति और लाभ बहुत महत्व रखता है।

मेरे पास कुछ और आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि आज भारतीय इस्पात उद्योग में प्रति टन इस्पात के लिए ऊर्जा की 9 से 16 डेगा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। देश के बाहर प्रति टन इस्पात के लिए 5 से 7 डेगा कैलोरी की जरूरत पड़ती है।

देश में ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग भी बहुत कम होता है और यह 'ब्लास्ट फर्नेस' के कार्य संचालन का सबसे अकार्यकुशल तरीका है। मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन केवल 68 इंगोट इस्पात टन है जबकि जापान में 400 इंगोट इस्पात टन और कोरिया में 600 है।

बहुत समय तक यह माना जाता रहा कि भारत में निर्मित इस्पात विश्व में सबसे सस्ता होता है। लेकिन दुर्भाग्य से अब इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि आप देख सकते है कि यह आज किसी भी देश की तुलना में सबसे मंहगा है।

छोटे इस्पात संयंत्रों के पहलू से संबंधित अन्य विभिन्न बातों पर नजर डालिए। आज ये संयंत्र उत्तम मिश्रित इस्पात, हाई कार्बन इस्पात या किसी भी प्रकार के विशेष इस्पात का उत्पादन करने में समर्थ हैं। उनके और आधुनिकीकरण, अधिक प्रभावशाली किस्म की भट्टी की जरूरत है। अगर सरकार और प्रोत्साहन दे तो लघु क्षमता के संयंत्र कार्य कुशल ढंग से काम करके एक अन्तर को पाट सकते हैं और हमें बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जहां तक विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वहां अकार्यकुशलता क्यों है और उत्पादन की लागत इतनी अधिक क्यों है? इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत 2,250 करोड़ थी लेकिन संशोधित अनुमानित लागत बढ़कर 7,500 करोड़ रुपए हो गई। मैं समझ सकता हूं कि अनुमानित लागत और अंतिम लागत में कितना अंतर है। मैं आपको बता सकता हूं कि लागत उससे कहीं और अधिक होगी। अगर आप यह शुरू से हिसाब लगाएं कि विशाखापत्तनम

इस्पात संयंत्र पर किए गए पूंजी निवेश पर कितना ब्याज होगा तो यह राशि और अधिक हो जाएगी। लेकिन बाद में उन्होंने सारी बातों में संशोधन किया और उन्होंने कम बिक्री योग्य इस्पात और अधिक पिंड लोहे के आधार पर 6,300 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया। इस अनुमान के अनुसार इस साल के अन्त तक संयंत्र का पहला चरण काम करने लगेगा लेकिन माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात की पुष्टि करें कि क्या इस साल के अन्त तक यह काम करने लगेगा, क्या 1990 के अन्त तक पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगा और क्या अधिक धनराशि आबंटित करने की जरूरत है। 1985 में उन्होंने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए केवल 250 करोड़ रुपए आबंटित किए थे और हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि 10 साल बाद भी इस्पात का उत्पादन नहीं होगा और इस्पात की कीमत बढ़ेगी क्योंकि हर साल प्रशासनिक लागत बढ़ रही है और परियोजना में बहुत कम धनराशि लगाई जा रही है। सौभाग्यवश उन्होंने आबंटित धनराशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया है। कम से कम हम यह आशा तो करते ही हैं कि 1988 के अन्त तक हम उत्पादन के प्रथम चरण को और 1990 में संशोधित योजना परिव्यय के अनुसार पूर्ण उत्पादन क्षमता को प्राप्त कर लेंगे। फिर भी, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए बहुत सी बातों की जरूरत है। लगभग 20 हजार एकड़ जमीन उन्होंने अधिग्रहीत की है पर मुआवजे की अदायगी ठीक ढंग से नहीं की गई है। गणना के अनुसार 9,188 लोगों को विस्थापित किया गया है। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें बसाया जाएगा और नौकरियां दी जाएंगी। उनमें से केवल 1418 लोगों को रोजगार दिया गया है और 7000 से अधिक विस्थापित लोगों को अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। आशा है माननीय मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन लोगों के साथ न्याय किया गया है अन्यथा उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्हें बहुत साल पहले विस्थापित किया गया था पर उनके लिए अभी तक रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है।

इस्पात के साथ-साथ अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे लौह अयस्क, कोयला और चूने पत्थर को ले जाने, लाने में किफायत बरती जानी चाहिए। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए आपको कोयले और चूना पत्थर का आयात करना पड़ेगा और अन्य वस्तुएं एकत्र करनी होंगी। तैयार इस्पात के लिए भी ढुलाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। उसका अर्थ है, इसके साथ ही रेलवे को भी मजबूत बनाना होगा। यही कारण है कि केवल इस्पात उद्योग को ही अन्य सुविधाओं की जरुरत नहीं है, चाहे वह उन्हें वित्त की आवश्यकता हो या प्रौद्योगिकी में सुधार करने की या इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक परिवहन और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की। जैसा कि मैंने पहले कहा है इसमें श्रमशक्ति लगाने की सबसे अधिक क्षमता है, क्योंकि इसके लिए बहुत से सहायक उद्योगों की आवश्यकता है, चाहे वह माल की सप्लाई के लिए हों, या विभिन्न कार्यों के उपयोग के लिए तैयार इस्पात की। आज भी, यदि आप सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि पहले इस्पात में, विशेषकर इस्पात की किस्म में, सुधार किया जाना चाहिए। हम उन मदों के आयात के लिए काफी बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। यदि हम अपनी प्रौद्योगिकी में तथा इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करते हैं तो हम अपनी रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सी मदों का उत्पादन कर सकते हैं और हम हर क्षेत्र में देश को मजबूत बना सकते हैं।

खनन के सम्बन्ध में, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। 'नेल्को' बहुत प्रगति कर रहा है। बाक्साइट के खनन तथा नए एल्युमीनियम में सुधार हुआ है। हम आयात के स्थान पर काफी

[श्री बी० बी० रमैया]

निर्यात बढ़ा सकते हैं। हमने जस्ता 'जिंक' और सीसा उद्योगों तथा कॉपर तांबे के विकास के विभिन्न पहलुओं को भी कुछ प्रोत्साहन दिया है। लेकिन अब भी इन सबके लिए और बहुत सी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि खनन उद्योग पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है। जो लोग उन पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, जहां खनन कार्य होता है, उन्हें रोजगार देने, उन्हें उत्तम चिकित्सा की सुविधाएं देने और विशेष सुविधाएं देने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर उन्हें चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आदि जैसी सामान्य जीवन बिताने के लिए जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिली हुई हैं। उन लोगों के लिए अन्य बातों पर भी विचार करना आवश्यक है। मुझे आशा है, मंत्री महोदय, इन कुछ पहलुओं पर भी विचार करेंगे।

खनन के लिए विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, जिसका और आधुनिकीकरण आवश्यक है ताकि लोगों पर आसपास की प्रतिकूल जलवायु का कुप्रभाव न पड़े। उनके लिए आवश्यक पारिस्थितिक सुविधाओं एवं जलवायु को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मेरे विचार से जब तक हम इन सब पर विचार नहीं करते, देश की हालत और इस्पात के उत्पादन में और सुधार नहीं होगा। सलेम इस्पात संयत्र को देखिए। यहां विशेष प्रकार के इस्पात का उत्पादन किया जाता है। हम इसका विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास चाहते हैं कि पहले हमने सोचा था कि इसे पहले ही से स्वीकृति मिल चुकी थी। दुर्भाग्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत कम धनराशि स्वीकृत की गई है। मैं नहीं जानता कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह पूरी हो जाएगी या नहीं। इस समय हम विशेष प्रकार के इस्पात और मिश्रित इस्पात का काफी मात्रा में आयात कर रहे हैं। यही कारण है कि हम न केवल साधारण इस्पात अपितु विशेष प्रकार के मिश्रित इस्पात और विशिष्ट 'स्टेनलैस' इस्पात का उत्पादन चाहते हैं। यह एक बहुत ही खर्चीली मद है जिसका हम आयात कर रहे हैं और इतना पैसा बाहर खर्च करके अपनी अल्प विदेशी मुद्रा भंडार को और कम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदव इसमें और रुचि दिखाएंगे और यदि आवश्यकता हुई तो वर्तमान में हमें जो धनराशि प्रदान की गई है उससे अधिक धनराशि आवंटित करेंगे। हम इसे पूरा समर्थन देते हैं ताकि हम इन बातों के साथ-साथ इस उद्योग को और सुदृढ़ बना सकें और इसका विकास कर सकें तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सब बातों पर विचार करेंगे और देखेंगे कि इससे अर्थ-व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और मजबूत बनें।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** (हिन्दुपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"**

[कर्नाटक में बेल्लारी-हो स्पेट में उपलब्ध लौह अयस्क के भारी भण्डारों का उपयोग करने के लिए 1970 से लम्बित विजय नगर इस्पात कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता।] (1)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[विजय नगर इस्पात कारखाने के लिए धनराशि 10 करोड़ रु० से बढ़ाकर 200 करोड़ रु० करने की आवश्यकता।] (2)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[छोटे उद्योगों और आवास पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकने की आवश्यकता ।] (3)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[देश में इस्पात की उत्पादन लागत में कमी करने की आवश्यकता ।] (4)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[इस्पात के आयात में उल्लेखनीय कमी करने के लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता ।] (5)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[उन व्यक्तियों को, जिनकी भूमि विशाखापत्रन इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई थी, रोजगार देने की आवश्यकता ।] (6)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[इस्पात कारखानों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता ।] (7)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में बिक्री योग्य इस्पात का लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता ।] (8)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में हानि को कम करने की आवश्यकता ।] (9)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[विशाखापतनम इस्पात कारखाने को निर्धारित समय के अनुसार पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता ।] (10)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता ।] (11)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[खनिजों के विकास पर एक विस्तृत नीति दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता ।] (12)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट परियोजना की स्थापना के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता ।] (13)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में रामगिरि स्वर्ण खानों के बेहतर दोहन के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।] (14)

[श्री के० राम चन्द्र रेड्डी]

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में वजराकरुर स्थित हीरे की खानों के तीव्र विकास की आवश्यकता।] (15)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[गोवा पत्तन से सस्ती दरों पर लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता।] (16)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[व्यक्तिगत स्वामित्व वाली सभी खानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता।] (17)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में रायलसीमा में खनिजों के बेहतर दोहन की आवश्यकता।] (18)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर और कुडप्पा जिलों में खनिज संसाधनों का पूर्ण भूगर्भीय सर्वेक्षण करने की आवश्यकता।] (19)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में खनिज सम्पदा का तेजी से दोहन करने की आवश्यकता।] (20)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

**श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[कर्नाटक में विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता, जिनका 1971 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था।] (21)

**"कि इस्पात विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[विश्वेश्वरया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण करने की आवश्यकता।] (22)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[भारत गोल्ड माइन्स तथा कोलार गोल्ड फील्ड्स, कर्नाटक का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।] (23)

**"कि खान विभाग शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किए जायें।"**

[भारत गोल्ड माइन्स तथा कोलार गोल्ड फील्ड्स के खान श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता।] (24)

**श्री बी० आर० भगत** (आरा) : इस्पात भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ है। यह न केवल बहुत महत्वपूर्ण है अपितु यह राष्ट्र के सम्पूर्ण औद्योगिक ढांचे का आधार है। यह प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र है। यह राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण की मुख्य प्रेरक शक्ति है। अच्छी किस्म का इस्पात होना, उसका किस तरह से उपयोग होता है, उस पर और उसके विकास पर औद्योगिक क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास निर्भर है। इस्पात का इस्तेमाल न केवल आधारभूत उद्योग, पूंजीगत माल उद्योग ही करते हैं अपितु हर कोई करता है। इसकी खपत से राष्ट्र में कृषि के विकास और सिंचाई साधन क्षमता के विकास का पता चलता है। इस तरह इस्पात हर जगह इस्तेमाल होना है। इसलिए अच्छी किस्म का इस्पात अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन का इस ओर ध्यान है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र के इस्पात उद्योग के विकास को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज हम स्थिति में बदलाव ले आये हैं। हम फिर प्रगति की ओर है। 1984-85 में हमारे राष्ट्र में इस्पात उद्योग की विकास दर 14% थी। यह समूचे विश्व में सबसे अधिक ली। यदि इसकी तुलना आप जापान, चीन या फिर कोरिया से करें तो आप पायेंगे की उनका विकास दर 10 प्रतिशत थी। लेकिन एक साल में उस विशेष वर्ष में अर्थात् 1984-85 में हमारे देश में यह 14 प्रतिशत थी। इससे पहले स्थिति ढीली थी और यदि आप विभिन्न मांग कारकों और सप्लाई उपलब्धता को देखें तो आप इस्पात के विकास में कमी पायेंगें। यह मुख्यतया मांग की सीमाओं, बाधाओं के कारण था और इसका कारण यह भी था कि राष्ट्र की प्रगति आर्थिक प्रगति पर आधारित है और क्योंकि विशेषत: 1966 के बाद कुछ उतार-चढ़ाव आये इस कारण इस्पात के उत्पादन को जानबूझ कर कम करना पड़ा। प्रत्येक इस्पात संयंत्र के पास भारी मात्रा में स्टाक था और वह उन्हें निर्धारित कार्य के अनुसार निपटा नहीं पाया। इसके कारण निवेश में कमी आई लेकिन सातवीं योजना में ध्यान रखा गया। मांग कारक और उपलब्धता का नये सिरे से मूल्यांकन किया गया और इन दोनों पर विचार करने के बाद विभिन्न इस्पात उत्पादों का और अधिक विस्तार करने के लिए एक नये कार्यक्रम पर विचार किया गया। भिलाई में 40 लाख टन का विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया, बोकारो में 40 लाख टन से कुछ अधिक का उत्पादन किया जाता था और इसी तरह राउरकेला और दुर्गापुर में विशेष इस्पात मिश्र संयंत्र अधिक इस्पात का उत्पादन करने के लिए शुरू किया गया था। अन्य स्थानों पर भी एकीकृत संयंत्र स्थापित किये गये थे और उन्होंने इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया।

अब विजाग में स्थित इस्पात संयंत्र के बारे में माननीय मंत्री ने विचार किया है। लेकिन यह सच है कि यह सन् 1971 में शुरू किया गया था। नींव तभी रखी गई थी लेकिन उस समय मांग में रुकावट के कारण इस्पात उद्योगों में समूचे निवेश मानदण्ड में परिवर्तन आया। कुछ समय के लिए काम रुक गया था। यह जानबूझकर नहीं किया गया था। लेकिन आप जानते ही हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्तमान एककों के पास भारी मात्रा में स्टाक था। मांग बहुत कम थी, निवेश में कमी आ रही थी। लेकिन एक बार जब निर्णय ले लिया तो यह पूरी तरह से जारी रहेगा। प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि यह नियोजित ढंग से चल रहा है। विजाग इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य जारी रहेगा और हमें आशा है कि नई प्रौद्योगिकी के अंतर्ग्रस्त होने, नये तरीके इस्तेमाल किये जाने, नई उच्च प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत होने से हालाकि पूंजीगत लागत बढ़ गई है--लगभग 8000 करोड़ रुपये इस संयंत्र में निवेश किये जायेंगे। पहले जब इसकी योजना बनाई गई थी, तब अनुमानित लागत 2300 करोड़ रुपये या 2500 करोड़ रुपये और इसके आस पास

[श्री बी० आर० भगत]

रखी गई थी। एक समय इसको कम करने का भी विचार था। विशेषज्ञ समिति ने इस पर विचार किया और अब उन्होंने बताया है कि यह लागत 5000 करोड रुपये तक उस समय जा सकती है और फिर उन्होंने कहा कि इसकी लागत 7500 करोड रुपये होगी। लेकिन हाल ही का अनुमान है कि यह लगभग 8000 करोड़ रु० के होगी, क्योंकि इस्पात के उत्पादन में सामान्य उत्पाद मिश्र प्रौद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चा माल, नई प्रौद्योगिकी को आवश्यकता होगी। आशा की जाती है कि इसमें अब और समय और लागत नही लगेगी। यह भी एक नया कारक है और मुझे विशेषकर खुशी इस बात की है कि यह न केवल विजाक इस्पात संयंत्र में ही है अपितु अन्य संयंत्रों में भी है। लेकिन जब से नये मंत्री ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, वह अपनी कार्य की गतिशीलता के लिए और इस समस्या के प्रति अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा अपने मधुर संबन्धों के लिए जाने जाते हैं और उनकी काम को गति देने की पद्धति भी भिन्न है। कार्यकरण में भी, यदि आप देखें तो आप पायेंगे और मैं कल आऊंगा। आप देख सकते हैं इस गतिशीलता की सराहना की जा रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

**6.00 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 अप्रैल, 1988/1 बैशाख, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

---

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली-110006